FOR REFERENCE ONLY.

ा माला, खंड 27, अंक 17

मंगलवार, 6 अगस्त, 2002
15 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 17, मंगलवार, 6 अगस्त, 2002/15 श्रावण, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	321 और 322 .	4-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	323 से 340.	6-70
अतारांकित प्रश्न संख्या	3284 से 3513	71-360

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 6 अगस्त, 2002/15 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है। माननीय सदस्यगण अपने स्थान से ही अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय में अनेक घोटाले हुए।...*(व्यवधान)* क्या इन घोटालों के बाद कांग्रेस की सरकार ने कोई भी ऐतिहासिक फैसला लिया जो फैसला माननीय प्रधान मंत्री ने कल ही लिया है।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने कल ही आवंटन रद्द कर दिए हैं।...*(व्यवधान)* हम प्रधान मंत्री जी के फैसले का स्वागत करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय में शुगर घोटाला, शेयर घोटाला और यूरिया घोटाला हुआ।... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आपने मुझे प्रश्न काल के निलंबन के लिए नोटिस दिया है। आप सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकते हैं कि प्रश्न काल को क्यों निलंबित किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अगर हाउस नहीं चलेगा, तो ये क्यों बोलना चाहते हैं?..*(व्यवधान)* घोटाले इन्होंने किए।..*(व्यवधान)* शुगर घोटाला, शेयर घोटाला और यूरिया घोटाला सब कांग्रेस ने किए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : वे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यदि प्रत्येक सदस्य आपको नोटिस देता है तो क्या आप उन सभी को बोलने की अनुमति देंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यह नोटिस देने का सिर्फ कारण पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, अगर हाउस नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो ये क्यों बोलना चाहते हैं?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण बिना अनुमति प्राप्त किए जो कुछ भी बोलेंगे, उसे कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि आखिर प्रश्न काल को क्यों निलंबित किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह मुद्दा उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री सुन्दर लाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 321 । श्री रामैया—यहां उपस्थित नहीं है।

श्री गंता श्रीनिवास राव

(व्यवधान)

श्री गंता श्रीनिवास राव : प्रश्न संख्या 321 ।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

+

*321. **श्री गंता श्रीनिवास राव** :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद ने पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सी०आर०पी०एफ०, आर०ए०एफ० और बी०एस०एफ० में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1995-96 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की :-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी गई वैसी ही छूटों की तर्ज पर केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं में छूट।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी गई छूटों के तर्ज पर राज्य पुलिस बलों में भर्ती हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं में छूट।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) धर्म के आधार पर सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को पुलिस संगठनों में नियुक्ति हेतु आगे आने के लिए समुचित रूप से प्रेरित किया जाए। सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को कहा है कि वे इन बलों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों/भर्ती कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहनों/भावी संभावनाओं के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के संभावित उम्मीदवारों को जानकारी दे कर अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें। भर्ती बोर्डो को भी यह सलाह दी गई है कि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं/संगठनों को इस बारे मे विशेष रूप से सूचना भेजें ताकि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु इन समुदायों के उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (त्वरित कार्रवाई बल सहित जोकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही एक अंग है) में मुसलमानों की संख्या 5.5 प्रतिशत और सीमा सुरक्षा बल में 5.85 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 322 । श्री किरीट सोमैया

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : प्रश्न संख्या 322 ।...*(व्यवधान)*

टाटा टेली में विदेश संचार निगम लिमिटेड की निधियों का निवेश

+

*322. **श्री किरीट सोमैया** :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा टेली में वी०एस०एन०एल० निधियों के निवेश के बारे में कंपनी कार्य विभाग, संचार मंत्रालय और विनिवेश विभाग में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या टाटा टेली में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के बारे में संसद सउस्यों और निवेशक संघों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) टाटा टेली सर्विसेज में वी.एस.एन.एल. द्वारा निवेश के मामले में कुछ संसद सदस्यों तथा निवेशकों के शिकायत फोरम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) आवश्यक पड़ने पर इन शिकायतों की जांच करके सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदारी के लिए कर्मचारियों द्वारा बोली लगाना

*323. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी संघों को अपनी कम्पनियों में हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने हेतु प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी आगामी विनिवेश बोली में भी इस सिद्धान्त को व्यवहार्य रूप देने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने पहले एयर इंडिया में हिस्सेदारी हेतु पायलट गिल्ड की बोली को अस्वीकार कर दिया था परन्तु अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की बोली के पक्ष में विचार कर रही है, जिसका शीघ्र ही विनिवेश किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं। परन्तु कर्मचारियों द्वारा बोली लगाए जाने का स्वागत है, बशर्ते कि वे अहर्ता मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया के शेयरों में भागीदारी अर्जित करने के लिए पायलट्स गिल्ड ऑफ एयर इंडिया की हित की अभिव्यक्ति अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि गिल्ड निर्धारित न्यूनतम निवल संपत्ति के मानदंड पर खरा नहीं उतरा था। इंजीनियर्स इंडिया लि. अधिकारी संघ, जिसने इंजीनियर्स इंडिया लि. में भागीदारी अर्जित करने के लिए हित की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी, इंजीनियर्स इंडिया लि. की विनिवेश प्रक्रिया से हट गया है।

[हिन्दी]

ध्रुवीय विज्ञान अनुसंधान केन्द्र

*324. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ध्रुवीय विज्ञान संबंधी अस्थाई और स्थाई अनुसंधान केन्द्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र में कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप में ध्रुवीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित करने में अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय होगी और उससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) गोवा में स्थित राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, भारत में ध्रुवीय विज्ञान अनुसंधान को समर्पित एकमात्र अनुसंधान केन्द्र है।

(ख) इस समय केन्द्र में 11 (ग्यारह) वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

(ग) से (ङ) भारत का एकमात्र स्थायी वैज्ञानिक स्टेशन ''मैत्री'' अंटार्कटिक में 1988 में स्थापित किया गया था। यहां वैज्ञानिक निरन्तर 12 महीने कार्य करते हैं। ''मैत्री'' में भूविज्ञान, भूभौतिकी, हिमनद विज्ञान, भूचुम्बकत्व, भूकंपविज्ञान एवं वायुमंडलीय तथा पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान/प्रयोग करने की प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। अंटार्कटिक में एक और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में, कोई अन्तिम निर्णय नही लिया गया है।

[अनुवाद]

खान मजदूरों को लाभ/सामाजिक सुरक्षा

*325. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोयला और अन्य खानों में काम करने वाले खान मजदूरों को दी जा रही सामाजिक सुरक्षा और उनको दिए जा रहे लाभों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मजदूरों के लाभों और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए वर्ष-वार और कंपनी-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु और धनराशि आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोयला उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आवास, चिकित्सा, शिक्षा तथा दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला उद्योग में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं :-

(1) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

(2) कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976

(3) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

निजी क्षेत्र की खानों में श्रमिकों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा देश के सामान्य कानूनों से प्रशासित होते हैं। इसके अलावा विशिष्ट खनिज श्रम कल्याण निधि अधिनियम भी है जिनमें खान में नियोजित लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले कार्यकलापों के वित्त-पोषण की व्यवस्था है।

(ख) सरकार संगत अधिनियम के सांविधिक निबंधनों के अनुसार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए धनराशि आवंटित करती है।

(ग) से (ङ) कोयला क्षेत्र के लिए, सरकार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 तथा कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लिए धनराशि आवंटित कर रही है। कंपनी-वार कोई आवंटन नहीं है। पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार आवंटन तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन निम्नानुसार है :-

(रुपए में)

योजना का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 ब.अनु.
कोयला खान पेंशन योजना, 1998	27,92,99,000	24,27,25,000	25,87,74,000	25,87,76,000
कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976	68,68,000	94,78,000	1,01,30,000	1,15,00,000

जहां तक दूसरे खान, खनिज विशिष्ट श्रम कल्याण निधि अधिनियमों का संबंध है, उनका प्रशासन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

पर्यावरण पर कीटनाशकों का प्रभाव

*326. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के अवक्रमण को रोकने और कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभावों से कृषक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं की सहायतार्थ एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए कीटनाशकों के बारे में कोई बैठक प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) पर्यावरण के अवक्रमण को रोकने और कृषक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह बैठक कहां तक लाभदायक सिद्ध होगी;

(घ) पर्यावरण के अवक्रमण और कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए पेस्टिसाइड उत्पादन और सूचना से संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क (रेनपैप) की तकनीकी समन्वयक इकाई की हैसियत से इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव (आई.पी.एफ.टी.) द्वारा मार्च, 2002 में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) इस कार्यशाला का उद्देश्य पेस्टिसाइडों के सुरक्षित प्रयोग से संबंधित विषयों पर विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान करना था। इससे उन पेस्टिसाइड सूत्रयोगों के विकास में सहायता मिलने की संभावना थी जो पर्यावरण और कृषि समुदाय के लिए सुरक्षित हैं।

(घ) और (ङ) पर्यावरण के क्षरण और पेस्टिसाइडों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में समेकित पेस्ट प्रबन्धन (आई.पी.एम.) को अपनाना शामिल है।

परती भूमि का विकास

†327. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश में 638.5 लाख हेक्टेयर परती भूमि में से केवल 244.5 लाख हेक्टेयर भूमि के ही विकास की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है और उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है; और

(ङ) गत दो वर्षो के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितने लोगों को रोजगार दिया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग देश में बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करने हेतु तीन मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को अप्रैल, 1995 से लेकर आगे वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से लेकर इन तीनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के जरिए 160.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने हेतु कार्य आरंभ किया गया है। वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं, विकास हेतु शामिल किए गए क्षेत्र, कुल लागत और जारी की गई केन्द्रीय निधियों के रूप में कार्यक्रमों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

स्वीकृत की गई प्रत्येक वाटरशेड परियोजना सामान्यत: 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती है और कार्यान्वयन में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए निधियां 7 किस्तों में जारी की जाती हैं। स्वीकृत की गई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम	परियोजनाओं की संख्या (किस्त-वार)						
	7	6	5	4	3	2	1
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०)	19	8	10	30	62	60	234
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)	3386	587	963	1341	1640	1599	4274
मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)	1634	81	74	895	652	1088	2288

वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त अप्रैल, 1995 में लागू हुए थे और इनमें क्षेत्र विकास का कार्य पूर्णतया वाटरशेड पद्धति के जरिए करने तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए गठित लोगों के संगठनों के जरिए करने पर जोर दिया गया था। चूंकि इन व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर कारगर संस्थागत तंत्र स्थापित करना तथा स्थानीय लोगों में व्यापक विचार-विमर्श अपेक्षित था अत: परियोजना संबंधी वास्तविक कार्यों को करने में प्रारंभ में कुछ विलम्ब हुआ था। परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए संयुक्त रूप में प्रयास किए जा रहे हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत वे परियोजनाएं जिन्हें सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, लगभग पूरी हो गई हैं।

वाटरशेड विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करने का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना तथा उसे बनाए रखना है और इसके साथ-साथ दूसरे उद्देश्य के रूप में रोजगार के अवसर पैदा करना है। चूंकि, परियोजना के बहुत से कार्यकलापों, नामत: यथा स्थान मृदा और नमी संरक्षण, चरागाह विकास तथा बनरोपण आदि में अत्यधिक श्रम शामिल होता है, अत: कार्यक्रम का लगभग 60% व्यय प्राय: वाटरशेड क्षेत्रों में और इनके आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए मजदूरी-रोजगार की व्यवस्था करने हेतु किया जाता है।

विवरण

बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों की स्थिति (1995-96 से 2001-2002 तक)

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य के नाम	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)					सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)					मरू भूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)				
		स्वीकृत की गई परियोजनाएं	क्षेत्र	कुल लागत	केन्द्र का भाग	जारी की गई केंद्रीय निधियां	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	क्षेत्र	कुल लागत	केन्द्र का भाग	जारी की गई केंद्रीय निधियां	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	क्षेत्र	कुल लागत	केन्द्र का भाग	जारी की गई केंद्रीय निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	36	3.56	171.53	164.23	91.87	2675	13.375	583.00	356.85	208.07	442	2.210	109.95	82.46	40.71
2.	बिहार	2	0.09	5.20	4.80	4.82	175	0.875	42.40	26.75	16.84					
3.	छत्तीसगढ़	11	0.99	57.24	52.84	9.46	537	2.685	137.70	91.58	13.81					
4.	दिल्ली (कपार्ट)					2.50										
5.	गुजरात	26	2.55	124.13	118.61	55.43	118	5.590	267.50	178.18	65.21	1399	6.995	375.60	295.96	123.03
6.	हिमाचल प्रदेश	24	2.44	126.20	119.01	36.15	188	0.940	49.30	34.28	10.37	298	1.490	83.00	67.25	28.36
7.	हरियाणा	6	0.48	25.14	23.63	5.74						533	2.665	143.30	117.41	52.37
8.	जम्मू और कश्मीर	7	0.57	29.10	27.57	9.69	208	1.040	59.20	42.80	14.97	459	2.295	123.95	104.15	49.85
9.	झारखण्ड	4	0.25	13.54	12.62	7.84	655	3.275	168.30	113.08	15.69					
10.	कर्नाटक	22	2.27	101.88	99.12	31.63	1165	5.825	284.10	192.78	76.69	667	3.335	179.02	134.27	37.27
11.	केरल	3	0.30	15.71	14.74	7.12										
12.	महाराष्ट्र	20	2.13	107.56	101.99	17.81	1911	9.555	469.60	311.30	100.72					
13.	मध्य प्रदेश	38	3.13	157.33	149.25	51.20	1821	9.105	453.70	307.23	140.91					
14.	उड़ीसा	30	2.14	106.19	100.94	37.65	524	2.620	138.00	93.90	27.36					
15.	पंजाब	4	0.15	8.73	8.02	4.26										

16. राजस्थान	29	2.32	120.81	113.78	53.36	567	2.835	150.10	103.48	39.50	2914	14.570	788.00	643.56	354.45
17. तमिलनाडु	24	1.72	89.82	84.58	30.95	760	3.800	158.10	98.58	53.36					
18. उत्तर प्रदेश	41	4.11	177.41	174.13	84.12	908	4.540	200.10	128.23	82.61					
19. उत्तरांचल	11	0.91	52.35	48.39	7.05	355	1.775	85.80	58.50	8.35					
20. पश्चिम बंगाल	1	0.05	3.28	3.00	8.52	223	1.115	53.40	33.30	11.80					
21. अरुणाचल प्रदेश	2	0.10	5.58	5.17	0.95										
22. असम	25	1.99	112.70	104.45	23.99										
23. मेघालय	7	0.35	23.43	21.85	2.98										
24. मणिपुर	8	0.74	56.59	26.59	12.89										
25. मिजोरम	12	1.13	67.87	62.21	12.85										
26. नागालैंड	17	1.79	92.01	86.87	37.36										
27. त्रिपुरा	4	0.19	11.65	10.68	2.60										
28. सिक्किम	9	0.78	35.70	34.56	16.1907										
कुल योग	423	37.23	1868.69	1773.64	667.01	13790.00	68.950	3300.30	2170.78	886.26	6712.00	33.560	1802.80	1445.06	686.04

अनुसंधान और विकास हेतु आवंटन

*328. **श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर देशों की अपेक्षा हमारे यहां अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि का आवंटन और उपयोग का स्तर बहुत कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रयोजन के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत खर्च करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना देश में और अधिक अनुसंधान और विकास केन्द्र खोलने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

*329. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्धारित 12.93 लाख के लक्ष्य की तुलना में केवल 3.47 लाख मकानों का ही निर्माण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्त न होने के राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत धनराशि का अनुचित उपयोग होने का कोई मामला सामने आया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक मकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार के किसी मामले की जानकारी मिली है या सरकार ने ऐसा कोई मामला पकड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर बिहार और झारखंड के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान बनाए जाने वाले 12.93 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 10.73 लाख मकानों का निर्माण किया गया / सुधारा गया तथा 5.6 लाख मकानों का निर्माण प्रगति के विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2001-2002 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए/सुधारे गए मकानों की राज्यवार स्थिति विवरण-I में दी गयी है।

2. इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अनियमितताओं का पता चलते ही, मामले को तुरंत संबंधित राज्य सरकारों एंव संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के समक्ष उठाया जाता है, जिसमें उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करना भी शामिल होता है। जब कभी न्यायसंगत प्रतीत होता है, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3. इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में विगत तीन वर्षों में (और आज तक) प्राप्त हुई शिकायतों और इस संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 2001-2002 के दौरान लक्षित, निर्मित और बनाए जा रहे आवासों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	आवासों की संख्या		बनाए जा रहे आवासों की सं०
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	94356	82228	26564
2.	अरुणाचल प्रदेश	4440	4542	339

1	2	3	4	5
3.	असम	99913	46817	26131
4.	बिहार	256310	167979	162310
5.	छत्तीसगढ़	16135	22996	3266
6.	गोवा	610	317	372
7.	गुजरात	27117	27497	9467
8.	हरियाणा	9169	9814	805
9.	हिमाचल प्रदेश	4056	3852	523
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4852	7632	10373
11.	झारखंड	75306	23452	30965
12.	कर्नाटक	48807	43824	18044
13.	केरल	30245	21372	27390
14.	मध्यप्रदेश	56307	64962	16459
15.	महाराष्ट्र	86598	88773	43930
16.	मणिपुर	5294	0	0
17.	मेघालय	7034	2438	1309
18.	मिजोरम	1689	1275	495
19.	नागालैंड	4541	4441	495
20.	उड़ीसा	75960	101443	135456
21.	पंजाब	6074	5317	817
22.	राजस्थान	25586	30471	7069
23.	सिक्किम	1217	1754	496
24.	तमिलनाडु	47383	43540	5091
25.	त्रिपुरा	10271	10382	0
26.	उत्तर प्रदेश	172761	171944	13753
27.	उत्तरांचल	17944	11245	0
28.	पश्चिम बंगाल	101835	71553	16783
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	861	858	87
30.	दा.न. हवेली	452	77	317
31.	दमन व दीव	187	66	66
32.	लक्षद्वीप	15	15	138
33.	पांडिचेरी	427	266	615
	जोड़	1293753	1073142	559925

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतें और की गई कार्रवाई

1. आंध्र प्रदेश

इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं के संबंध में खम्माम जिला (आंध्र प्रदेश) से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ऐसा आरोप था कि लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभा से शायद ही कभी सम्पर्क किया गया हो और योजना के अंतर्गत आवासों का आबंटन करने में पक्षपातपूर्ण तरीके से अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था।

की गयी कार्रवाई

इस मामले को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था, जिन्होंने सूचित किया है कि इन्दिरा आवास योजना के मकान खम्माम जिले के पी०टी०जी०एस० जैसे निर्धन परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही स्वीकृत किए गए थे, जिनमें कोंडरेड्डीज, कोयर एस०टी० लम्बदास, आग/बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति, विधवा प्रधान परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं तथा लाभार्थियों का चयन भी मात्र ग्राम सभा द्वारा ही किया गया था।

2. बिहार

(क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं के संबंध में बेगुसराय और जमुई जिलों

(बिहार) से संबधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ऐसा आरोप था कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा नहीं किया गया था और लाभार्थियों के चयन से संबंधित कोई-कोई दस्तावेज नकली था।

(ख) दूसरी शिकायत कटिहार जिला (बिहार) में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वियन में धड़ल्ले से हुई भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुई है।

की गयी कार्रवाई

(क) संयुक्त सचिव की अध्यक्षता मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल को में मामले की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि लाभार्थियों का चयन करने हेतु बुलाई गई ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों की उपस्थिति काफी कम थी। राज्य सरकार को कहा गया था कि ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में पूर्ण प्रचार सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकारियों को निदेश दें, जिससें कि ऐसी बैठकों में अधिकाधिक ग्रामीण भाग ले सकें।

(ख) इस संबंध में बिहार सरकार से मांगी गयी स्थिति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

3. **उड़ीसा**

एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा सरकार ने भूकम्प से प्रभावित 14 जिलों में लाभार्थियों को लॉटरी द्वारा इन्दिरा आवास योजना के आवास आबंटित करने का निर्णय लिया था।

की गयी कार्रवाई

शिकायत राज्य सरकार को भेज दी गयी थी, जिनसे उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

4. **उत्तर प्रदेश**

(क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्धारण करने में अनियमितताओं से संबंधित एक शिकायत जोला डिन्डोली, ब्लॉक नांगल, तहसील देवबंध, जिला सहारनपुर (उ०प्र०) से प्राप्त हुई थी। ऐसा आरोप था कि इन्दिरा आवास योजना के अतंर्गत लाभार्थियों का निर्धारण/चयन करने के लिए ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई थी और ग्राम प्रधान/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को मकानों का निर्माण करने को लिए धन प्रदान किया गया था।

(ख) दूसरी शिकायत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के खिलाफ प्राप्त हुई थी, जिसमें चित्रकूट धाम (उ०प्र०) के डेवलपमेंट ब्लॉक में आई०ए०वाई०/पी०एम०जी०वाई०जी०ए० और आई०ए०वाई० उन्नयन स्कीम के कार्यान्वियन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

की गयी कार्रवाई

(क) शिकायत को राज्य सरकार को भेज दिया गया था, जिन्होंने सूचना दी है कि लाभार्थियों के चयन में संबंधित ग्राम पंचायत ने दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और अपात्र ग्रामीणों का चयन किया गया था। अपात्र व्यक्तियों से धन वसूली करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और गलती करने वाले ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार से मांगी गयी स्थिति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अन्तर्गत कार्यक्रम

*330. **श्री भान सिंह भौरा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर पंजाब में, शुरू किए गये कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है:

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार आवंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसंधान निगम (एन.आर.डी.सी.) संवर्धनात्मक तथा व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। स्वदेशी

प्रौद्योगिकी के विकास तथा व्यापारीकरण को बढ़ावा देने के लिए एन आर डी सी के कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

(1) प्रौद्योगिकी का विकास व अन्तरण (ऋण एवं इक्विटी):

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एन आर डी सी, प्रौद्योगिकी विकास ऋण प्रदान करती है और प्रौद्योगिकियों के व्यापारीकरण हेतु प्रयोगशाला स्तर तकनीकी जानकारियों को सिद्ध करने तथा उनके विकास हेतु प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय कंपनियों की इक्विटी में भाग लेती है।

(2) प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन कार्यक्रम (टी पी पी):

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न कार्य कलाप आते हैं:

ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रोत्साहन

प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए सूचना विज्ञान

प्रौद्योगिकी का निर्यात

प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन कार्यक्रम

(3) आविष्कार संवर्धन कार्यक्रम (आई पी पी):

इस कार्यक्रम के अतर्गत सराहनीय आविष्कारों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तथा आविष्कारकों को उनके आविष्कारों को पेटेंट कराने तथा व्यापारीकृत कराने के लिए तकनीकी, वित्तीय एवं कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

देश में (पंजाब सहित) गत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान एन आर डी सी के संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत चुनी हुई परियोजनाओं/गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है: पंजाब में एक कंपनी के सहयोग से लिथियम लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र परियोजना का शुभारंभ किया गया जिसमें एन आर डी सी की इक्विटी भागीदारी 50 लाख रुपए की थी। एन आर डी सी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यापारीकरण के लिए 35 बाजार सर्वेक्षण किए। इसके अतिरिक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकियों से संबंधित सूचना के संवितरण के लिए 40 प्रदर्शिनियों/संगोष्ठियों में भाग लिया। 25 सराहनीय आविष्कारों के लिए 11.45 लाख रुपए की राशि के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। देश में विभिन्न प्रतिष्ठानों को बौद्धिक संपदा अधिकारों पर इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया ट्रेनिंग पैकेज की 60 सी डी का विक्रय तथा उनका विकास किया गया जिनमें से पंजाब में तीन सी डी विक्रय की गई। 63 आविष्कारकों को भारत में पेटेंट दर्ज करने के लिए वित्तीय, तकनीकी तथा कानूनी सहायता प्रदान की गई, इनमें पंजाब में किए गए निम्नलिखित तीन आविष्कार भी शामिल हैं : डबल नॉब हाइजीन टैप, डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर धान भूसी के हल्के रंग वाले परिशोधित तेल के उत्पादन की प्रविधि। एन आर डी सी की व्यापारिक गतिविधियों में उन प्रौद्योगिकियों का अनुज्ञापन शामिल है जो एन आर डी सी को अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, उद्योगों तथा स्वतंत्र आविष्कारकों आदि से तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों (आइ पी आर), प्रौद्योगिकियों के निर्यात तथा सेवाओं आदि से संबंधित हैं।

गत् तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एन आर डी सी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं: एन आर डी सी को 71 प्रौद्योगिकियों का सौंपा जाना, तकनीकी जानकारियों के अन्तरण के लिए एन आर डी सी द्वारा 87 अनुज्ञप्ति करारों का निष्पादन, जिसमें वर्ष 1999-2000 के दौरान पंजाब में एक उद्यमी को 20 एच पी ट्रैक्टर से संबंधित तकनीकी जानकारी तथा नक्शे व डिजाइन का अन्तरण शामिल है।

सरकार द्वारा गत् तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एन आर डी सी के संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के लिए निधि का आबंटन तथा एन आर डी सी द्वारा उसके इस्तेमाल का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	आबंटन राशि (लाख रुपए)	इस्तेमाल (लाख रुपए)
1999-2000	300	300
2000-2001	305	255
2001-2002	325	268

इन निधियों का निर्धारण राज्यों के अनुसार नहीं किया गया है अपितु इनका इस्तेमाल एन आर डी सी द्वारा समूचे देश में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए किया गया है।

गुरुकुल

***331. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने गुरुकुल चल रहे हैं;

(ख) इन गुरुकुलों में राज्यवार कितने बच्चे पढ़ रहे हैं;

(ग) क्या गुरुकुलों को दी जा रही वित्तीय सहायता उनके संचालन हेतु पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन गुरुकुलों के व्यापक विकास हेतु योजनाएं बनायी गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) गुरुकुल परंपरागत निजी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो अपनी पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में पारम्परिक ढ़ंग से संस्कृत तथा वैदिक शिक्षा प्रदान करती हैं। देश में स्थित ऐसे गुरुकुलों तथा इनमें अध्ययनरत छात्रों के संबंध में केन्द्र स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (च) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, (जो एक सम विश्वविद्यालय है) के स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (जो भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है) के वैदिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना के तहत उन गुरुकुलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहायता दिये जाने की सिफारिश की जाती है। गुरुकुलों को अलग से कोई निधियां प्रदान नहीं की जाती है। ये निधियां प्राय: शिक्षकों को वेतन देने, छात्रों को छात्रवृत्तियां देने तथा वैदिक अध्ययन के निमित्त होती हैं। चूंकि गुरुकुल प्राइवेट संस्थाएं हैं अत: इनके व्यापक विकास हेतु केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह/आई०एस०आई० की गतिविधियां

*332. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह की समस्या और आई०एस०आई० की गतिविधियों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषकर मेघालय की राज्य सरकार और विभिन्न आसूचना एजेंन्सियों से ऐसी रिपोर्टें मिली है कि अधिकांश भूमिगत संगठनों ने इन राज्यों में अपने शिविर स्थापित कर लिए हैं और पाकिस्तान की आई०एस०आई० इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मेघालय में आई०एस०आई०/उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) और (छ) सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की समस्या तथा आई एस आई की गतिविधियों की जानकारी है। सरकार के पास रिपोर्टें हैं कि पाक आई एस आई विदेशों से हथियार खरीदने तथा हथियारों की खेप पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पहुंचाने में पूर्वोत्तर के उग्रवादियों/आतंकवादियों की सहायता करती रही है। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पाक आई एस आई धन के रूप में भी पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की सहायता कर रही है तथा भटके हुए युवकों को सीमा पार से प्रशिक्षण लेने हेतु भी प्रोत्साहित करती रही है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार युनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आंफ बोरोलैंड (एन डी एफ बी) दीमा हलम दौगाह (डी एच डी) तथा युनाइटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलीडेरिटी (यू पी डी एस) असम में सक्रिय है जबकि हैनियूट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउन्सिल (एच एन एल सी), अचिक नेशनल वोलन्टियर काउन्सिल (ए एन वी सी) तथा पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ मेघालय (पी एल एफ एम), मेघालय में सक्रिय हैं। त्रिपुरा में कुछ छोटे आदिवासी आतंकवादी गुटों तथा युनाइटिड बंगाली लिब्रेशन फ्रंट (यू बी एल एफ) के अतिरिक्त दो बड़े आतंकवादी गुट नामत: ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) तथा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) सक्रिय हैं। मणिपुर में पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए), युनाईटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), पीपुल्स रिवोल्युशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी आर ई पी ए के), कांग्लोईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी), कांग्लेई योल कान्बा लुप (के वाई के एल), मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम पी एल एफ), रिवोल्युशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ) आदि सक्रिय हैं। नागालैंड में नागालैंड सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड अपने धड़ों तथा फ्रंट संगठनों सहित सक्रिय

हैं। उपर्युक्त उल्लिखित आतंकवादी गुटों के इन राज्यों में शिविर/शरण स्थल/छिपने के स्थान हैं।

सरकार ने आई एस आई एजेन्टों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आई एस आई एजेंटों तथा उनके द्वारा भेजे गए उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना और अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों से विभिन्न आई एस आई समर्थित मोड्यूलों का पता चला है और उन्हें निष्क्रिय किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी संगठनों से जान और माल की रक्षा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्ध सैनिक बलों तथा सेना की तैनाती, विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्ध सैनिक बलों तथा राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत बड़े विद्रोही ग्रुपों को विधि विरुद्ध संगठनों के रूप में घोषित करना, सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत विद्रोह प्रभावित राज्यों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना, राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन शामिल है। स्थिति की राज्य और केन्द्र, सरकार, दोनों के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में सभी उग्रवादी ग्रुपों से हिंसा का मार्ग छोड़ने तथा संविधान के दायरे के भीतर बातचीत के लिए आगे आने की अपील भी की है।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में और अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। इन सुरक्षा बलों की तैनाती देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सुरक्षा परिदृष्य और सुरक्षा बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन अड़चनों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में यथासंभव केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

[हिन्दी]

रसायन उद्योग से सरकारी नियंत्रण हटाना

***333. श्री रामजी लाल सुमन :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन रसायन उद्योग से सरकारी नियंत्रण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय किया है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय किस तिथि को लिया गया और इसके क्या समय-सीमा तय की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) उदारीकरण की प्रक्रिया के अंग के रूप में जुलाई, 1991 में खतरनाक प्रकृति के 22 रसायनों को छोड़कर रासायनिक उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। इनमें से निम्नलिखित तीन खतरनाक रसायनों को छोड़कर सभी रसायनों के लिए 28 जून, 2001 से लाइसेंस की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।

281119.01	हाइड्रोसायनिक एसिड और इसके व्युत्पाद।
281210.01	फॉस्जिन और इसके व्युत्पाद।
292910.09	आइसोसायनेट और हाइड्रोकार्बन के डायआइसोसायनेट जिन्हें अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है (उदाहरण: मिथाइल आइसोसायनेट)।

नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

***334. श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री बी०जे० आवीया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) सरकारी/सहकारी क्षेत्र की नयी उर्वरक इकाई के लिए नव निवेश के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भारत में कार्यान्वयनाधीन और दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ होने वाली बड़ी उर्वरक परियोजना का ब्यौरा, उनकी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तथा स्थान इस प्रकार हैं :-

क्रम सं०	नाम	स्थान	उत्पाद	अतिरिक्त क्षमता (लाख टन प्रतिवर्ष)	प्रारंभण का प्रत्याशित माह/वर्ष
1.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० (डीएपी विस्तार परियोजना)	सिक्का, गुजरात	डीएपी	3.96	प्रारम्भण प्रगति पर
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एचएफसी) की नामरूप इकाई का पुनरुद्धार	नामरूप, असम	यूरिया	3.80	अक्तूबर 2002

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम की परियोजनायें

*335. **श्री खगेन दास :** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन० ई० डी० एफ० सी०) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी परियोजनायें शुरू की गई और राज्यवार और परियोजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की की गई;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने कम धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में शिकायतें की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम ने 213 नई परियोजनाओं के लिए 181.23 करोड़ रु० (वर्तमान परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण के अलावा) स्वीकृत किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक परियोजना को स्वीकृत राशि के ब्यौरों सहित वर्षवार और राज्यवार वित्तीय सहायता, का सार विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) विशेष रूप से कम राशि स्वीकृत करने के बारे में इस विभाग को किसी भी राज्य से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) गुवाहाटी स्थित एन.ई.डी.एफ.आई. ने अपनी शाखाएं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य में खोल दी हैं। ये शाखा कार्यालय, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं का पता लगाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। उद्यमियों का पता लगाने और उन्हें निवेश के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों के बारे में बताने के लिए राज्य में सेमीनार आयोजित किए गए हैं। मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों को कवर किया गया है। मिजोरम में सेमीनार आयोजित करने के लिए, मिजोरम सरकार से तारीख की पुष्टि की प्रतीक्षा है। इसके अतिरिक्त, एन.ई.डी.एफ.आई. से ऋण प्राप्त करने के लिए जागरुकता पैदा करने पर गुवाहाटी में सभी सातों राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय सेमीनार भी आयोजित किया गया है। सम्भावी उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और वित्त देने के लिए इन सभी राज्यों में उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.ई.डी.एम.आई. द्वारा राज्यवार स्वीकृतियों का सारांश

(रु० लाखों में)

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	38	418	291	747
असम	1725	3945	3166	8836
मणिपुर	263	350	80	693
मेघालय	772	2659	2582	6013

1	2	3	4	5
मिजोरम	208	156	45	409
नागालैंड	234	490	124	848
त्रिपुरा	255	306	16	577
कुल	3495	8324	6304	18123

विवरण-II

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम द्वारा राज्यवार/परियोजनावार स्वीकृतियां

(रुपये लाखों में)

राज्य/वर्ष	क्र.सं.	परियोजनाएं	उत्पाद	परियोजना लागत	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
राज्य : अरुणाचल प्रदेश					
1999-00	1.	पाईन रिज (प्रा०) लि०	व्यापारिक परिसर एवं होटल	98.67	38
2000-01	2.	अंग टी एग्रो प्रोडक्ट (प्रा०) लि०	चाय संसाधन	200	110
	3.	कुगफा टी कम्पनी (प्रा०) लि०	चाय संसाधन	171	102
	4.	वी केयर डाइगनोस्टिक सेन्टर (प्रा०) लि०	मेडिकल डाइगनोस्टिक सेन्टर	93	56
2001-02	5.	कुंग इंजू एग्रो (प्रा०) लि०	चाय	280	150
	6.	सत्ती टी कम्पनी (प्रा०) लि०	चाय संसाधन	250	150
	7.	युवा विकास संगठन	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	6	6
	8.	नैनी साला फाउंडेशन	बेत एवं बांस उत्पाद	3.5	3.5
	9.	अरुणाचल डिस्टीलरी एंड बोटलिंग (प्रा०) लि०	देशी शराब	218.07	131
		कुल (अरुणाचल)			746.5
राज्य : असम					
1999-00	1.	क्वालीटी फूड (प्राईवेट) लि.	मार्डन बेकरी यूनिट	25	15
	2.	मैसर्स बोरा एडवरटाइजिंग	कैरियर मैगजीन	15	12.5

1	2	3	4	5	6
	3.	ऐपक्स यार्न लि. (सप्ल डिमांड)	फाईन जूट यार्न मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट	125	61
	4.	अशोका वीबिंग लि. (सप्ल. डिमांड)	जूट फैबरिक	44	5
	5.	एटलांटा मोडूलर लि. (सप्ल. डिमांड)	जूट संसाधन	75	44
	6.	आहार प्रोसेसर (प्रा.) लि.	मैकानाईज्ड ब्रैड मैकिंग यूनिट	35	16
	7.	कांजीरंगा उद्योग (प्रा.) लि.	बिस्किट	167	80
	8.	डी आई जी आई फोर्म (प्रा.) लि.	कम्प्यूटर कंटीनियूस स्टेशनरी	58	34
	9.	के सी आई बिजिनस एंड कोमर्शियल क्र. (प्रा.) लि. (सम्पल लोन)	पोर्टलैंट सीमेंट	51	35
	10.	ईस्टर्न रबर इंडस्ट्री	हवाई चप्पल	15	12.75
	11.	एमरीगोग डैरी	डैरी	13.36	10.34
	12.	लाहदोई टी मैनु. कं. (प्रा.) लि. वर्किंग कैपीटल टी एल	चाय	32	23
	13.	एपैक्स यार्न लि. (वर्किंग कैपीटल)	फाईन जूट	41	27
	14.	अशोका वीविंग लि. (वर्किंग कैपीटल)	जूट फैबरिक	18	12
	15.	अटलांटा माडूलर लि. (वर्किंग कैपीटल)	जूट डाईंग बिलीचिंग एंड लैमिनेशन यूनिट	29	20
	16.	वैब. काम (इंडिया) प्रा.लि.	आई टी ट्रैनिंग एंड सॉफ्टवेयर डवल. सैन्टर	50	30
	17.	महाबीर कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.	कोल्ड स्टोरेज	330	196
	18.	मैसर्स लाईफ लाईन पोलीक्लिीनिक	नर्सिंग होम	14.95	12.7
	19.	एस० एम० कोक्स			320
	20.	नैस्ट वीडियो एडिटिंग (प्रा.) लि.	डिजिटल वीडियो एडिटिंग	60	36
	21.	नार्थ ईस्ट मेडीकैयर प्रा.लि.	अस्पताल	281	154
	22.	लुडिया ऑयल प्रा.लि.	वनस्पति घी	89	51
	23.	चुंगोबाड़ी टी स्टेट (प्रा.) लि.	चाय संसाधन	240	130

1	2	3	4	5	6
	24.	कैटला टी क. (प्रा.) लि.	चाय संसाधन	59.63	41
	25.	नार्थ ईस्ट डिस्ट्रलरीज (प्रा.) लि.	आई एम एफ एल का बलडिंग औ बाटलिंग	216.2	100
	26.	तोसरा मशीन लिज	स्टोन क्रसर	83	50
	27.	मैसर्स दुलियाजान डैरी	डैरी	14	11.9
	28.	डी एल लाईम	पैपर ग्रेड लाईन	15	12.75
	29.	नार्थ ईस्ट डैन्टल लैब	डैन्टल लैबोरेटरी	14.61	12.41
	30.	नार्थ ईस्ट कैफाईन (प्रा.) लि.	नैचुरल कैफाईन	28	28
	31.	सिफाझार डायमंड कल्च. कम्यूनिटी	ट्रांसपोर्ट सर्विस और कृषि	3	3
	32.	असम रीट्रीडस (प्रा.) लि.	टायर रीट्रीडिंग	15	12.75
	33.	बालाजी रूफिंग (प्रा.) लि.	असफालटीक रूफिंग	193	116
2000-01	34.	पीयूष डैरी (प्रा.) लि.	इंटीग्रेटीट डैरी फार्म	425	255
	35.	बी.एन. इंन्डस्ट्रीज (प्रा.) लि.	मिनरल वाटर पैट बोटल	129	75
	36.	विपगौयर आटो सैन्टर प्रा.लि. (अडलन)	एम आई सी ओ प्राधिकृत सर्विस केन्द्र	33	17
	37.	त्रिनियान डैरी एंड पोट्री फार्म एंड प्रौडक्ट	कमोजिट फार्म	14.1	11.9
	38.	शाहइका डैरी	डैरी	12	10.2
	39.	पूरनता डैरी	डैरी	15	12.75
	40.	सूर्यादया विकास समिति	कल्टीवैशन, पिगरी एंड वीविंग	1.5	1.5
	41.	माधाझपुर मिलन बनीजियक उन्नयाम समिति	बैंत और बांस उद्योग	8.09	8.09
	42.	चा-इंडिका (प्रा.) लि.	चाय संसाधन	246	140
	43.	नार्थ ईस्ट प्योर ड्रिंक (प्रा.) लि. (एक्सपैंशन)	सौफ्टस ड्रिंक बौटलिंग यूनिट	2.568	620

1	2	3	4	5	6
	44.	बराक वैली सीमेंट लि.	सीमेंट	3267	450
	45.	अल्पाईन हैचरी	डे ओल्ड चिक	12.84	10.9
	46.	पब-बैतबारी सोशल वैलयफेयर सोसायटी	कृषि उपकरण	4.05	3.5
	47.	असम हास्पिटल लि.	अस्पताल	820	346
	48.	शिवा बोट्ल्स प्रा.लि.	पेट बोट्ल्स	67	40
	49.	मेहर फार्मिना कॉओपरेटिव सो.लि.	कंपोजिट फार्म	12.74	10.7
	50.	टी एंड आई इंजी. प्रा. लि.	टी मशीनरी	116	70
	51.	डा. एन साहेवाला एंड को पी लि.	एम आर एवं डिजीटल कलर डोपलर मशीन	161	113
	52.	बोरडोलोई ब्रिक इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. (उपस्कर)	एक्सकैवेटर	16.18	10
	53.	ब्रह्मपुत्र डेयरी	डेयरी	21	17.85
	54.	मै. ओजोन आयुवेदिकस	आयुर्वेदिक औषधियां	105	56
	55.	ओजोन फर्मास्युटिकल्स लि.	फार्मा. यूनिट	279	159
	56.	एस ए एस टेक्नोलो. प्रा.लि.	सोफ्टवेयर	25	16.25
	57.	मारुति सर्विस मास्टर्स	कार सर्विस स्टेशन	13	10.5
	58.	बराक वैली सीमेंट लि. (डब्ल्यू सी टी एल)	सीमेंट	1950	152
	59.	डी एस एस ई कान्टैक्ट लि.	थर्ड पार्टी काल सैन्टर	1550	660
	60.	डी एस एस ई कान्टैक्ट लि. (ब्रिजलोन)	थर्ड पार्टी काल सैन्टर	1550	74
	61.	फेमिना ब्यूटी क्लिनिक	हेन्ना एवं सुपारी	10	8.5
	62.	मै. टेक्नोवर्थ	स्टोन चिप्स	15	12.75
	63.	जोरहाट सीटी स्कैन सैन्टर(प्रा.)लि.	डाइग्नोस्टिक	83	48
	64.	क्रिएटिव रिलैशन्स प्रा. लि.	वीडियो एडिटिंग स्टुडियो	23.5	20

1	2	3	4	5	6
	65.	पुरबसरी समिति	ट्रेड, पिगरी वीविंग	6.84	6.84
	66.	एडहॉक पैसीफिक आर्गेनाइजेशन	ब्रास एवं बेल मेटल मदें	8.26	6.26
	67.	डेमारिका ग्लिटरिंग सोसायटी	पिगरी	3	3
	68.	एम बी बिकेटस प्रा. लि.	कोल ब्रिकेटिन्ग	55	33
	69.	रेजिना टी०क०प्रा.लि.	टी	270	150
	70.	पूर्वी डिस्कवरी प्रा.लि.	पर्यटन	254.72	140
	71.	असम स्पन सिल्क उद्योग	शुद्ध रेशम और ब्लेन्डेड यार्न	25	21.25
	72.	एयर चेफ प्रा.लि.	इन्फ्लाइट एवं अलाइड कैटरिंग सर्विसेज	25	18.25
	73.	पटकाई कोल प्रा.लि. अडिन	कोल कार्बनाइजेशन	40.05	24.5
	74.	टोर्सा मर्शीन्स लि. (डब्ल्यू सी टी एल)	स्टोन क्रशर मशीन्स	89	24
	75.	झंकार सामाजिक आर्थिक विकास एसोसिएशन	पोल्ट्री ट्रेडिंग डेयरी स्टेशनरी सौप	5.75	3
	76.	युवा एवं ग्रामीण विकास केन्द्र	वीविंग पैडी स्टॉक सुपारी	9.45	5
	77.	टांग्सा ह्यूम पाइप्स लि.	आर सी सी उत्पादन	99.93	55
	78.	शिवम ऑटोमोबाइल्स	ऑटोमोबाइल्स सर्विसिंग यूनिट	15	12.75
2001-02	79.	पाथ फाइनडर ग्राफिक्स प्रा.लि.	कम्प्यूटर ग्राफिक्स एवं प्रिंटिंग्स	25	21.25
	80.	अनुपमा डेयरी फार्म	डेयरी	16	13
	81.	सायन कन्क्रीट इन्डस्ट्रीज	स्टोन क्रासिंग	23.8	15.9
	82.	एमे जोनिया टेक्नोलोजी इन्टेग्रेटिंग पार्क	साइबर कैफे	22.95	19.51
	83.	मै. एस बी डाटा फार्म एंवं स्टेशनरी	कांटिन्यूअस स्टेशनर री	20	17
	84.	जेरिचो डिटरजैन्ट्स प्रा.लि.	डिटरजैन्ट केक पावडर	82	49
	85..	घुकनी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.	कोल्ड स्टोरेज	139	80
	86.	काको टी प्रा.लि.	टी प्रोसेसिंग	253	150

1	2	3	4	5	6
	87.	काजीरंगा सफारी	टूरिस्ट एजेन्सी	15	6.25
	88.	ए जी फार्म प्रोडक्ट्स	पिगरी एवं फिशरी	19	16.15
	89.	चौधरी डेयरी फार्म	दूध	10.71	9
	90.	एन्ग इसनसली कॉपरेटिव सोसायटी	हैन्डलूम उत्पाद	15.63	13.3
	91.	बेसिल आई प्रा.लि.	हॉस्पीटल	396	228
	92.	उड्याक एग्रो प्रोडक्ट	मिनरल	171	94
	93.	डी एस एस ई कॉनटैक्ट लि. (इक्विटी)	कांल	0	66
	94.	असम सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य एसोसिएशन	पिगरी एवं एग्रो एलाइट इंडस्ट्रीज	3	3
	95.	सैन्टर फॉर डेवेलोपमेंट एक्शन एंड एग्रोप्रिएट	एग्रो एवं एलाइड	4.78	4.78
	96.	ट्रिडिप काइ उद्योग	बेल मेटर	0.92	0.92
	97.	ग्रामीण महिला विकास केन्द्र	फ्रूट प्रोसेसिंग	2.99	2.99
	98.	नलबारी रूरल डेवेलोपमेन्ट एसोसिएशन	मशीनरी	3.43	3.43
	99.	मलयबारी ग्राम उन्नयन संघर्ष	कृषि संबंधित गतिविधियां	6.64	6.64
	100.	प्रागबोसिमी सिनथेटिक्स	पॉलीस्टिर यार्न/पोलीस्टर फिलामेंट यार्न	828	828
	101.	मैहाती सत्र कृषि संभाई समिति लि.	कृषि एवं बागबानी	5.5	5.5
	102.	श्रीहति निबोनुवा कृषि सेवा समिति	पशुधन एवं कृषि गतिविधियां	5	4.8
	103.	जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास एसोसिएट	कृषि गतिविधियों	3.98	3.98
	104.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्युनिटी सेन्टर (ए डी डी)	पशुधन और कृषि	5.35	4.67
	105.	प्लास्ट इंडिया इन्टर प्राइजेज प्रा.लि.	प्लास्टि डिस्पोजेबल कप्स एवं ग्लास	141	80
	106.	शुभम फूड प्राडक्ट्स	एग्रो, प्रोसेस्सिंग यूनिट	182	108
	107.	लखीमपुर फूड प्रोसेस्सर्स (अतिरिक्त ऋण)	बिस्किट्स	45.48	34

1	2	3	4	5	6
	108.	ईस्टर्न रबड़ इंडस्ट्रीज (डब्ल्यू सी टी एल)	हवाई चप्पल	5.23	4.29
	109.	मै. न्यू डिलाइट बैकरी	बैकरी यूनिट	39	19
	110.	असम सेन्टर फार रूरल डेवलेपमेंट	कृषि संबंधी गतिविधियां	4.72	4.72
	111.	नार्थ ईस्ट कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.	कोल्ड स्टोरेज	274	164
	112.	स्फेरिकल असम प्रा.लि.	कोरूगेटेड पेपर बॉक्स	127	73
	113.	बारनी बाडी युवक संघ	कृषि एवं एलाइड	10.05	6.62
	114.	क्लब राइनी	कृषि एवं अलाइड	4.8	3
	115.	नवज्योति साहित्य संस्कृति विकास केन्द्र	अग्रो एलाइड	1.2	1.2
	116.	युवा एवं ग्रामीण विकास केन्द्र			1.2
	117.	मानव सेवा संघ	मशरूम प्रोडक्शन पिगरी फिशरी हैन्डलूम	4	4
	118.	मल्बेरी	सिल्क वीविंग	2.5	2.4
	119.	पूर्वोत्तर विकास संगठन	एग्री एलाइड	4.72	4
	120.	अमृत टी वुल्केनाइजिंग वर्क्स	कन्वेयर बेल्ट रिपेयरिंग यूनिट	11.41	9.7
	121.	मै. अल्पाइन हैचरी (अतिरिक्त)	डे ओल्ड चिक्स	10.25	2
	122.	दि घालीपाट ग्राम उन्नय समिति	ग्रो पिगरी डेयरी पाल्ट्री एवं पावर टिलर	5.04	5.04
	123.	उत्तरी हीरपाड़ा महिला एवं बाल विकास सोसायटी	हैन्डलूम हैन्डिक्राफ्ट पिगरी एवं पाल्ट्री	11.85	11.85
	124.	सतखली हतिमुरिया संगीता संघ	पिगरी ग्रोसरी, डेयरी पैडी, एवं पल्स स्टॉक	4	4
	125.	डी एस एस ई आन टैक्ट लि. (अतिरिक्त)	थर्ड पार्टी कॉल सैन्टर	190	107
	126.	मै. सेवन सिस्टर ट्रेड एवं डिस्टिलैरिज (प्रा.) लि.	आई एम एफ एल	182.82	109

1	2	3	4	5	6
	127.	असम गेस कं. लि.	गैस पाइपलाइन	3667	700
	128.	देशबंधु क्लब कचार	माइक्रो एन्टरप्राइजेज	6.3	6.3
	129.	बारखेत्री उन्नयन समिति, मुक्लमुआ	आयल एक्सपेलर यूनिट	7	7
	130.	नार्थ ईस्टर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	ग्रोसरी शॉप कटिंग टेलरिंग	9.58	8
	131.	सुनाई पारिया मीन पालक समिति	फिशरी	5.36	4.56
	132.	सतदल मीन पालक समिति	पिशरी	7.15	3
	133.	सूर्योदय बिकाश समिति अतिरिक्त	कृषि, पिगरी, वीविंग, मशरूम आदि	2.5	2.5
		योग (असम)			8835.59
राज्य : मणिपुर					
1999-00	1.	इम्फाल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र	नर्सिंग होम	203	120
	2.	मैसर्स बी.यू.टी. प्रिंटर्स	मिनी-आफसेट प्रिंटिंग	13	11
	3.	आधुनिक अंडज उत्पत्तिशालाएं	कुक्कुट अंडज उत्पत्तिशाला	14.5	12.25
	4.	ओरिएंटल ऑर्किड्स	टिशु कल्चर	15	12.75
	5.	आधुनिक एकीकृत बुनाई केन्द्र	हथकरघा	10.5	8.93
	6.	कंची कंकरीट एंड टाइल वर्क्स (पी.) लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.टी.एल.)	आर.सी.सी. पाइप, टाइलें, वेंटिलेटर्स	5	5
	7.	एम.ए. प्रोडक्शन (वर्किंग कैपिटल)	कुक्कुट	5.7	5.7
	8.	जे.एस. टायर (पी.) लिमिटेड	टायर रीट्रिडिंग	44	27
	9.	मीनू लेरेम्बी वूमेन्स वीवर्स कोपरेटिव सोसाईटी (डब्ल्यू.सी.टी.एल.)	हथकरघा	4.3	4.3
	10.	मैसर्स एस.बी.एस.एस. फोटो स्टूडियो	कलर फोटो प्रोसेसिंग	11	9.35
	11.	ई.सी.डी.टी.डब्ल्यू.सी. सोसाइटी	हथकरघा	14	11.9
	12.	केई आरगेनिक उत्पादन	पैशॅन फ्रूट	10.2	8.67
	13.	अखे पेशन फ्रूट फॉर्म	पैशॅन फ्रूट	10.2	8.67

1	2	3	4	5	6
	14.	अरीना हॉर्टिकल्चर फॉर्म	पैशॅन फ्रूट	10.2	8.67
	15.	मराम पैशॅन फ्रूट फॉर्म	पैशॅन फ्रूट	10.2	8.67
2000-01	16.	एच वी एस कंस्ट्रक्शन (पी.) लिमिटेड (ई एक्स पी एन)	सेमि मैकेनाइज्ड ब्रिक्स	68	41
	17.	ज्योति फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स	फ्रूट प्रोसेसिंग	15	12.75
	18.	माचा लीमा	कृषि उत्पाछ	15	15
	19.	इंफाल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र (पी.) लिमिटेड (इएक्सपीएन)	नर्सिंग होम	110	66
	20.	शिहो मसाले	मसाले	15	12.75
	21.	के.ई.टी.ए.डब्ल्यू.एन.	इमब्राइडरी यूनिट	14	12
	22.	रीना केन एंड बेम्बू वर्क्स	हथकारघा	10	8.5
	23.	सी.आर.एस. पशुधन फॉर्म	दुग्धशाला	15	12.75
	24.	एम.के. पोल्ट्री एनटरप्राईजिस	पोल्ट्री फीड	14.7	12.5
	25.	मैसर्स पेराडाइज फूड प्रोडक्ट्स	फ्रट प्रोसेसिंग	15	12.75
	26.	मैसर्स के.पी. स्टूडियो	डिजिटल आडियो रिकॉर्डिंग	15	12.75
	27.	मैसर्स फ्रांसिस एंड ब्रदर्स लाइवस्टोक	पिगॅरि	12	10.2
	28.	मैसर्स वूमन पिगॅरि फॉर्म	पिगॅरि	10	8.5
	29.	मैसर्स नेटकॉम डिजीटल मल्टीमीडिया	इंटरनेट ब्रोसिंग सह मनोरंजन	24	20.4
	30.	मिंडवेयर लैब (पी.) लिमिटेड	फोटो प्रोसेसिंग और विडियो एडिटिंग	25	21.25
	31.	एम.ए. पोल्ट्री एंड फीड प्रोडक्शन कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	पोल्ट्री फीड	10	8.5
	32.	टी.एच. फूड प्रोडक्ट्स	फिश फर्मेनटेशन	10	8.5
	33.	गुड हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	मिनरल वॉटर	60	30
	34.	गुड हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.टी.एल.)	मिनरल वॉटर	60	6
	35.	वूमन्स वोलंट्री ऑर्गेनाइजेशन	मछली और सब्जी विक्रेता	3	3

1	2	3	4	5	6
	36.	ग्रामीण विकास सोसाइटी	केला वृक्षारोपण, बुनाई, पिग्गॅरी, बढ़ईगिरी	8.96	2.21
	37.	वालंटर्स फॉर हेल्थ एंड एक्शन	पेट्टी ट्रेड, कम्यूनिटी पिग्गॅरी	6.75	4.8
	38.	मणिपुर ड्राइवर्स वेल्फेयर एसोसिएशन	रेस्टोरेंट लूब्रिकेंट शॉप, चिकन सेंटर	7.95	7.95
2001 02	39.	शिवा डीजल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स	मैकेनिकल जाब बर्क	14	11.9
	40.	मैसर्स स्टारलाइन साइबरवर्ल्ड	साइबर कैफे	17	14.45
	41.	आर.के. पोल्ट्री फॉर्म	ब्रोइलर	10	8.5
	42.	हाई-टेक टायर्स	टायर रिट्रिडिंग	25	22.25
	43	मैसर्स मेघा पिग्गॅरी फॉर्म	पिगलैट्स और फैटरनर्स	12.6	10.71
	44.	सोसाईटी फार वूमेन्स ऐजुकेशन एक्शन एंड रिफलेक्शन	कृषि	12.86	5.77
	45.	वालंटियर्स युनियन फॉर रूरल फोरवर्ड एंड इंटिग्रिटी	डेयरी फार्मिंग और पिग्गॅरी यूनिट	6.24	5.92
		कुल (मणिपुर)			692.42
राज्य : मेघालय					
1999-00	1.	जोशुआ मारबेनिआंग पोल्ट्री फॉर्म	पोल्ट्री (ब्रोइलर)	11.74	9.98
	2.	एच.एम. सीमेंट लिमिटेड	सीमेंट	1645	750
	3.	आर.एस. लिंगदोह ट्रेनिंग सेंटर	सीमेंट ब्रिक	14.69	12.49
2000-01	4.	पी. एलेन पिंग्रोप फीड मिल	पशु/पोल्ट्री फीड	15	12.75
	5.	साई मेघा ऐलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	इंटिग्रेटिड स्टील प्लांट	1044	359
	6.	साई मेघा ऐलॉयज प्राइवेट लिमिमेड	इंटिग्रेटिड स्टील प्लांट	1044	252
	7.	पाइन हिल पिग्गॅरी	पिग्गॅरी	10.5	8.9
	8.	वेस्टर्न वूमन वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलेपमेंट	बुनाई, व्यापार करना इत्यादि	10	5

1	2	3	4	5	6
	9.	श्याम सेंचुरि फेरर्स लिमिटेड	फेररो-सिलिकॉन और सिलिको मैंगनीज	2532	1500
	10.	ओसविन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड	अस्पताल	834	500
	11.	टेकनोड्रोम	टेकनोड्रोम	25	21.25
2001-02	12.	एन.एल. कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	कोल्ड स्टोरेज	180	108
	13.	एल.एस. ऑटोकलर	ऑटो मोबाइल सर्विसिंग यूनिट	23	19.55
	14.	कोल फील्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	स्टोन क्वेरी	240	144
	15.	मासिल प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड	स्टोन क्रशर	392	235
	16.	स्पाफा पिगॅरी फॉर्म	पिग्लेट्स और फेटन्र्ड पिग्स	12.1	10.28
	17.	री भोई डेवलेपमेंट एंड सोशियल वेल्फेयर एसोसिएशन	अदरक उत्पाद	2	2
	18.	ब्रह्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कास्ट आयरन/डक्टाइल मेटल	247	140
	19.	सत्या मेघा प्राइवेट लिमिटेड	इंडक्शन फर्नेस	335	195
	20.	आधुनिक मेघालय स्टील्स (पी.) लिमिटेड	फेर्रो	2000	1000
	21.	चेरब नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड	कॉस्मेटिक्स	46	27
	22.	डोन्डीज डेन्टल लेबोरेट्री	बनावटी दांत	14.19	11.35
	23.	एच.एम. सीमेन्ट्स लिमिटेड (एडीशनल)	सीमेंट	540	270
	24.	नीजोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	स्टील ट्यूब्स	768	420
		कुल (मेघालय)			6013.55
राज्य : मिजोरम					
1999-00	1.	ग्रीनवुड अस्पताल (प्रा०) लि.	हेल्थ केयर यूनिट	244	144

1	2	3	4	5	6
	2.	सेवन ब्रदर पोलिट्री फार्म	पोलिट्री	14.47	12.3
	3.	मैसर्स हॉलोंगहमन ऐनिमल फीड इंडस्ट्री	ऐनिमल/पोलिट्री फीड	13	11.05
	4.	मैसर्स आर डी प्रिंट टैक	ऑफसैट प्रिंटिंग यूनिट	15	12.75
	5.	जोटे बैकरी	बैकरी यूनिट	15	12.75
	6.	मिजोरम रिसोर्सेज डवलपमैंट प्रा. लि. (सप्ल)	मिनी वर्टीकल इंडस्ट्रीयल काम्पलैक्स	15	15
2000-01	7.	मैसर्स ग्रीनलैंड फोटो प्रोसेसिंग	कलर फोटो प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग	10	8.5
	8.	एच एन ए एम चूंटू पाल	हथकरघा	3	3
	9.	मैसर्स चिंगा वैंगा नार्थ हैंडलूम को-ओप., सोसाइटी लि.	हैंडलूम एंड वीविंग	11	9.35
	10.	डिक्की बैकरी	बैकरी	15	12.75
	11.	जूनन मेट प्लाई लि.	बैमबू मेट प्लाई	288	30
	12.	पी सी अर्थ मूवर्स	जे सी बी एक्सक्वेटर लोडर	20	12
	13.	होटल चीफ	होटल	39	24
	14.	रनमावी टायर वर्क्स	टायर रिटार्डिंग यूनिट	15	12.75
	15.	मैसर्स बंग पोलट्री फार्म	पोलट्री	11	9.35
	16.	यंग मिजो एसोसिएशन	पोलट्री, कारपेन्टरी पिटी ट्रेड, पिगरी फोटोग्रा	14.3	12.3
	17.	मैसर्स डेविड पोलट्री फार्म	पोलट्री	14	11.9
	18.	मैसर्स सी आर के पोलट्री फार्म	पोलट्री	13	10.3
2001-02	19.	रीगल हैट चैरिज	डे ओल्ड चिक	15	12.75
	20.	मैसर्स कलर फोटो लैब	कलर फोटो	24	20.4
	21.	कानन नीटिंग इंडस्ट्रीयल कोपोरिटिव सोसाइटी	इम्बौर्डरी	14	11.9
		कुल (मिजोरम)			409.1

1	2	3	4	5	6
राज्य : नागालैंड					
1999-00	1.	नागालैंड इंटरप्राइनर्स ग्रोथ (प्रा.) लि.	इंडस्ट्रीयल काम्पलैक्स	71.5	25
	2.	चूमूकिडिमा फिशरी फार्म	टेबल फिश	10	8.5
	3.	चानीदी मल्टीपरपज कोपरेटिव सोसाइटी	हैंडीक्राफ्ट	12.5	10.6
	4.	थर्स मल्टीपरपज कोपरेटिव सोसाइटी लि.	हैंडलूम	15	12.75
	5.	इंटीग्रेटड मॉडर्न फॉर्मिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट	हार्टीकलचर एंड डेयरी	14.92	12.68
	6.	जोमूमी पोल्ट्री फार्म	पोलट्री	15	12.75
	7.	मैसर्स कोहिमा प्रिंटिंग प्रेस	ऑफसैट प्रिंटिंग	15	12.75
	8.	सेनली बिल्डिर्स (प्रा.) लि.	कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमैंट (बुलडोजर)	59	38
	9.	मैसर्स पिपी पोल्ट्री	पोलट्री (ब्रायलर)	15	12.75
	10.	जलूकी वैलीइंटरप्राइजेज (प्रा.) लि.	फिशरी	110	66
	11.	कोहिमा कोल्ड रिटार्ड	टायर रिटार्डटिंग	14	11.9
	12.	रिजेंसी होटल	होटल	12	10
2000-01	13.	एन आई जमीर टी इस्टेट	टी प्रोसेसिंग	36	22
	14.	इंटीग्रेटड होर्टीकल्चर फार्मिंग यूनिट	होर्टीकलचर	15	12.75
	15.	डिमोरी कोव टूरिस्ट रिपोर्ट	टूरिस्ट रिपोर्ट	15	12.75
	16.	केपिटल इंजीनियरिंग वर्क्स	मशीन शॉप फॉर आटोमोबाइल्स	10	8.5
	17.	एन टी यू इकनोमिक काउंसिल	एग्रीकल्चर	6	6
	18.	लोकती बायोटेक (प्रा). लि.	फिशरी, पिगरी, ईरी	60	30
	19.	ग्रेस स्टोन क्रर्स	स्टोन चिप्स	14.5	12.3
	20.	एस के एन्स एग्रो प्रा. लि.	ईडीबल ऑयल	14.63	12.44
	21.	संगतामातिला डेयरी फार्म	डेयरी	11	9.35

1	2	3	4	5	6
	22.	कोनयाक स्टोन चिप्स ऐलीड वक्सं	स्टोन चिप्स	15	12.75
	23.	जगना डेयरी फार्म	डेयरी	15	12.75
	24.	ओलीन बैंकसं	बैंकर्स	14.38	12.6
	25.	एच ए यू कन्स्ट्रक्शन वर्क्स	स्टोन चिप्स	14.5	12.3
	26.	हेरयरलूम नागा वीविंग कोपरेटिव सोसाइटी लि.	हैंडलूम	12.3	10.46
	27.	एस.बी. फूड प्रोसेसिंग (प्रा.) लि.	फ्रूट एंड वैजीटेबल प्रोसेसिंग	79.52	43.35
	28.	नागालैंड वोलेंट्री हेल्थ ऐसोसियेशन	वीविंग एंड एग्रो बेस्ड यूनिट्स	9.2	9.2
	29.	काहो ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.	मोटर सर्विसिंग सेंटर	64.5	38.7
	30.	मैसर्स डीलक्स प्रिंटर्स	मिनी-ऑफसैट प्रिंटिंग	14	11.9
	31.	एल डोओलू बिल्डर्स एंड सप्लायर्स कम्पनी (प्रा.) लि.	कोल्ड स्टोरेज	337	200
2001-02	32.	लवली एम पी सी एस लि.	हैंडलूम	24.8	21.08
	33.	जोटोज एम पी सी एस	स्टील वर्क्स	15	12.75
	34.	ऐलींबा पोलट्री फीड यूनिट	पोलट्री फीड	13	11.05
	35.	केह फार्मर्स एम पी सी एस लि.	एग्रीकल्चर	5.73	4.9
	36.	केयर काउंसिलिंग सेन्टर	हैडीक्राफ्ट आइटम्स	2.8	2.8
	37.	नागालैंड एसोसियेशन ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज	लाइवस्टाक एंड एग्रीकल्चर एक्टीविटिज	4.39	4.39
	38.	ब्रीज कन्फैक्सनरीज (प्रा.) लि.	मैकेनाइज्ड बैकरी	45	23
	39.	ऐई टेक्नो इंडस्ट्रीयल को-पो. लि.	पिगरी	8.8	8.8
	40.	चांगकी विलेज काउंसिल	ग्रोसरी, मिनी सॉ मिल, हैंडलूम, लिवस्टाक, ट्रैक्ट	44.77	35.27
		कुल (नागालैंड)			847.82
राज्य : त्रिपुरा					
1999-00	1.	त्रिपुरसवारी डिलीशियस प्रोडक्ट (प्रा.) लि.	पाश्चाराईज्ड टोन्ड मिल्क	183	105

1	2	3	4	5	6
	2.	फारचूना एग्रो प्लांटेशन लि.	टी प्रोसेसिंग	267	150
2000-01	3.	सेंचूरी प्रिंटर्स	ऑफसैट प्रिंटिंग यूनिट	15	12.75
	4.	होटल साइमरन (प्रा.) लि.	होटल	477	280
	5.	अगरतला होस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर (प्रा.) लि. (ई एक्स पी)	नर्सिंग होम	20.6	13
2001-02	6.	यंग डवलैपमैंट क्लब	एग्रो ऐलीड	8.67	8.51
	7.	संघादीप	फिशरी, पिगरी, नर्सरी, हैंडीक्राफ्ट आदि	7.75	7.75

[हिन्दी]

लाटरी की बिक्री

***336. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में व्यापक पैमाने पर लाटरी का कारोबार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ टी०वी० चैनल विभिन्न राज्यों में चल रही लाटरियों के परिणामों का सीधा प्रसारण करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी तरह की लाटरियों और उनके परिणामों के प्रसारणों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य लाटरियों का आयोजन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, आज तक, बहुत से राज्यों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों के परिणामों का सीधा प्रसारण नहीं दिखाया जाता है। प्राइवेट सैटलाइट चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का डाटा नहीं रखा जाता है।

(ङ) से (छ) लाटरी (निषेध) विधेयक, 1999, जो कि संविधान की सातवीं अनुसूची के संघसूची की प्रविष्टि 40 के अन्तर्गत लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए है, 23 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया था, जिसने यह संस्तुति की है कि विधेयक की विषय वस्तु के सम्बन्ध में सरकार को व्यापक राजनैतिक सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार ने इस मामले को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के आगामी सम्मेलन में रखने का निर्णय लिया है ताकि राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाने और इस संबंध में राजनैतिक सहमति बनाने का प्रयास किया जा सके।

[अनुवाद]

न्यूयार्क में बच्चों के बारे में विशेष अधिवेशन

***337. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में न्यूयार्क में बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार भी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो बच्चों के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र 8-10 मई, 2002 तक न्यूयार्क में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन** नामक एक दस्तावेज को सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों, नामत: स्वस्थ जीवन का संवर्धन; स्तरीय शिक्षा प्रदान करना; दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा से संरक्षण; तथा एच.आई.वी./एड्स का मुकाबला, में बच्चों के लिए कुछ गुणात्मक तथा मात्रापरक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 2001 में प्रकाशित दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अॅप्रोच पेपर में बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचार किया गया और इसमें बच्चों के लिए कतिपय प्रबोधनीय लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। बच्चों के मुद्दों से संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के परामर्श से बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों, बच्चों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में निर्धारित लक्ष्यों तथा संबंधित मंत्रालयों और विभागों के लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

खतरनाक रसायनों का उत्पादन

***338. श्री सुरेश चन्देल :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों द्वारा खतरनाक रसायनों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त सुरक्षापायों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदारीकरण और रसायन उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के बाद खतरनाक रसायनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी बार जांच की गई;

(ङ) क्या इस प्रकार के उद्योगों पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के दोषी पाये गये रसायन उद्योगों/उत्पादन एककों के विरुद्ध क्या कार्रवाई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (छ) रसायनों के उचित रख-रखाव और दुर्घटनाओं के प्रबन्धन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली, 1989 (1994 और 2000 में यथासंशोधित) और रासायनिक दुर्घटना (संकटकालीन आयोजना, तैयारी और प्रत्युत्तर) नियमावली, 1996 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इन उपायों में औद्योगिक कार्यकलापों से होने वाली प्रमुख दुर्घटनाओं के निवारण के उद्देश्य से कार्यस्थल पर और कार्यस्थल से दूर आपातकालीन योजनाएं तैयार करना है और ऐसी दुर्घटनाओं के प्रभावों को मानव और पर्यावरण दोनों पर सीमित करना शामिल है। यद्यपि तेजी से बदलती हुई बाजार की स्थिति के कारण पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि खतरनाक रसायनों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं, फिर भी स्थल मूल्यांकन समितियों की पद्धति के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जाती है ताकि खतरनाक रसायनों के कारखानों के स्थान के प्रयोग धारक द्वारा निभाये जाने वाले दायित्वों के निर्धारण और कामगारों के चिकित्सा रिकार्डों के रख-रखाव, सुरक्षा समितियों का गठन और मुख्य इंस्पेक्टर, फैक्टरी द्वारा विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन के माध्यम से जांच की जा सके।

इस संबंध में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक प्राधिकारियों को संबंधित प्रावधानों के तहत विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर हेतु आर्थिक पैकेज

***339. श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर हेतु एक और आर्थिक पैकेज की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक पैकेज का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी सहायता का प्रस्ताव रखा गया था तथा इसके अन्तर्गत रोजगार सृजन और आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक वृद्धि हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने दि० 23.5.2002 को जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान 6000.00 करोड़ रु० के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की जिसमें जम्मू और कश्मीर के युवकों के लिए नए रोजगार के अवसर जुटाने तथा उग्रवाद तथा सीमा पार से प्रभावित प्रवासियों के लिए राहत पर जोर देते हुए विकास और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। पैकेज में शामिल मुख्य योजनाएं/परियोजनाएं निम्नलिखित हैं जो संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी है।

रेलवे मंत्रालय

1. 287 कि०मी० उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लाइन पांच वर्षों के भीतर पूरी की जानी है।

2. जम्मू तवी जालंधर रेल लाइन अगले पांच वर्षों के दौरान दोगुनी की जानी है।

सीमा सड़क संगठन (रक्षा मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)

1. मनाली सरचू सड़क को जोड़ने वाली निमू-जंगल-पदम-डार्चा सड़क अगले चार वर्षों के भीतर पूरी की जानी है।

2. रोहतांग दर्रे (8.90 कि०मी० लंबा) का निमार्ण कार्य 8½ वर्षों में पूरा किया जाना है।

3. रोहतांग पास सुरंग के दक्षिणी पोर्टल को जाने वाली पहुंच सड़क (अप्रोच रोड) (24.82 कि०मी०) का निर्माण कार्य शुरू किया जाना।

4. बटोटे किस्तवाड़-सिन्थान-पास खानाबल राष्ट्रीय राजमार्ग-आई बी का निर्माण (पूर्व निर्धारित समयावधि 31.12.2013 से पहले) 31.12.2007 तक पूरा करना।

वस्त्र मंत्रालय

ऊन, पश्मीना, हस्त शिल्प, रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग, कानी जामवाड़ा शौल आदि जैसे परम्परागत कुटीर उद्योगों का विकास।

वाणिज्य मंत्रालय

सेव तथा अखरोट के लिए कृषि-निर्यात जोनों का विकास।

कृषि मंत्रालय

1. पांच वर्षों के भीतर पार्टिसिपेटरी वाटरशेड अप्रोच का प्रयोग करने जम्मू और कश्मीर में चिनाब, झेलम और शिवालिक के निम्न कोटि जलग्रहण क्षेत्र की परिस्थिति की पुन: स्थापना।

2. जम्मू और कश्मीर के लिए बागवानी पर तकनोलोजी मिशन जिसका सेब और अखरोट के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे कृषि-निर्यात जोनों के साथ समन्वय किया जा सकता है।

योजना आयोग

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रु० दिए जाऐंगे। इस राशि का आधा भाग सीमा/नियंत्रण रेखा क्षेत्रों में आर्थिक/तथा संरचनात्मक विकास कार्यक्रम पर जोर देते हुए सीधे जिला ग्रामीण विकास एर्जेन्सियों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा निधियों का 15% नियंत्रण रेखा क्षेत्रों में सड़कों के लिए आबंटित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय

दो वर्षों के भीतर दो इण्डिया रिजर्व बटालियने खड़ी करना, पुलिस कार्मिकों को, जो विशेष प्रचालन ग्रुप (एस०ओ०जी०) के सदस्य हैं, को प्रोत्साहन प्रदान करना, जम्मू और कश्मीर स्वैच्छिक बल को बेहतर प्रशिक्षण तथा शस्त्रास्त्र प्रदान करना, आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाईयों में मारे गए विशेष पुलिस अधिकारियों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि में वृद्धि, ग्राम रक्षा समिति के स्वैच्छिक सदस्यों को बेहतर शस्त्रास्त्र उपलब्ध कराना, जम्मू और कश्मीर में सीमा प्रवासियों तथा कश्मीरी प्रवासियों के लिए राहत से संबंधित कुछ मानदंडों में वृद्धि कराना।

प्रधान मंत्री कार्यालय

जम्मू और कश्मीर में सीमा प्रवासियों के लिए नए तंबू तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, आतंकवादी हमलों में घायल हुए

पुलिस कार्मिकों के उपचार के लिए पुलिस अस्पतालों का उन्नयन करना, आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिस कार्मिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिस कार्मिकों के बच्चों के लिए अनाथाश्रम आदि।

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण सफाई योजनाएं

***340. **श्री रामदास आठवले :**
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चल रही ग्रामीण सफाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुधार हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) देश में 1986 से कार्यान्वित किया जा रहा है। विगत में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आबंटन आधारित कार्यक्रम के अतिक्ति सी.आर.एस.पी. को 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित किया गया था तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। पुनर्गठित सी.आर.एस.पी. राज्यवार आबंटनों के सिद्धांत की बजाय ''मांग आधारित'' नीति के गरीबी मानदंड पर विशेषरूप से आधारित है। आबंटन आधारित कार्यक्रम को 2001-2002 से समाप्त कर दिया गया था तथापि संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) आंबटन आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत छोड़े गए कार्यों के साथ चलता रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटन आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों का विवरण-I में दिया गया है। चूंकि आबंटन आधारित कार्यक्रम 2001-2002 से समाप्त हो गया है इसलिए 2002-2003 से निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं हुआ है। स्वीकृत संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं, राज्यवार रिलीज की गई निधियां विवरण-II में दर्शाई गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आबंटित की गई निधियां

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	570.77	203.67	77.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	11.50	4.11
3.	असम	792.82	303.95	108.55
4.	बिहार	1585.89	423.42	150.40
5.	छत्तीसगढ़	0.00	93.93	35.51
6.	गोवा	6.48	2.31	0.87
7.	गुजरात	250.00	126.79	47.93
8.	हरियाणा	179.05	63.87	24.15
9.	हिमाचल प्रदेश	70.56	25.17	9.52
10.	जम्मू व कश्मीर	87.86	31.34	11.85
11.	झारखंड	0.00	142.18	63.44

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	461.14	164.51	62.19
13.	केरल	298.28	106.41	40.23
14.	मध्य प्रदेश	876.21	218.61	82.65
15.	महाराष्ट्र	804.89	287.11	108.55
16.	मणिपुर	52.98	20.31	7.26
17.	मेघालय	57.48	22.04	7.87
18.	मिजोरम	14.79	5.67	2.03
19.	नागालैंड	39.84	15.27	5.45
20.	उड़ीसा	527.98	188.31	71.19
21.	पंजाब	155.13	55.36	20.93
22.	राजस्थान	478.23	170.61	64.50
23.	सिक्किम	14.70	5.64	2.01
24.	तमिलनाडु	567.17	202.33	76.49
25.	त्रिपुरा	92.92	35.63	12.72
26.	उत्तर प्रदेश	1962.33	667.51	252.36
27.	उत्तरांचल	0.00	32.43	12.26
28.	पश्चिम बंगाल	852.60	304.12	114.98
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	5.00	4.88	4.88
30.	दा. व न. हवेली	5.00	3.88	3.88
31.	दमन व दीव	5.00	0.77	0.76
32.	दिल्ली	5.00	2.31	2.31
33.	लक्षद्वीप	5.00	0.48	0.48
34.	पांडिचेरी	5.00	2.68	2.69
35.	चंडीगढ़	5.00	0.00	0.00

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं और रिलीज की गई निधियां

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000			2000-2001			2001-2002			2002-2003		
		स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	परियोजना परिव्यय	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	परियोजना परिव्यय	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	परियोजना परिव्यय	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	परियोजना परिव्यय	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4	5960.79	417.24	1	1700.80	771.39	5	7781.79	1877.09	4	7798.23	482.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	494.81	25.48	0	0.00	73.98	2	261.33	52.80	0	0.00	0.00
3.	असम	3	660.18	133.22	0	0.00	0.00	8	2163.18	410.38	0	0.00	0.00
4.	बिहार	1	2237.60	445.14	4	7883.13	678.69	5	9910.33	1663.56	0	0.00	1199.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	1	1147.64	0.00	0	0.00	229.33	0	0.00	0.00
6.	गुजरात	3	1819.64	359.10	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	1433.92	0.00
7.	हरियाणा	0	0.00	0.00	2	1531.31	214.23	2	1101.08	62.06	0	0.00	125.68
8.	हिमाचल प्रदेश	1	133.13	6.85	0	0.00	19.91	1	199.00	26.76	0	0.00	28.65
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00	2	611.41	122.05	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10.	झारखंड	1	1426.85	284.61	1	1072.96	199.13	2	4086.36	632.71	2	3336.20	17.95
11.	कर्नाटक	3	2753.59	536.05	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12.	केरल	0	0.00	0.00	2	2006.86	308.09	4	3700.79	741.98	0	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	5	3901.10	772.55	1	1111.97	219.17	2	2799.82	0.00
14.	महाराष्ट्र	4	5657.14	1113.62	5	8396.65	1195.96	0	0.00	0.00	4	6067.70	0.00
15.	मणिपुर	0	0.00	0.00	1	314.97	48.08	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0	0.00	0.00	3	589.16	118.33	0	0.00	0.00	1	206.65	0.00
17.	उड़ीसा	3	6144.41	243.06	0	0.00	971.06	2	2849.80	567.83	3	5411.02	357.63
18.	पंजाब	0	0.00	0.00	2	852.93	94.25	1	365.31	142.17	2	1167.53	52.67
19.	राजस्थान	4	7553.44	333.45	1	664.13	1285.23	0	0.00	0.00	4	3980.12	0.00
20.	सिक्किम	2	98.60	17.98	0	0.00	0.00	2	588.03	124.42	0	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	4	5102.50	513.67	3	2000.61	834.25	3	2888.65	1688.99	6	8487.97	601.83
22.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	1	1294.42	253.66	3	2412.01	364.63	0	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	4	3390.13	170.49	8	6497.20	1650.72	16	13610.54	2348.85	0	0.00	0.00
24.	उत्तरांचल	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	172.72	34.62	0	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	5	9932.31	1300.03	4	5943.21	1170.99	5	9231.00	419.95
26.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	248.90	47.42	0	0.00	0.00
27.	दादरा व न. हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	42.14	3.15
	कुल	39	43432.81	4599.96	47	50397.59	10911.59	63	59395.00	12405.76	36	49962.30	3289.13

[अनुवाद]

दिल्ली में समेकित रेल बस पारगमन प्रणाली

3284. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में समेकित रेल बस पारगमन प्रणाली को लागू करने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस निकालने हेतु गैस हाइड्रेट्स खोज और प्रौद्योगिकी विकास

3285. श्री वाई.वी. राव : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार का विचार गैस निकालने हेतु गैस हाइड्रेट्स खोज और प्रौद्योगिकी विकास नाम की नई परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय महासागर क्षेत्र में उपलब्ध उस गैस हाइड्रेट्स की अनुमनित क्षमता कितनी है जिसे भारत द्वारा निकाला जा सकता है; और

(घ) देश के गैस हाइड्रेट्स की क्षमता का कब तक दोहन कर पाने की सभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां, महासागर विकास विभाग का 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैस हाइड्रेट के विदोहन एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी विकास पर एक नई परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैस हाइड्रेट्स के निर्माण को समझने, इनके फैलाव और इन संसाधनों के दोहन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ग) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पूर्वानुमानों के आधार पर गैस हाइड्रेट्स की मात्रा 40-120 ट्रिलियन घनमीटर तक अनुमानित है।

(घ) फिलहाल संसाधन प्राप्त करने का संभावित समय बताना संभव नही है यह वैज्ञानिक और, पौद्योगिकीय ज्ञान के विकास, इत्यादि पर निर्भर होगा और इसमें कई वर्ष लग सकते हैं।

समयपुर विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की भूमि का उपयोग

3286. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपना पत्र संख्या के०-20013/8/2001-डीडीआईबी में डी०डी०ए०को यह सलाह दी है कि वह एम०पी०डी० 62 के अनुसार समयपुर विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की भूमि का ठीक से उपयोग करें और तब तक उस क्षेत्र में पड़ने वाले उद्योगों को चलाये रखें;

(ख) यदि हां, तो डी०डी०ए० द्वारा उक्त पत्र का क्रियान्वयन किस हद तक किए जाने की संभावना है ताकि उस क्षेत्र में पड़ने वाले उद्योग सील न किये जा सकें/उन्हें पुन: चालू किया जा सके;

(ग) क्या क्रियान्वयन हेतु उक्त पत्र की अधिसूचना जारी की गई है/इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने दिल्ली मास्टर प्लान (एम०पी०डी०)-2021 को अंतिम रूप देते समय भूमि-उपयोग को सही करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी थी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की तैयारी का कार्य चल रहा है।

(ग) औ) (घ) दिल्ली मास्टर-2001 में किए गए संशोधन केवल अधिसूचित/गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। पत्र परामर्शी प्रकृति का होने के कारण, इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

रसायन उर्वरक इकाइयों का बंद किया जाना

3287. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** 7.5.2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन उर्वरक इकाइयों को बंद किए जाने के संबंध में मंत्री समूह की सिफारिशें क्या है;

(ख) सरकार का वह उपयुक्त प्राधिकारी कौन है जिसके पास मंत्री समूह की सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाना है;

(ग) सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे संबंधी मामले को हटाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) रूग्ण उर्वरक इकाइयों के पुनरूद्धार से संबंधित सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र के व्यवहार्य उपक्रमों (पीएसयू) का पुनर्गठन और संभाव्यताओं का पुनरूद्धार करने और श्रमिकों के हितों की पूर्णत: रक्षा करते हुए, सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों (पीएसयू) को बन्द करने की है जिसका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रीमंडल सक्षम प्राधिकारी, ने मंत्रीदल (जीओएम) की अंतरिम सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, 18.7.2002 को हल्दिया उर्वरक परियोजना एचएफसी की एफपी एंड ए आर डी और अन्य सहायक स्थापनाओं विपणन/क्रय/संपर्क प्रभाग इत्यादि को बन्द/पृथक करने; एफसीआई की रामागुंडम, तालचर, गोरखपुर इकाइयों, कोरबा प्रभाग और अन्य सहायक स्थापनाओं जैसे विपणन/क्रय प्रभाग इत्यादि को बन्द/पृथक करने; जोधपुर खनन संगठन का एक पृथक स्वतन्त्र अस्तित्व के रूप में एफसीआई से पृथक्करण; सलादीपुरा स्थित लोह पाइराइट्स खदानों को बन्द करने सहित पीपीसीएल की देहरादून और सलादीपुरा इकाइयों को बन्द/पृथक करने का निर्णय लिया है।

मितव्ययिता संबंधी उपाय

3288. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरन उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा शीर्षों पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार एस.टी.डी. औद आई.एस.डी. बिलों, बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनर्स और कूलर्स के बिलों और अन्य ऐसे व्ययों के लिए किये गए भुगतानों सहित प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, देश और देश के बाहर किए गए दौरों पर व्यय को कम करने हेतु कोई बचत अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

6 नए आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठों हेतु यूनीसेफ उपकरण

3289. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान (14 जीपों की आपूर्ति) 6 नए आई.सी.डी.एस. स्वीकृत प्रकोष्ठों हेतु यूनीसेफ उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत 6 आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठों को 6 जीपों तथा अन्य उपकरणों की आपूति की गई है।

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वर्ष 1990-91 तथा 1993-94 में 14 जीपों की आपूर्ति का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा सीधे यूनिसेफ को भेजा गया था, परतु इनकी आपूर्ति नहीं की गई है।

फुटपाथ पर काम करने वाले कामगारों का सर्वेक्षण

3290. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कुछ जूता मरम्मत, साइकिल मरम्मत, नाई, धोबी, रंगाई आदि जैसे छोटे-छोटे कामों में लगे फुटपाथी कामगारों का कुछ समय पहले सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो बिना साजसामान वाले बूथों में बैठे इन लोगों का पता लगाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) निर्णय को अब तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) चंडीगढ़ में ऐसे कामकाज में लगे लोगों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन की सूचना के अनुसार ऐसा सर्वेक्षण जून, 1998 में किया गया था।

(ख) और (ग) चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने शहरी योजना विभाग से ऐसे सामान्य स्थलों का प्रस्ताव देने को कहा है जिसमें छोटे मोटे कार्यों में लगे फुटपाथी कामगारों को स्थान दिया जा सके। हटाये जाने योग्य बूथों या अन्यथा फुटपाथी कामगारों को बसाने का कोई निर्णय नहीं है चूंकि चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है, अत: यहां सभी व्यवसायों के वाणिज्यिक स्थलों बावत पर्याप्त प्रावधान है।

(घ) उपर्युक्त सर्वेक्षण के दौरान लगभग 2247 फुटपाथी कामगारों की पहचान की गयी है।

उनके मंत्रालय के अंतर्गत होने वाले व्यय

3291. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने 2002 (पी.एस.यू.) की अपनी रिपोर्ट संख्या-4 के पृष्ठ संख्या 18 और इसके बाद के पष्ठों पर सीमा से अधिक दैनिक भत्ते का भुगतान, विदेश के लिए अनधिकृत दौरों पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति, अग्राह्य दैनिक भत्ते का भुगतान और विदेशी मुद्रा में अग्रिम धनराशि जारी करने आदि पर विस्तार से विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ऐसे अतिशय भुगतान को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अतिशय व्यय करने वालों से वसूली करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकारी वाणिज्यिक लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कम्पनियों के अधिकारियों के विदेश दौरों के सम्बन्ध में दैनिक भत्ते की अदायगी सहित विभिन्न मामलों में हुई अदायगियों पर प्रश्न-चिन्ह लगाते हुए कई टिप्पणियां दी थी।

(ख) सरकारी वाणिज्यिक लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों को सी.आई.एल. द्वारा हाल में गठित समिति को विस्तृत छान-बीन/जांच के लिए सौंप दिया गया था और दिनांक 2.1.2002 को कोलकाता में हुई बैठक में सी.आई.एल. के कार्यकारी निदेशक (एफडी) द्वारा लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात् उसके निष्कर्षों पर विचार किया गया था। समिति के निष्कर्षों से पूर्णत: सहमत होते हुए सी.आई.एल. के कार्यकारी निदेशकों ने अधिक या अनाधिकृत रूप से आहरित पायी गयी राशि की शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। तदनुसार सी.आई.एल. (मुख्यालय) द्वारा सभी सम्बन्धितों को यह सलाह दी गयी कि उपरोक्त के शीघ्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। उपरोक्त का अनुपालन करते हुए अनेक मामलों में जहां राशि अधिक या अनाधिकृत रूप से आहरित की गई थी उसकी वसूली की जा चुकी है, जबकि ऐसे अन्य मामलों की जांच चल रही है, जिन पर यथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सी.आई.एल. मुख्यालय द्वारा अधिकारियों के विदेश दौरों के संबंध में विभिन्न लेखाओं में भुगतानों को विनियमित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश नवम्बर 1997 में सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन किए जाने के लिए जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। उपरोक्त भाग (ख) के दिए गए उत्तर को देखते हुए आवश्यक वसूलियां पहले से ही की जा रही है और अनेक मामलों में अधिक अथवा अनाधिकृत रूप से आहरित राशि वसूल कर ली गई है।

ग्रामीण विकास हेतु हूडको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना

3292. श्री ए० नरेन्द्र : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान हूडको द्वारा ग्रामीण विकास के लिए राज्य-वार कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई;

(ख) सड़क पुलों के विकास हेतु व्यय की गई व्यय की जाने वाली राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राशि से अब तक निर्मित सड़कों और निर्मित पुलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा सभी राज्यों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान हूडको ने तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी विकास योजनाओं के तहत 185642.74 लाख रु० स्वीकृत किए हैं। राज्यवार आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

तमिलनाडु	—	30955.68 लाख रु०
गुजरात	—	69700.00 लाख रु०
महाराष्ट्र	—	84997.06 लाख रु०

(ख) और (ग) रोड/पुल केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए ही सवीकृत किए गए हैं किन्तु अभी तक कोई धनराशि रिलीज नहीं की गयी है।

(घ) विभिन्न राज्यों के लिए हूडको द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि हूडकों की वित्तीय सहायता पूरी तरह मांग आधारित होती है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योगों के लिए राज-सहायता

3293. श्री सुबोध मोहिते : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश के 116 रसायन उर्वरक उद्योगों को राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) वर्ष 1999 से सिंगल सुपर फास्फेट (एस०एस०पी०) को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्हें अनियमितताएं बरते जाने के कारण राजसहायता नहीं मिली है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत सरकार द्वारा यूरिया पर प्रतिधारण मुल्य-सह-राजसहायता योजना (आरपीएस) के अन्तर्गत राजसहायता तथा नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एवं के) उर्वरकों पर रियायत योजना के अन्तर्गत रियायत प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-02 के दौरान (कुल 87 स्वदेशी रासायनिक उर्वरक उत्पादक कम्पनियों ने) रासायनिक उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत का लाभ उठाया।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक की अवधि में की गई एसएसपी की बिक्री के दावों पर वर्षवार निर्मुक्त की गई रियायत (राजसहायता) निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1999-2000	300.95
2000-2001	135.32
2001-2002	152.98

उत्तर प्रदेश स्थित एसएसपी उद्योग द्वारा राजसहायता के कपटपूर्ण दावों और अन्य कदाचार पर जनवरी, 2000 में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के पश्चात् राज्य सरकार से जांच कराने का आग्रह किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश स्थित कुल 29 एसएसपी इकाइयों में से 21 इकाइयों के दावों का भुगतान स्थगित रखा गया है।

[अनुवाद]

शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु जिला संस्थानों की स्थापना

3294. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु जिला संस्थानों की स्थापना की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुणे, लातूर, धूले और नांदेड़ स्थित भवनों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार को अनुदान की पहली किश्त स्वीकृत कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भवन निर्माण सामग्री के मूल्य बढ़ जाने के कारण लागत में वृद्धि के मद्देनजर उक्त भवन परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी अतिरिक्त राशि का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने अपेक्षित राशि जारी कर दी है; और

(च) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना तथा पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देश के सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का प्रावधान किया जाना है। अब तक 492 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्माण-लागत में वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की मांग की।

(घ) जारी की जा चुकी राशि तथा मांगे गए अतिरिक्त धन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रु. लाख में)

जिले	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	मांगा गया अतिरिक्त धन
1	2	3	4
पुणे	39.00	39.00	51.00
लातूर	58.00	58.00	32.00
धुले	18.50	18.50	80.80
नान्देड़	58.00	58.00	61.00

(ङ) और (च) वर्ष 1988.89 से 1995-96 के बीच महाराष्ट्र के लिए 30 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए। राज्य सरकार द्वारा निर्माण आरंभ करने में विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ और दिनांक 16.3.2002 की स्थिति के अनुसार राज्य के पास 552.00 लाख रु. की खर्च न की जा सकी राशि शेष पड़ी हुई है। मांगे गए अतिरिक्त धन का विस्तृत आकलन तथा निर्माण-कार्य में हुए विलम्ब के खास कारण प्रस्तुत करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया। अतिरिक्त धन दिए जाने हेतु अनुरोध पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से निर्माण-कार्य पूरा किए जाने हेतु एक निश्चित समय-सीमा सुझाए जाने का भी अनुरोध किया गया।

सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा अपव्यय

3295. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 2002 (सिविल) की रिपोर्ट संख्या-2 के पैरा 18.3 में पृष्ठ 183-184 पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बंगलादेश सीमा सड़क को सीधा करने में सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा किया गया अपव्यय संबंधी तथ्य प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और राज्य को घाटा पहंचाने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, और उनसे धनराशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) पूरे देश में सी०पी०डब्ल्यू०डी० के इन कार्यों पर किये जाने वाले अपव्यय को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की गई है और यह पाया कि राज्य को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस सड़क का हिस्सा बाढ़ से असुरक्षित था, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु सैन्य कार्रवाई संबंधी कारणों की वजह से बी एस एफ को जरूरत भी थी। स्थल से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्य के दौरान, सड़क के नदी के बिल्कुल निकटस्थ होने के

कारण मार्ग में परिवर्तन करना जरूरी हो गया क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों तथा बार-बार भारी रखरखाव लागत की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में मार्ग में परिवर्तन से 128 लाख रु० से अधिक की बचत हुई है। मूल मार्ग के निर्मित हिस्से का भी नियमित उपयोग तथा रखरखाव किया जा रहा है और बी एस एफ का अपेक्षित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। इसे देखते हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समुचित नियोजन, तकनीकी जांच पड़ताल तथा विश्लेषण के बाद ही कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

एम०सी०डी० द्वारा सम्पत्ति मालिकों का उत्पीड़न

3296. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०सी०डी० का गृह कर विभाग गलत बिल प्रस्तुत किए जाने पर सम्पत्ति मालिकों को उत्पीड़ित करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एम०सी०डी० के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ग) संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी०डी०टी० और बी०एच०सी० के निर्माता

3297. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी रसायन उद्योग में डी०डी०टी० और बी०एच०सी० का निर्माण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सही है कि डी०डी०टी० और बी०एच०सी० को पेस्टनाशी और अन्य रूप में प्रयुक्त किये जाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे रसायनों के उत्पादन पर भारत ने कब से प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) यद्यपि बी.एच.सी. के विनिर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नामत: हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लि० (एच आई एल) द्वारा डी.डी.टी. का विनिर्माण किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनेक देशों ने डी.डी.टी. और बी.एच.सी. को पेस्टिसाइडों के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तथापि, भारत समेत अनेक देशों में वेक्टर नियंत्रण उद्देश्यों के लिए डी.डी.टी. के प्रयोग की अनुमति है। भारत में बी.एच.सी. के उत्पादन पर 1.4.1997 से प्रतिबंध लगा हुआ है।

ई.सी.एल. के सतग्राम क्षेत्र में स्थित कोआरडीह कोयला खान मुहाने को बंद किया जाना

3298. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 लाख टन कोयला भंडार और अगले 50 सालों तक चलने वाली खान होने के बावजूद ई.सी.एल. प्राधिकरण द्वारा सतग्राम क्षेत्र में स्थित कोआरडीह कोयला खान मुहाना संख्या-12 को बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कामगारों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) ई.सी.एल. के सतग्राम क्षेत्र में कुअरडीह कोलियरी की घटक यूनिटों में से एक, नामत: 11 तथा 12 पिट, जो 25 लाख टन के खनन योग्य भण्डारों वाली नेगा सीम पर कार्य कर रही थी, सितम्बर, 1999 में भारी वर्षा के कारण डूब गई और इसलिए उक्त यूनिट से उत्पादन रोकना पड़ा। खान से पानी निकालने का कार्य चल रहा है। पानी निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, तकनीकी आर्थिक स्थितियों के आधार पर कोयला कम्पनी द्वारा इसे पुन: आरम्भ किए जाने का अथवा अन्यथा निर्णय लिया जाएगा।

(ग) कुअरडीह 11 तथा 12 पिटों, में सितम्बर 1999 में डूबने के दिन उपस्थित श्रमशक्ति 642 थी। 642 व्यक्तियों में से, अद्यतन तिथि तक 639 व्यक्तियों को सतग्राम क्षेत्र की पड़ोसी खानों में स्थानांतरित किया जा चुका है। 11 तथा 12 पिटों में घरेलू जलापूर्ति के लिए 3 व्यक्तियों को रोका गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

3299. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उप-प्रधान मंत्री 15.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.सी.सी.एल. की लोहापट्टी कोलियरी के कोयला भंडार का क्षीण स्तर कोयला-वार वितरण कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार लोहापट्टी कोलियरी का पुनरुद्धार करने का है या मोहुदा क्षेत्र में किसी बंद कोलियरी को खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) बी.सी.सी.एल. की लोहापट्टी कोलियरी के भूगर्भीय कोयला भंडारों का सीम-वार वितरण निम्नानुसार है :-

सीम	भूगर्भीय भण्डार (मिलियन टन में)
लोहापट्टी टॉप	1.1
लोहापट्टी मध्य (मिड)	2.4
लोहापट्टी तल (बाटम)	5.0
पाथेगोरिया-ए	3.1
पाथेगोरिया-बी	3.8
भुरूंगिया टॉप	10.0
मोहुदा टॉप	40.0
मोहुदा मध्य (मिड)	32.0
कुल	97.4

(ख) से (घ) तकनीकी-आर्थिक कारणों से लोहापट्टी कोलियरी के बंद पड़े भागों को तत्काल पुन: खोलने की कोई योजना नहीं है। लोहापट्टी की भूमिगत खानें भारी घाटे में चल रही हैं। भयंकर वित्तीय तंगी के कारण इस समय, मोहुदा क्षेत्र के पड़ोसी खानों में धातुकर्मीय तत्व वाली सीमों में खनन कार्य करने का प्रस्ताव है।

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा लिया गया दान/निधि

3300. श्री टी० गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को उन अभिभावकों (माता-पिता) से दान/निधि के नाम पर भारी राशि लेने की अनुमति दी है जिनके बच्चों का नामांकन विद्यालयों में होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सभी विद्यालयों को अपनी स्थापना के स्थान के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, इनमें से अधिकतर विद्यालय विभिन्न बोर्डों जैसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद अथवा संबंधित राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा अधिनियमों अथवा नियमों में निर्धारित मान्यता संबंधी शर्तों और विभिन्न बोर्डों द्वारा निर्धारित सम्बद्धन शर्तों में विद्यालयों में दाखिला देने के लिए दान लेने पर रोक है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें और सम्बद्धन प्रदान करने वाले दाखिलों के बारे में दान लेने का निषेध करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धन समाप्त करने की कार्रवाई कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस मामले में अपनी संविधियों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करें। जब भी किसी विद्यालय द्वारा दान लेने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण शिक्षा में लगे गैर-सरकारी संगठन

3301. श्री जय प्रकाश : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-वार, गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इन योजनाओं के लिए पृथक-पृथक अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार को इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुर्विनियोजन और दुरुपयोग के लिए कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का उचित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3302. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों और विभिन्न श्रेणियों के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कितनी वार्षिक धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) केवल एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् हैदराबाद विश्वविद्यालय में 30 जून, 2002 से कुलपति का पद रिक्त है इस पद को भरने के लिए विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं। और इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं।

जहां तक लेक्चरर सहित शिक्षण पदों का संबंध है विश्वविद्यालय रिक्त पदों की स्थिति को विवरण-I में दर्शाया गया है इन पदों पर नियुक्त उपयुक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुसार गठित चयन समितियों की सिफारिश के आधार पर सम्बंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद/प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाती है। रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान योजनेतर के तहत विश्वविद्यालय पर किए गए व्यय को विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

शिक्षण पदों के सम्बंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार रिक्त पदों की स्थिति

(30.9.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	53
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	660
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	304(+)
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	47
5.	जामीया मिलिया इस्लामिया	35
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	134
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	104
8.	मिजोरम विश्वविद्यालय	62(+)
9.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	23

1	2	3
10.	विश्व भारती	78
11.	असम विश्वविद्यालय	16
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय	2
13.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	4
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	13(#)
15.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	53(@)

(+)11.3.2002 की स्थिति

(#)16.3.2002 की स्थिति

(@)2.8.2002 की स्थिति

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान योजनेतर के तहत विश्वविद्यालयवार व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	व्यय
1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	158.75
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	154.20
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	114.12
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	28.01
5.	जामीया मिलिया इस्लामिया	36.32
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	52.80
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	30.48
8.	मिजोरम विश्वविद्यालय	4.58
9.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	13.69
10.	विश्व भारती	37.74
11.	असम विश्वविद्यालय	5.84
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय	3.31
13.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	10.95
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1.74
15.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	104.26

राष्ट्रीय महिला आयोग

3303. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'समस्याओं और संभावनाओं' के बारे में आदिवासी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यशाला का आयोजन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उसने 'जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण—समस्याएं व संभावनाएं' विषय पर नासिक, जबलपुर, रांची, गुवाहाटी और मनाली में पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है और तत्पश्चात् एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, ताकि आयोग को सामान्यत: जनजातीय लोगों और विशेषकर जनजातीय महिलाओं से संबंधित समस्याओं के कुछ समाधान ढूंढने में मदद मिल सके और वह ऐसे मुद्दों का निदान करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कार्यशाला अक्तूबर, 2002 में आयोजित किए जाने की संभावना है।

साक्षरता अभियान

3304. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साक्षरता योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु विदेशों से कोई वित्तीय सहायता ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशों में शिक्षा और प्रशिक्षण ले रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र

3305. चौ० तालिब हुसैन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य-वार विशेषकर जम्मू और कश्मीर के कितने आदिवासी छात्र विदेशों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केरल, महाराष्ट्र, मेघालय तथा उत्तरांचल राज्यों से एक-एक अनुसूचित जनजाति छात्र विदेश में शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना

3306. श्री अनन्त नायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) देश में इस समय नौ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात् इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसके बाद 1992 में बनायी गई कार्ययोजना के अनुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तकनीकी और परामर्शी सहायता उपलब्ध कराता है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा की सरकारों नें अपने-अपने राज्यो में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने उड़ीसा में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तकनीकी रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है और प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार से अनुवर्ती कार्रवाई अभी प्राप्त नहीं हुई है।

पुलिस स्टेशनों की स्थापना

3307. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गये अपराधों की शिकायतों के लिए आयोग के मुख्यालयों में पुलिस स्टेशन की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

नोराड योजना में भ्रष्टाचार

3308. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नोराड योजना में भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारत सरकार के पास स्वैच्छिक संगठनों के कोई प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश विशेषकर बुलंदशहर जिले के कुल कितने प्रस्ताव हैं;

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(छ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु वर्तमान प्रक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सरकार को दो शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक पर जांच के उपरांत कार्रवाई बन्द कर दी गई तथा दूसरी शिकायत की नियमानुसार जांच की जा रही है।

(घ) जी, हां। कुछ प्रस्ताव अधूरे दस्तावेज के कारण लम्बित हैं।

(ङ) से (छ) उत्तर प्रदेश से 472 प्रस्ताव लम्बित हैं। इनमें से 8 बुलन्दशहर जिले से हैं। इन्हें स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देशानुसार पुनः जांच हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर परियोजना संस्वीकृति समिति इन मामलों पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

वी०आई०पी० भवनों में संस्थापित वाटर मीटर

3309. श्री ताराचन्द भगोरा :
डा० चरणदास महंत :
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन, नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, वेस्टर्न कोर्ट, वी०पी० हाउस आदि जैसे विभिन्न सरकारी भवनों में संस्थापित अधिकतर वाटर मीटर लम्बे समय से खराब पड़े हैं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा पानी की न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति किए बिना भी अस्थायी आधार पर पानी के बढ़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का निजी फ्लैटों में उचित रूप से संस्थापित वाटर मीटरों का रख-रखाव न करने और मीटर के किराए सहित अधिक बिल लेने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा उपभोक्ताओं से ली गई अधिक धनराशि वापिस करने का है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान उपर्युक्त स्थानों से अधिक राशि के बिलों संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि इन वी आई पी भवनों में कई पानी के मीटर खराब हैं और इसीलिए जब ये मीटर ठीक ढंग से कार्य रहे थे, तब की अंकित खपत को आधार मानकार पानी के बिल अनंतिम आधार पर भेजे जा रहे हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा खराब मीटरों को बदलने के लिए अब नए पानी के मीटर खरीदे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा यह बताया गया है कि जहां तक व्यक्तिगत सरकारी फ्लैटों/वी आई पी बंगलों में लगे पानी के मीटरों का संबंध है, उनमें से अधिकतर सही ढंग से काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत परिसरों के पानी के मीटरों को चालू हालत में रखने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि, जब भी पानी के मीटर खराब हो जाते हैं, मीटरों के खराब रहने की अवधि के लिए अनंतिम रूप से बिल दिए जाते हैं। बिलों को, संगत अवधि के दौरान मीटर में अंकित खपत के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है जहां अगले बिलों में उपभोक्ता को आवश्यक राशि देनी या उनसे लेनी, जैसा भी मामला हो, होती है।

(ङ) गत एक वर्ष, अर्थात् 1.7.2001 से 30.6.2002 के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वी आई पी भवना के संबंध में अधिक पानी के बिल की केवल चार शिकायतें मिली थी।

(च) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अनंतिम बिलों को अंतिम रूप देने तथा खराब मीटरों को बदलने की कार्रवाई कर रही है।

कोयला भंडार

3310. श्री के०के० कलिअप्पन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु के ईरोड जिले के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) 01.01.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा यथा आंकलित देश में कुल कोयला भंडार 234.11 मिलियन टन है। राज्यवार कोयला भंडारों का वितरण निम्नानुसार दिया गया है :-

(भंडार मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
पश्चिम बंगाल	11099.48	11162.82	4156.95	26419.25
बिहार	0.00	0.00	160.00	160.00
झारखंड	35234.60	28986.64	6281.57	70502.81
मध्य प्रदेश	6857.20	7865.71	3233.87	17956.78
छत्तीसगढ़	7626.72	23639.69	4108.49	35374.90
उत्तर प्रदेश	765.98	295.82	0.00	1061.80
महाराष्ट्र	4494.92	2049.77	1536.00	8080.69
उड़ीसा	13079.82	29809.10	15123.30	58012.22
आन्ध्रप्रदेश	7729.13	5459.26	2447.70	15636.09
असम	279.30	26.83	34.01	340.14
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैण्ड	3.43	1.35	15.16	19.94
सकल योग	87319.64	109377.99	37416.65	234114.28

जी०एस०आई० द्वारा किये गये उपर्युक्त आंकलन के अनुसार तमिलनाडु राज्य के ईरोड जिले सहित कोयले का कोई भंडार नहीं पाया गया। हांलाकि राज्य में लिग्नाइट का प्रचुर भंडार है।

जेल सुधार हेतु सहायता

3311. श्री शशि कुमार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में जेल सुधारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव में वाहनों की खरीद, मोबाइल सेलुलर फोन जैमर्स, कम्प्यूटर, मैटल डिटक्टर्स, सर्च लाइट्स, पोली कार्बोनेट लाठियां, टू-वे रेडियो संचार प्रणाली, डीजल जैनरेटर सैट्स, ई पी ए बी एक्स प्रणाली, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स, ड्रीप इर्रीगेशन प्रणाली, खेलकूद की मदें, बढ़ई और लौहार के औजार, जीरोक्स मशीनें, फोगिंग मशीनें, फ्लोर नीडलिंग मशीनें, आग बुझाने के यंत्र, इलेक्ट्रिक साइरन और मरम्मत और नवीकरण, सम्मिलित है।

(ग) जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम 31.3.2002 से समाप्त हो गई है। इसलिए, इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

जे०आर०एफ०, एस०आर०एफ० और आर०ए० अध्येतावृत्ति

3312. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जे०आर०एफ०, एस०आर०एफ० और आर०ए० अध्येतावृत्ति की राशि में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) जी हां। सरकार ने 01.04.2002 से जे०आर०एफ०, एस०आर०एफ० और आर०ए० अध्येतावृत्ति की राशि में वृद्धि की घोषणा की है।

(ख) बढ़ी हुई अध्येतावृत्ति राशि इस प्रकार है:-

(i) जूनियर रिसर्च फैलो (जे०आर०एफ०) सीनियर रिसर्च फैलो (एस०आर०एफ०) जे०आर०एफ० (प्रथम व द्वितीय वर्ष) जे०आर०एफ० (अनुवर्ती वर्ष)/एस०आर० एफ०

(क) अभियांत्रिकी अनुशासनों में स्नातक डिग्री और विज्ञान अनुशासनों में स्नातकोत्तर डिग्री	8,000/- रु० (मौजूदा 5,000/- रु०)	9,000/- रु० (मौजूदा 5,600/- रु०)
(ख) आयुर्विज्ञान और अभियांत्रिकी विषयों एम बी बी एस/बी डी एस/एम वी साइंस/एम फार्मा. एम ई, एम टैक ; और बी ई/बी टैक, बी वी साइंस, बी. फार्मा, अथवा दो वर्ष के अनुभव के समकक्ष	9,500/- रु० (मौजूदा 6,000/- रु०)	10,000/- रु० (मौजूदा 6,400/- रु०)

(ii) रिसर्च एसोसिएट्स (आर०ए०)

	मौजूदा	संवर्धित
1. आर. ए. - I	8000	11000
2. आर. ए. - II	8800	11500
3. आर. ए. - III	10500	12000

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्लू चिप कम्पनियों का विनिवेश

3313. **श्री अम्बरीश :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कुछ ब्लू चिप कम्पनियों में अपने शेयर का विनिवेश करने का प्रस्ताव किया है जैसाकि दिनांक 26 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "गवर्नमेंट टु सैल स्टेक इन फाइव ब्लू चिप पी एस यूज" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के ब्लू चिप उपक्रमों के विनिवेश हेतु अपनाई गई रीतियों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सरकार ने ओ एन जी सी, बी एस एन एल, आई ओ सी, टन टी पी सी और गेल में अपनी भागीदारी का विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं लिया है जैसा कि दिनांक 26.07.2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित ''गवर्नमैंट टू सैल स्टेक इन 5 ब्लू चिप पी एस यूज'' नामक शीर्षक से छपी खबर में बताया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पवित्र नगरों का कायाकल्प

3314. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरिद्वार तिरुपति, अजमेर, अमृतसर, पुष्कर, उज्जैन, मदुरै, वृन्दावन, मथुरा के पवित्र नगरों का कायाकल्प करने और सांस्कृतिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास करने हेतु इन तीर्थ स्थलों और मंदिरों के आसपास की सड़कों के रख-रखाव में सुधार करने और इनके इर्द-गिर्द बने ढांचे को हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के पुनरुद्धार'' के लिए स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग को गयी थी। स्कीम अभी अनुमोदित की जानी है। जहां तक कस्बों/नगरों के चयन तथा अन्य ब्यौरों का संबंध है, स्कीम को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इन पर राज्य सरकारों के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना

3315. **श्री अधीर चौधरी** :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री पी०आर० किन्डिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में राज्य सरकार के साथ बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समुचित परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय बाल कार्य योजना तैयार करने की कार्रवाई चल रही है।

वेश्यालयों से मुक्त कराई गई अव्यस्क बालिकाओं का पुनर्वास

3316. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को वेश्यालयों से मुक्त कराई गई अव्यस्क बालिकाओं के पुनर्वास हेतु निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत अव्यस्क बालिकाओं के पुनर्वास हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को संप्रेषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक आपराधिक रिट याचिका संख्या 532/1992 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि जिन छुड़ाई गई लड़कियों का निचली अदालत में गवाहों के रूप में कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें संबंधित राज्यों में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए और ऐसी लड़कियों का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समुचित पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुन: शामिल किया जाए। दिल्ली में आधारित एक गैर-सरकारी संगठन को निदेश दिया गया है कि वह संबंधित राज्यों में कार्यरत स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इन लड़कियों के प्रत्यावर्तन में दिल्ली पुलिस की सहायता करे।

राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को व्यापक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कुछ राज्यों ने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनको विभाग की हाल ही में शुरू की गई स्वाधार तथा सामान्य सहायतानुदान स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।

पोलीटेक्निक की स्थापना

3317. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग बच्चियों की तकनीकी क्षमता और व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास हेतु राजकीय पोलीटेक्निक की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, जिला-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम

3318. **श्री पी०सी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम/तकनीकी विषय शुरू करने हेतु स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर केरल के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त संगठन हैं और उन्हें स्वयं नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने का अधिकार प्राप्त है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कला, विज्ञान और वाणिज्य में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में चुनिन्दा व्यावसायिक विषयों को शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान करता है। ये व्यावसायिक विषय संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। इस शैक्षिक सत्र 2002-2003 में केरल राज्य के कालेजों से प्राप्त 51 प्रस्तावों में से 16 प्रस्ताव अवर स्नातक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में व्यावसायिक विषयों को शुरू करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

विवरण

केरल में स्थित कालेजों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक विषयों/पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

विषय क्षेत्र		विषय	
1		2	
(i)	कला मानविकी और सामाजिक विज्ञान	1.	कार्यात्मक हिन्दी
		2.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान
		3.	फैशन डिजाइनिंग
(ii)	वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन	1.	कार्यालय प्रबंधन और सचिवालयी पद्धति
		2.	पर्यटन और यात्रा प्रबंधन
		3.	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन
(iii)	विज्ञान	1.	क्लीनिकल न्यूट्रिशियन और हाइटेटिक्स

1		2	
		2.	औद्योगिक माइक्रोबायलोजी
		3.	जैव प्रौद्योगिकी
		4.	बायोलॉजिकल टेकनीक और स्पेसिमिन प्रिपरेशन
		5.	मासकम्यूनिकेशन और वीडियो प्रोडक्शन
		6.	सूचना प्रौद्योगिकी
(iv)	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी	1.	इलेक्ट्रानिकी उपस्कर रख-रखाव
(v)	ग्रामीण, पर्वतीय, जनजातीय क्षेत्रों से संबद्ध विषय	1.	मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंधन

एआईसीटीई द्वारा नियम और विनियमन का कार्यान्वयन

3319. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए उचित रूप से योजना बनाना समन्वय करना और इसे एकीकृत करना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया है; और

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अपने प्रशासन के उचित संचालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि विलम्ब में कमी आ सके और इसके कार्य में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे—पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, शारीरिक शिक्षा सुविधाओं, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ की योग्यताएं, गुणवत्ता अनुदेशों के लिए मानदण्ड एवं स्तर का निर्धारण करना; नामांकन के लिए मानदण्डों एंव दिशा-निर्देशों का निर्धारण; विभिन्न स्टाफ विकास स्कीमें/सतत् शिक्षा स्कीमें आरंभ करना; अनुसंधान एवं विकास, उद्योग के साथ सम्पर्क और संस्थानात्मक विकास के लिए, जनशक्ति आवश्यकता और रोजगार के अवसर के सर्वेक्षण के लिए निधियन योजना; तकनीकी संस्थाओं के निश्चित अवधि पर मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना, इत्यादि।

(ग) देरी को कम करने के लिए तथा ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निम्न कदम उठाए हैं—प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्यकलापों का कैलेण्डर सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना और कैलेण्डर का कड़ाई से अनुपालन; प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन जिसके सदस्य देशभर के लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद् और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

दूतावासों पर सेवाकर

3320. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा दिल्ली स्थित दूतावासों पर सेवाकर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली में विदेशी मिशनों के दखल वाले परिसरों के संबंध में सेवा प्रभार उगाहने के लिए प्रस्ताव भेजा है। तथापि, इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

देश में साइबर अपराध

3321. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में साइबर अपराध संबंधी राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं और ये मामले किस प्रकार के हैं;

(ख) इस प्रकार के अपराध करने वालों की औसत आयु कितनी है; और

(ग) सरकार ने युवाओं को इस प्रकार के अपराधों से अलग रखने और जनता में ऐसे अपराधों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, जो अपराधों के आंकड़ों को एकत्रित और संकलित करता है, साईबर अपराध पर अलग से आंकड़ों नहीं रखता है क्योंकि कोई स्पष्ट पृथकीकरण संभव नहीं है क्योंकि कई भा०द०सं० अपराधों में भी साईबर साधनों का प्रयोग हो सकता है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के उपबंधों और वर्तमान दाण्डिक कानूनों में, साईबर अपराध करने के लिए सजा की व्यवस्था है।

हिन्दुओं का धर्मान्तरण

3322. योगी आदित्यनाथ : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में हिन्दुओं का जबरदस्ती धर्मान्तरण कर उन्हें ईसाई, मुसलमान बनाए जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की कोई घटना सूचित नहीं की गई है। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(1) में यह व्यवस्था है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग-III के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अत: अपराध का पंजीकरण, जांच-पड़ताल और पता लगाने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

[अनुवाद]

भारत में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कनाडा का निवेश

3323. डा० डी०वी०जी० शंकर राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के प्राधिकारियों ने भारत की जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी कम्पनियों में निवेश करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) जैव-प्रोद्योगिकी उद्योग में निवेश के लिए कनाडा के किसी भी प्राधिकारी से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाएं

3324. श्री वाई०जी० महाजन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ों के कारण राज्य-वार फसलों और सम्पत्तियों को हुए नुकसान (रुपयों में) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-सरकारों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) विगत तीन वर्षों के दोरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों और मकानों को हुई क्षति दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। सभी प्राकृतिक

आपदाओं से विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्षति का रुपयों के रूप में ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आपदा राहत निधि (सी आर एफ) से केन्द्र का हिस्सा तथा आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि (एन एफ सी आर)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन सी सी एफ) से जारी की गई विधि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों और मकानों को हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वर्ष					
		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		फसल क्षेत्र को क्षति लाख (है. में)	मकानों/झोपड़ियों को क्षति (संख्या में)	फसल क्षेत्र को को क्षति लाख (है. में)	मकानों/झोपड़ियों को क्षति (संख्या में)	फसल क्षेत्र को को क्षति लाख (है. में)	मकानों/झोपड़ियों को क्षति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.22	3425	4.22	104374	18.78	87975
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	17	0.04	17	—	41
3.	असम	1.06	126	2.24	—	0.13	—
4.	बिहार	3.44	248903	3.92	312076	8.32	169165
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	0.89	12353
6.	गुजरात	—	—	—	1318844	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	2.87	2224	—	—	—	231
8.	कर्नाटक	23.24	16828	0.57	54591	16.22	—
9.	केरल	1.00	24199	—	9474	—	23981
10.	मध्य प्रदेश	10.15	29168	9.53	3297	9.53	—
11.	मणीपुर	0.71	—	—	—	—	—
12.	मिजोरम	0.51	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	21.00	—
14.	उड़ीसा	21.54	2160112	270.00	—	9.00	212296

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पंजाब	0.02	2	0.25	35	0.58	21
16.	राजस्थान	78.18	—	87.49	—	—	—
17.	सिक्किम	—	—	—	140	—	—
18.	त्रिपुरा	0.25	4014	—	—	0.14	7453
19.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	26
20.	उत्तर प्रदेश	0.33	1023	4.35	33649	1.57	2501
21.	पश्चिम बंगाल	1.54	575767	19.2	2194858	—	—
	कुल	160.06	3065808	401.81	4031355	86.16	516043

टिप्पणी : राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर।

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान आपदा राहत निधि से (सी आर एफ) से जारी केन्द्र का हिस्सा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	107.69	148.54	196.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.10	9.02	9.47
3.	असम	43.37	76.12	79.92
4.	बिहार	33.79	50.22	26.37
5.	छत्तीसगढ़	*	20.60	21.63
6.	गोवा	0.93	0.465	0.00
7.	गुजरात	121.05	131.1351	117.0149
8.	हरियाणा	21.73	60.98	64.03
9.	हिमाचल प्रदेश	23.37	32.61	34.24
10.	जम्मू और कश्मीर	17.09	26.18	0.00
11.	झारखंड	*	42.52	44.65
12.	कर्नाटक	36.29	55.93	58.72
13.	केरल	48.04	17.3439	86.0361
14.	मध्य प्रदेश	44.29	46.98	49.32
15.	महाराष्ट्र	44.36	117.90	123.80
16.	मणिपुर	1.61	1.56	0.00
17.	मेघालय	2.42	2.95	3.10
18.	मिजोरम	1.1	1.115	0.00
19.	नागालैंड	1.47	0.5308	2.4792
20.	उड़ीसा	42.5	103.6525	64.6575
21.	पंजाब	46.96	92.04	96.64

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	155.25	196.0025	122.2575
23.	सिक्किम	4.08	2.9466	4.9534
24.	तमिलनाडु	51.47	76.98	80.83
25.	त्रिपुरा	3.90	1.4083	6.5917
26.	उत्तर प्रदेश	108.50	32.0844	135.2106
27.	उत्तराचंल	*	7.0991	29.9259
28.	पश्चिम बंगाल	44.50	75.83	39.81
	कुल	1011.86	1430.7432	1498.5618

*2000-2001 में सृजित नए राज्य।

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 के दौरान आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से जारी केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य	आपदा	जारी की गई सहायता (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1999-2000			
1.	आन्ध्र प्रदेश	सूखा	75.36
2.	बिहार	बाढ़/चक्रवात	38.18
3.	गुजरात	सूखा	54.58
4.	जम्मू और कश्मीर	सूखा	73.42
5.	कर्नाटक	सूखा/बाढ़	17.09
6.	मध्य प्रदेश	सूखा/बाढ़	38.86
7.	मणिपुर	सूखा	4.93
8.	मिजोरम	सूखा	6.00
9.	उड़ीसा	बाढ़/चक्रवात	828.15
10.	राजस्थान	सूखा	102.93
11.	त्रिपुरा	सूखा	5.34
12.	उत्तर प्रदेश	भूंकम्प	16.68
13.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	29.52
		कुल	1291.04
2000-01			
1.	अरुणाचल प्रदेश	अचानक तीव्र बाढ़	2.00
2.	बिहार	वर्षा/बाढ़	29.67
3.	छत्तीसगढ़	सूखा	40.00
4.	गुजरात	सूखा	85.00
		भूकम्प	500.00
5.	हिमाचल प्रदेश	अचानक तीव्र बाढ़	8.29
6.	मध्य प्रदेश	सूखा	35.00
7.	मेघालय	चक्रवाती हवाएं	1.00
8.	उड़ीसा	सूखा	35.00
9.	राजस्थान	सूखा	85.00
10.	पश्चिम बंगाल	वर्षा/बाढ़	103.25
		कुल	924.21
2001-02			
1.	आन्ध्र प्रदेश	सूखा/बाढ़	30.44
2.	छत्तीसगढ़	सूखा	18.94
		बाढ़	23.94
3.	गुजरात	सूखा	27.00
		भूकम्प	967.37
4.	हिमाचल प्रदेश	अचानक बाढ़	25.00

1	2	3	4
		वर्षा/बाढ़	17.50
		सूखा	18.98
5.	जम्मू और कश्मीर	सूखा	23.20
6.	मध्य प्रदेश	सूखा	22.72
7.	उड़ीसा	सूखा	14.62
		बाढ़	100.00
8.	राजस्थान	सूखा	78.97
		कुल	1368.68

[अनुवाद]

जेलों में विचाराधीन कैदी

3325. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी लाने के लिए दीवानी और आपराधिक मामलों की कार्यवाही दो वर्ष के भीतर पूरा करने हेतु कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) विभिन्न जेलों में रह रहे विचारणाधीन कैदियों की संख्या कम करने की दृष्टि से आपराधिक मामलों में विचारण/कार्यवाहियों को दो वर्ष के भीतर पूरा करने की व्यवस्था करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 मे संशोधन करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

3326. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसे लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे किस तारीख से लागू किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 का प्रवर्तन 1995 में किया गया था। तथापि, अधिनियम को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि किराएदारों, विशेषकर, व्यापारी-किराएदारों ने विधेयक के खिलाफ आंदोलन शुरु कर दिया और विधेयक के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन की मांग की। सरकार द्वारा मामले की जांच की गई। जून, 1997 में यह निर्णय लिया गया कि लागू करने से पूर्व दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 में संशोधन किए जाएं। तदनुसार, दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 राज्य सभा में 28.7.1997 को पेश किया गया। विधेयक को जांच तथा रिपोर्ट के लिए शहरी और ग्रामीण विकास की संसदीय स्थाई समिति को सौंपा गया। समिति ने विधेयक की व्यापक जांच की और 21.12.2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कुछ और परिवर्तनों का सुझाव दिया। सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसकी सभी सिफारिशें मान ली। इस समय विधेयक राज्य सभा के पास विचारार्थ लंबित है। संसद द्वारा विधेयक पारित करने और राष्ट्रपति द्वारा उसे मंजूरी देने के पश्चात् दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को संशोधनों सहित लागू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

3327. श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री सी०के० जाफर शरीफ :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम में क्या अंतर है; और

(ख) राज्यों को वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) श्री सम्पूर्ण ग्रामीण योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक राहत कार्यक्रम था, जो देश के अधिसूचित आपदा प्रभावित जिलों में कार्यान्वित किया जाता था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जनवरी, 2001 से मार्च, 2002 तक चालू था जबकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितम्बर, 2001 से शुरू की गई थी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत नगद घटक योजना में से आता है, जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत नगद घटक किसी केंद्रीय या राज्य योजना से आता है, जिसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध खाद्यान्नों का उपयोग किया गया था। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नियमित आबंटन आधारित योजना है, जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम मांग आधारित कार्यक्रम था। आपदा प्रभावित राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न दिए गए थे।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सिर्फ काम के बदले अनाज कार्यक्रम और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अतंर्गत खाद्यान्न दिए गए थे। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अतंर्गत आबंटित खाद्यान्नों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है और वर्ष 2001-2002 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अतंर्गत खाद्यान्नों के आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-01 आबंटित/रिलीज किए गए खाद्यान्न (टन में)	2001-02 आबंटित/ रिलीज किए गए खाद्यान्न (टन में)	कुल (3+4) (टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	0	1650000	1650000
2.	बिहार	0	100000	100000
3.	छत्तीसगढ़	207000	419007	626007
4.	गुजरात	90000	58105	148105
5.	हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549
6.	कर्नाटक	0	100000	100000
7.	केरल	0	5000	5000
8.	मध्य प्रदेश	63079	188665	251744
9.	महाराष्ट्र	10000	140000	150000
10.	उड़ीसा	100000	150000	250000
11.	राजस्थान	118145	621360	739505
	कुल	599773	3432137	4031910

विवरण-II

(हजार टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित/प्राधिकृत खाद्यान्न (प्रथम-चरण) मात्रा (हजार टन में)			आबंटित/प्राधिकृत खाद्यान्न (द्वितीय-चरण) मात्रा (हजार टन में)				कुल प्राधिकृत खाद्यान्न		
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल	लागत मूल्य	गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश		117.58	117.58		114.86	114.86	13259.62	0.00	232.44	232.44
2.	अरुणाचल प्रदेश		3.94	3.94		3.07	3.07	347.07	0.00	7.01	7.01
3.	असम		159.20	159.20		156.23	156.23	18035.68	0.00	315.43	315.43
4.	बिहार		117.72	117.72		110.76	110.76	12516.57	0.00	228.48	228.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़		72.67	72.67		49.38	49.38	5609.61	0.00	122.05	122.05
6.	गोवा		0.14	0.14		0.86	0.86	97.55	0.00	1.00	1.00
7.	गुजरात	33.73		33.73	58.71		58.71	4872.87	92.44	0.00	92.44
8.	हरियाणा	43.89		43.89	44.93		44.93	3729.16	88.82	0.00	88.82
9.	हिमाचल प्रदेश	2.96	3.31	6.27	4.22	5.75	9.97	1000.51	7.18	9.06	16.24
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5.23	12.26	17.49	5.73	12.36	18.09	1886.77	10.96	24.62	35.58
11.	झारखंड	26.12	57.57	83.69	27.71	61.08	88.79	9201.97	53.83	118.65	172.48
12.	कर्नाटक	12.09	79.92	92.01	10.45	79.06	89.51	10013.26	22.54	158.98	181.52
13.	केरल		19.92	19.92		21.60	21.60	2449.26	0.00	41.52	41.52
14.	मध्यप्रदेश	124.88	48.97	173.85	141.08	40.90	181.98	8127.25	265.96	89.87	355.83
15.	महाराष्ट्र	85.68	44.38	130.06	68.22	37.47	105.69	9896.37	153.90	81.85	235.75
16.	मणिपुर		4.66	4.66		3.72	3.72	419.79	0.00	8.38	8.38
17.	मेघालय		5.98	5.98		5.99	5.99	677.33	0.00	11.97	11.97
18.	मिजोरम		3.65	3.65		2.77	2.77	312.64	0.00	6.42	6.42
19.	नागालैंड	2.78	4.06	6.84		4.11	4.11	464.62	2.78	8.17	10.95
20.	उड़ीसा		75.80	75.80		113.02	113.02	13001.03	0.00	188.82	188.82
21.	पंजाब	12.62		12.62	11.05		11.05	917.80	23.67	0.00	23.67
22.	राजस्थान	91.79		91.79	45.80		45.80	3801.62	137.59	0.00	137.59
23.	सिक्किम		3.06	3.06		1.53	1.53	172.89	0.00	4.59	4.59
24.	तमिलनाडु		51.98	51.98		99.86	99.86	11524.52	0.00	151.84	151.84
25.	त्रिपुरा		21.77	21.77		10.90	10.90	1091.56	0.00	32.67	32.67
26.	उत्तर प्रदेश	187.17	66.32	253.49	190.39	57.57	247.96	27244.57	377.56	123.89	501.45
27	उत्तरांचल	7.32	7.89	15.21	5.57	9.09	14.96	1489.48	12.89	16.98	29.87
28.	प० बंगाल		72.90	72.90	0.00	141.21	141.21	16291.95	0.00	214.11	214.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह			0.00		0.57	0.57	64.29	0.00	0.57	0.57
30.	दा.न. हवेली		0.31	0.31		0.38	0.38	42.44	0.00	0.69	0.69
31.	दमन व दीव			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप		0.02	0.02		0.29	0.29	32.23	0.00	0.31	0.31
33.	पांडिचेरी		0.40	0.40		0.58	0.58	65.33	0.00	0.98	0.98
	जोड़	636.27	1056.36	1692.64	613.86	1144.97	1758.83	178657.61	1250.13	2201.33	3451.47

[हिन्दी]

विनिवेश से प्राप्त निधियां

3328. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को विनिवेश के माध्यम से अधिक निधियों को जुटाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) वर्ष 2002-03 के बजट अनुमान में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से जुटाए जाने वाले अर्थागम के रूप में 12000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार विनिवेश के लिए अनुमोदित 31 मामलों में विनिवेश प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश एक सतत् प्रक्रिया है। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उमक्रमों में विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अंतर-मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से विचार किया जाता है।

गरीब बेसहारा विधवाओं हेतु पुनर्वास पैकेज

3329. **श्री पदमसेन चौधरी :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों में रहने वाली गरीब और बेसहारा विधवाओं के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल वृंदावन में 1000 बिस्तरों वाला विधवा आश्रम बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त आश्रम कब तक खोले जाने की संभावना है और इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने धार्मिक स्थलों में परित्यक्त विधवाओं सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहीं महिलाओं के पुनर्वास हेतु 'स्वाधार' नामक एक स्कीम प्रारम्भ की है। वृंदावन में 150 विधवाओं के पुनर्वास हेतु एक परियोजना संस्वीकृत की गयी है।

(ग) से (ङ) जी, हां। उत्तर प्रदेश में वृंदावन की 1000 विधवाओं के लिए आश्रय गृह के निर्माण की एक परियोजना सिद्धांत रूप में

अनुमोदित कर दी गयी है। इस परियोजना को 3.33 करोड़ रुपये की कुल लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें से 2.50 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस राशि को जिला प्रशासन द्वारा अभिनिर्धारित भूमि का परियोजना हेतु आबंटन किए जाने तथा निर्माण-कार्य हेतु विस्तृत वास्तुशिल्पीय योजना व प्राक्कलन तैयार किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने के पश्चात् निर्मुक्त किया जाएगा।

पश्चिमी क्षेत्रीय समिति

3330. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की पश्चिम क्षेत्रीय समिति (डब्ल्यूआरसी) भोपाल की बैठकें 8, 9, और 10 जुलाई, 2002 को आयोजित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठकों में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल को महाराष्ट्र राज्य की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 4.9.2001 के भारत के राजपत्र, एनसीटीई में निहित विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के बारे में बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लम्बे समय से लम्बित मुद्दों विशेषत: महाराष्ट्र राज्य के उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर बैठक में चर्चा की गई/जिन पर निर्णय लिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को संबोधित दिनांक 31.12.2001 के अपने पत्र में प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के मानदंडों तथा मानकों में कुछ छूट देने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल को उनकी सिफारिश के लिए भेज दिया गया था। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने इस मामले को अपनी उप-समिति के पास 5-7 जून, 2002 को आयोजित उसकी बैठक में उसके विचारार्थ भेज दिया। इस उप-समिति की सिफारिशें 8-10 जुलाई, 2002 को आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की 38वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का निर्णय अभी प्राप्त होना है जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सामान्य निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की अ०जा०/ अ०ज०जा०/विकलांग एसोसिएशन का अभ्यावेदन

3331. श्री एस० मुरूगेसन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को 12.7.2001 के बाद से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान संबंधी अखिल भारतीय एसोसिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा इन सभी मुद्दों पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(च) 31.12.1995 और 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया पदों का ब्यौरा क्या है और परिषद ने वर्ग-वार और पद-वार इन्हें भरने के लिए प्रशिक्षण और कार्मिक विभाग के दिनांक 21.1.2002 के आदेश के क्रम में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) संदर्भाधीन अवधि के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान संबंधी अखिल भारतीय एसोसिएशन से 3 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें परिषद से (क) इस आधार पर कि परिषद द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति 40 प्वाईन्ट रोस्टर के अनुसार नहीं थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नर्सरी अध्यापकों को मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका के ग्रेड में पदोन्नत करने के मामले पर पुन: विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पुन: बुलाने और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अध्यापकों को पदोन्नत करने का अनुरोध किया गया

है। चूंकि वर्ष 1997 में आरक्षण के लिए रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद-आधारित रोस्टर लाया गया था। अत: उक्त एसोसिएशन द्वारा 40 प्वाईन्ट रोस्टर (जो रिक्ति आधारित था) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की पुन: बैठक बुलाने के लिए दिए गए अभ्यावेदनों का कोई औचित्य नहीं हैं। एसोसिएशन द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे के संबंध में परिषद ने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अध्यापकों को वरिष्ठ वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए हैं।

(च) आरक्षित उम्मीदवारों, के लिए श्रेणीवार रिक्तियों के बैकलॉग की स्थिति विवरण में दर्शाई गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21 जनवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन के तहत यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारी आरक्षण कोटे के तहत उनकी पदोन्नति पर, 17.6.1995 से अनुषंगिक वरिष्ठता के पात्र होंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इन निर्देशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विवरण-I

विभाग	पद का नाम	श्रेणी	31.12.95 को स्थिति							31.12.2001 को स्थिति						
मुख्य स्था.			संवर्ग संख्या-शक्ति	अपेक्षित आरक्षण		स्वीकृत आरक्षण		बैकलॉग		संवर्ग संख्या-शक्ति	अपेक्षित आरक्षण		स्वीकृत आरक्षण		बैकलॉग	
				अनु. जाति	अनु. जन-जाति	अनु. जाति	अनु. जन-जाति	अनु. जाति	अनु. जन-जाति		अनु. जाति	अनु. जन-जाति	अनु. जाति	अनु. जन-जाति	अनु. जाति	अनु. जन-जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
सी.ई.-II	एक्स. एन्जी.	क	24	03	1	03	शून्य	शून्य	01	26	04	02	05	01	शून्य	01
एच.ई.-II	विशेषज्ञ	क	22	03	01	03	—	—	01	22	03	01	03	—	—	01
	जे.डी.ओ.-II	क	92	14	07	14	07	—	—	95	14	07	10	05	—	02
	ए.ई. (इलैक्ट्र) 50%	क	65	—	01	—	—	—	01	31	04	02	04	—	—	02
	लेखा अधिकारी/ एफ.ओ.	ख	14	02	01	—	—	02	01	16	02	01	—	—	02	01
	सुपरिटे. कॉम	ख	07	01	01	01	—	—	01	08	01	—	—	—	—	01
	सहायक ईजी.(ग)	ख	88	13	06	13	01	शून्य	06	92	14	07	14	06	शून्य	06
एएंडएच	ए.डी. (हार्ट)	ख	4	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	1	—
	अर्च. असिस्टेंट	ख	7	1	—	—	—	1	—	7	1	—	—	—	1	—
	हैड असिस्टेंट	ग	138	21	10	18	06	03	04	145	21	10	21	01	—	09
	वरिष्ठ सहायक	ग	468	70	35	70	01	—	34	479	71	35	56	02	15	33
	कनिष्ठ सहायक	ग	552	83	41	53	02	30	39	368	55	27	30	02	25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	वैयाक्तिक सहायक	ग	34	05	03	01	01	04	02	49	07	03	02	01	05	01
	आशुलिपिक	ग	135	20	10	14	01	04	09	66	09	04	06	01	03	03
	लीडिंग फायरमैन	ग	01	—	—	—	—	—	—	19	02	01	—	—	02	01
	फायरमैन	ग	62	09	05	08	03	01	02	80	11	06	08	03	03	03
	मीटर निरीक्षक	ग	20	03	02	03	01	—	01	20	03	01	03	—	—	01
	ग्रुप इंचार्ज	ग	36	05	02	05	—	—	02	36	05	02	05	—	—	02
	कनिष्ठ आशुलिपिक	ग	—	—	—	—	—	—	—	76	11	05	11	—	—	05
	लेखाकार	ग	53	08	04	—	—	08	04	64	09	04	—	—	09	04
	पुस्तकालय सहायक	ग	14	02	01	02	—	—	01	14	01	01	01	—	—	01
	केयरटेकर ग्रेड-II	ग	14	02	01	02	—	—	01	25	03	01	03	—	—	01
	डाटा ऐनेन्ट्री आपरेटर	ग	—	—	—	—	—	—	—	79	11	05	02	—	09	05
	फिटर ग्रेड-II	ग	32	5	2	5	2	शून्य	शून्य	32	5	2	5	शून्य	शून्य	2
	पेंटर	ग	21	3	2	3	2	शून्य	शून्य	21	3	1	3	1	शून्य	1
	फिटर ग्रेड-I	ग	32	5	2	5	शून्य	शून्य	2	32	5	2	5	1	शून्य	1
	फिटर ग्रेड-II	ग	32	5	2	5	2	शून्य	शून्य	32	5	2	5	शून्य	शून्य	2
	इंक्वारी अटेंडेंट	ग	45	7	3	7	3	शून्य	शून्य	45	6	3	4	1	2	2
	मैसन	ग	57	8	3	8	2	शून्य	1	57	8	4	6	2	2	2
	रोड निरीक्षक	ग	45	7	3	7	3	शून्य	शून्य	45	6	3	6	1	शून्य	2
एच.ई.-II	नर्सिंग सिस्टर	ग	16	03	01	03	01	—	01	17	02	01	—	01	02	—
	वरि. फार्मासिस्ट	ग	—	—	—	—	—	—	—	14	01	01	03	—	—	01
	नर्स ग्रेड-क	ग	61	09	04	09	04	—	—	77	11	05	09	05	02	05
	ए.एन.एम	ग	82	12	06	12	05	—	01	82	12	05	12	04	—	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	कनि. लैब. टैक.	ग	23	03	01	03	01	—	—	23	03	01	02	01	01	—
	सर्व वर्क	ग	21	03	01	05	शून्य	शून्य	01	25	03	01	06	शून्य	शून्य	01
	एस.आई.	ग	43	06	03	03	01	03	02	43	06	03	06	02	शून्य	01
एजू-II	सहायक शिक्षक	ग	799	135	67	123	61	.3	—	725	124	62	95	58	6	4
	नर्स शिक्षक	ग	80 खाली 143	21	06 11	21	11	—	06 —	48(v) 165	7 25	4 12	21	11	4	1
	योगा शिक्षक	ग	25(v) 57	09	05	01	00	-8	05	25(v) 57	09	05	01	—	8	5
	वरि. सोशल एजू. शिक्षक	ग	26	04	02	—	—	4	2	26	04	02	—	—	4	2
	सहायक शिक्षक (उर्दू)	ग	16 खाली 50	01 08	— 03	—	—	६	3	46	08	03	—	—	8	3
	क्रेच अटेंडेंट	ग	69	10	5	9	1	1	4	69	10	05	10	3	—	2
	एच.एम. (नर्सरी)	ग	20	3	1	3	0	—	1	20	3	1	3	—	—	1

डी. आर

	कनिष्ठ सामाजिक शिक्षा अध्यापक	ग	20	3	1	—	—	3	01	20	3	1	—	—	03	01
	वरिष्ठ सामाजिक शिक्षा अध्यापक	ग	16(v) 25	4	2	03	01	01	01	11(v) 25	04	02	04	01	—	01
	बालवाड़ी अध्यापक	ग	12(v) 27	4	2	—	—	04	02	27	4	2	—	—	4	2
	क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर	ग	15(v) 11	1	1	1	—	—	1	11	1	1	1	—	—	1
एएंडएच	चौधरी	ग	67	9	4	13	—	—	4	67	—	4	—	—	—	4
	एस.ओ. (बागबानी)	ग	18	2	1	1	—	1	1	22	3	1	2	—	1	1
	वरिष्ठ वास्तुकार ड्राफ्टसमैन	ग	11	1	—	—	—	1	—	11	1	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	शिफ्ट अधिकारी	ग	64	—	05	—	—	—	05	64	09	04	09	—	—	04
	एस/आई प्रथम ग्रेड	ग	82	—	04	—	—	—	04	82	12	06	12	02	—	04
	एस/आई द्वितीय ग्रेड	ग	117	—	04	—	—	—	04	117	17	08	10	07	07	01
	अधीक्षक (टी)	ग	49	03	01	03	01	—	—	49	07	03	07	01	—	02
	कनिष्ठ अभियंता (ई)	ग	111	09	04	09	—	—	04	119	17	08	14	—	03	08
	सब-एस टी एन पी पी	ग	101	—	—	—	—	—	—	101	15	07	08	02	07	05
	एसिस्टेंट ए/सी आपरेटर	ग	15	—	01	—	—	—	01	15	02	01	01	—	01	01
	पम्प ड्राइवर	ग	16	2	1	2	—	—	—	16	2	1	2	—	—	1
	सीनियर इलैक्ट.मैक	ग	15	2	1	3	शून्य	—	—	15	2	1	3	शून्य	—	1
	पेंटर	ग	21	3	2	3	2	शून्य	शून्य	21	3	1	3	1	शून्य	1
	फिटर ग्रेड-I	ग	32	5	2	5	शून्य	शून्य	2	32	5	2	5	1	शून्य	1
	फिटर ग्रेड-II	ग	32	5	2	5	2	शून्य	शून्य	32	5	2	5	शून्य	शून्य	2
	इलैक्ट. मैकेनिक	ग	30	4	2	6	1	—	1	30	4	2	6	1	—	1
	पृछताछ अटेंडेंट	ग	45	7	3	7	3	शून्य	शून्य	45	6	3	4	1	2	2
	राजमिस्त्री	ग	57	8	3	8	2	शून्य	1	57	8	4	6	2	2	2
	सड़क निरीक्षक	ग	45	7	3	7	3	शून्य	शून्य	45	6	3	6	1	शून्य	2
	चौधरी	ग	67	9	4	13	—	—	4	67	—	4	—	—	—	4
	एस.ओ. (बागवानी)	ग	18	2	1	1	—	1	1	22	3	1	2	—	1	1
	वरिष्ट वास्तुकार	ग	11	1	—	—	—	1	—	11	1	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	पेंटर	ग	30	4	2	8	शून्य	—	2	30	2	1	8	शून्य	—	2
	इलैक्ट्रिक मीटर रिपेअरर ग्रेड-II	ग	18	2	1	—	1	2	—	18	2	1	—	1	2	—
	मैकेनिक (ऑटो)	ग	30	4	2	5	—	—	2	30	4	2	5	—	—	2
	फिटर	ग	22	3	1	4	—	—	1	22	3	1	7	—	—	1
	एच.एम.वी. ड्राइवर सह-फिटर	ग	208	31	15	59	—	—	15	299	45	22	69	—	—	22
	एल.एम.वी. ड्राइवर-सह-फिटर	ग	39	5	2	—	—	5	2	40	5	3	5	—	—	3
	एल.एम.वी. ड्राइवर-सह-फिटर	ग	38	5	2	6	—	—	2	39	5	2	6	—	—	2
	बिल समाहर्ता	घ	45	7	3	7	3	—	—	45	6	3	6	—	—	3
	चपरासी	घ	445	67	33	67	11	—	22	445	66	33	66	11	—	22
	ए.एफ.जी.	घ	48	7	4	4	1	3	3	95	14	7	4	1	10	6
	हेल्पर	घ	—	—	—	—	—	—	—	82	12	6	24	—	—	6
	चौकीदार	घ	539	80	40	70	16	10	24	539	80	40	70	16	10	24
	गनमैन	घ	7	1	1	1	—	—	1	7	1	—	—	—	124	—
सी.ई.-I	बेलदार	घ	1217	182	91	256	14	शून्य	77	2031	349	174	414	31	शून्य	143
	मेट	घ	73	7	3	7	शून्य	शून्य	3	73	10	5	8	शून्य	2	5
	ड्रेसर	घ	291	5	3	5	1	—	2	29	4	2	4	—	—	2
एच.ई.-III	ए.एम.जी.	घ	164	24	11	40	1	शून्य	10	164	24	11	51	—	शून्य	10
	एस.के. और एलाईड श्रेणियां	घ	1987	सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति अनुसूचित जाति श्रेणियों से की जाती है।												
	ए.एम. जमादार	घ	19	2	1	4	शून्य	शून्य	1	19	2	1	8	शून्य	शून्य	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	क्रेच आया	घ	71	12	06	6	2	6	4	71	12	06	6	2	6	4
ए एंड एच	माली	घ	619	92	46	87	—	5	46	1467	220	110	127	—	93	110
	लाइनमैन द्वितीय ग्रेड	घ	115	17	8	18	6	—	2	127	19	9	13	4	6	5
	पंप अटेंडेंट	घ	19	2	1	—	—	2	1	19	2	1	—	—	2	1
	ऑयल फिल्टर ऑपरेटर	घ	11	1	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	1	—
ई.ई.-II	खलासी	घ	1021	153	76	116	31	37	45	943	142	71	133	37	9	34

विभिन्न राज्यों में विज्ञान अकादमियां

3332. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार केन्द्र की शत-प्रति-शत सहायता से विज्ञान का विकास करने के लिए विभिन्न राज्यों में विज्ञान अकादमियां स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विज्ञान अकादमियों की प्रस्तावित गतिविधियां क्या है;

(घ) क्या इससे राज्यों में वैज्ञानिक अनुंसधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि प्रत्येक राज्य द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों को संपोषित एवं विकसित करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद/विभाग की स्थापना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस प्रयास में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है।

डीडीए फ्लैटों का निर्माण

3333. **श्री पी०आर० किन्डिया** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा फ्लैटों के निर्माण हेतु कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) वार्षिक आधार पर कितने फ्लैटों का निर्माण किए जाने की संभावना हैं; और

(ग) सरकार ने इन फ्लैटों की कीमत को पहुंच के भीतर बनाए रखने के लिए क्या प्रणाली विकसित की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) फ्लैटों के निर्माण के लिए निजी विकासकों (डेवलपरों) को भूमि आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर प्राइवेट ठेकेदारों को फ्लैटों के निर्माण का कार्य सौंपता है। 1.4.2001 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के 17,176 मकानों के निर्माण का कार्य दिया है। ये निर्माण के विभिन्न चरणों में है। डीडीए के फ्लैटों की लगात, डीडीए द्वारा विभिन्न लागतों, निर्माण लागत तथा भूमि की लागत को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

3334. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी मानदंडों और जल, विद्युत आपूर्ति और भवन निर्माण संबंधी उपविधियों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में अनाधिकृत निर्माणों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कालोनियां हैं और नगर में सरकारी भूमि पर कितनी मलिन बस्तियां बसी हुई हैं; और

(ग) जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना हेतु नियत धनराशि

3335. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री जार्ज ईडन :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या केरल राज्य हेतु अनुमानित आबंटन 26.6 करोड़ रुपये था;

(ग) यदि हां, तो वास्तविक आबंटन कितना है और इसके हिस्से की राशि में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्यों के हिस्से की धनराशि में भी कटौती की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) हडको और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दर कम करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बाम्बे) के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के लिए राज्य-वार धन नियतन का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केरल राज्य के लिए वर्ष 2002-2003 का नियतन 6.8322 करोड़ रु० है। राज्य-वार नियतन का आधार शहरी क्षेत्रों में स्लम आबादी का प्रतिशत है। केरल राज्य के अंश में कटौती नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बाम्बे) के अंतर्गत हडको प्रति वर्ष 10% की ब्याज दर से ऋण मुहैया करा रहा है जो हडको द्वारा वित्तपोषित अन्य स्कीमों की तुलना में सबसे कम है। लागू ब्याज दर हडको की वर्ष 2001-2002 की अधार लागत के मूल औसत 10.44%, जो प्रशासनिक लागत 0.40% के अलावा, से भी कम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड वाम्बे के अंतर्गत परियोजनाओं को ऋण जारी नहीं करता। तथापि, बोर्ड सहभागी राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है और ब्याज दरों में कटौती के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का एक प्रस्ताव है।

विवरण

बाम्बे के अंतर्गत 2002-2003 के लिए राज्यवार धन का नियतन

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ प्रदेश	अनुमानित स्लम आबादी (टीसीपीओ) के अनुसार (आबादी लाख में)	कुल आबादी में से कुल स्लम आबादी का प्रतिशत	256.85 करोड़ रु० में से हकदारी (2002-2003)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	60.17	9.73	2499.15
अंडमान व निकोबार	0.51	0.08	20.55

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	0.38	0.06	14.37
असम	5.83	0.94	241.44
बिहार	35.44	3.81	980.39
चंडीगढ़	2.13	0.35	89.90
छत्तीसगढ़		0.94	241.96
दादरा व नगर हवेली	0.04	0.01	1.53
दमन व दीव	0.14	0.02	5.66
दिल्ली	32.57	5.17	1353.60
गोवा	1.14	0.18	46.23
गुजरात	34.39	5.46	1428.09
हरियाणा	10.07	1.63	418.67
हिमाचल पदेश	1.61	0.26	66.78
जम्मू व कश्मीर	7.78	1.26	323.63
झारखण्ड		1.92	491.37
कर्नाटक	17.76	2.87	737.16
केरल	16.45	2.46	683.22
लक्षद्वीप	0.07	0.01	3.09
मध्य प्रदेश	27.95	4.52	919.00
महाराष्ट्र	107.37	17.27	4461.48
मणिपुर	1.13	0.18	46.23
मेघालय	1.16	0.19	48.80
मिजोरम	1.16	0.19	48.80
नागालैण्ड	0.61	0.09	23.12
उड़ीसा	11.21	1.61	464.90
पांडिचेरी	2.13	0.34	87.33
पंजाब	18.94	3.06	785.96
राजस्थान	32.65	5.18	1356.17
सिक्किम	0.12	0.01	2.57
तमिलनाडु	43.59	7.05	1810.79
त्रिपुरा	0.89	0.14	35.96
उत्तर प्रदेश	77.10	11.95	3072.63
उत्तरांचल		0.52	130.29
प० बंगाल	65.78	10.44	2732.88
योग		99.90	25673.70

[हिन्दी]

बी०सी०सी०एल० को लाभ/घाटा

3336. श्री सुबोध राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान बीसीसीएल को कितने करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीसीसीएल ने वर्ष 2001-2002 के दौरान करोड़ों रुपये का लाभ भी कमाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनी द्वारा अर्जित अप्रत्याशित लाभ के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उल्लेखनीय लाभकारी कारकों और कोयला क्षेत्र के विकास संबंधी कारकों को और अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख)

बी०सी०सी०एल० को वर्ष 2000-01 के दौरान 1276.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

(i) तीव्र ढाल वाली सीम, मोटी सीम, बहु-सीम स्थिति, महत्वपूर्ण भू आकृतियों की मौजूदगी/सघन बसे हुए क्षेत्र, आदि जैसे प्रतिकूल भू खनन परिस्थितियां। पूर्व में किए गए अवैज्ञानिक खनन ने भी उपरी सीमों में पानी के जमाव, व्यापक आग, अस्थिर स्थितियां आदि जैसी समस्याएं पैदा कर दी हैं और इनसे रेत भराई आवश्यक हो गई है, जिसके कारण प्रचालन की लागत बढ़ रही है।

(ii) कम उत्पादन तथा उत्पादकता के साथ विस्तृत खदानों वाली छोटी अन्तर्निहित भूमिगत खानों का बड़ी संख्या में विद्यमान होना, जो उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है।

(iii) लगातार वेतन वृद्धि तथा वर्ष 2000-01 के दौरान कंपनी के खातों में वेतन वृद्धि के बकाया के प्रावधान की तुलना में भूमिगत खानों में कम उत्पादकता।

(iv) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास की समस्याओं से भी कुछ बड़ी खानों आदि में उत्पादन प्रभावित होता है।

(ग) बी०सी०सी०एल० ने वर्ष 2001-02 के दोरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। कम्पनी को वर्ष 2001-02 के दौरान 780 करोड़ रु० की अनंतिम हानि हुई है।

(घ) से (च) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न हीं नहीं उठता।

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3337. **श्री शिवाजी माने : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें उस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपायों का उल्लेख किया जाता है। वर्ष 1999-2000 की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 16.04.2002 को लोकसभा के पटल पर रखी गयी। इसके अतिरिक्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से समय-समय पर ध्यान में आई कमियों के बारे में संबंधित विभागों को बताया जाता है और सुधार करने को कहा जाता है। प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा निति संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। सरकार का यह भी सुविचारित मत है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए।

रिवाल्वर का विनिर्माण करने वाले कारखाने

3338. **श्री राजो सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रिवाल्वर का विनिर्माण करने वाले कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिवाल्वर खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में रिवाल्वर का विनिर्माण करने वाले नये कारखानों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर और राईफल फैक्टरी, इशापुर, पश्चिम बंगाल, आर्डीनेन्स फैक्टरी बोर्ड नियंत्रण, रक्षा मंत्रालय के तहत रिवाल्वरों का निर्माण करते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) जी नहीं श्रीमान्।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के सेवा संघ

3339. **श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के सेवा संघों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (संघों को मान्यता) नियम 1994-95 या इसी प्रकार के नियम के अंतर्गत कानूनी मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) उनकी सदस्यता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संघों में से किसी की मान्यता समाप्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन विनियमन, 1995 (सेवा संघ की मान्यता) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निम्नलिखित सेवा-संघों को विधित: मान्यता प्रदान की गई :-

1. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ
2. राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जगत)
3. केन्द्रीय विद्यालय गैर-शिक्षण स्टाफ संघ
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ संघ

(ख) संघों की सदस्यता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

संघ	1.4.1996 तक सदस्यता संख्या
अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ	14579
केन्द्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जगत)	5585
केन्द्रीय विद्यालय गैर-शिक्षण स्टाफ संघ	3408
केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ संघ	586

(ग) और (घ) राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जगत) तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ संघ की मान्यता, निर्धारित शर्तों के पूरा न होने के कारण रद्द कर दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इनिशिएल पब्लिक ऑफरिंग

3340. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के पांच बड़े उपक्रमों के लिए 25,000 करोड़ रुपये जुटाने हेतु बाजार में 'इनिशिएल पब्लिक ऑफरिंग' लाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पांचों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कितनी प्रतिशत इक्विटी बेचने का विचार है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कच्छ में इन्दिरा आवास योजना

3341. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में आए भूकंप के बाद गुजरात के कच्छ जिलें में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कितने भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) अब तक कितने भवनों का निर्माण पूरा किया गया है और इस योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत पूर्णरूप से निर्मित भवनों का आबंटन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन भवनों का निर्माण एवं लाभार्थियों को उनका आबंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदिरा आवास योजना के तहत पिछले वर्ष कच्छ जिले के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों 24,930 मकानों को स्वीकृति दे दी गयी है।

(ख) 2.8.2002 की स्थिति के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 7733 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 10,310 मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) चूंकि इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों को अपने मकानों का निर्माण स्वयं करना होता है, इसलिए उनके लिए अलग से तैयार मकान आबंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

3342. **डा० रमेश चंद तोमर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19.6.2002 के 'द पायनियर' में 'सी.बी.एस.ई. कोर्स फार एन.आर.आईज् ए फ्लाप शो' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भारतीय संस्कृत एवं भाषाओं में एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य देशों में भाषाओं के प्रचार के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बोर्ड भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति में अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यायन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार/मुद्रित करवा रहा है जिन्हें शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। पाठ्यक्रमों का लक्ष्य विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति की जानकारी प्रदान करना है।

(घ) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा आदि जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले अधीनस्थ/स्वायत्त संगठन उनके द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रमों एवं स्कीमों के जरिए अनिवासी भारतीयों तथा विदेशों में रह रहे अन्य लोगों के लिए हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं के प्रोन्नयन तथा प्रचार एवं प्रसार के काम में संलग्न हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

3343. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के किसी स्थान पर स्थापित करने के क्या मापदंड हैं;

(ख) क्या किसी क्षेत्र का अविकसित होना उस क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का मापदण्ड है या होगा;

(ग) क्या उत्तर बंगाल के रायगंज में किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा उच्च गुणवत्ता युक्त इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के लिए जनशक्ति की कुल आवश्यकता, क्षेत्रीय वितरण, आधारभूत संरचना की उपलब्धता, आदि जैसे विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार के दृष्टिकोण से माननीय संसद सदस्य को अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों के कर्मचारियों को आवासों का आबंटन

3344. **श्री एम०ओ०एच० फारूक :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के कर्मचारियों को आवास के आबंटन एवं उसमें रहने के नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी राजनीतिक दल को दिशानिर्देशों के अंतर्गत विभिन्न दलों के लिए निर्धारित कोटा से आवास का आबंटन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

संसद के दोनों सदनों में संसदीय दलों के कर्मचारियों को विट्ठलभाई पटेल हाउस में आवास के आबंटन हेतु दिशानिर्देशों में निम्नानुसार प्रावधान हैं :-

1. संसद में 200 से अधिक सदस्यों वाले संसदीय दलों को आठ एकल कमरा सूट्स (सिंगल रूम सूट्स) आबंटित करने/रखने की अनुमति है।

2. संसद में 200 या उससे कम परंतु 150 से कम नहीं, सदस्यों वाले संसदीय दलों को छह एकल कमरा सूट्स या दो डबल रूम सूट्स तथा दो एकल कमरा सूट्स के प्रतिधारण/आबंटन पर विचार किया जाता है।

3. संसद में 150 से कम पर 50 से कम नहीं, सदस्यों वाले दल वी० पी० हाऊस में दो एकल कमरा सूट्स पाने के लिए अधिकृत होंगे।

दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए बी०जे०पी० तथा कांग्रेस संसदीय दल को संसद में अपनी-अपनी संख्या के आधार पर क्रमश: 8 तथा 6 एकल सूट्स आबंटित किए गए हैं। तथापि, सी०पी०आई० संसदीय दल को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 3.10.2000 से तीन वर्षों तक की अवधि के लिए वी०पी० हाऊस में एक एकल सूट रखने की अनुमति दी गयी है।

नकली दवाएं

3345. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से देश में विशेषकर दिल्ली में नकली दवाओं का कारोबार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न कानूनों में ढिलाई, मुकदमों की धीमी रफ्तार और हल्का दंड नकली दवाओं का कारेबार बढ़ने के प्रमुख कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में नकली दवाओं के विनिर्माताओं एवं विक्रेताओं को दंड देने के लिए विभिन्न कानूनों को कड़ा बनाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अन्तर्गत, औषधियों के विनिर्माण और बिक्री के विनियमन के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता का प्रबोधन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। औषधि नियंत्रण प्रशासन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए फीडबैक के अनुसार, देश में औषाधियों के सबसे बड़े बाजारों में से दिल्ली भी एक है और इसलिए दिल्ली औषधियों, जिसमें संदेहास्पद गुणवत्ता वाली औषधियों भी सम्मिलित हैं, के लेन-देन का एक ट्रांजिट बिन्दु हो सकता है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17-ख के अधीन किसी दूसरे के नाम के तहत विनिर्मित औषधियां अथवा यदि यह नकल हो अथवा अन्य औषधि की पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रतिस्थापन हो अथवा अगर कन्टेनर पर लगा लेबल का नाम जाली हो अथवा वह फर्म मौजूद ही न हो तो ऐसी औषधियों को नकली औषधि परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 में नकली औषधि के विनिर्माण और बिक्री पर दण्ड की व्यवस्था है नकली औषधियों की बिक्री का यदि पता चलता है तो आजीवन कारावास और जुर्माना, जो 10,000/-रुपये से कम न हो, का दण्ड हो सकता है। अत: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में नकली औषधियों की समस्या से निपटने के लिए प्रर्याप्त प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की समीक्षा

3346. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अगले दशकों में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत हाल की जनगणना के अनुसार नये आबाद हुए क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस कार्यक्रम का वित्तपोषण अंशत: ऋणों या अनुदानों द्वारा किया जाता है या केन्द्र सरकार इसका पूर्णत: वित्तपोषण करती है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) की पुनरीक्षा राज्य सचिवों/शहरी जल आपूर्ति के प्रभारी अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन करके, राज्य सरकारों से प्राप्त नियमित रिपोर्टों तथा फील्ड दौरों के माध्यम से की जाती है।

(ग) से (च) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) तैयार करने के लिए गठित शहरी विकास (शहरी परिवहन सहित), जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था (कम लागत के सफाई प्रबंध, सीवरेज और कचरा निपटान सहित) तथा शहरी पर्यावरण संबंधी कार्य दल ने त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने की सिफारिश की है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए 3770 करोड़ रुपये के नियतन का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 कम आबादी वाले सभी कस्बों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाना है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कस्बों को शामिल किया जाएगा।

(छ) और (ज) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत योजना की 50% लागत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दी जाती है और शेष 50% लागत राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना कोष से वहन की जाती है जिसमं 5% लाभार्थी/स्थानीय निकाय का अंशदान भी शामिल है।

(झ) नवीं योजना के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत स्वीकृत योजनाओं के वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31.03.2002 की स्थिति के अनुसार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) नवीं योजना के दौरान
त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति

(लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नवीं योजना के दौरान स्वीकृत स्कीमें											
		1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002		योग	
		संख्या	अनु० लागत	संख्या	अनु० लागत	संख्या	अनु० लागत	संख्या	अनु० लागत	संख्या	अनु० लागत	संख्या	अनु० लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1494.40	7	1494.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	3	365.50	2	323.78	4	1257.31	—	—	—	—	9	1946.59
4.	बिहार	—	—	3	376.41	2	161.89	—	—	4	589.20	9	1127.50
5.	छत्तीसगढ़	—	—	3	280.91	6	396.79	—	—	10	1047.27	19	1724.97
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	2	301.22	2	301.22
7.	गुजरात	—	—	—	—	7	1395.28	4	846.78	6	349.31	17	2591.37
8.	हरियाणा	1	122.91	4	522.66	4	511.89	8	1897.28	3	688.73	20	3743.47
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	117.90	2	617.07	1	188.00	2	995.18	6	1918.15
10.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	1	305.70	—	—	—	—	1	305.70
11.	झारखण्ड	—	—	1	119.86	6	1139.55	1	148.55	—	—	8	1407.96
12.	कर्नाटक	4	719.71	2	689.00	7	1371.45	4	1088.70	4	1091.40	21	4960.26
13.	केरल	1	342.00	—	—	—	—	2	510.70	—	—	3	852.70
14.	मध्य प्रदेश	3	282.59	6	523.96	22	2162.56	9	1280.50	—	—	40	4249.61
15.	महाराष्ट्र	—	—	3	1006.66	2	465.58	5	2063.18	—	—	10	3535.42
16.	मणिपुर	1	173.40	2	276.89	3	340.88	3	653.54	1	141.09	10	1585.80
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	1	386.10	—	—	1	386.10
18.	मिजोरम	1	103.35	1	154.94	3	320.78	1	322.88	—	—	6	901.95
19.	नागालैण्ड	—	—	—	—	1	683.11	—	—	—	—	1	683.11
20.	उड़ीसा	—	—	3	507.09	3	520.48	6	722.79	—	—	12	1750.36
21.	पंजाब	6	363.21	2	113.40	1	102.61	—	—	—	—	9	579.22
22.	राजस्थान	2	185.26	6	807.54	—	—	9	1226.68	6	932.82	23	3152.30
23.	सिक्किम	—	—	—	—	1	115.68	—	—	—	—	1	115.68
24.	तमिलनाडु	4	465.10	4	703.65	6	1396.10	8	1444.12	2	1280.14	24	5289.11
25.	त्रिपुरा	—	—	1	143.97	1	288.14	3	800.97	1	267.25	6	1500.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	उत्तर प्रदेश	10	717.16	26	220[illegible]30	25	1910.69	62	5012.66	36	2974.04	159	12817.85
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	2	475.87	5	1125.31	—	—	7	1601.18
28.	प० बंगाल	—	—	1	87.40	—	—	4	994.01	1	128.84	6	1210.25
	योग	36	3840.19	71	8959.32	109	15939.41	136	20712.75	85	12280.89	437	61732.56

[अनुवाद]

विनिवेश प्रक्रिया

3347. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए अपनाई गई पद्धति गंभीर चिंता का कारण बन गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'स्कोप' ने केवल एक बोलीदाता के मैदान में बने रहने के बावजूद रक्षित मूल्य प्रक्रिया द्वारा 'सीएमसी' की विनिवेश प्रक्रिया को पूर्ण घोषित करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सरकारी उपक्रमों के विनिवेश के लिए कोई बेहतर प्रक्रिया खोजने के लिए क्या उपाय किए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

3348. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के प्रत्येक कार्यक्रम पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उपर्युक्त कार्यक्रमों के कब तक स्वीकृति एवं क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) विगत में केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 163.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से एक पांच वर्षीय कार्य योजना को अनुमोदित किया था। तत्पश्चात इस परिव्यय को चरणों में बढ़ाकर 258 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस व्यय को केन्द्र सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना था। केन्द्र सरकार ने 193.50 करोड़ रु० का अपना संपूर्ण अंश निर्गत कर दिया है। हाल ही में, राज्य सरकार ने कार्य योजना के तहत पूरी की गई स्कीमों, यू सी आई एल परिसर में स्मारक की स्थापना, यू सी आई एल परिसर में पड़े हुए विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निपटान, गैस से प्रभावित वार्डों में जल की आपूर्ति, पार्कों के विकास और गैस से प्रभावित वार्डों में वृक्षारोपण, अतिरिक्त गृहों के विनिर्माण आदि पर आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 1755 करोड़ रुपये की धनराशि से कॉर्पस निधि का सृजन करने हेतु इस अनुरोध के साथ अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं कि इसका निधियन भारतीय रिजर्व बैंक के पास अप्रयुक्त पड़ी धनराशि से किया जाए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यूनियन कार्बाइड से प्राप्त धनराशि भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने हेतु रखी गई है। सभी मुआवजा दावों का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। कुछ प्रस्तावों में राज्य सरकार को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले को उठाने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता

3349. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री के० येरननायडू :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल एवं उचित स्वच्छता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रदान की गई सहायता संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने लंबित प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण, ग्रामीण विद्यालयों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। उपर्युक्त कायक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति की योजना बनाने, उन्हें मंजरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

छठे ऑल इंडिया एजूकेशनल सर्वे (सितम्बर, 1993) के अनुसार, देश में 6.37 लाख ग्रामीण प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से 2.85 लाख ग्रामीण प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधाएं हैं और 3.52 लाख ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी पेयजल सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों के कवरेज का कार्य 2000-2001 से शुरू किया गया था और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1.50 लाख ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कवर करने का प्रस्ताव था। राज्य सरकार से 10.7.2002 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत 41,349 ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, शेष 108,651 ग्रामीण विद्यालयों में ये सुविधाएं 10वीं योजना अवधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए राज्यों को अलग से निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और इस उद्देश्य हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आबंटित निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

विद्यालय स्वच्छता संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी०एस०सी०) का एक अभिन्न अंग है और यह टी०एस०सी० कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का निर्धारण किया जा सकता है। अब तक टी०एस०सी० के अंतर्गत विद्यालयों के लिए 1,67.966 शौचालयों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से आंध्र प्रदेश के लिए 14,279 विद्यालय शौचालयों की मंजूरी दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक टी०एस०सी० के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत परियोजनाओं और रिलीज की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। राज्यों की हकदारी और अन्य शर्तों के पूरा होने के बाद शेष प्रस्तावों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छता

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत परियोजनाओं तथा रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे

(लाख रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000			2000-2001			2001-2002			2002-2003		
	परियोजनाएं		निधियां	परियोजनाएं		निधियां	परियोजनाएं		निधियां	परियोजनाएं		निधियां
	प्राप्त	स्वीकृत	रिलीज की गयी	प्राप्त	स्वीकृत	रिलीज की गयी	प्राप्त	स्वीकृत	रिलीज की गयी	प्राप्त	स्वीकृत	रिलीज की गयी
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आंध्र प्रदेश	5	4	417.24	2	2	771.39	5	5	1877.09	11	4	482.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	25.48	—	—	73.98	2	2	52.80	—	—	0
3.	असम	3	3	133.22	—	—	0	11	8	410.38	—	—	0
4.	बिहार	1	1	445.14	4	4	678.69	5	5	1663.56	1	—	1199.26
5.	छत्तीसगढ़	—	—	0	1	1	0	—	0	229.33	—	—	0
6.	गोवा	—	—	0		—	0	1	0	0	—	—	0
7.	गुजरात	3	3	359.1	—	—	0	2	2	0	—	—	0
8.	हरियाणा	—	—	0	3	3	214.23	1	1	62.06	—	—	125.68
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	6.85	1	1	19.91	—	—	26.76	—	—	28.65
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—	0	2	2	122.05	—	—	0	—	—	0
11.	झारखंड	1	1	284.61	1	1	199.13	4	4	632.71	—	—	17.95
12.	कर्नाटक	3	3	536.05	—	—	0	—	0	0	—	—	0
13.	केरल	—	—	0	2	2	308.09	4	4	741.98	—	—	0
14.	मध्यप्रदेश	—	—	0	5	5	772.55	3	3	219.17	3	—	0
15.	महाराष्ट्र	8	7	1113.62	4	2	1195.96	2	2	0	2	—	0
16.	मणिपुर	—	—	0	1	1	48.08	—	—	0	—	—	0
17.	मेघालय	—	—	0	—	—	0	—	—	0	2	—	0
18.	मिजोरम	—	—	0	—	—	0	3	—	0	—	—	0
19.	नागालैंड	—	—	0	3	3	118.33	—	—	0	1	1	0
20.	उड़ीसा	3	3	243.06	—	—	971.06	5	5	567.83	4	—	357.63
21.	पंजाब	—	—	0	3	2	94.25	4	4	142.17	—	—	52.67
22.	राजस्थान	4	4	333.45	1	1	1285.23	4	4	0	1	—	0
23.	सिक्किम	2	2	17.98	—	—	0	2	2	124.42	—	—	0
24.	तमिलनाडु	5	5	513.67	3	3	834.25	2	2	1688.99	6	6	601.83
25.	त्रिपुरा	—	—	0	1	1	253.66	3	3	364.63	—	—	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	170.49	8	8	1650.72	16	16	2348.85	—	—	0
27.	उत्तरांचल	—	—	0	—	—	0	1	1	34.62	—	—	0
28.	प० बंगाल	1	1	0	5	5	1300.03	7	7	1170.99	1	1	419.95
29.	पांडिचेरी	—	—	0	—	—	0	1	1	47.42	—	—	0
30.	दा० व न० हवेली	—	—	0	—	—	0	1	1	0	—	—	3.15
	कुल	46	44	4599.96	50	47	10911.6	89	82	12405.8	32	12	3289.13

भारत और अमरीका के बीच जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संधि

3350. **श्री प्रबोध पण्डा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई संधि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संधि से अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग विकसित होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) और (ख) यू एस-भारत आर्थिक संवाद के तात्वावधान में भारतीय उद्योग परिसंघ की यू एस-भारत बायोटेक संधि की पहल अभी तक एक प्रस्ताव ही है। यह अभी तक कारगर नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव के अनुसार निजी उद्योग और सांस्थानिक भागीदारी का समन्वयन भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा और यू एस में यू एस इंडिया बिजनेस काऊंसिल द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित संधि की प्रमुख गतिविधियां भारत में बायोटेक उद्योग के विकास को सहयोग प्रदान करने, व्यापारिक संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने, सहायोगात्मक अनुसंधान, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, प्रौद्योगिकीय व्यापार, लाइसेंसिंग और वितरण करारों पर केन्द्रित होंगी। उक्त गतिविधियों में विशिष्ट सम्मेलन और सेमिनारों का आयोजन, दोनों देशों में कार्यकारी मिशन, फेलोशिप और वित्तपोषित अनुसंधान, विनियामक और कानूनी संशोधनों के लिए विशेषज्ञों की बैठकों का आयोजन, जैवप्रौद्योगिकी के व्यापार में रुकावटों को दूर करने के प्रयास करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संधियों के लिए कार्यदल की स्थापना, विनियामक क्षमता को हासिल करने के उद्देश्य से वीडियो सम्मेलन और इंटरनेट आधारित संचार व्यवस्था एवं तकनीकी सहयोग भी शामिल होंगे। अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों में जैवसूचना प्रणाली, जिनोमिक्स, नैदानिकी, टीके, पुनर्योगज चिकित्सीय प्रोटीन, नई औषध खोज, कृषि, औद्योगिक और पर्यावरणीय जैवप्रौद्यागिकी और प्रशिक्षण को भी शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3351. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री मनुसखभाई डी० वसावा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में सीबीआई जांच/सतर्कता जांच का सामना कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में यह तेजी से फैल रहा है। ऐसे आरोपों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध संगत अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30.6.2002 को निम्नलिखित राज्य संवर्गों के 10 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं :-

पश्चिम बंगाल-1, मणिपुर-त्रिपुरा-1, मध्य प्रदेश-2, हरियाणा-2, ए०जी०एम०यू०-3 तथा उड़ीसा-1

[अनुवाद]

सार्वजनिक भूमि एवं सड़कों का अतिक्रमण

3352. **श्री श्रीनिवास पाटील :**
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मई, 2002 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में ''एस सी रीस्टोर लाजपतनगर पब्लिक स्पेस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को गिराए जाने के आदेश दिए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण दिल्ली के, विशेषकर लाजपतनगर आदि के एक-एक बड़े क्षेत्र को गिरा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लाजपतनगर आदि में प्रत्येक भवन में पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से तृतीय तल का निर्माण किया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या लाजपतनगर में सार्वजनिक भूमि, सड़कों पर किए गए अतिक्रमणों एवं तीन मंजिले भवनों को गिरा दिया गया है/हटा दिया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार यह पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच बयूरो से जांच कराने का है कि अवैध निर्माण कैसे हुए और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी मूक दर्शक क्यों बने रहे;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ञ) सूचना एकत्र की जा रही हे और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत केन्द्रित वैश्विक महासागर अध्ययन प्रणाली

3353. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की समुद्री आंकड़ों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक भारत केन्द्रित ''वैश्विक महासागर अध्ययन प्रणाली'' शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे आकड़े किस तरह से विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में हिन्द महासागर में ऐसे 40 डाटा बायोस स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उत्पादकों की लागत, उनकी स्थापना और वार्षिक रख-रखाव लागत कितनी है; और

(ङ) भारतीय नौवहन और मत्स्यन उद्योगों को इस नई प्रणाली से कितना लाभ होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महासागर विकास विभाग एक समुद्र प्रेक्षण प्रणाली कार्यक्रम चला रहा है, जिसे भारत की विशिष्ट भूमण्डलीय समुद्र प्रेक्षण प्रणाली कहा जाता है। यह कार्यक्रम 1997-98 से चल रहा है और 12 नौबंध समुंद्र आकड़ा प्लव लगाए गए हैं। इन प्लवकों से हवा, आर्द्रता, वायु और जल तापमान, तरंगे इत्यादि संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए गये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 अतिरिक्त आंकड़ा प्लवक लगाने का विचार है। इन प्लवकों की लागत लगभग 26 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना अवधि के लिए अधिष्ठापन एव रखरखाव लागत 21 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ङ) मौसम वैज्ञानिक प्राचलों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। अन्य प्राचलों सहित उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग समुद्र स्थिति के पूर्वानुमान में भी किया जाता है। समुद्र स्थिति से संबंधित सूचनाएं नौवहन क्रियाकलापों के लिए उपयोगी होती है। प्लवकों से प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित क्लोरोफिल आंकड़े उपग्रह से प्राप्त समान प्रकार के आकड़ों के वैधीकरण के लिए प्रयोग किए जाएंगे। क्लोरोफिल भारतीय समुद्रों में वेलापवर्ती मत्स्यों की बहुलता वाले स्थलों का ब्यौरा देने वाली सभाव्य मत्स्यन क्षेत्र सूचना के सुधार के लिए आवश्यक अतिरिक्त इनपुट में से एक है।

आरंभिक शिक्षा

3354. प्रो० दुखा भगत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के 55 वर्षों बाद भी देश के बच्चों की आधी जनसंख्या विद्यालय नहीं जाती है और कुपोषित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आरंभिक शिक्षा प्राप्त बच्चे भी भलीभांति पढ़ एवं लिख नहीं सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार की स्थिति को पूरी निष्ठा से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के अनुवार 6-14 आयु-वर्ग के 79% बच्चे स्कूल जा रहे हैं तथा मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ख) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यचर्यागत उद्देश्य वाचन तथा लेखन कौशल सहित क्षमताओं के विकास पर केन्द्रित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में—स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार लाना, अध्ययन-अध्यापन उपकरणों का प्रावधान, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, नियमित शिक्षक प्रशिक्षण, बाल अनुकूल शिक्षा-शास्त्र, परिवेश के अनुकूल पाठ्यचर्या तथा स्कूलों के कार्यकरण में अभिभावकों व स्थानीय समुदायों की अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता—शामिल हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी

3355. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय में 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के अब तक क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक इसके लिए कितना आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाकर लगभग दुगुना करने के बारे में सिद्धांत रूप में सहमति हो चुकी है।

आई०पी०सी०एल० बड़ौदा इकाई को आई०ओ०सी० को सौंपा जाना

3356. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) की बड़ौदा इकाई को इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (आई०ओ०सी०) को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार ने विगत में यह निर्णय लिया था कि इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) की वडोदरा इकाई को उचित मूल्यांकन करने के बाद इसे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) को अंतरित कर दिया जाए। वडोदरा काम्पलेक्स के मूल्यांकन के बारे में दोनों कंपनियों की अवधारण में भारी

अंतर होने के कारण दोनों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन पर सहमति नहीं हो पायी। अत: यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया।

अवैध खनन

3357. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड गैर-कानूनी रूप से खनन क्षेत्र का विस्तार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक के वन विभाग ने उक्त कंपनी के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कंपनी की गैर-कानूनी उत्खनन गतिविधियों को रोकने हेतु कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (के०आई०ओ०सी०एल०) द्वारा गैर-कानूनी रूप से खनन क्षेत्र का विस्तार करने का कोई मामला खान विभाग और इस्पात मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है, जो कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड का प्रशासनिक रूप से नियंत्रण करते हैं।

(ग) इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य वन विभाग द्वारा कम्पनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने के बारे में, कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन०सी०एल०) द्वारा विस्फोटकों की खरीद

3358. डा० बलिराम : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली, मध्यप्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी कंपनियों से खरीदे गये विस्फोटकों की परियोजना-वार और कंपनी-वार लागत क्या थी;

(ख) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली, मध्यप्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं में विस्फोट कार्यों में उपयोग की जाने वाली विस्फोटक सामग्री की खरीद के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या क्रय विभाग ने इन मानदंडों का पालन किया है;

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी कंपनियों से खराब गुणवत्ता वाली इस सामग्री की सीधी खरीद के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 (जून, 2002 तक) के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न कंपनियों से खरीदे गए विस्फोटकों की परियोजना-वार लागत विवरण में दी गई है।

(ख) विस्फोटकों तथा इससे संबंधित सामग्री का निर्माण करने वाले प्रमाणित/स्थापित निर्माताओं से खुली निविदा के माध्यम से विस्फोटकों की खरीद की जाती है।

(ग) एन०सी०एल० के क्रय विभाग द्वारा विस्फोटकों की खरीद हेतु उपर्युक्त मानदण्डों का पालन किया जाता है।

(घ) विस्फोटकों तथा उससे संबंधित सामग्री बनाने वाली जो निजी कंपनियां, सी०आई०एल० खानों हेतु इस प्रकार की मदों के लिए प्रमाणित हैं तथा खुली निविदा में भाग लेती हैं, केवल उन्हीं पर आर्डर प्रस्तुत किए जाने हेतु विचार किय जाता है। विस्फोटक आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा एन०सी०एल० को आपूर्ति विस्फोटकों की खराब गुणवत्ता की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

परियोजना कंपनी	दुधीचुआ मूल्य (करोड़ रु०)	खडिया मूल्य (करोड़ रु०)	झिंगुरदा मूल्य (करोड़ रु०)	अमलोहरी मूल्य (करोड़ रु०)	जयंत मूल्य (करोड़ रु०)	बीना मूल्य (करोड़ रु०)	ककरी मूल्य (करोड़ रु०)	निगाही मूल्य (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-2001								
आईबीपी	5.47	5.59			7.29	5.59	1.41	2.81
आईईएल	8.29			1.35	8.82	6.16		7.42
आईडीएल	8.22	0.80		4.26	2.20			6.18
एनएफसीएल	2.81			2.37	0.79			2.54
एनईएमीएल	1.24	1.49		0.10	2.23	0.03		1.52
बीआईपीएल	1.03	0.52			6.16	0.41		0.49
आईजीआईएल		0.80		0.10		0.56		-0.15
एमईएल								
पीईएल				2.89				2.26
केईएल	1.72		3.42	1.06	0.47			3.68
बीईएल	3.66		1.05	1.14	0.67	0.15	4.04	
एमयूआई								
आरईसीएल								
ब्लामटैक				1.23				
जोड़	32.43	9.20	4.47	14.50	28.63	12.90	5.45	27.05
2001-2002								
आईबीपी	5.32	6.05			7.42	6.27	1.68	
आईईएल	7.87			1.63	7.55	6.75		5.62
आईडीएल	7.40	0.87		6.04	0.16			6.97
एनएफसीएल	4.31	0.80						6.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनईसीएल		2.03			2.63	0.30	0.05	
बीआईपीएल		0.52			6.53	0.33		
आईजीआईएल								
एमईएल								
पीईएल		0.09		2.15				2.17
केईएल			5.10	1.42		0.46	0.12	3.40
बीईएल	5.26		0.62	0.01	2.40		3.73	
एसयूआई								
आरईसीएल								
ब्लामटैक				1.61				
गोदावरी								
एसीआईएल								
ईटीपीएल		0.19			0.89			0.75
मोलर	0.81			1.16		1.06		0.38
जोड़	30.97	10.55	5.72	14.01	27.59	15.17	5.58	25.62
2002-2003 (जून, 2002)								
आईबीपी	1.20	1.10			1.95	1.02	0.20	0.30
आईईएल	1.36			0.49	1.37	0.89		1.55
आईडीएल	1.44	0.64	0.10	0.90	0.17			1.71
एनएफसीएल	1.38	0.67	0.05			0.10		2.14
एनईसीएल								
बीआईपीएल								
आईजीआईएल								
एमईएल								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीईएल				0.36				0.83
केईएल			1.61					0.70
बीईएल	0.93				1.75		1.18	
एसयूआई								
आरईसीएल				0.20				
ब्लासटैक				0.17	1.31			
गोदावरी								
एसीआईएल								
ईटीपीएल		0.12			1.95			1.11
सोलर	0.82			1.32		1.15		1.25
जोड़	7.13	2.53	1.76	3.44	8.5	3.16	1.38	9.59

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी

3359. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 18 वर्ष गुजरने के बाद भी विकिरण से संबंधित बीमारियों के कारण वहां आज भी प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों ने यह कहा है कि इस विनाश का जहरीला प्रभाव अब भी जारी है और वहां की मिट्टी, जल और स्तन दुग्ध में जहर की लगातार मौजूदगी से विनाश अभी भी जारी है और रिसाव से प्रभावित लोगों से उत्पन्न बच्चों में कैंसर तथा जन्मजात समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि 1.5 लाख लोगों को अब भी तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेयजल उपमिशन परियोजनाओं की निधि के केन्द्रीय अंशदान में वृद्धि

3360. **श्री के० येरननायडू :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पेयजल उपमिशन परियोजनाओं के परियोजना अनुमानों में संशोधनों के कारण उत्पन्न वहनीय धनराशि का 75% भाग वहन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राज्य को यह धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। पेयजल उप-मिशन परियोजना के परियोजना अनुमान में संशोधन के कारण भारत सरकार द्वारा समानुपातिक लागत को वहन करने के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरल की राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत निधियां प्रदान कर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। गुणवत्ता समस्या और स्थायित्व की समस्या को सुलझाने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी उप-मिशन के अंतर्गत योजना बनाने, स्वीकृत करने और कार्यान्वित करने की शक्तियां दिनांक 1.4.1998 से राज्यों को अंतरित कर दी गई हैं।

1.4.1998 के पहले उप-मिशन के अंतर्गत परियोजना स्वीकृत करते समय यह विस्तृत रूप से दर्शाया गया कि भारत सरकार परियोजना की लागत में हुई किसी वृद्धि को वहन नहीं करेगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा स्वीकृत उप-मिशन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को वहन करने में भारत सरकार की असमर्थता से संबंधित राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है।

मच्छर भगाने के दवाओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरे

3361. **श्री सईदुज्जमा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मच्छर भगाने की दवाओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र समीक्षा कार्य बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति, जिसका प्रशासन कृषि और सहाकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, किसी पेस्टिसाइड का पंजीकरण उसकी प्रभावकारिता वे मानव और पशुओं की सुरक्षा के प्रति संतुष्ट होने के बाद करती है। अत: मच्छर भगाने के सूत्रयोग जो अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, उनसे मानवे के स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं होता है यदि उनका प्रयोग पंजीकरण समिति द्वारा विहित तरीके से किया जाए। अत: मच्छर भगाने की दवाओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जांच के लिए एक स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कच्चे खाद्य पदार्थों और पशु चारे में पेस्टनाशकों के अवशेषों की निगरानी

3362. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे खाद्य पदार्थों और पशु चारे में पेस्टनाशकों के अवशेषों की कोई राष्ट्रव्यापी जांच और सामयिक निगरानी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बुनियादी तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है और इसने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों में भिन्न-भिन्न पेस्टिसाइडों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित की है। देश में राज्य सरकारें और संघ शासित सरकारें जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड अवशेषों के लिए अधिकतम सहनशक्ति सीमाओं को मॉनिटर करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए आई सी आर पी) के माध्यम से फार्म स्तर पर पेस्टिसाइड अवशेषों को मॉनिटर करती है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा

3363. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एकीकृत प्रवेश परीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) देश में अवर स्नातक स्तर पर इंजीनियरी, वास्तुकला तथा फार्मेसी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा, 2002 आयोजित की गई। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए टैस्टों के अधिक होने से छात्रों तथा उनके अभिभावकों पर अत्यधिक मानसिक दबाव तथा वित्तीय भार पड़ता है जबकि इस तरीके से कोई लाभ नहीं होता। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002 से एक अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि छात्र सम-विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय संस्थाओं के अलावा अन्य वे संस्थान जिन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल किया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संस्थान जो इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं, में दाखिला ले सकें।

भोपाल में अबू सलेम की गतिविधियां

3364. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडरवर्ल्ड डान अबू सलेम इन दिनों भोपाल में बहुत अधिक सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, कुछ अपराधियों, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे अबू सलेम के साथी हैं, की गतिविधियां भोपाल में ध्यान में आयी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :-

(i) दो व्यक्ति नामत: सिराज उर्फ सैय्यद अब्दुल जलील पुत्र सैय्यद अहमद अनीस और (2) बाबा उर्फ सैय्यद अब्दुल कबीर पुत्र सैय्यद अहमद अनीस, दोनों गांधी नगर, भोपाल निवासी, को भा०द०सं० की धारा 420, 467, 468, 469, 182, 120ख और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन कोहोफिजा, भोपाल में अपराध सं० 505/2002 में, अबू सलेम और उसकी दो पत्नियों के लिए छह नामों से जाली पासपोर्ट बनाने के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

(ii) तीन व्यक्ति नामत: (1) अली अहमद उर्फ शेरू उर्फ राजू पुत्र फजलुद्दीन मनोली, निवासी बादला इन्टेफिल एस०एम०एस० रोड, मुम्बई (2) वीनू प्रकाश पुत्र नीलगंज निवासी फास्कर नगर कालोनी, जिला त्रिवेन्दरम, केरल (3) सूरज सिंह पुत्र रामबराज सिंह निवासी वेदवाडा, मुम्बई को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अन्तर्गत मंगलवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध सं० 11/02 में भोपाल में और भा०द०सं० की धारा 115, 116, 120ख के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन परवालिया के अपराध सं० 3/02 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन परवालिया में अपराध सं० 21/02 में गिरफ्तार किया गया। यह पता चला कि वे सिराज उर्फ सैय्यद अब्दुल जलील, निवासी गांधी नगर, भोपाल, जो उपर्युक्त क्रम सं० (i) पर उल्लिखित मामले में अभियुक्त हैं, को नुकसान पहुंचाने आए थे।

(iii) दो व्यक्ति नामत: मोहम्मद यासीन उर्फ बोबी पुत्र रज्जाक निवासी नवापादा, वर्षा नगर, चाल सं० 2, कुर्ला मुम्बई और (2) गुरूनारायण जायसवाल उर्फ संजय उर्फ मनोज पुत्र पंचम, निवासी विद्या विहार खालई गांव इंदिरा नगर घाटकोपार पश्चिमी बम्बई को 13.10.2001 को हनुमानगंज पुलिस द्वारा भोपाल में गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि वे 3.10.2001 को मुम्बई में पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे और विश्वास किया जाता है कि वे अबू सलेम के साथी हैं।

(ग) अपराध जगत के गिरोहों/संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भोपाल में पुलिस मुख्यालय में एक स्पेशल काऊन्टर इन्टेलीजेन्स सेल स्थापित किया गया है। काऊन्टर इन्टेलीजेन्स सेल और स्पेशल टास्क फोर्स को आधुनिक उपस्करों से लैस किया जा रहा है।

दिल्ली में मोटल

3365. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भवन निर्माण संबंधी उपनियम 1983 के खंड संख्या 2.54.1 के अनुसार मोटल आवासीय भवनों के इस खंड के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोटल के निर्माण के विकास नियंत्रण के अनुसार तल क्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेशों) की गिनती किये बगैर पार्किंग की अनुमति दी जा सकती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या होटलों में पार्किंग और सेवाओं के लिए एक से अधिक बेसमेंट की अनुमति होती है;

(च) यदि हां, तो इस प्रावधान को दिल्ली के मोटलों में प्रभावी न बनाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या नजफगढ़, नरेला और नांगलोई जैसे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं अथवा शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) भवन उप नियम, 1983 की धारा सं० 2.54.1 केवल रिहायशी भवनों के लिये है मोटलों के लिये नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मोटलों की अनुमति देने बावत दिशानिर्देशों के अनुसार मोटलों में 1.67 समतुल्य कार स्थान (इसीएस) प्रति 100 वर्ग मी० फर्शी क्षेत्र के न्यूनतम स्केल पर पार्किंग स्थल मुहैया कराना होता है, जिसमें इस हेतु बेसमेंट में किया गया प्रावधान भी शामिल है। ग्राउंड कवरेज के बराबर बेसमेंट की पार्किंग व अन्य सेवाओं की आवश्यकता तक अनुमति है जो फर्शी क्षेत्र अनुपात से मुक्त है।

(ङ) जी, हां।

(च) वाणिज्यिक जोन में स्थित मोटल, होटलों पर लागू मानदंडों तथा भवन मानकों के अध्यधीन होंगे जबकि अनुमेय उपयोग में पड़ने वाले ग्रामीण जोन/हरित पट्टी में स्थित मोटलों के लिए भवन नियत्रंण मानदंड विभिन्न मानदंडों तथा भवन मानकों के अध्यधीन होंगे।

(छ) और (ज) दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुसार नजफगढ़ और नांगलोई क्षेत्र ग्रामीण भू-उपयोग में आते हैं जबकि नरेला, नरेला परियोजना के शहरी क्षेत्र में आता है।

औषधि नीति में परिवर्तन

3366. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषधि नीति, 2002 में आवश्यक परिवर्तनों से संबंधित कोइ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) औषध नीति-2002 में मूल्य निर्धारण पहलू के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। मूल्य निर्धारण पहलू का कार्यान्वयन नीति के उपबंधों के अनुसार जारी औषध (मूल्य नियंत्रण) ओदश के जरिए किया जाता है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

3367. श्री अरुण कुमार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस० आर०वाई०) में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस० आर०वाई०) के विभिन्न घटकों के तहत वास्तविक उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के तहत सृजित श्रम दिवसों की सं० (लाख में)	सामुदायिक संरचना (सीएस) के तहत शामिल लाभार्थियों की सं० (लाख में)
		यूएसईपी के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	डीडब्ल्यूसीयूए के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45660	5950	76.85	34.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1.98	1.50
3.	असम	1792	0	3.57	0.80
4.	बिहार	590	0	4.65	4.28
5.	छत्तीसगढ़	5413	291	1.52	3.28
6.	गोवा	266	20	0.66	1.57
7.	गुजरात	17166	0	12.61	14.00
8.	हरियाणा	7845	1389	1.66	2.61
9.	हिमाचल प्रदेश	1067	86	5.84	0.12
10.	जम्मू व कश्मीर	5084	105	0.67	0.07
11.	झारखण्ड	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
12.	कर्नाटक	22348	5120	58.73	8.97
13.	केरल	12532	8552	1.82	10.26
14.	मध्य प्रदेश	75846	4263	23.68	12.34
15.	महाराष्ट्र	39420	1638	18.76	14.44
16.	मणिपुर	0	0	0.45	4.60
17.	मेघालय	414	0	0.25	0.12
18.	मिजोरम	296	0	2.06	0.40
19.	नागालैंड	510	1026	1.12	0.85
20.	उड़ीसा	8449	8779	18.47	12.27

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	6682	190	3.80	10.57
22.	राजस्थान	26463	312	16.65	9.46
23.	सिक्किम	256	0	2.39	सूचित नहीं
24.	तमिलनाडु	11367	1968	60.35	25.38
25.	त्रिपुरा	3027	540	3.09	0.38
26.	उत्तराचंल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	100844	4959	48.73	56.23
28.	पश्चिम बंगाल	0	47	29.37	54.70
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	20	0	1.11	0.01
30.	चंडीगढ़	119	0	लागू नहीं	0.21
31.	दादरा व नगर हवेली	37	0	0.72	0.00
32.	दमन व दीव	68	0	0.04	0.01
33.	दिल्ली	482	0	लागू नहीं	12.18
34.	पांडिचेरी	666	117	1.25	1.88
	कुल	394729	45352	402.85	298.42

[हिन्दी]

रिक्त पद

3368. श्री रामजीवन सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, लेखा अधिकारियों और वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं;

(ख) मत्रालय में उक्त पदों की रिक्त संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1994 के पश्चात् इनमें से कुछ पद समाप्त कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) मंत्रालय और समग्र देश में स्थित इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, लेखा अधिकारियों और वरिष्ठ लेखा अधिकारियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भुगतान एवं लेखा कार्यालय (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र), शिलांग में सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी का एक

पद वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान समाप्त हो गया है क्योंकि यह पद एक वर्ष से अधिक अवधि तक रिक्त बना रहा।

विवरण

कनिष्ठ लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, लेखा अधिकारियों, और वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के पदों का ब्यौरा

क्र० सं०	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	खाली पदों की स्थिति
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/भुगतान एवं लेखा अधिकारी	28	शून्य
2	भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी	82	4
3	प्रभागों में सहायक लेखा अधिकारी/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रभागीय लेखाकार	304	22
4	लोक निर्माण विभाग प्रभागों (मण्डलों) में कार्यरत सहायक लेखा अधिकारी/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी	49	शून्य
5	लेखा अधिकारी (संवर्ग - बाह्य-प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे गये)	3	शून्य

उपर्युक्त के अलावा, वित्त अधिकारी के बीस (20) पद हैं – 17 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में तथा मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में एक-एक पद। इनमें से, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक पद 01.5.2002 से रिक्त है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

3369. श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कर्मचारियों को विद्यालय शिक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों और मिशनों में कुछ केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2001-2002 में भारतीय दूतावास, पनामा में स्व-वित्तपोषण के आधार पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था जिसमें भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता संबंधी कोई वचनबद्धता नहीं थी। सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवश्यक आदेश भी जारी कर दिया गया था। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय पनामा को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय, मास्को से केन्द्रीय विद्यालय, पनामा को निधियां अंतरित करने के संबंध में कुछ तकनीकी कठिनाई है। इस कठिनाई के निराकरण के उपरान्त ही इसके खोले जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

भोपाल में जैव-विज्ञान संस्थान

3370. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक जैव-विज्ञान संस्थान स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) इस अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी द्वारा दी गई मुआवजा राशि में से भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी खर्च न की गई राशि से इसका वित्तपोषण किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यूनियन कार्बाइड से प्राप्त राशि भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए रखी गई है। अभी मुआवजा संबंधी सभी दावों का निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राज्य संसाधन केन्द्र

3371. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य संसाधन केन्द्र (मणिपुर) को संपूर्ण साक्षरता अभियान के भाग के रूप में मणिपुर में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिनांक 5.12.2001 को इस राज्य संसाधन केन्द्र का कोई वास्तविक सत्यापन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बाद में, क्या उपाय किये गये; और

(ङ) राज्य में विशेषकर प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में संपूर्ण साक्षरता अभियान की क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) मार्च, 2000 में, मणिपुर के सेनापति जिले के 28 नगर पालिका क्षेत्रों में 15361 शिक्षुओं के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत राज्य संसाधन केंद्र, मणिपुर नामक गैर-सरकारी संगठन को एक परियोजना दी गई। इस प्रयोजनार्थ 670000 रु० जारी किए गए।

(ग) और (घ) निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार के नेतृत्व में एक टीम ने 5.12.2001 को उक्त गैर-सरकारी संगठन का निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि गैर-सरकारी संगठन का कार्य संतोषजनक नहीं है तथा यह कि इस परियोजना के लिए अनुदान की दूसरी किश्त को जारी करने पर तभी विचार किया जाएगा जब सत्यापन हो जाए। टीम ने यह भी पाया कि यह गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लोगों तथा 'राज्य संसाधन केन्द्र' नाम का प्रयोग कर रहा था जिसका प्रयोग राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए तकनीकी-शिक्षाशास्त्रीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते स्थापित भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसरण में मणिपुर सरकार से परियोजना का निरीक्षण करने के लिए कहा गया। इसके अलावा रजिस्ट्रार, सोसायटी, मणिपुर से यह कहा गया कि वे गैर-सरकारी संगठन द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लोगों तथा राज्य संसाधन केन्द्र के नाम का प्रयोग रोकें।

(ङ) 15-35 आयु-वर्ग के 16403 निरक्षरों को शामिल करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान चूड़ाचंदपुर जिले में चल रहा है। अन्य जिलों के संबंध में राज्य सरकार से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस०ई० सी०एल०) से बढ़िया गुणवत्ता वाले कोयले की गैर-कानूनी आपूर्ति

3372. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दोरान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न कोयला खानों से खराब कोयले के नाम पर बढ़िया गुणवत्ता वाले कोयले की गैर-कानूनी आपूर्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें लिप्त दोषी अधिकारियों/व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) एस०ई०सी०एल० की किसी भी खान से किसी भी उपभोक्ता को बेकार कोयले की आपूर्ति नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

3373. श्री रामशकल :
श्री सुरेश चंदेल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व, 1999 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की शासी परिषद् की उच्चस्तरीय समिति ने अनुसंधान सहायक के पद से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति विषयक नियम बनाए थे, जिनसे देश भर में अनुसंधान सहायकों को लाभ पहुंचने की संभावना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों को प्रवर्तित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन नियमों को कब तक प्रवर्तित किए जाने की संभावना है;

(घ) इन नियमों के बनाए जाने के पूर्व कितने अनुसंधान सहायकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी गई, इसका तिथि-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे पदोन्नत व्याख्याताओं की कहां-कहां नियुक्ति की गई;

(ङ) क्या अनुसंधान सहायकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत करने की प्रथा पहले भी विद्यमान थी; और

(च) यदि हां, तो 1982 के पश्चात् से इसे समाप्त कर दिये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) कनिष्ठ लेक्चररों, स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा शोध सहायकों के पदोन्नति संबंधी मानदंडों की सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की शासी परिषद् द्वारा गठित एक उप-समिति ने 24.12.1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विभिन्न संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके इन सिफारिशों की जांच की जा रही है। सरकार द्वारा इस मामले में लिए गए निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् इसे लागू किया जाएगा।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) शोध सहायकों को लेक्चरर/सहायक निदेशक के पद पर दी जाने वाली पदोन्नतियां विद्यमान नियमों, मानदंडों, रिक्तियों तथा अन्य संगत कारकों द्वारा अभिशासित होती हैं जिनमें समय-समय पर उचित प्राधिकारी द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	नाम श्री/श्रीमती	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में अनुसंधान सहायक की लेक्चरर के रूप में पदोन्नति की तारीख	वर्तमान पद और नियुक्तियां
1.	श्रीमती अमीता शर्मा	1982	इस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में लेक्चरर के रूप में कार्यरत।
2.	एम०ए० भट्ट	1982	तिरूपति विद्यापीठ से सेवानिवृत्त।
3.	रामदेव झा	1982	दिल्ली विद्यापीठ से सेवानिवृत्त।
4.	के०ए० बालसुब्रामणियम	1982	इस समय राष्ट्रीय संस्कृत संगठन की सेवा में नहीं हैं।
5.	आर०टी० अनंतासुब्रामणियम	1982	इस समय राष्ट्रीय संस्कृत संगठन की सेवा में नहीं हैं।
6.	राम मिश्रा	1982	इलाहाबाद विद्यापीठ में सेलेक्शन ग्रेड लेक्चरर हैं।
7.	राम चन्द्र शास्त्री	1982	जम्मू विद्यापीठ में रीडर।
8.	विश्वमूर्ति शास्त्री	1982	जम्मू विद्यापीठ में रीडर।
9.	प्रकाश चन्द्र	1982	जयपुर विद्यापीठ में रीडर।
10.	शिव कुमार चतुर्वेदी	1982	लखनऊ विद्यापीठ में रीडर।

[अनुवाद]

विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटन में कमी

3374. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि प्रबंध और ग्रामीण आबादी को जल के प्रावधान के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटन कम कर दिये जाने के मद्देनजर वर्ष 2000-2001 में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को कम करना पड़ा – जैसा कि शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की वर्ष 2001 की रिपोर्ट सं० 22 में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) जहां तक राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने, भू-अभिलेखों को अद्यतन करने (एस आर ए और यू एल आर) तथा भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने (सी एल आर) का सवाल है, इन योजनाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत वर्ष 2000-01 के लिए बसावटों और विद्यालयों के लक्ष्य कवरेज को राज्य सरकारों द्वारा कम कर दिया गया क्योंकि शेष बसावट दुर्गम और सुदूर क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, कठिन चट्टानी क्षेत्र आदि में थीं।

एच०एम०टी० लि० का विनिवेश

3375. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०एम०टी० लिमिटेड ने समाचार-पत्रों में अधिसूचित करके अपनी छह में से चार सहायक कंपनियों के नियंत्रक शेयरों को बेचने के लिए प्राथमिक बोलियां आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एच०एम०टी० की किन-किन सहायक कम्पनियों के लिए बोलियों को अधिसूचित किया गया है;

(घ) एच०एम०टी० अपनी सहायक कम्पनियों से कुल कितनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है;

(ङ) इससे एच०एम०टी० को कुल कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है;

(च) एच०एम०टी० की कितनी इकाइयां लाभार्जन कर रही हैं; और

(छ) इस बिक्री के पश्चात् एच०एम०टी० के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा क्या विस्तृत योजना तैयार की गई है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) जी, हां। एच एम टी ने अपनी चार सहायक कंपनियों अर्थात् एच एम टी मशीन टूल्स लि०, एच एम टी वाचेज लि०, एच एम टी चिनार वाचेज लि० और एच एम टी बियरिंग लि० में 74 प्रतिशत तक के विनिवेश/संयुक्त उद्यम के लिए संभावित बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

(ङ) इन चार सहायक कंपनियों के संबंध में इस विनिवेश/संयुक्त उद्यम से कुल आमदनी का निर्धारण इस चरण पर नहीं किया जा सकता क्योंकि फिलहाल इच्छुक पार्टियों से केवल हित की अभिव्यक्ति ही आमंत्रित की जा रही है।

(च) एच एम टी लि० का ट्रैक्टर कारोबार पिछले दो वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है। इसके अलावा, एच एम टी (अन्तर्राष्ट्रीय) लि० और एच एम टी बियरिंग लि०, दो सहायक कंपनियां भी लाभ अर्जित कर रही हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान एच एम टी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ/उठाए गए घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

	2000-2001	@2001-2002
एच एम टी लि०	24.41	5.93
एच एम टी मशीन टूल्स लि०	-96.17	-76.13
एच एम टी वाजेज लि०	-59.18	-100.95
एच एम टी चिनार वाचेज लि०	-7.95	-9.70
एच एम टी (अंतर्राष्ट्रीय) लि०	0.37	0.84
एच एम टी बियरिंग लि०	2.21	1.17

@लेखा परीक्षा के अध्यधीन अनन्तिम।

(छ) सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शेयर धारक करार में आवश्यक खण्ड-वाक्य सम्मिलित कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय

3376. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार-प्रसार विज्ञापन, सत्कार, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, सेमिनारों, सम्मेलनों, दौरों (विदेश यात्राओं सहित), एस०टी०डी० और आई०एस०डी० टेलीफोन बिलों, विद्युत बिलों (एयरकंडीशनरों और कूलर के बिलों सहित) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत हो रहे व्यय को कम करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को छोड़कर, मंत्रालय तथा उसके नियंत्रणाधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से संबंधित जानकारी विवरण में दी गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ) व्यय को न्यूनतम रखने के लिए वित्तीय दूरदर्शिता एवं मितव्ययिता पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

विवरण

(हजार रु० में)

वर्ष	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय*	प्रचार एवं विज्ञापन	कुल
1	2	3	4	5
1999-2000	6,45,35	13,69,57	4,18,11	24,33,03
2000-2001	6,70,21	14,18,51	2,91,29	23,80,01
2001-2002	6,27,40	13,80,46	3,33,99	23,41,85

* कार्यालय व्यय में आतिथ्य, केटरिंग, उद्घाटन समारोहों, सेमिनारों, सम्मेलनों, दूरभाष बिलों, बिजली के बिलों (एयर कण्डीशनरों व कूलरों के बिजली बिलों सहित) पर हुआ शामिल है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग

3377. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, जिन्हें 8 दिसम्बर, 1996 की स्थिति अनुसार मतदाताओं के रूप में नामांकित किया गया है, पुनर्वास कॉलोनियों में आवास आबंटन के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में आवास स्थलों को गिराने की कार्रवाई की गई थी और पात्र व्यक्तियों को अन्यत्र बसाया भी नहीं गया;

(घ) यदि हां, तो क्या संगत योजना के तहत पुनर्वास संबंधी शर्तों को कुछ समय पूर्व परिवर्तित कर दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(च) क्या केवल मतदाता सूची में नामांकन से संबंधित शर्तों को बनाए रखने से चंडीगढ़ में काफी समय से मलिन बस्तियों में रहने वाले बहुत से लोग, योजना के अंतर्गत आवास पाने के अधिकार से वंचित रह गये हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कई मामलों में लोगों के नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिये गये, जबकि संबंधित व्यक्तियों को मतदाता संख्या पर्ची भी दी गई थी और उस तिथि विशेष के पूर्व भी वे काफी वर्षों से मतदान करते रहे थे; और

(ज) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु प्रणाली यदि कोई है का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुसार ''चण्डीगढ़ योजना-1979 में आवासों तथा स्थलों एवं सेवाओं को लाइसेंस देने'' के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्ति जो श्रमिक कालोनियों के वास्तविक निवासी हैं तथा जिनके नाम 1990 तथा 8 दिसम्बर, 1996 जो चण्डीगढ़ नगर निगम के पहले चुनाव की तारीख थी, के बीच मतदाता सूची में शामिल हैं, स्थलों एवं आवासों के आबंटन के लिए पात्र हैं। चूंकि चण्डीगढ़ के बड़े पैमाने पर मौसमी (आवधिक) प्रवास होता है, अत: पुनर्वास के लिए पात्र व्यक्तियों की सही संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(ग) सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद हटा दिया गया था। ऐसे पात्र व्यक्तियों, जो चण्डीगढ़ के वास्तविक निवासी हैं तथा जो निर्दिष्ट श्रमिक कालोनियों में रह रहे हैं, का पुनर्वास किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) 1979 की उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पुनर्वास संबंधी शर्तों को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। श्रमिक कालोनियों के ऐसे सभी वास्तविक निवासियों जिनके नाम 1990 तथा 8 दिसम्बर, 1996 के बीच मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, को शामिल करने के लिए केवल पूर्व निर्धारित 8.12.1996 की तारीख हटा कर योजना में छूट देते हुए संशोधन किया गया है। उपर्युक्त संशोधन से श्रमिक कालोनियों के वास्तविक निवासियों को लाभ हुआ है क्योंकि एक समयावधि जिसके भीतर मतदाता सूची में प्रविष्टि की जानी है, पुनर्वास के लिए एक आवश्यक शर्त बढ़ा दी गई है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

3378. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना'' के कार्यान्वयन विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एक मुख्य बाधा के रूप में सामने आ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति का निदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) ऐसे कुछ राज्यों ने, जिनके पास विशाल वन क्षेत्र हैं, यह आशंका व्यक्त की है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के समय पर निर्माण में एक बाधा हो सकते हैं। राज्यों के प्राधिकारियों से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों तथा वन एवं पर्यावरण विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाने तथा अपेक्षित मुद्दों पर अपने सुस्पष्ट विचार/सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

चलचित्र-गृहों का वाणिज्यिक परिसरों के रूप में परिवर्तन

3379. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चलचित्र-गृह मालिकों के ऐसे कितने आवेदन अनुमोदनार्थ लंबित हैं, जिनमें उन्हें वाणिज्यिक परिसर के रूप में बदले जाने की अनुमति मांगी गई हैं;

(ख) क्या विगत में सरकार ने चलचित्र-गृहों को इस प्रकार वाणिज्यिक परिसरों में बदले जाने पर पाबंदी लगा दी थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब ऐसे परिवर्तन की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि दिल्ली में सिनेमा हॉलों को वाणिज्यिक परिसर में बदलने हेतु भवन योजना के अनुमोदन के लिए उनके पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस बारे में भवन योजनाओं के तीन आवेदन उनके पास लंबित हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने 27.8.1992 को सिनेमा प्लाटों को वाणिज्यिक उपयोग में बदलने के लिए आवेदनों की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि जहां इस प्रकार का उपयोग हो वहां कम से कम 300 सीटें सिनेमा के लिए रखी जाएं और शेष क्षेत्र उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए हो, जो जिला केन्द्रों में अनुमत्य हो। इसके अतिरिक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार केन्द्रीय व्यापार जिला, जिला केन्द्रों और वाणिज्यिक केन्द्रों में सिनेमा अनुमत्य है। सिनेमा हाऊस में अनुमत्य

उपयोगों में सिनेमा, देख-रेख (वाच एण्ड वार्ड) रिहायश, प्रशासनिक कार्यालय, शीतल पेय तथा स्नैक्स स्टाल, रिटेल शॉप और वाणिज्यिक कार्यालय हैं जिनके अनुसार अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता का आधुनिकीकरण

3380. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता में आधुनिकीकृत सेवाओं तथा आधार संरचनागत सुविधाओं को अभाव होने के कारण, यहां नमूनों के परीक्षण में दो से तीन महीने का समय लग जाता है जबकि सामान्यतया इसके लिए एक मास का समय निर्धारित है;

(ख) केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की वार्षिक नमूना-परीक्षण क्षमता कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों मे प्रयोगशाला के पास जो नमूने परीक्षण हेतु लम्बित हैं, उनके बारे में वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण करने तथा नमूना-परीक्षण के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी०एफ०एस०एल०), कोलकाता इन्स्ट्रूमेन्टेशन सुविधाओं में समुचित स्तर के परिष्करण वाली अति उन्नत प्रयोगशालाओं में से एक है जहां आधारभूत सुविधाएं पहले ही उपलब्ध है। गृह मंत्रालय ने इसे ''जैविक विज्ञानों में उत्कृष्टता का केन्द्र'' घोषित किया है। सी०एफ०एस०एल०, कोलकाता में प्राप्त नमूनों की जांच में यह प्रयोगशाला 2 से 3 वर्ष का समय नहीं लेती है। डी०एन०ए० फिंगर प्रिन्टिग से संबंधित कुछ मामलों में 6 माह लग जाते हैं क्योंकि डी.एन.ए. नमूने अत्यधिक संक्रमित स्वरूप के होते हैं तथा वैधीकृत अन्तर्राष्ट्रीय जांच कार्यविधि का प्रयोग करके विश्लेषण के लिए उपयुक्त चुनिन्दा रसायन/उपकरण आयात करने अपेक्षित होते हैं। एक माह की कोई निर्धारित अवधि नहीं है तथा किसी मामले विशेष के निपटान में लिया गया समय प्रदर्श नमूनों के स्वरूप और उनकी संख्या तथा अन्य बातों पर निर्भर करता है।

(ख) सी०एफ०एस०एल० कोलकाता की नमूना जांचने की वार्षिक क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	डिवीजन	वार्षिक क्षमता (वर्तमान में)*
1.	जीव विज्ञान डिवीजन	
	(क) बायोलोजी एवं सेरोलोजी	285
	(ख) डी०एन०ए०	105
2.	भौतिक विज्ञान	
	(क) बैलिस्टिक्स	120
	(ख) भौतिकी	140
3.	रसायन विज्ञान	
	(क) रसायन शास्त्र	120
	(ख) विस्फोटक	110
	(ग) टोक्सिकोलोजी	200
	कुल	1080

*अपराध मामलों के विश्लेषण के अतिरिक्त सी०एफ०एस०एल०, कोलकाता के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भी जुटे हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, सी०एफ०एस०एल०, कोलकाता में लम्बित मामलों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	लम्बित
1999	शून्य
2000	शून्य
2001 बायोलोजी, सेरोलोजी, बैलिस्टिक्स, रसायन शास्त्र एवं टोक्सिकोलोजी डिवीजन	शून्य
डी०एन०ए० डिवीजन	2
भौतिकी डिवीजन	2
एक्सप्लोसिव डिवीजन	18

(घ) सी०एफ०एस०एल०, कोलकाता एक आधुनिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। सी०एफ०एस०एल०, कोलकाता की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष बजट में प्रावधान आबंटन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मदरसा-शिक्षा के लिए धनराशि का आबंटन

3381. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान मदरसा-शिक्षा के लिए 10 करोड़ रु० का बजटीय आबंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वित्त वर्ष में ही इस बजटीय आबंटन को पुनर्विचारित करके इसे 10 लाख रु० कर दिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-2003 के दौरान सरकार द्वारा मदरसा-शिक्षा के लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वर्ष मई में इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि मदरसों/विद्यालयों को कोई भी वित्तीय अनुदान देने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह विद्यालय कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा परिपत्र जारी करने के पीछे क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 10.5 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई थी।

(ग) बेहतर कार्यान्वयन और प्रशासनिक सुविधा को सुकर बनाने हेतु वर्ष 2002-2003 से मदरसा शिक्षा योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान संशोधित योजना के लिए 31.5 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा एक परिपत्र जारी किया गया था।

धनबाद में ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल

3382. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 22 अप्रैल, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला नगर सहित धनबाद जिले में कोयले का घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और प्रतिदिन इसकी अनुमानित खपत कितनी है;

(ग) क्या इस प्रयोजन से कोयला बेचने के लिए वहां कोई कोयले का ढेर है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का स्रोत क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा यह सूचित किया गया है कि पात्रता प्राप्त कर्मचारियों को घरेलू उपभोग के लिए कोयला कार्डों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की जाती है। कोयला नगर कस्बे में कर्मचारियों को कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि उन्हें एल.पी.जी. कनेक्शन की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान धनबाद जिले में बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. के कर्मचारियों को घरेलू उपभोग के लिए जारी किए गए कोयले की मात्रा क्रमश: 3.86 लाख टन तथा 0.26 लाख टन थी जो लगभग क्रमश: 1057.5 तथा 71 टन प्रति दिन बनती है।

(ग) घरेलू प्रयोजनार्थ कोयले की बिक्री हेतु कोल इंडिया लि० के पास कोई कोयला डम्प नहीं है।

(घ) ऊपर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. के कर्मचारियों को कोयले की आपूर्ति कोयला कार्डों पर धनबाद जिले में स्थित कोलियरियों से की जाती है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाया जाना

3383. **श्री टी० गोविन्दन :**
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान प्रधान ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि का आबंटन बढ़ाये जाने के आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) केरल तथा हरियाणा की राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जहां केरल सरकार ने वर्ष 2001-2002 में कम से कम 150 करोड़ रु० की तथा 2002-03 के लिए 600 करोड़ रु० की मांग की थी, वहां हरियाणा सरकार ने वर्ष 2002-03 के लिए 137 करोड़ रु० की मांग की है। वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित तथा रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता के आधार पर इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जा सकेगा जो जरूरत, उपयोग की क्षमता तथा निधियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए की गई तैयारी की स्थिति पर आधारित होगा।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	2001-2002 में रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	190.00	224.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	45.00
3.	असम	75.00	80.00
4.	बिहार	150.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	87.00	98.62
6.	गोवा	5.00	5.00
7.	गुजरात	50.00	60.00
8.	हरियाणा	20.00	30.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	72.09
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00	0.00
11.	झारखंड	110.00	120.00
12.	कर्नाटक	95.00	108.37
13.	केरल	20.00	27.65
14.	मध्य प्रदेश	213.00	248.00
15.	महाराष्ट्र	130.00	134.50
16.	मणिपुर	40.00	40.00
17.	मेघालय	35.00	45.72
18.	मिजोरम	20.00	26.53
19.	नागालैंड	20.00	25.53
20.	उड़ीसा	175.00	175.00
21.	पंजाब	25.00	55.00
22.	राजस्थान	130.00	150.00
23.	सिक्किम	20.00	20.00
24.	तमिलनाडु	80.00	88.57
25.	त्रिपुरा	25.00	26.85
26.	उत्तर प्रदेश	315.00	348.11
27.	उत्तरांचल	60.00	70.00
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	149.65
	कुल (राज्य)	2340.00	2474.84

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान व निको. द्वीप समूह	10.00	0.00
30	दादरा व न० हवेली	5.00	5.00
31	दमन व दीव	5.00	0.00
32	दिल्ली	5.00	5.00
33	लक्षद्वीप	5.00	4.89
34	पांडिचेरी	5.00	0.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	35.00	14.89
	कुल योग	2375.00	2489.73

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

3384. **श्री जय प्रकाश :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश को कोयले की आपूर्ति इसकी मांग के अनुरूप नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) "कोल इंडिया लिमिटेड" द्वारा राज्यों की मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा मांग की गई तथा आपूर्ति किए गए कोयले का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा कोयले की मांग क्षेत्रवार आंकलित की जाती है, राज्यवार नहीं।

(ग) कोयला सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करने हेतु पूरी तरह तैयार हैं। विद्युत और सीमेन्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को की जाने वाली आपूर्ति की देख-रेख स्थायी लिंकेज समिति (एस.एल.सी.) द्वारा की जाती है, जो कि कोयला विभाग के तत्वाधान में एक अंतर-मंत्रालीय निकाय और जिसमें विद्युत, रेलवे, उद्योग मंत्रालयों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीमेन्ट निर्माता संस्थाओं तथा अन्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों को कोयले की आवश्यकता तथा आपूर्ति की मानीटरिंग त्रैमासिक आधार पर की जाती है तथा जब भी और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) पिछले 2 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सी.आई.एल. स्रोतों से कोयले तथा कोयला उत्पादों का प्रेषण नीचे दिया गया है :-

(000 टन में)

वर्ष	विद्युत	उर्वरक	कागज	अन्य	जोड़
2000-01	38371	570	210	9327	48478
2001-02*	42110	565	121	9155	51951
2002-03 (अप्रैल-जून)*	10169	90	34	2904	13197

*अनंतिम।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स टीके को विकसित किया जाना

3385. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.आई.वी./एड्स टीके को विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में कौन-कौन से संस्थान, विभाग एच.आई.वी./एड्स के सम्बन्ध में अनुसंधान में लगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन.ए.आर.आई.) को इस क्षेत्र में कुछ सफलता मिली है; और

(च) एच.आई.वी./एड्स की औषधियों/टीके के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रयासों, इसकी कार्ययोजना, वित्तपोषण आदि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) राष्ट्रीय जय-विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी बी टी) ने देश में सर्वाधिक प्रचलित एच आई वी-1 सबटाइम "सी" किस्म के लिए कैंडीडेट डी एन ए/पुनर्संयोजी टीकों के विकास की दिशा में एक परियोजना शुरू की है। इस कैंडीडेट टीका के जीन (डी एन ए) अनुक्रमों से छोटे प्रायोगिक पशुओं में उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले हैं। गैर-मानव प्राइमेटों में इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तीन संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय विष विज्ञान संस्थान, पुणे; राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान (एन आई सी ई डी), कोलकाता और जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा, एच आई वी संक्रमण के विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित संस्थान भी कार्य कर रहे हैं: अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरी एवं जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली; केन्द्रीय जलमा कुष्ठरोग संस्थान, आगरा; स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़; राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन ए आर आई) और राष्ट्रीय विष विज्ञान संस्थान, पुणे; क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर; तपेदिक अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई; राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद; प्रतिरक्षा रुधिरविज्ञान संस्थान एवं प्रजनन अनुसंधान संस्थान, मुम्बई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एच आई वी/एड्स में हो रहे अनुसंधान कार्य को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) एन ए आर आई, पुणे ने प्रारंभिक सेरो-कनवर्टरों की पहचान कर ली है और उनसे जीनों को प्रवर्धित किया है। वैक्सीनिया वेक्टरों के इस्तेमाल से पशुओं पर प्रयोग करने की योजना बनाई गई है। डी बी टी की सहायता से एक विषाणु आधान, जिसमें 90 से अधिक पूर्ण रूप से अभिलक्षित एच आई वी विलगक मौजूद हैं, कार्यशील हैं और यह वैज्ञानिकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आंतरिक वित्तपोषण से एन ए आर आई, उपयुक्त टीका प्रभेदों की पहचान की दिशा में एन आई सी ई डी, कोलकाता और अंतर्राष्ट्रीय एड्स टीका पहल (आई ए वी आई) के साथ भी सहयोग कर रहा है और इसका आई ए वी आई द्वारा भी वित्तपोषण किया जाएगा। 6 एच आई वी जीनों को एक वेक्टर में सन्निविष्ट करने का कार्य प्रगति पर है।

(च) एच आई वी/एड्स सबंधी अनुसंधान को सरकार से सहायता मिलती रहेगी। भारतीय औषध महानियंत्रक से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन प्रत्याशित कैंडीडेट टीकों का आगे परीक्षण इच्छुक व्यक्तियों में किया जाएगा। भारत-यू एस टीका कार्यक्रम (वी ए पी) के अंतर्गत एच आई वी/एड्स टीकों के अनुसंधान और विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। एच आई वी रोधी यौगिकों/औषधों की पहचान के लिए भी देश के कुछ अनुसंधान केन्द्रों में शोध-कार्य शुरू किए गए हैं। डी बी टी की सहायता से विकसित दो कम लागत वाली, अति संवेदनशील एवं विशिष्ट नैदानिक किटों का व्यापारीकरण किया गया है।

दमण और दीव की जिला पंचायत में कर्मचारियों की संख्या

3386. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमण और दीव पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतरण के पश्चात् वहां की जिला पंचायत में वांछित संस्वीकृत संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) पंचायती राज संस्थानों का कार्यकरण सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा वहां यथेष्ट संख्या में पदों का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रामकृष्ण पुरम क्षेत्र में पुलिसकर्मियों द्वारा झुग्गियों का निर्माण

3387. श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मई, 2002 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जो रामकृष्ण पुरम में पुलिसकर्मियों द्वारा उनके सरकारी आवासगृहों के साथ झुग्गियां निर्मित कर लेने के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसंगाधीन क्वार्टर संपदा अधिकारी, दिल्ली पुलिस पूल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। चूंकि रखरखाव कार्य केलोनिवि के तहत आता है इसलिए पुलिए पूल क्वार्टर के आबंटी द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को उपायुक्त, पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस की जानकारी में लाया गया है।

[अनुवाद]

मानव विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट

3388. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना० मोहोल :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार मानव विकास संबंधी नवीनतम रपट में, भारत को 173 देशों में 124वां स्थान मिला है जैसा कि 24 जुलाई, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सभी 173 देशों की रैंक-वार सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रैंकिंग प्रणाली का गहराई से अन्वेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो भारत को निम्नतर स्थान मिलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जनजीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 173 देशों की सापेक्ष रैंकिंग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत को मानव विकास सूचकांक में इसके रैंक के अनुसार मध्यम मानव विकास देशों में रखा गया है। मानव विकास सूचकांक मूलत: एक मिश्रित सूचकांक है जो मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धि का मापन करता है। ये आयाम इस प्रकार हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा किए गए मापन के अनुसार दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, साक्षरता द्वारा मापा गया ज्ञान, अमरीकी डालर में मापी गई क्रय शक्ति में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा गया अच्छा जीवन स्तर। मानव विकास के इन तीनों आयामों को समान महत्व दिया जाता है।

जहां तक मानव विकास सूचकांक का संबंध है, भारत ने गत वर्षों में अपनी स्थिति में निरंतर सुधार किया है। तथापि बेहतर रैंकिंग न केवल आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के प्रयासों तथा इसलिए प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करेगी अपितु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में विकास में सुधार पर भी निर्भर करेगी।

(ङ) सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तीन सूत्री रणनीति अपनायी है। इसमें (1) रोजगार बहुलता वाले क्षेत्रों पर बल देते हुए परिवर्धित आर्थिक विकास (2) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास; तथा (3) गरीबी उन्मूलन से जुड़े कार्यक्रम।

विवरण

मानव विकास सूचकांक रैंक	*उच्च मानव विकास*
1.	नार्वे
2.	स्वीडन
3.	कनाडा
4.	बेल्जियम
5.	ऑस्ट्रेलिया
6.	संयुक्त राज्य
7.	आइसलैंड

8. नीदरलैंड
9. जापान
10. फिनलैंड
11. स्वीटजरलैंड
12. फ्रांस
13. यूनाइटेड किंगडम
14. डेनमार्क
15. आस्ट्रिया
16. लग्जेम्बर्ग
17. जर्मनी
18. आयरलैंड
19. न्यूज़ीलैंड
20. इटली
21. स्पेन
22. इजरायल
23. हांगकांग, चीन
24. ग्रीक
25. सिंगापुर
26. साइप्रस
27. कोरिया गण-राज्य
28. पुर्तगाल
29. स्लोवेनिया
30. माल्टा
31. बारबाडोस
32. ब्रूनी दारूसलम
33. चेक गणराज्य
34. अर्जेन्टिना
35. हंगरी
36. स्लोवाकिया
37. पोलैंड
38. चिली
39. बहरैन
40. उरूग्वे
41. बाहमास
42. एसटोनिया
43. कोस्टा रिका
44. सेंट किट्स एण्ड नेविज
45. कुवैत
46. संयुक्त अरब अमीरात
47. सेचलिस
48. कोएशिया
49. लुथियानिया
50. त्रिनीडाड और टौबेगो
51. कतार
52. एंटीगा और बारबुडा
53. लाटविया

मानव विकास सूचकांक रैंक मध्यम मानव विकास

54. मैक्सिको
55. क्यूबा
56. बेलारूस

57. पनामा
58. बेलीज
59. मलेशिया
60. रशियन फेडरेशन
61. डोमिनिका
62. बुल्गारिया
63. रोमानिया
64. लिबियन अरब जम्हुरिया
65. मेसेडोनिया, टी.एफ.वाई.आर.
66. सेंट लुशिया
67. मारिशस
68. कोलम्बिया
69. वेनेजुएला
70. थाइलैंड
71. सउदी अरब
72. फिजी
73. ब्राजील
74. सुरीनाम
75. लेबनान
76. अरमिनिया
77. फिलिपिंस
78. ओमान
79. कजाकिस्तान
80. उक्रेन
81. गार्जिया
82. पेरू
83. ग्रेनाडा
84. मालदीव
85. तुर्की
86. जमैका
87. तुर्कमेनिस्तान
88. अजरबेजान
89. श्रीलंका
90. पैरागुए
91. सेंट विंसेंट एण्ड दी ग्रेनडाइनज
92. अलबानिया
93. इक्वाडोर
94. डोमिनिकन गणराज्य
95. उजबेकिस्तान
96. चीन
97. त्यूनिशिया
98. इरान, इस्लामिक गणराज्य
99. जार्डन
100. केप वेर्दे
101. सामोवा (पश्चिमी)
102. किरगिस्तान
103. गुयाना
104. एल सालवाडोर
105. मालडोवा गणराज्य
106. अल्जेरिया

107. दक्षिण अफ्रिका

108. सिरयन अरब गणराज्य

109. वियतनाम

110. इण्डोनेशिया

111. इक्वाटोरियल गिनिया

112. ताजिकिस्तान

113. मंगोलिया

114. बोलिविया

115. मिश्र

116. होंडुरास

117. गैब्रोन

118. निकारागुवा

119. साओ टोमे एण्ड पिंसीपे

120. गुयाटेमाला

121. सोलोमन द्वीप समूह

122. नार्मिबिया

123. मोरक्को

124. भारत

125. स्वाजीलैंड

126. बोत्स्वाना

127. मयान्मार

128. जिम्बाबवे

129. घाना

130. कम्बोडिया

131. वानुआटु

132. लेसोथो

133. पापुआ न्यू गिनिया

134. कीनिया

135. कैमरून

136. कांगो

137. कोमोरोस

मानव विकास सूचकांक रैंक निम्न मानव विकास

138. पाकिस्तान

139. सूडान

140. भूटान

141. टोगो

142. नेपाल

143. लाओ पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

144. यमन

145. बंगलादेश

146. हैटी

147. मदगास्कर

148. नाईजिरिया

149. जिबुठी

150. यूगांडा

151. संयुक्त गणराज्य तंजानिया

152. मौरीटेनिया

153. जाम्बिया

154. सेनेगल

155. डेमोक्रटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो

156. कोटे डीवायर

157. एरिट्रीया

158. बेनिन

159. गिनिया

160. गैम्बिया

161. अंगोला

162. रूवांडा

163. मलावी

164. माली

165. सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक

166. चाड

167. गिनीया-बिसाउ

168. इथियोपिया

169. बुर्किनो फासो

170. मोजाम्बिक

171. बुरूंडी

172. नाइजेर

173. सियरा लियोने

पद-सृजन पर प्रतिबंध

3389. श्री राममोहन गाड्डे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दिल्ली कालेजों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कालेज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को भर्ती रोक देने और पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाने के निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कर्मचारियों की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में स्थित कालेजों में कालेजवार रिक्तियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय/सम-विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को तथा दिल्ली विश्वविद्यालय/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोलेजों के प्रधानाचार्यो को हाल ही में एक पत्र भेजा है जिसमें स्वायत्त संगठनों में व्यय की कटौती पर ''व्यय सुधार आयोग'' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। व्यय सुधार आयोग की इन सिफारिशों में भर्ती पर रोक और नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध शामिल हैं।

(ङ) प्रतिबंध शिक्षकों के पदों पर लागू नहीं है। व्यय सुधार आयोग ने गैर-शिक्षण पदों में कटौती की सिफारिश की है और संस्थाओं से आशा की गई है कि वे इस कटौती के बाद वर्तमान कर्मचारियों की उपलब्ध संख्या की समीक्षा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी पुन: तैनाती करें।

विवरण

दिल्ली कालेजों में कालेजवार रिक्तियां

क्र० सं०	कालेज का नाम	रिक्तियों की संख्या	
		(शैक्षिक)	(गैर-शैक्षिक)
1	2	3	4
1.	भारतीय कालेज	—	5
2.	दौलत राम कालेज	2	—
3.	दिल्ली कालेज आफ आर्ट्स एंड कामर्स	7	4
4.	देशबंधु कालेज (सायं)	—	6
5.	हिन्दू कालेज	9	11
6.	आई.पी. कालेज फार वूमेन	—	3

1	2	3	4
7.	जेसस एंड मैरी कालेज	—	1
8.	लेडिज श्रीराम कालेज फार वूमेन	—	26
9.	मैत्रेयी कालेज	—	10
10.	माता सुन्दरी कालेज फार वूमेन	3	—
11.	मिरन्डा हाऊस	2	17
12.	मोती लाल नेहरू कालेज (दिन)	—	2
13.	मोती लाल नेहरू कालेज (सायं)	—	1
14.	रामजस कालेज	—	8
15.	एस.जी.टी.बी. खालसा कालेज (दिन)	—	14
16.	एस.जी.टी.बी. खालसा कालेज (सायं)	4	—
17.	श्रीराम कालेज आफ कामर्स	9	—
18.	शहीद भगत सिंह कालेज (सायं)	8	2
19.	शिवाजी कालेज	5	—
20.	श्याम लाल कालेज (दिन)	19	—
21.	श्याम लाल कालेज (सायं)	11	—
22.	सत्यवती कालेज (दिन)	1	2
23.	श्री अरविन्दो कालेज (सायं)	4	—
24.	स्वामी श्रद्धानन्द कालेज	—	13
25.	श्री वेंकटेश्वर कालेज	14	5
26.	डॉ० जाकिर हुसैन कालेज (दिन)	2	—
27.	डॉ० जाकिर हुसैन कालेज (सायं)	3	—
28.	विवेकानन्द कालेज	—	6
	कुल	103	136

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक पर सी.आई.आई. की सर्वेक्षण रिपोर्ट

3390. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, उद्यम-पूंजी के माध्यम से निवेश बढ़ाना घरेलु जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौती है;

(ख) यदि हां, तो सी.आई.आई. द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 3 बिलियन की अनुमानित उद्यम-पूंजी में से, इसका केवल 20% ही देश की इस क्षेत्रगत कुल धनराशि के रूप में व्यय होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश होने की वजह से है; और

(ङ) यदि हां, तो जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धाक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास के निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) से (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) और इंडस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इन्वैस्टमैंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (आई सी आई सी आई) प्रत्येक ने 35% की वचनबद्धता की है और बायोटेक उद्योग के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 20% से कम का निवेश किया है। जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यम-पूंजी निवेश में समग्र सुधार हुआ है। सी आई आई की सर्वेक्षण रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले दशक से जैवप्रौद्योगिकी के लिए भारत सरकार के परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नीति, अनुसंधान व विकास की उन्नति, अन्तर्राष्ट्रीय और निर्माण गतिविधियों के लिए सरकार में नोडल एन्जेसी अर्थात् बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी बी टी) ने प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने और जिनोमिक्स, प्रोटोमिक्स, पराजीनियों, स्टेम कोशिका अनुसंधान और उत्पाद विकास के संबंध में अवसंरचना विकास पर ध्यान दिया है। कृषि में अनुसंधान, पर्यावरण और स्वास्थ्य देख-रेख के क्षेत्रों के जरिए डी बी टी से

सहायता प्राप्त परियोजनाओं ने कई उत्पाद दिए हैं, इनमें से कुछ पहले ही मार्किट में हैं। जैव-वित्तीय परिदृश्य, बायोटेक क्षेत्र में गतिकता और जैव-मानव संसाधनों के लिए बढ़ती हुई मांग में समग्र सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन को देखते हुए रिपोर्ट में सूचना दी गई है कि कम से कम 24% कम्पनियां कृषि-बायोटेक में हैं, नैदानिकी और टीकों सहित मानव स्वास्थ्य में 16% से अधिक कम्पनियां हैं। अनुबन्ध अनुसंधान एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें 18% कम्पनियां बायोटेक क्षेत्र में हैं।

(घ) अनुसंधान में निवेश प्राथमिकता के आधार पर है; इसमें वार्षिक आधार पर लगातार वृद्धि हुई है।

(ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी) के तहत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता लक्ष्यित कार्यक्रम (पी ए टी एस ई आर) तथा होमग्रोन टेक्नोलॉजी (एच जी टी) के जरिए बायोटेक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग प्रौद्योगिकी ऊष्मायित्रों, प्रायोगिक परियोजनाओं और बायोटेक विकास निधि के जरिए अनुसंधान एवं विकास योजनाओं को सहायता प्रदान करते हुए बायोटेक उद्योग के विकास को बढ़ावा दे रहा है ताकि बायोटेक उद्योग प्रतिस्पर्धी बन सके। बायोटेक उत्पाद और प्रक्रिया विकास को बढ़ावा देने के लिए बाहरी अनुसंधान का भी वित्तपोषण किया जाता है। इसके अलावा, उद्योग को पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

3391. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विनिवेश किये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि और संपत्तियों के मूल्य का सरकार किस प्रकार मूल्यांकन करती है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : विनिवेशित किए जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भूमि तथा सम्पत्तियों के मूल्य का आंकलन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित एक परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारक की नियुक्ति की जाती है। परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारक का चयन प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

पूर्वोत्तर परिषद् विधेयक में संशोधन

3392. **श्री खगेन दास :** क्या **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान विधेयक को प्रस्तुत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कारण प्रस्तावित संशोधन विधेयक में परिवर्तन किए जाने थे। अनुवर्ती अंत:-मंत्रालयी परामर्श में समय लगा।

(ख) और (ग) प्रक्रिया अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संसद के चालू सत्र के दौरान विधेयक को प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं होगा, संशोधन विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करने के हर-संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेकेनिकल इंजीनियर्स

3393. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुबंई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूशन आफ मेकेनिकल इंजीनियर्स की मान्यता को वापस लेने संबंधी आदेश को शैक्षणिक योग्यता हेतु उच्चस्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा लंबी छानबीन के बाद पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो संस्था की मान्यता को वापस लेने हेतु कौन-कौन से विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) मान्यता संबंधी आदेश को वापस किये जाने के बाद सरकार द्वारा संस्थान में इस समय दाखिला ले चुके/अध्ययन कर रहे छात्रों के हितों की किस सीमा तक रक्षा की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) विशेषज्ञ दल द्वारा इन्स्टीट्यूशन ऑफ मेकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई की परीक्षा प्रणाली में पाई गई कतिपय गंभीर कमियों के बाद उच्च स्तरीय शैक्षिक अर्हता समिति के व्यापक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् इस संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को केन्द्र सरकार के अधीन नियोजन के प्रयोजन से दी गई मान्यता वापस ले ली थी। तथापि यह संस्था परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि इन्स्टीट्यूशन ऑफ मेकेनिकल इंजीनियर्स (इंडिया), मुम्बई द्वारा प्रदत्त डिग्रियों को मूल्यांकन बोर्ड (तत्कालीन अधिकार प्राप्त निकाय) द्वारा मान्यता प्रदान करने से पहले किया जा रहा था।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

3394. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम हेतु निधियों के उपयोग को पर्याप्त नियोजन और जल स्त्रोतों की वैज्ञानिक खोज-पहचान किए बिना विभिन्न राज्यों में हजारों योजनाएं स्थगित कर देनी पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्यवार कितनी घाटा और अपव्यय हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं० 3 के अध्याय III के पैरा 5.3 में उल्लेख है कि 19 राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों ने 197.52 करोड़ रु० खर्च करने के बाद 2,371 योजनाओं को उनके निष्पादन के दौरान ही स्थागित कर दी, जिससे संपूर्ण खर्च बेकार हो गया। यह उल्लेख किया गया है कि ये योजनाएं विभिन्न कारणों अर्थात् स्त्रोतों के सूख जाने, ट्यूब वेल के बेकार हो जाने, जल के कम रिसाव; भू-जल की अनुपलब्धता, स्थलों के गलत चयन, भूमि की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा उठायी गई आपत्तियों, अन्य विवादों, बांध निर्माण कार्यों के पूरा न होना, शोध संयत्र का निर्माण न किए जाने, जरूरी सामग्रियों की अनुपलब्धता, डिजाइन बनाने में दोष इत्यादि की वजह से असफल हुई। योजना बनाने में दोष तथा प्रभावहीन कार्यान्वयन की वजह से भी अन्य योजनाएं स्थगित कर दी गई हैं।

पेयजल राज्यों का विषय होने के कारण, पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं राज्यों द्वारा स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासें में सहायता करती है।

सी.ए.जी. रिपोर्ट में निहित अधिकांश टिप्पणी राज्य विशेष से संबंधित हैं और इसलिए उन पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे उनसे संबंधित अभ्युक्तियों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें जिनमें विभिन्न कारणों से योजनाओं का स्थागित किया जाना शामिल है।

दिल्ली मेट्रो का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक विस्तार

3395. डा० डी०वी०जी० शंकर राव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मेट्रो का पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तार करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो को शुरू करने हेतु संशोधित चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3396. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा पेयजल योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंड को संशोधित करने का है ताकि पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ सके और इस प्रयोजनार्थ राज्यों को अधिक धनराशि प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक संशोधित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) पेयजल सुविधा सहित और आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त बस्तियों तथा गुणता प्रभावित बस्तियों को अधिक महत्व देने के लिए राज्यों को दी जाने वाली निधियों के अन्तर-राज्यीय आबंटन के मानदंड में हाल ही में संशोधन किया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण बस्ती को पेयजल आपूर्ति की सुविधा के अंतर्गत कवर करने के लिए मानदंड को शिथिल बनाया जाए जिससे कि वर्तमान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानदंड के अनुसार, एक राज्य में जब समस्त शामिल न की गयी/आंशिक

रूप से शामिल की गयी ग्रामीण बस्तियों को कवर कर लिया जाता है, तो तराई क्षेत्र में 0.5 कि०मी० के भीतर और पहाड़ी क्षेत्र में 50 मीटर की ऊंचाई पर ही एक स्रोत से प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन जल मुहैया हो सके। यह शिथिलता इस शर्त के अध्यधीन होगी कि शिथिल मानदंडों के लाभार्थी पूंजीगत लागत का एक हिस्सा (जो 10 प्रतिशत से कम न हो) देने के लिए इच्छुक हों और बाद की संचलन एवं रखरखाव की पूर्ण जिम्मेवारी वहन करें।

[अनुवाद]

कनिष्क होटल का विनिवेश

3397. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनिष्क होटल के साथ लगी विभिन्न इकाइयों को बंद करने और अशोक यात्री निवास होटल के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे के संबंध में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर इसके विनिवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मसले को कब तक सुलझा लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के विनिवेश कार्यक्रम मे होटल और होटल जनपथ को बाहर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नई दिल्ली स्थित होटल अशोक और होटल जनपथ को, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा नए प्रस्तावों का निरुपण लंबित रहने तक विनिवेश प्रक्रिया से अलग रखा गया है। जहां तक होटल जनपथ का संबंध है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय इस होटल का उपयोग भारत पर्यटन भवन कि लिए करने का प्रस्ताव करता है।

कोयला खानों में सुरक्षा पर खर्च की गई धनराशि

3398. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कोयला खानों में संरक्षा और सुरक्षा की देखभाल के लिए निरंतर जांच और निगरानी प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए एन.एल.सी. लिमिटेड सहित कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी इकाइयों द्वारा वर्ष-वार और कंपनी-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों हेतु उच्च कोटि के सुरक्षा उपकरणों की खरीद की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) कोयला खानों सहित सभी खानों में सुरक्षा की निरन्तर रूप से जांच तथा मानीटरिंग करता है।

इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लि०, प्रत्येक सहायक कंपनी तथा एपेक्स सी.आई.एल. स्तर पर ढांचागत आंतरिक सुरक्षा संगठन (आई.एस.ओ.) के माध्यम से अपनी कोयला खानों की सुरक्षा-स्थिति की मानीटरिंग तथा जांच करती है। आंतरिक सुरक्षा संगठन प्रत्येक कंपनी के तकनीकी निदेशक को रिपोर्ट करता है

इसके अलावा, प्रत्येक खान में श्रमिक निरीक्षक (पंजीकृत ट्रेड यूनियन के परामर्श से नियुक्त किए गए श्रमिकों के प्रतिनिधि, जो खानों का निरीक्षण करते हैं) खानों का निरीक्षण कर सिफारिशें करते हैं, जिनका पालन करना होता है और डी.जी.एम.एस. अधिकारियों को सूचित किया गया है।

साथ ही, खान की सुरक्षा की स्थिति की मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक खान में सुरक्षा समिति की महीने में एक बार बैठक होती है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र स्तरीय त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समितियों, कंपनी स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों तथा कोल इंडिया सुरक्षा बोर्ड एवं कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुरक्षा को निरन्तर रूप से मॉनीटर किया जाता है। इन निकायों में श्रमिकों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान सुरक्षा उपाय कराने के लिए सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा व्यय की गई कंपनी-वार/वर्ष-वार राशि नीचे दिए अनुसार है:-

(करोड़ रु. में)

कंपनी	1999-2000	2000-2001	2001-2002
ई.सी.एल.	84.9400	53.1114	104.2273
बी.सी.सी.एल.	152.1200	115.6172	182.9437
सी.सी.एल.	13.0959	10.1580	12.8643
एन.सी.एल.	5.8400	3.5854	3.3000
डब्ल्यू.सी.एल.	50.7000	42.8059	57.9151
एस.ई.सी.एल.	58.7400	68.1400	88.9200
एम.सी.एल.	10.7364	9.6500	14.8380
एन.ई.सी.	3.6842	3.0216	3.2105
जोड़ (सी.आई.एल.)	379.8565	306.0895	468.2189

जहां तक नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) का संबंध है, हेल्मेट, जूते तथा अन्य सुरक्षा उपकरण जैसे एहतियाती सुरक्षा उपकरण तथा सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण पर व्यय 240 लाख रु. से 300 लाख रु. प्रतिवर्ष तक है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० अच्छी कोटि के सुरक्षा उपकरणों को खरीदने का पूरा प्रयास करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों ने विभिन्न सुरक्षा उपकरण खरीदे हैं, जैसे:-

(1) गैस डिटेक्टिंग/मानीटरिंग उपकरण जैसे :-

- खान में आग/विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होने की अवस्था में पूर्व चेतावनी देने के लिए कम्प्यूटरीकृत निरन्तर खान पर्यावरणीय टेलीमॉनीटरिंग प्रणाली (ई.टी.एम.एस.)।
- गैस का पता लगाने वाले टाक्सीमीटर, आक्सीमीटर बहु-गैस डिटेक्टर जैसे डिजिटल सेन्सर आधारित हस्तचालित उपकरण।
- मीथेनोमीटर, सह-डिटेक्टर।

(2) रूफ बोल्टिंग के लिए वायवीय ड्रिल।

(3) ई.डी.एम. कुल स्टेशन तथा डिस्टोमैट जैसे आधुनिक पर्यवेक्षण उपकरण।

(4) आधुनिक स्वत: पूर्ण श्वयन यंत्र, अल्पावधिक श्वसन यंत्र तथा श्वसन यंत्रों के परीक्षण के लिए कम्प्यूटरीकृत परीक्षण उपकरण जैसे बचाव उपकरण।

[हिन्दी]

फर्जी ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र पर शराब की बिक्री

3399. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में फर्जी ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र के अंतर्गत शराब की बिक्री करने संबंधी एक रैकेट का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की इस गिरोह के साथ मिलीभगत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारवाई की गई है और कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 163/2002 की जांच-पड़ताल के दौरान, दिल्ली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे कोरे जाली ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र बरामद किए गए जिनसे उन्हें जंजीबार सरकार द्वारा जारी करने का आभास मिलता है। बताया जाता है कि इन जाली ट्रेडमार्क प्रमाणपत्रों को उत्पाद शुल्क विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शराब के कारखानों को बेचा जा रहा था। तथापि, जहां तक जाली ट्रेडमार्क प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का प्रश्न है, दिल्ली उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी कर्मचारी की सहापराधिता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है।

सीमा शुल्क विभाग के प्रमुखों का सम्मेलन

3400. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आतंकवाद से मुकाबला करने तथा इसे नियंत्रित करने हेतु अनेक देशों के सीमा शुल्क विभाग के प्रमुखों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, एशिया और पेसीफिक रीजन के लिए सीमा शुल्क प्रवर्तन सेवाओं के प्रमुखों की एक बैठक, विश्व सीमा शुल्क संगठन ब्रूसेल्स के साथ मिलकर 14 और 15 मई, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) इस बैठक में, भारत, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, चीन, फिजी द्वीप, हांग-कांग, चीन, इन्डोनेशिया, इस्लामिक, रिपब्लिक आफ ईरान, जापान, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, समोया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, और वियतनाम ने भाग लिया।

(ग) बैठक में, सीमा शुल्क कानूनों के प्रवर्तन संबंधी अनेक प्रकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति सीमा शुल्क का रिसपोंस भी शामिल है। बैठक में यह टिप्पणी की गयी कि सभी सीमा शुल्क प्रशासनों के शस्त्र, विस्फोटकों, नशीली दवाओं, बायोलेजिकल और केमिकल हथियारों इत्यादि का पता लगाने के लिए सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

3401. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन हेतु भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इनको भुगतान किया जाने वाला मानदेय अपर्याप्त है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उनको भुगतान किये जा रहे मानदेय में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक की भागीदारी की प्रतिशतता कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनके अनुभव और अर्हताओं के आधार पर 438/-रुपये से लेकर 564/-रुपये तक प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय को बढ़ाकर लगभग दुगुना करने के बारे में सिद्धांत रूप में सहमति हो चुकी है। कुछ राज्य इन कार्यकर्त्रियों को अपने संसाधनों में से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।

सरकारी पॉलीटेक्नीक, जबलपुर

3402. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित सरकारी पॉलीटेक्नीक को महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जबलपुर स्थित सरकारी पॉलीटेक्नीक में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कोर्ठ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड एक्रीडिटेशन द्वारा मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित सरकारी पॉलीटेक्नीक में मानदंडों की समीक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) राजकीय पोलिटेकनिक, जबलपुर, मध्य प्रदेश ने अपने कार्यक्रमों के प्रत्यायन के विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कोई प्रस्ताव नहीं सौंपा है।

[अनुवाद]

बालिका समृद्धि योजना

3403. श्री भर्तृहरि महताब : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-02 के दौरान बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के नाम पर ब्याज खातों में वर्ष-वार कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(ख) राज्यों में योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष 2001-2002 के दौरान बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत 1304.43 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई। अधिकांश राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित हैं। पांच राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन राज्यों में बालिकाओं के नाम खोले गए खातों में 208.14 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार किया जाता है।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार जमा की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जमा की गई राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	**
2.	अरुणाचल प्रदेश	**
3.	असम	**
4.	बिहार	**
5.	छत्तीसगढ़	196.69
6.	गोवा	**
7.	गुजरात	**
8.	हरियाणा	**
9.	हिमाचल प्रदेश	**
10.	जम्मू व कश्मीर	**
11.	झारखण्ड	**
12.	कर्नाटक	**
13.	केरल	**
14.	मध्य प्रदेश	**
15.	महाराष्ट्र	**
16.	मणिपुर	**
17.	मेघालय	**
18.	मिजोरम	5.50
19.	नागालैण्ड	**
20.	उड़ीसा	**
21.	पंजाब	**
22.	राजस्थान	0.69
23.	सिक्किम	2.01
24.	तमिलनाडु	**
25.	त्रिपुरा	3.25
26.	उत्तर प्रदेश	**
27.	उत्तरांचल	**
28.	प० बंगाल	**

1	2	3
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	**
30.	चण्डीगढ़	**
31.	दादरा व नगर हवेली	**
32.	दमन व दीव	**
33.	दिल्ली	**
34.	लक्षद्वीप	**
35.	पांण्डुचेरी	**
	कुल	208.14

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई खोजें

3404. **श्री वाई.वी. राव :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई नई खोजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खोजों के व्यवसायीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) नई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय खोजें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार की गत्यात्मक और सतत चलने वाली प्रक्रियाओं का मात्रीकरण केवल पेटेंट योग्य खोजों के संदर्भ में ही संभव हो सका है जो कि खोजों की नूतनता, खोजीपन और उपयोगिता के प्रदर्शन करने में सक्षम है। पेटेंट भारत तथा विदेशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटैक्नोलॉजी विभाग तथा सी एस आई आर द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में 191 पेटेंट विदेशों में तथा 576 पेटेंट भारत में प्रदान किए गए।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय खोजों का व्यावसायीकरण बहुत सी योजनाओं के तहत आरंभ कर दिया गया है उसमें से कुछ इस प्रकार हैं प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, होम ग्रोन टैक्नोलॉजी कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित कार्यक्रम, टेक्नो-प्रीन्यूर उन्नयन कार्यक्रम तथा नेशनल इंनोवेशन फाऊंडेशन। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग/संगठन की इन-हाउस खोजों के व्यावसायीकरण के लिए अपनी यंत्रावली हैं। उपर्युक्त योजनाएं चल रही हैं।

[हिन्दी]

झारखण्ड की कोयला खानों में कोयले और अन्य सामग्री की चोरी

3405. **श्री सुबोध राय :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड के धनबाद क्षेत्र की कोयला खानों से तकनीकी उपकरणों सहित कोयले और अन्य सामग्रियों की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह चोरी अधिकारियों की साठ-गांठ से हो रही है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) झारखंड राज्य के धनबाद क्षेत्र में स्थित बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. की कोयला खानों में कोयला तथा अन्य सामग्री की चोरी/उठाईगीरी की घटनाओं की सूचना मिली है। तथापि, इस प्रकार की चोरी में अधिकारियों के शामिल होने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) कोयले की चोरी/उठाईगीरी गुप्त रूप से की जाती है और अत: इस प्रकार की चोरी के कारण हुए घाटे का एकदम सही-सही ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। तथापि, सुरक्षा बलों, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की गई गश्त तथा छापों के दौरान धनबाद क्षेत्र में हुई बरामदगी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कम्पनी		2000-2001	2001-2002
बी.सी.सी.एल.	प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या	12	57
	पकड़े गए कोयले की मात्रा (टन)	96.16	142.03
	लगभग मूल्य (लाख रु. में)	1.28	2.09
ई.सी.एल.		कोई सूचना नहीं।	

जहां तक केबल, बैटरी, लोहा, इस्पात, आदि जैसी अन्य सामग्रियों की चोरी का संबंध है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

कम्पनी		2000-2001	2001-2002
बी.सी.सी.एल.	प्रथम सूचना रिपोर्टों/स्टेशन डायरी की संख्या	25	30
	पुलिस को सौंपी गई सामग्री का मूल्य (लाख रुपये में)	2.46	3.58
	कम्पनी को सौंपी गई सामग्री का मूल्य (लाख रुपये में)	11.69	7.19
ई.सी.एल.		कोई सूचना नहीं	मूल्य-1.34 लाख रुपये प्राथमिकी/ स्टेशन डायरी बनाई गई

(घ) और (ङ) बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. ने आगे की कार्रवाई हेतु पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी/स्टेशन डायरी दायर की है।

[अनुवाद]

बोली लगाने संबंधी मानदंड

3406. श्री शिवाजी माने : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु बोली लगाने वाले संस्थानों के लिए मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान विनिवेश हेतु बोली लगाने के लिए अनेक संगठनों को अयोग्य ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और उन्हें अयोग्य करार दिये जाने के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने, विनिवेश मंत्रालय के दिनांक 13.07.2001 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा बोलीदाताओं की योग्यता/अयोग्यता के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सं. 6/4/2001 -वि.वि.-II

भारत सरकार

विनिवेश विभाग

ब्लॉक न. 14, केन्द्रीय सरकारी कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली।

दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हता के लिए दिशा-निर्देश।

सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में इच्छुक बोलीदाताओं के लिए मापदण्डों को परिभाषित करते हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन-साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सकें। इससे पूर्व, निवल मूल्य, अनुभव, आदि जैसे निश्चित मापदण्ड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार ने, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

(क) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से इतर अन्य मामलों के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोषसिद्धि अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश जो सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट, जब इसका विनिवेश हो जाए, का प्रबंधन करने के लिए बोलीदाता की क्षमता पर आशंका प्रकट करता हो अथवा जो गंभीर अपराध से संबंध रखता हो, वह अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ख) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों के संबंध में बोलीदाता पार्टी अथवा बोलीदाता पार्टी की किसी सहायक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए सरकार की किसी अजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र/न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण अयोग्यता का परिणाम होगा। सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलत: नियंत्रित हैं।

(ग) (क) तथा (ख) दोनों में अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने से अयोग्य ठहराया गया है, सम्बद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोली-दाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे अयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदण्ड, इसके बाद इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ, उपरोक्त मानदण्ड पर जानकारी प्रदान करनी होगी। बोलीदाताओं को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्रधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्ही निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है। उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिनके विरुद्ध जांच-पड़ताल आरंभ की गई है तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदण्ड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी।

ह०/
(ए.के. तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग

[हिन्दी]

मस्जिदों में आतंकवादियों का छिपना

3407. श्री राजो सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने मामलों में आतंकवादी मस्जिदों में छिपे हुए पाए गये; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि आतंकवादी मस्जिदों में शरण न लें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें, पिछले तीन सालों के दौरान जम्मू और कश्मीर में मस्जिदों में शरण लिए हुए आतंकवादियों का पता लगाया गया है, नीचे दी गई है :-

1999	—	शून्य
2000	—	शून्य
2001	—	5
2002	—	6 (18 जुलाई, 2002 तक)

(ख) सुरक्षा बलों के पास प्रत्येक विशिष्ट मामले की जमीनी तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने और अपनी कार्रवाइयों को इस प्रकार से प्लान करने की छूट है कि कार्रवाई के उद्देश्य से समझौता किए बिना धार्मिक इमारतों को न्यूनतम सम्भव क्षति हो।

[अनुवाद]

नागा अलगाववादियों की गतिविधियां

3408. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री होलखोमांग हौकिप :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से नागा अलगाववादी नेता विदेशों से संचालन कर रहे हैं;

(ख) कौन-कौन से सरकारी शिष्टमंडल अलगाववादी गिरोहों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं;

(ग) क्या ये अलगाववादी गिरोह लोगों को डरा धमका कर पैसा ऐंठने और म्यांमार तथा बांगलादेश से तस्करी करने वाले अन्य भूमिगत गिरोहों के साथ शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) चालू युद्ध विराम के दौरान नागालैंड के अंदर और बाहर एन एस सी एन (आई एम) द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों पर कितने हमले किये गये;

(च) क्या दिनांक 12 जुलाई, 2002 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार के अनुसार टी० मुइवा (आई०एम०) 12450 शेयर खरीद कर आयरिश कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य बन गए हैं;

(छ) यदि हां, तो इन नेताओं ने विदेशों में ऐसी धनराशि निवेश की है और उससे आधुनिक हथियार और गोला-बारूद खरीदा है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) विदेशी भूमि से कार्य कर रहे प्रमुख नागा उग्रवादी हैं:- (1) श्री ईसाक, स्व; (2) श्री टी एच मुइवा; (3) श्री खपलांग; और सुश्री एडिनो।

(ख) नागा नेताओं से बातों के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री के. पदमनाभैया हैं।

(ग) और (घ) म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों द्वारा धन ऐंठने, उत्पीड़न और तस्करी की कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा बलों की तैनाती, चैकों से वेतन का वितरण, सीमा सड़कों का निर्माण, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा दोनों पर गश्त गहन करना, निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि, निगरानी उपकरण, जिसमें नाइट विजन डिवाइस सम्मिलित हैं, का प्रावधान, आदि शामिल हैं।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान नागा उग्रवादियों द्वारा घात लगाए जाने की नागालैंड में 5 घटनाएं और नागालैंड से बाहर 20 घटनाएं हुई।

(च) से (ज) सरकार ने समाचार देखा है। तथापि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जाली वीजा रैकेट

3409. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल में यूरोपीय देशों के लिए जाली वीजा उपलब्ध कराने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जैसा कि दिनांक 9 जुलाई, 2002 के द पायनियर में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रैकेट की कार्य-प्रणाली क्या थी;

(ग) क्या इस रैकेट के संचालन में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के संलिप्त होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। यह एक अकेला ऐसा मामला था जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति ने विदेश मंत्रालय में कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बताए कथित जाली सिफारिशी पत्र के आधार पर स्पेन जाने के लिए वीसा प्राप्त करने का प्रयास किया।

(ङ) अवैध रूप से वीसा प्राप्त करने के लिए उभर रहे संगठित रैकेटों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में आसूचना प्राप्त करना तथा विगत में ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों या जिन पर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह हो, पर निगरानी रखना शामिल है।

[हिन्दी]

नक्सलियों के साथ बातचीत

3410. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के नक्सली और आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या नक्सली संगठनों ने युद्धविराम का प्रस्ताव किया है और वे बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार, नक्सलवादी और अन्य आतंकवादी गुटों की गतिविधियों से प्रभावित राज्यों में शांति बहाल करने के लिए बचनबद्ध हैं। सरकार उन सभी से सभी संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है, जो शांति के पथ से भटक गए हैं लेकिन हिंसा छोड़ने को उत्सुक हैं और हमारे संविधान के दायरे के भीतर बातचीत करने के लिए बिना शर्त आगे आना चाहते हैं।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सक्रिय कुछ वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की है। राज्य सरकार और वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत कुछ दौर पहले ही हो चुके हैं।

[अनुवाद]

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

3411. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल भौगोलिक क्षेत्र जो 328 मिलियन हेक्टेयर का है, से केवल 181 मिलियन हेक्टेयर ही खेती योग्य है, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल) 1999 के पृष्ठ 90 के पैरा 3.1.1 में दर्शाया गया है;

(ख) क्या 1973 में आरंभ किये गये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र को उबारने के लिए और अधिक मिलियन हेक्टेयर भूमि को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाना था और इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए; और

(ग) यदि हां, तो डी०पी०ए०पी० द्वारा फसलों के उत्पादन की तुलना में और अधिक हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाने में कितनी सफलता हासिल की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) 328 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 74.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को इस समय 16 राज्यों में 183 जिलों के 971 खण्डों में चलाए जा रहे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत शामिल किया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1973-74 में शुरू किए जाने से लेकर 1994-95 तक इसे क्षेत्रीय आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा था और इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1762 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 5.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया गया था।

इस कार्यक्रम को 1.4.95 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है और कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में 8.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 16268 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 3386 वाटरशेड परियोजनाएं जिनमें 1.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि लम्बी होती है और इनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, भू-जल

के स्तर की पुन: पूर्ति, भूमि की उर्वरता में सुधार आदि के जरिए भूमि अवक्रमण को रोकना, ईंधन-लकड़ी तथा चारे सहित बायो-मास का सतत रूप से उत्पादन करना तथा परिस्थितिकीय संतुलन को पुन: कायम करना है। मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से यह पता चलता है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन से परियोजना क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता, जल के स्तर, ईंधन और चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। परियोजना क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों के लिए धन का आबंटन

3412. **श्री रघुनाथ झा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंजरभूमि विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या-क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान बंजरभूमि विकास हेतु आबंटित और प्रयुक्त धन राज्यवार कितना है; और

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु आबंटित धन का समुचित एवं पुर्णरूपेण उपयोग सुनिश्यित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाएं जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता है। केन्द्र स्तर पर कार्यक्रमों के लिए किये गये वार्षिक बजट आबंटन को प्राप्त की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए चल रही वाटरशेड परियोजनाओं के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए तथा नई परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तद्नुसार आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र स्तर पर इन वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	आठवीं योजना (1995-96 और 1996-97)		नौवीं योजना (1997-98 से 2001-2002 तक)	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०)	100.00	101.80	492.13	496.96
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)	250.00	228.93	678.75	657.31
मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)	165.00	166.37	520.03	519.67

इस प्रकार आठवीं और नौवीं योजनाओं के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का कुल मिलाकर पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है। दसवीं योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए कार्यक्रम परिव्यय का भी पूर्णतया उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

इन कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण आदि में अधिक लचीलापन लाने, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लक्ष्योन्मुखी भूमिका निर्धारित करने, द्विमार्गी दृष्टिकोण अपनाने, वहिर्गमन (एग्जिट प्रोटोकॉल) तथा अधिक सामुदायिक भागीदारी की व्यवस्था के लिए वर्ष 2001 में संशोधित किया गया है। मौजूदा निगरानी प्रणाली के अलावा राज्य और जिला स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थाओं को शामिल करके निगरानी तंत्र और सुदृढ़ किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत

स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए मध्यावधिक मूल्यांकन भी लागू किया गया है ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो मध्य-अवस्था में सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

अशिक्षा प्रवण क्षेत्र

3413. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ क्षेत्रों की पहचान अशिक्षा प्रवण क्षेत्र के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारें प्रभावी रूप से अशिक्षा उन्मूलन की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) देश के विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर अलग-अलग हैं। जनगणना 1991 तथा 2001 के अनुसार साक्षरता दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिन राज्यों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है उनकी निकटता से मानीटरिंग की जाती है।

(ङ) और (च) साक्षरता अभियान की कारगरता निम्नलिखित तथ्यों से साबित होती है :-

- 2001 में साक्षरता दर 65.38% दर्ज की गई है जबकि 1991 में यह 52.21% थी। इस अवधि के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि किसी भी दशक में हुई वृद्धि से सर्वाधिक है।
- महिला साक्षरता में 14.8% की वृद्धि हुई है अर्थात् यह 39.3% से बढ़कर 54.16% हो गई है जबकि पुरुष साक्षरता में 11.70% की वृद्धि हुई है अर्थात् यह 64.1% से 75.8% हुई है।
- पहली बार गत 10 वर्षों के दौरान निरक्षरों की कुल संख्या में गिरावट आई है।
- पुरुष आबादी का तीन चौथाई तथा महिला आबादी का आधे से अधिक भाग साक्षर है।
- बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1991-2001 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

(छ) उठाए गए कदमों में शामिल हैं—राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पैरामीटरों में संशोधन तथा वित्तीय मानदंडों में वृद्धि, संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के चरणों का एकीकरण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को अधिकारों का प्रत्यायोजन, सतत शिक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में विस्तार, जनशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यकलापों का विस्तार, बेहतर अध्ययन/अध्यापन सामग्री तैयार करने तथा अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों को गतिशील बनाना।

विवरण

साक्षरता दर 1991 एवं 2001

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना 1991			जनगणना 2001		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	44.1	55.1	32.7	61.11	70.85	51.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	51.4	29.7	54.74	64.07	44.24

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	52.9	61.9	43	64.28	71.93	56.03
4.	बिहार	38.5	52.5	22.9	47.53	60.32	33.57
5.	छत्तीसगढ़	उ०न०	उ०न०	उ०न०	65.18	77.86	52.4
6.	गोवा	75.5	83.6	67.1	82.32	88.88	75.51
7.	गुजरात	61.3	73.1	48.0	69.97	80.5	58.6
8.	हरियाणा	55.8	69.1	40.5	68.59	79.25	56.31
9.	हिमाचल प्रदेश	63.9	75.4	52.1	77.13	86.2	68.08
10.	जम्मू और कश्मीर	उ०न०	उ०न०	उ०न०	54.46	65.75	41.82
11.	झारखंड	उ०न०	उ०न०	उ०न०	54.13	67.94	39.38
12.	कर्नाटक	56	67.3	44.3	67.04	76.29	57.45
13.	केरल	89.8	93.6	86.2	90.92	94.2	87.86
14.	मध्य प्रदेश	44.2	58.4	28.8	64.11	76.8	50.28
15.	महाराष्ट्र	64.9	76.6	52.3	77.27	86.27	67.51
16.	मणिपुर	59.9	71.6	47.6	67.87	77.87	59.7
17.	मेघालय	49.1	53.1	44.8	63.31	66.14	60.41
18.	मिजोरम	82.3	85.6	78.6	88.49	90.69	86.13
19.	नागालैंड	61.6	67.6	54.7	67.11	71.77	61.92
20.	उड़ीसा	49.1	63.1	34.7	63.61	75.95	50.97
21.	पंजाब	58.5	65.7	50.4	69.95	75.63	63.55
22.	राजस्थान	38.5	55	20.4	61.03	76.46	44.34
23.	सिक्किम	56.9	65.7	46.7	69.68	76.73	61.46
24.	तमिलनाडु	62.7	73.7	51.3	73.47	82.33	64.55
25.	त्रिपुरा	60.4	70.6	49.6	73.66	81.47	65.41
26.	उत्तर प्रदेश	41.6	55.7	25.3	57.36	70.23	42.98

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तरांचल	उ०न०	उ०न०	उ०न०	72.28	84.01	60.26
28.	पश्चिम बंगाल	57.7	67.8	46.6	69.22	77.58	60.22
29.	चंडीगढ़	77.8	82	72.3	81.76	85.65	76.65
30.	दिल्ली	75.3	82	67	81.82	87.37	75
31.	पांडिचेरी	74.7	83.7	65.6	61.43	88.89	74.73
32.	दमन और दीव	71.2	82.7	59.4	81.09	88.4	70.37
33.	अंडमान और निकोबार	73	79	65.5	81.18	86.07	75.29
34.	दादरा और नगर हवेली	40.7	53.6	27	60.03	73.32	42.99
35.	लक्षद्वीप	81.8	90.2	72.9	87.52	93.15	81.56
	भारत	52.2	64.1	39.3	65.38	75.85	54.16

1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

डीडीए द्वारा बहुमंजिले फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि

3414. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के मोतिया खान में बने उन बहुमंजिले फ्लैटों के मूल्य में तीन गुणा वृद्धि की है जिनका वहां से झुग्गी झोपड़ियों के हटाए जाने के बाद निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां निर्मित एलआईजी/एमआईजी फ्लैटों का निर्धारित किया गया मौजूदा वास्तविक मूल्य कितना है;

(ग) इन फ्लैटों के आबंटन हेतु क्या प्रक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार डीडीए द्वारा खाली कराए गए उक्त स्थान पर शापिंग सेंटर और एलआईजी/एमआईजी फ्लैटों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने मोतिया खान के बहु-मंजिले ब्लाकों में कोई एलआईजी/एमआईजी फ्लैट नहीं बनाए। तथापि, उसने अक्तूबर, 1982 में मोतिया खान में एस एफ एस फ्लैटों की एक स्कीम घोषणा की थी, जिसमें दो ब्लाकों में प्रत्येक ब्लाक में 42 फ्लैट के हिसाब से 84 श्रेणी-III एस एफ एस बहु मंजिले फ्लैट बनाए जाने थे। फ्लैटों के आबंटन हेतु 20.1.1983 को ड्रा निकाला गया था और फ्लैटों की अनुमानित लागत 3,81,900/- रु० दिखाई गई थी। लेकिन फ्लैटों के निर्माण में विलंब हो गया और 1996 में पूरा हुआ। मोतिया खान में इन श्रेणी-III एस एफ एस बहु मंजिले फ्लैटों की लागत मूल आबंटियों के लिए अन्ततः 1998 में अनुमोदित हुई, जिसमें मूल आबंटी को कुर्सी क्षेत्र में अन्तर के आधार पर 23.86 लाख रु० से 26.92 लाख रु० तक का अन्तर पड़ा।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि झुग्गी समूहों को हटाने के बाद मोतिया खान में उपलब्ध होने वाली भूमि पर एल आई जी/एम आई जी फ्लैटों के निर्माण के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। उनका इस भूमि पर होटल, शापिंग सेंटर तथा एच आई जी बहु-मंजिले फ्लैट बनाने हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रख्यात् वैज्ञानिकों की सेवाएं लेना

3415. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का प्रख्यात वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवाएं लेने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने 2001-2002 में कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि संस्थान में यह प्रावधान है कि संस्थान के संकाय के अवैतनिक प्रोफेसर सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं जो पूर्णत: अवैतनिक आधार पर उस शोध कार्यक्रम को पूरा करने हेतु बढ़ावा देने के लिए है जिस पर वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय कार्य कर रहे थे। यह योजना एक कठोर चयन प्रक्रिया पर आधारित है और संस्थान के प्रशासी परिषद के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष केवल कुछेक संकाय के सदस्यों के लिए सीमित है।

अपराधजगत द्वारा सेटेलाइट फोन का उपयोग

3416. श्री वाई०जी० महाजन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधजगत ने अब सेटेलाइट फोन का उपयोग करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच एजेंसियों को उक्त गतिविधियों पर निगरानी रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अपराधजगत की इन गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सुरक्षा अभिकरणों द्वारा ऐसी गतिविधियों के प्रबोधन के लिए यथोचित जवाबी उपाय किए गए हैं।

केन्द्रीयकृत प्रवेश संबंधी ब्यौरा

3417. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए आई सी टी ई अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी महाविद्यालयों के संबंध में एक केन्द्रीयकृत प्रवेश ब्यौरा रख रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए आई सी टी ई से मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय में प्रवेश पाने का इच्छुक कोई छात्र उक्त महाविद्यालय के बारे में सूचना एवं संपर्क प्राप्त कर सकता है;

(ग) क्या किसी विशेष प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के मानकों का निर्धारण करने के लिए ए आई सी टी ई द्वारा किसी ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो महाविद्यालय की प्रबंधन गुणवत्ता और शैक्षणिक मानकों के संबंध में छात्रों को सहायता पहुंचाने के लिए महाविद्यालय की वार्षिक रेटिंग का रिकार्ड हेतु ए आई सी टी ई द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में दाखिले राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्यार्थ गठित समितियों द्वारा दिए जाते हैं (जिसका ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित तकनीकी शिक्षा निदेशालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध अनुमोदित संस्थानों की मुद्रित डाइरेक्टिरियों के अलावा अनुमोदित संस्थाओं की सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं में इन कार्यक्रमों की ग्रेडिंग करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदत्त ग्रेड तीन या पांच वर्ष के लिए वैध होते हैं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास में निवेश

3418. प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री जय प्रकाश :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मानव संसाधन विकास से संबंधित चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में किए गए निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित की गई एवं व्यय की गई धनराशि का योजनावार एवं संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने प्रौद्योगिकी संस्थानों का वित्त पोषण किया जा रहा है;

(घ) देश में मानव संसाधन विकास से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को इन योजनाओं के लिए आवंटित धन को अन्यत्र उपयोग की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धन के अन्यत्र उपयोग की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई लागत में वृद्धि

3419. श्री अम्बरीश : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनधारा विकास से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश 1995-96 में ही जारी कर दिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पनधारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई लागत के पनधाराओं को आविष्ट करने हेतु 4000/- रुपए प्रति हेक्टेयर निधारित किया गया था;

(ग) क्या गत सात वर्षों के दौरान बढ़ी हुई मजदूरी दरों के दृष्टिगत उक्त इकाई लागत पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो पनधाराओं की प्रति हेक्टेयर इकाई लागत में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पनधारा (वाटशेड) विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त अक्तूबर, 1994 में जारी किए थे जो 1.4.1995 से लागू हुए थे। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे सभी तीन मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के लिए समान रूप से लागू हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास की इकाई लागत को 1.4.2000 से स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए संशोधित करके 6000/- रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड

3420. श्री रामजी मांझी : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों ने छोटे और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की है जिससे वे कोयले की आपूर्ति के लिए काला बाजार पर निर्भर हैं और ग्रामीण उनभोक्ता अपनी ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वृक्षों की कटाई का सहारा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। सी.आई.एल. और इसकी सहायक कम्पनियां छोटे और नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा नहीं कर रही है। इस के विपरीत सी.आई.एल./कोयला कंपनियां उपभोक्ताओं को पेश आने वाली समस्याओं का, यदि कोई हो, जायजा लेने के लिए समय-समय पर

उपभोक्ताओं/संस्थाओं के साथ बैठकें करती हैं और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं। इसके अलावा कोयला विभाग द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर गठित कोयला उपभोक्ता पंचायत, जिसमें फिक्की, एसोचैम, जन-हित नामिती आदि के प्रतिनिधि होते हैं, भी समय-समय पर कोयला उपभोक्ताओं की समस्याओं जैसे कोयले की आवश्यकता, क्वालिटी आदि पर विचार-विमर्श करती हैं और ऐसी समस्याओं का समाधान करती हैं। छोटे और नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है, यथा :-

(1) लिंक्ड नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ता उन्हें पहले मंजूर किए गए लिंकेज तथा संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी/राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए स्पॉनसरशिप के प्रति कोयला लेते हैं।

(2) मौसमी उपभोक्ताओं, जैसे ईंट विनिर्माणी यूनिटों को लिंकेज की आवश्यकता नहीं होती और बी.आर.के. क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति संबंधित राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्पानसरशिप के प्रति की जाती है।

(3) कोयला ट्रेड चैनल नेटवर्क स्कीम के अन्तर्गत संविदात्मक आधार पर भी बेचा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रेड चैनल परिचालकों को खुली निविदा के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए चुना जाता है और सी.आई.एल. की कोयला आपूर्ति करने वाली कम्पनी तथा परिचालक के बीच हुए कोयला आपूर्ति करार के प्रति कोयला निर्मुक्त किया जाता है। ट्रेड चैनल नटवर्क स्कीम के अंतर्गत बेचा गया कोयला ट्रेड चैनल परिचालकों द्वारा बेचा जा सकता है।

(4) कोयला खुली बिक्री योजना (ओ.एस.एस.) के अन्तर्गत लिंकेज और स्पानसरशिप के बिना किसी भी इच्छुक क्रेता को भी बेचा जा सकता है। विद्यमान मानकों के अनुसार कोर क्षेत्र तथा लिंक्ड/स्पांसर्ड उपभोक्ताओं और संविदात्मक क्रेताओं की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात् निश्चित स्रोतों से कोयला ओ.एस.एस. के अन्तर्गत बिक्री के लिए दिया जाता है।

(ग) नए कोलियरी नियंत्रण आदेश के जारी होने से कोयले के विनियंत्रण के लाभ को विस्तार देने के उद्देश्य से सी.आई.एल. ने नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया। तदनुसार सी.आई.एल. बोर्ड ने जून, 2001 में सहायक कम्पनियों को नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली तथा प्रक्रिया तैयार करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार, नई नीति का लक्ष्य पारदर्शी ग्राहक अनुकूल तथा सरलतम होना है। प्रस्तावित बिक्री नीति की मुख्य विशेताएं इस प्रकार हैं :-

(क) लिंकेज तथा स्पानसरशिप को समाप्त किया जाना।

(ख) भविष्य में आपूर्ति द्विपक्षीय ईंधन आपूर्ति करार पर आधारित होगी।

(ग) विद्यमान वैध लिंक्ड उपभोक्ताओं को नई प्रणाली के अन्तर्गत पहले स्थान पर कोयला दिया जाएगा (बशर्ते कि सत्यापन अभियान के दौरान, जो वर्तमान में चल रहा है, कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया हो)।

(घ) कुछ निश्चित मात्रा बी.आर.के. आदि जैसे मौसमी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करनी होगी।

(ङ) नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति इस तरीके से करनी होगी जिससे कि कोर क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो।

(च) नॉन कोर क्षेत्र में पूर्व के लिंक्ड उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात्, यदि कोई अतिरिक्त उपलब्धता होगी, उसे इच्छुक क्रेताओं को अलग से दिया जाएगा।

[हिन्दी]

एन.सी.एल. के अन्तर्गत मशीनों की निजी निर्माताओं द्वारा मरम्मत

3421. डा० बलिराम : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.सी.एल. के अंतर्गत मशीनों की मरम्मत से संबंधित मानदंड क्या है;

(ख) क्या विभाग द्वारा इन मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो मशीनों विशेषकर सरस्वती ड्रग लाइन मशीन की मरम्मत निजी क्षेत्र के स्थानीय निर्माताओं से करने के क्या कारण हैं और गत दो वर्ष के दौरान कितना भुगतान किया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच-पड़ताल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) पावर-हाउसों में कोयले की सुचारू रूप से आपूर्ति को बनाए रखने के लिए एन.सी.एल. की मशीनों, विशेष रूप से हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एच.ई.एम.एम.) की पूरे वर्ष देखभाल की जाती है। आवधिक रख-रखाव (समय पर आधारित तथा समयावधि पर आधारित), निवारक/भविष्यसूचक रख-रखाव के लिए निर्धारित मानदण्ड है। इसके अतिरिक्त, हैम (एचईएमएम) की लघु तथा प्रमुख मरम्मत/पुनर्स्थापन आवश्यकता पर आधारित है। रख-रखाव के आवधिक मानदण्ड उपकरण-निर्माता द्वारा इंगित किए जाते हैं और ये मानदण्ड एक-दूसरे नमूने से भिन्न होते हैं। निवारक/भविष्यसूचक रख-रखाव के मानदण्ड भी एक दूसरे नमूने मे भिन्न होते हैं। जब कार्य के घंटे के हिसाब से उपकरण अपना 50% जीवन-काल पूरा कर लेता है तो प्रमुख मरम्मत/पुनर्स्थापन का कार्य किया जाता है। एन.सी.एल. द्वारा उपरोक्त मानदण्ड का पालन किया जाता है। हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एच.ई.एम.एम.) की प्रमुख मरम्मत/पुनर्स्थापन की प्रगति की सूचना बोर्ड को नियमित रूप से दी जाती है क्योंकि उत्पादन तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.)/उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएनएल) के पड़ोसी थर्मल पावर स्टेशनों को प्रेषण के लिए उच्च उत्पादकता वाले उपकरण का रख-रखाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है।

(ग) सरस्वती ड्रेगलाइन का पुनर्स्थापन मूल उपकरण निर्माता (ओ.ई.एम.) / मूल निर्माता (ओ.एम.) से कलपुर्जो को प्राप्त करके विभागीय तौर पर किया गया था। मेसर्स बुसिरस एरी (मूल उपकरण निर्माता) तथा मेसर्स बी.ई.एम.एल. को (भारत सरकार का उपक्रम), जो मेसर्स बुसिरस एरी के भारत में निर्माण पार्टनर हैं, के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी सहायता से सम्पूर्ण नवीकरण का कार्य विभागीय तौर पर किया गया था।

मरम्मत / व्यवरोध काल को कम करने के लिए मशीनीकरण, डेन्टिंग तथा पेन्टिंग, वेल्डिंग इत्यादि जैसे कुछ ही मिश्रित कार्य, कम्पनी की निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों तथा विनियमों का पालन करते हुए स्थानीय एजेन्सियों से करवाए गये थे।

सरस्वती ड्रेगलाइन के नवीकरण पर कुल व्यय निम्नानुसार है :-

1.	उपयोग में लाये गये कलपुर्जो का मूल्य (ओईएम/ओएम से प्राप्त किया गया)	1466 लाख रुपये
2	ओ.ई.एम. में आफ-लोड कार्य का मूल्य (आधार यान्त्रीकरण के लिए)	13.59 लाख रुपये
3	अधिकृत निर्माता, औजार, बीजी स्लीपर तथा बीमा इत्यादि से लोहा तथा इस्पात (सेल से अधिप्राप्त), इलेक्ट्रोड पर व्यय	52.30 लाख रुपये
4	स्थानीय अनुभवी तथा अधिकृत मरम्मत-कर्ता को आफ-लोड कार्य का मूल्य (कम्पनी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए)	53.13 लाख रुपये
	कुल व्यय	1585.02 लाख रुपये
5	स्थानीय अनुभवी तथा अधिकृत मरम्मत-कर्ता को आफ-लोड कार्य के लिए अब तक तैयार किए गए बिलों का कुल मूल्य	43.03 लाख रुपये
6	क्रम सं. 5 में अब तक की गई अदायगी का कुल मूल्य	31.65 लाख रुपये

सरस्वती ड्रेगलाइन ने 17.4.2002 तक 92981 घंटे प्रचालन किया है जो इसकी 1,20,000 घंटे धारित प्रचालन अवधि के 50% से अधिक था। सामान्यत: हैम का पुनर्स्थापन तब किया जाता है जब ऐसे पुनर्स्थापन की लागत नई मशीन के 35% से अधिक नहीं हो। सरस्वती ड्रेगलाइन के मामले में पुनरुद्धार की लागत 15.85 करोड़ रु. था। इस आकार के ड्रेगलाइन का वर्तमान मूल्य लगभग 80 करोड़ है। इस प्रकार पुनरूद्धार लागत मशीन के मूल्य का 19.8% बैठती है जो पुनरूद्धार कार्य प्रारम्भ करने के मानदंडों के भीतर है।

पिछले दो वर्षों के दौरान बाहरी एजेन्सियों से सरस्वती ड्रेगलाइन की करायी गई मरम्मत शून्य है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए जांच की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

[अनुवाद]

सुरक्षा अभिकरणों की ओवरहालिंग

3422. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी चुनौतियों का सामना करने हेतु सुरक्षा अभिकरणों को तैयार करने हेतु विद्यमान आकस्मिक योजना की ओवरहालिंग के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में तैयार किए गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनको क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) आकस्मिकता योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

आवश्यक दवाओं के मूल्यों में संशोधन

3423. श्री नरेश पुगलिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन माह के दौरान कुछ आवश्यक दवाओं के मूल्य में उर्ध्वगामी संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक दवाओं के मूल्य में इतनी तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने विगत तीन माह के दौरान (मई 2002 से जुलाई 2002 तक) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार 17 मूल्य नियंत्रित सूत्रयोग पैकों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए हैं। 14 पैकों के मामले में मूल्य बढ़ाए गए हैं। दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि के सामान्य कारण आमतौर पर कच्चे माल के मूल्यों, परिवहन/मालभाड़ा प्रभारों में वृद्धि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन, करों और शुल्कों इत्यादि में परिवर्तन हैं।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

3424. श्री के० येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रमों को आरंभ करने हेतु दुबई एवं मारीशस में उस्मानिया विश्वविद्यालय के केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) उस्मानिया विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपूर्ण पाया गया था। आयोग ने समझौता ज्ञापन के साथ विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ-2002) की सीमा से बाहर की डी एन ए दवाएं एवं टीका

3425. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भैषज उद्योग ने डी एन ए दवाओं एवं टीका को औषधि मूल्यं नियंत्रण आदेश 2002 की सीमा से बाहर रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) से (ग) जी हां, कई जैवप्रौद्योगिकी कम्पनियों ने सरकार से पुनर्योगज डी एन ए औषधों और टीकों को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ), 2002 की सीमा से बाहर रखने का अनुरोध किया है। तथापि, वास्तविकता यह है कि फरवरी, 2002 में घोषित सरकार की नई औषध नीति के पैरा 12vi (क), उप पैरा (i) के अनुसार, विशेषतौर पर सेरा और टीकों को मूल्य विनियमन से बाहर रखा गया है। औषध निर्माता कम्पनियों को यह सोचकर आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि मूल्य नियंत्रण को पुनर्योगज औषधों और टीकों पर भी लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में तंबू के अन्दर स्थित पुलिस स्टेशन

3426. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के कुछ पुलिस स्टेशन तंबूओं में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुलिस स्टेशनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुलिस स्टेशनों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण करने और उनके रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली में केवल एक पुलिस स्टेशन तंबू में चल रहा है। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण से है कि दिल्ली पुलिस, उक्त स्टेशन के लिए एक स्थायी इमारत बनाने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि का कब्जा नहीं ले सकी क्योंकि पहले तो मामला न्यायालय में लंबित था और बाद में उक्त प्लाट पर अतिक्रमण किया हुआ था।

(ग) दिल्ली पुलिस को अपनी आवास आवश्यकता को सुधारने में समर्थ बनाने के लिए योजना निधियों के आबंटन में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की गई है।

यूनियन कार्बाइड-भोपाल का अवशिष्ट अपशिष्ट

3427. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में यूनियन कार्बाइड के परिसर में रखे हुए अवशिष्ट अपशिष्ट को नष्ट करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से 50 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) इस अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी द्वारा दी गई मुआवजा राशि में से भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी खर्च न की गई राशि से इसका वित्तपोषण किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यूनियन कार्बाइड से प्राप्त राशि भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए रखी गई है। अभी मुआवजा संबंधी सभी दावों का निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन योजनायें

3428. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है बल्कि उनसे अन्य लोग लाभान्वित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभ पूरी तरह बीपीएल लोगों तक पहुंचे?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) को कार्यान्वित करता है। योजना के दिशा-निर्देशों को अब संशोधित किया गया है ताकि एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बनाए गए स्वसहायता समूहों में अधिकतम 20% सदस्य तथा विशेष मामलों में जहां अति आवश्यकता हो, अधिकतम 30% सदस्य गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर और बी.पी.एल. परिवारों के साथ रहने वाले परिवारों में से हो, अगर समूह के बी.पी.एल. सदस्य इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तथापि, ये सदस्य आर्थिक गतिविधियां शुरु करने के लिए सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे।

(ख) से (घ) लाभार्थियों के अनुचित चयन के कुछ प्रसंग मंत्रालय के नोटिस में लाए गए हैं। जब कभी ऐसी रिपोर्टें मंत्रालय में प्राप्त होती हैं इन्हें उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर स्मरण कराया

जाता है कि वे योजना के दिशा-निर्देशों का पालन ईमानदारी से करें और लाभार्थियों का चयन पारदर्शी ढंग से करें।

फिल्मी हस्तियों को पुलिस सुरक्षा

3429. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा संबंधी खतरे की संभावना पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन फिल्मी हस्तियों के नाम क्या हैं, जिन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(घ) उन फिल्मी हस्तियों के नाम क्या हैं जिन पर गत वर्षों के दौरान हमला किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागार राव) : (क) से (ग) किसी व्यक्ति की सुरक्षा उस संबंधित राज्य की जिम्मेवारी है जहां पर वह उस समय मौजूद हो। तदनुसार फिल्ली हस्तियों सहित उन व्यक्तियों, जिन्हें खतरा है, के लिए खतरे की आशंका का प्रबोधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। दिल्ली में, फिल्मी हस्तियों सहित उन व्यक्तियों, जिन्हें खतरा है, को विशेष श्रेणी की सुरक्षा, केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा आंकलित खतरे की आशंका के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सूची खतरे की आशंका के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित घटनाएं ध्यान में आयी हैं :-

1. श्री राज कुमार (फिल्म अभिनेता) का अपहरण।
2. श्री राकेश रोशन (फिल्म अभिनेता/निदेशक) पर हमला।
3. श्री अजीत दिवानी (सुश्री मनीशा कोईराला के सचिव) की गोली मार कर हत्या।
4. श्री दिनेश आनन्द (फिल्म अभिनेता) की हत्या।
5. श्री अनिल थाडानी (फिल्म वितरक) पर हमला।
6. लारेन्स डीमूजा (फिल्म निदेशक) पर हमला।
7. सुश्री विजया शांति (फिल्म अभिनेत्री) के निवास पर पैट्रोल बम फैंके गए।
8. सर्व/श्री एस.एस. चन्द्रन और विजयकान्त (अभिनेता) के घर पर पैट्रोल बम फैंके गए।
9. सर्व/श्री गुन्डू कल्यानम और राधा रवि (दोनों अभिनेता) के निवास पर पथराव किया गया।

औद्योगिक प्लाटों का वाणिज्यिक उपयोग

3430. श्री अरुण कुमार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 2002 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "कैन यू चेंज लैंड यूज? एस०सी० आस्क्स डी०डी०ए०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर सिविल याचिका सं० 6324/2000 और सी०एम० संख्या 3640/2000 का निपटान करते हुए भारतीय संघ सरकार को अतिक्रमण हटाने और "हरित क्षेत्र" बनाए रखने का निदेश दिया था किन्तु इसके बावजूद अब भी 154.769 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है;

(ङ) यदि हां, तो इन अतिक्रमणों को न हटाये जाने और हरित क्षेत्र न बनाए रखने के क्या कारण हैं; और

(च) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेवानिवृत्ति लाभ योजना, 1992

3431. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान, सेवा शर्तें लागू होती हैं;

(ख) क्या चडीगढ़ में 'पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड रिकगनाइज्ड एडेड स्कूल्स रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1992' की तरफ सेवा निवृत्ति लाभ देने हेतु एक योजना आरंभ करने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

3432. **श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) के वर्ष 1992 में विभागीय पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को पुन: ए.सी.पी. का लाभ दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाभों को ए.सी.पी. के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि एक समूह 'ग' के कर्मचारी जिसे 21 मई, 1975 को नियुक्त किया गया था, को 1992 में नियमित पदोन्नति दी गई थी। उसे 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 21 मई, 1999 को दूसरी ए.सी.पी. दी गई थी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ही उसे ए.सी.पी. दी गई थी।

कालेजों को सम-विश्वविद्यालयों का दर्जा

3433. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों से कालेजों को सम-विश्वविद्यालयों का दर्जा दिए जाने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद/राज्य सरकार को कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कितने कालेजों का निरीक्षण किया गया;

(घ) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ङ) क्या सरकार ने संस्थाओं के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विगत 3 वर्षों अर्थात् 1999, 2000 और 2001 के दौरान सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में संस्थाओं से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 86 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) मंत्रालय द्वारा इन सभी प्रस्तावों को मंत्रालय के सांविधिक निकायों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों के लिए भेज दिया गया।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सूचित किया है कि विगत 3 वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या क्रमश: 22 और 12 थी।

(घ) से (च) विगत 3 वर्षों के दौरान 13 संस्थाओं को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मंत्रालय में सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी 95 प्रस्ताव लम्बित हैं (दिनांक 31.7.2002 तक की स्थिति के अनुसार)। संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया एक सांविधिक आवश्यकता है और इसके लिए अनेक शर्तों को पूरा करना होता है। सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

(1) संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना;

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने सांविधिक निकायों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास टिप्पणियों सिफारिशों के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित करना;

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव को भारतीय चिकित्सा परिषद; भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद; तथा केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अथवा किसी अन्य संबंधित सांविधिक प्राधिकरण के पास शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु अनुमोदन के लिए भेजना;

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव पर राज्य सरकार के विचार प्राप्त करना;

5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन करना और इसे संस्था के निरीक्षण के लिए तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच करना और अपनी सिफारिशें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजना; तथा

(7) सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने और संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी करने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेना।

सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिशा निर्देशों को संशोधित किया है।

आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

3434. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास हेतु ऋण के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मानदंड को पूरा करने के बावजूद निधियों की कमी के कारण समय पर वित्तीय सहायता जारी नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) वर्ष 1979-80 से चालू छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास (आई डी एस एम टी) की स्कीम के तहत वर्ष 1994-95 तक अनुमोदित/शामिल कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में जारी की गयी। चूंकि आई डी एस एम टी के तहत अनुमोदित परियोजनाएं मंजूरी के वर्ष से पांच वर्षों तक केन्द्रीय सहायता ले सकती हैं, अत: ऋण-पैटर्न में शामिल कस्बों को केन्द्रीय सहायता की बाद की किस्ते दिनांक 31.3.2000 तक जारी की गयीं। तथापि, वर्ष 1995-96 से लागू संशोधित आई डी एस एम टी दिशानिर्देश (1995) के अनुसार केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है तथा वित्तपोषण पैटर्न इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

कस्बा श्रेणी (आबादी)	परियोजना लागत अधिकतम	केन्द्रीय सहायता अनुदान	राज्य अंश	हडको वित्त संस्थाओं से ऋण/अन्य स्रोत
ए(<20,000)	100	48	32	20(20%)
बी(20,000-50,000)	200	90	60	50(25%)
सी(50,000-एक लाख)	350	150	100	100(29%)
डी(1-3 लाख)	550	210	140	200(36%)
ई(3-5 लाख)	750	270	180	300(40%)

स्कीम के तहत राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता (1) पहले जारी धन का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (2) राज्य अंश के जारी होने तथा (3) नयी परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर निर्भर होती है। संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए धन का वार्षिक नियतन देश में छोटे व मझोले कस्बों की कुल आबादी पर राज्य विशेष के छोटे व मझोले कस्बों की आबादी के अनुपात पर आधारित होता है।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना

3435. **श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदनों को आवास उपलब्ध कराये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार अ०जा०/अ०ज०जा० समुदाय से संबंधित लोगों के लिए दिल्ली मे ऐसी आवास योजनाओं को पुन: आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) अम्बेडकर आवास योजना न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की 25% कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में शुरू की गयी थी। इसके लिए पंजीकरण दिनांक 1.11.1989 से 29.12.1989 के दौरान चालू रहा। इस स्कीम के तहत 20,000 व्यक्ति एम आई जी, एल आई जी और जनता फ्लैटों के आबंटन के लिए पंजीकृत किये गये। आबंटन का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :-

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति संख्या	किया गया आबंटन	शेष
एम आई जी	7,000	5,454	1,546
एल आई जी	10,000	4,968	5,032
जनता	3,000	2,988	—

(घ) से (च) इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) विभिन्न आवास स्कीमों के तहत प्रतीक्षा सूचियों को पूरा करने पर जोर दे रहा है तथा कोई नई आवास स्कीम, विशेषतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए शुरू करने का कोई प्रस्ताव डी.डी.ए. के विचाराधीन नहीं है।

[अनुदान]

अयोध्या संबधी लिब्राहन आयोग

3436. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अयोध्या में 'विवादित ढांचे' को गिराये जाने के घटनाक्रम की जांच कर रहे न्यायमूर्ति लिब्राहन आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोग के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(ग) आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) 16.12.1992 को लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग की नियुक्ति से लेकर अब तक इस आयोग का कार्यकाल 26 बार बढ़ाया जा चुका है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 28.6.2002 की राजपत्र अधिसूचना, सं० का० आ० 673 (अ) के अनुसार, आयोग से अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2002 को या उससे पहले प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी का गठन

3437. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री सईदुज्जमा :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय और वित्त मंत्रालय विनिवेश किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी गठित करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे विनिवेश प्रक्रिया के किस सीमा तक सुदृढ़ होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस मुद्दे पर उनके मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कोई विवाद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) विनिवेश के लिए चिन्हित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान

3438. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत स्कूली अध्यापकों की नियुक्ति करने की सलाह दी गई है;

यदि हां, तो इस संबंध में क्या निदेश जारी किए गए हैं और इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और कितने अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुसार, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापकों; और उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की संस्वीकृत प्रदान की जा रही है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि इस कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत अध्यापकों की संख्या में से 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की हो। वर्ष 2001-2002 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत अध्यापकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। नियुक्त किए जाने वाले अध्यापकों की संख्या बस्ती-स्तरीय योजना के आधार पर तैयार की गई प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता पर निर्भर होगी।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत अध्यापकों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित अध्यापकों की संख्या (प्राथमिक)	अनुमोदित अध्यापकों की संख्या (उच्च प्राथमिक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2633	1708
2.	अरुणाचल प्रदेश	126	100
3.	असम	–	–
4.	बिहार	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–
6.	गोवा	–	–
7.	गुजरात	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–
9.	हरियाणा	–	–
10.	झारखंड	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–
12.	केरल	–	–
13.	कर्नाटक	955	–
14.	मध्य प्रदेश	–	288
15.	मणिपुर	–	–
16.	मेघालय	1334	2589
17.	मिजोरम	–	–
18.	महाराष्ट्र	1236	–

1	2	3	4
19.	नागालैंड	—	—
20.	उड़ीसा	—	—
21.	पंजाब	946	—
22.	राजस्थान	—	—
23.	सिक्किम	4	6
24.	तमिलनाडु	452	197
25.	त्रिपुरा	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	4509	2165
27.	उत्तरांचल	719	68
28.	पश्चिम बंगाल	—	—
29.	अंडमान और निकोबार	—	—
30.	चंडीगढ़	—	—
31.	दादरा और नगर हवेली	—	—
32.	दमन और दीव	—	—
33.	दिल्ली	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—
35.	पांडिचेरी	—	—
	कुल	12914	7121

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति

3439. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा शेष सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति (एन.आर.आर.डी.सी.) जिसने अपनी रिपोर्ट मई, 2000 में प्रस्तुत की थी, की सिफारिशों के सारांश संलग्न विवरण में दिये गये हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) के अंतर्गत दिशा-निर्देशों को बनाते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति की सिफारिशों का सारांश

मिशन

देश में प्रत्येक गांव को अलगाव और पहुंच के अभाव से मुक्त करने और सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार को देश में हर एक गांव को अच्छी बारहमासी सड़क मुहैया कराने के कार्य को प्राथमिकता से शुरू करना चाहिए। इस कार्य के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। ऐसी सड़कें बहुत ठिकाऊ होनी चाहिए और बनाए जाने के पश्चात् बहुत वर्षों तक इसके रखरखाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

चरणबद्ध किया जाना (फेजिंग)

कार्य की व्यापकता पर विचार करते हुए, कार्यक्रम को दो चरणों में शुरू किया जाना चाहिए। प्रथम चरण में, 500 या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे चरण में शेष गांवों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रथम चरण के दौरान, अगर कोई छोटा-सा गांव उस चरण में बनाए जा रहे सड़क के पास पड़ता हो तो निर्माण एवं खर्च में कमी को ध्यान में रखकर ऐसे छोटे गांवों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर विस्तृत आयोजना के दौरान यह पाया जाता है कि छोटे गांव वाला कोई क्षेत्र विशेष रूप से उपेक्षित है तो प्रथम चरण में ऐसे गांवों तक पहुंच वाली सड़कें, पुलिया और छोटे पुल बनाए जा सकते हैं। आरंभ में लगभग 40 से 50 जिलों को शामिल करते हुए कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक राज्य

से एक जिला के साथ-साथ बड़े राज्यों से एक अतिरिक्त जिला शामिल किया जाना चाहिए।

विशेषता

तेज गति से चलने वाले हवादार टायर वाले और भारी वाहनों को ध्यान में रखते हुए ये सड़कें कोलतार युक्त सतह वाली होनी चाहिए जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। वाहन मार्ग की चौड़ाई 3.75 मी० और बनाई जाने वाली सड़कों की चौड़ाई 7.5 मीटर होनी चाहिए। सभी आवश्यक जल निकासी नाला और छोटे पुल निर्मित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में ग्रामीण सड़कों पर किसी समय 24 घंटे से अधिक और वर्ष में छः बार से अधिक मार्ग अवरूद्ध न हों।

एजेंसी

– कार्यक्रम के त्वरित और सुव्यस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को ''राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी'' गठित करनी चाहिए।

वित्त

– एजेंसी को प्राधिकृत किया जाना चाहिए जिससे वे कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्रोतों से ऋण लेकर वित्त जुटा सकें। सरकार को उक्त ऋण की समाप्ति की गारन्टी देनी चाहिए। एजेंसी को निधियों के किसी अन्य स्रोत, जिसे वे उपयुक्त पाती है, को अपनाने की पूर्ण आजादी भी होनी चाहिए।

– प्रत्येक वर्ष एकत्रित पेट्रोल और डीजल के उपकर का निर्धारित अंश इस योजना के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग प्रत्येक वर्ष अपने परिव्यय में से 2500 करोड़ रुपए भी एजेंसी को देगा। यह असामाप्य होना चाहिए।

– केन्द्र सरकार पहले पांच वर्षों के लिए अधिकतम 8 प्रतिशत की दर से कर मुक्त बांड जारी कर 5000 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। अदायगी के लिए गारन्टी के साथ-साथ इन बॉन्डों पर ब्याज को केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। तथापि, मूल अदायगी का प्रबंध एजेंसी द्वारा अपनी निधियों से किया जाएगा।

कार्यान्वयन

– इन कार्यों की गुणता और उचित स्तर के बारे में ऋणदाताओं के लिए एजेंसी की पूर्ण रूपेण जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एजेंसी स्वयं राज्य सरकार/जिला परिषदों के पूर्ण सहयोग से कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी। एजेंसी सड़क कार्यों के खर्च की प्रतिपूर्ति जिसपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, करने के लिए एकमात्र मशीनरी नहीं होनी चाहिए।

– कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार और जिला परिषदों का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित होना चाहिए। जिला परिषदों और राज्य सरकार के परामर्श से सड़क का निर्धारण किया जाना चाहिए। भूमि अर्जन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार एजेंसी के मांगने पर प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभवी कार्मिकों की भी व्यवस्था करेगी।

– एजेंसी उन जिलों में इन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को शुरू करेगी, जहां पर स्थानीय जिला परिषदें और राज्य सरकार उन्हें इन कार्यों को करने की अनुमति देती है। जहां पर ऐसी अनुमति नहीं मिलती है, एजेंसी को वहां कोई कार्य नहीं करना चाहिए।

– जिलों में इन सड़कों के वास्तविक निर्माण और प्रबंधन के लिए कॉरपोरेशन प्रत्येक जिले में अपना प्रकोष्ठ बना सकता है। इस प्रकोष्ठ में न्यूनतम स्टॉफ होना चाहिए। विस्तृत क्षेत्र कार्यों के लिए उपयुक्त सक्षम परामर्शदाताओं की सेवाएं बेरोकटोक ली जा सकती हैं।

– विशेष कठिनाई वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा जा सकता है।

– एजेंसी आधुनिक मशीनरी और नवीनतम विधियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम स्तर का कार्य करेगी। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी और सामग्री का प्रयोग कर हर संभव बचत करने का प्रयास करेगी।

– एजेंसी को सर्वेक्षण कार्यों को शुरू करने और कार्यों के कार्यान्वयन की प्रविधि निर्धारित करने की पूरी आजादी होगी।

– इन सड़क कार्यों के लिए आवश्यक जमीन के मालिक के लिए यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वे बिना किसी आनाकानी या विरोध के सुपुर्द कर दें। उसे पथ की आवश्यकता पर विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसे क्षतिपूर्ति की राशि का दावा करने की पूर्ण आजादी होगी। परियोजना अनुमान में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का प्रावधान होगा।

– नियम के अनुसार जहां आवश्यक हो, पर्यावरणीय और वन स्वीकृति स्वत: प्राप्त की जानी चाहिए। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सुधार के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

– उत्खनन के साथ-साथ विस्फोट और धमाके की स्वीकृति शीघ्र जारी की जानी चाहिए।

ऑनलाइन प्रबंधन और निगरानी

– एजेंसी को कम्प्यूटर और इंटरनेट पर आधारित विस्तृत ऑन लाइन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली गठित करनी चाहिए।

– कार्यक्रम के सम्पूर्ण ऑनलाइन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली की डिजाइन, विकास और सुपुर्दगी को समन्वित करने की जिम्मेवार ''सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवॉस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार'' को इलेक्ट्रानिक संचालित परियोजनाओं को चलाने में उनकी सामान्य विशेषज्ञता और अनुभव और विशेष रूप से स्टेटवाइज कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट, महाराष्ट्र सरकार के लिए परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जानी चाहिए। परियोजना के लिए समय अभाव को ध्यान में रखते हुए, सी-डैक देशभर के प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों को इसमें शामिल कर सकती है, ताकि उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के जरिए जिलों की सहायता की जा सके।

निगरानी और गुणवत्ता लेखा-परीक्षा

– कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य सरकार के साथ पूर्ण समन्वय होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में राज्य के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में समन्वय समितियां गठित की जानी चाहिए।

– प्रत्येक जिले में एजेंसी के सड़क कार्यों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा और निगरानी के लिए एक पृथक संगठन होना चाहिए। इस संगठन में सेना और सीमा सड़क संगठन से सेवानिवृत्त और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।

– माह में एक बार प्रगति की समीक्षा करने, समय पर कार्यों की जांच, स्थानीय लोगों की शिकायतों को जानने और शिकायत दूर करने के लिए किए जाने वाले उचित उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए प्रत्येक जिले में एक सलाहकार समिति गठित की जाए।

रखरखाव

कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्मित सड़कों को राज्य सरकारों/जिला परिषदों को आगे की देखभाल के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देखभाल के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

लोहे के पहिए वाली गाड़ियां

सरकार को टायर बदलने के लिए सब्सिडी और कर में छूट देकर वर्तमान में प्रयुक्त हो रही लोहे के पहिए वाली गाड़ियों की जगह हवादार टायर वाली गाड़ियों के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० के बागवानी विभाग में संवर्ग समीक्षा

3440. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 2002 के ''दैनिक जागरण'' में डी०डी०ए० के बागवानी विभाग में संवर्ग समीक्षा के लंबित रहने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डीडीए के नियोजन, वास्तुकीय, बागवानी तथा कार्य प्रभारित स्थापना की संवर्ग समीक्षा के लिए इंजीनियर सदस्य, डीडीए की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

हरियाणा में आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं

3441. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में स्थानवार कितनी आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं कार्यरत हैं और स्थानवार ऐसी कितनी स्वीकृत योजनाएं हैं जिन्हें अब तक आरम्भ नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन स्वीकृत परियोजनाओं के कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) हरियाणा में स्वीकृत सभी 116 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जेलों के लिए सहायता

3442. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश की उच्च सुरक्षा जेलों के लिए 100 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें जबलपुर का हिस्सा कितना है;

क्या जबलपुर केन्द्रीय जेल के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश द्वारा निधियां व्यय की गई है और उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन निधियों का किस तरह से उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (छ) केन्द्रीय सरकार ने जेल प्रशासन की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत खतरनाक कैदियों को रखने के लिए केन्द्रीय जेल रायपुर (जो अब छत्तीसगढ़ में है), केन्द्रीय जेल सागर और उप-जेल नीमच में उच्च सुरक्षा वाले अहातों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दो चरणों में (1996-97 में 100 लाख रु. और 2000-01 में 100 लाख रु.) में 200 लाख रु. प्रदान किए हैं। केन्द्रीय जेल जबलपुर उच्च सुरक्षा वाले अहातों के निर्माण की योजना का हिस्सा नहीं है और इसलिए, इस प्रयोजनार्थ कोई आबंटन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी तक प्रथम चरण में 96.55 लाख रु. और द्वितीय चरण में 45.34 लाख रु. की धनराशि का इस्तेमाल किया है। प्रथम चरण में जारी की गई राशि के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 96.55 लाख रु. की उपयोगिता रिपोर्ट जारी की गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ/घाटा

3443. श्री सुबोध राय : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों को सहायक कम्पनी-वार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र में मूल्यों की निगरानी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया आदि के मद्देनजर नियामक प्रणाली आरम्भ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों हेतु कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों का लाभ/हानि निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

कंपनी	1999-2000	2000-01	2001-02 (अनंतिम)
1	2	3	4
ई.सी.एल.	(-)728.23	(-)917.19	(-)297.00
बी.सी.सी.एल.	(-)692.32	(-)1276.70	(-)780.00
सी.सी.एल.	(-)121.24	(-)792.91	(-)110.00
एन.सी.एल.	(+) 936.87	(+)1025.05	(+)1075.00

1	2	3	4
डब्ल्यू.सी.एल.	(+) 405.86	(+)28.23	(+)315.00
एस.ई.सी.एल.	(+)455.34	(+)116.92	(+)595.00
एम.सी.एल.	(+)607.65	(+)641.35	(+)652.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	(+)0.71	(+) 3.81	(+)0.30
सी आई.एल. (एनईसी)	(+)581.18	(+)280.21	(-)50.30
उप जोड़	(+)1445.82	(-)898.85	(+)1400.00
घटाएं : सहायक कंपनियों में स्वाभांश	(+)751.95	(+)515.62	अभी घोषित नहीं हुआ है।
जोड़	(+)693.87	(-)1414.47	(+)1400.00

ख) से (घ) कोयला खनन क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोले जाने हेतु सरकार के निर्णय के संदर्भ में 1997 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर देश में कोयला तथा लिग्नाइट के अन्वेषण और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में भारतीय कंपनियों को कोयले तथा लिग्नाइट के नए ब्लाकों का आबंटन करने के प्रस्तावों की निगरानी तथा क्रियान्वयन के कार्यों को करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाए। चूंकि प्रस्ताव को कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में संशोधन के संदर्भ में विचारित किया गया था, मामले पर आवश्यक कार्रवाई संसद द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 के अधिनियमन के पश्चात् ही की जाएगी। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच कोयला मूल्य विवादों के निपटान हेतु कोयला कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के बीच कोयला आपूर्ति समझौतों के रूप में एक द्विपक्षीय प्रणाली प्रोत्साहित की जा रही है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति

3444. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास योजनाओं की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई अतिरिक्त राशि की पूतिपूर्ति हेतु अनुरोध करने वाले राज्यों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार को व्यय संबंधी विवरण प्रस्तुत कर चुके राज्यों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) राज्यों द्वारा सूचित विगत तीन वर्षों के दौरान किये गए अतिरिक्त व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का, स्वीकार्य सीमा तक पाए जाने पर, ध्यान रखा जाता है तथा उस राशि को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सम्बन्धित राज्य की निधियों सम्बन्धी पात्रता के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है।

विवरण

राज्यों द्वारा सूचित अतिरिक्त व्यय

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1056.52	119.00	व्यय विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	असम	719.13	0.00	तदैव
3.	छत्तीसगढ़	0.00	108.32	तदैव
4.	गोवा	43.95	29.01	तदैव
5.	गुजरात	0.00	1244.13	तदैव
6.	हरियाणा	604.53	96.69	तदैव

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	122.02	0.00	तदैव
8.	कर्नाटक	1312.80	1930.14	1538.95
9.	केरल	286.77	997.25	841.72
10.	महाराष्ट्र	3428.34	8123.89	6847.06
11.	मणिपुर	0.00	0.00	38.74
12.	नागालैंड	54.00	0.00	0.00
13.	पांडिचेरी	3.24	36.3	0.00
14.	पंजाब	102.34	0.00	व्यय विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
15.	राजस्थान	1013.37	0.00	0.00
16.	सिक्किम	0.00	23.08	42.49
[illegible]	[illegible]नाडु	2728.80	0.00	व्यय विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
18.	पश्चिम बंगाल	4492.44	5672.00	तदैव

संस्कृत कॉलेज और विद्यापीठ

3445. श्री टी. गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश के कई संस्कृत कॉलेज और विद्यापीठों की मान्यता रद्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) संस्कृत के विकास तथा संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को 7 मई, 2002 से सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सम-विश्वविद्यालयों के अभिशासन के निमित्त नियमों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने तथा डिग्रियां प्रदान करने हेतु अन्य संस्थानों को अपने से सम्बद्ध करने का अधिकार समाप्त किया जाता है।

[हिन्दी]

डी.ए.वी.पी. के स्थान पर निजी एजेन्सियों से कार्य लिया जाना

3446. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार करवाने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के स्थान पर निजी एजेन्सियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयाजनार्थ अपनी सेवाएं देने की पेशकश अब तक कितने फिल्म निर्माताओं ने की है और उनके चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों जैसे विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग, प्रचार प्रभाग आदि और प्रसार भारती और निजी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने हेतु इन एजेंसियों और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सेवाओं का उपयोग जारी रहेगा।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निजी टेलीविजन निर्माताओं से अब तक प्राप्त 48 आवेदनों में से 10 निर्माताओं को सूचीबद्ध किया है जो पात्रता के मानदंडों पर खरे उतरते हैं और जिनकी सामाजिक क्षेत्र के प्रोग्राम बनाने की क्षमता और अनुभव के आधार पर मंत्रालय के अधिकारियों और विशेषज्ञों की समिति द्वारा सिफारिश की गई थी।

[अनुवाद]

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

3447. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में विश्व बैंक, यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अजेंसियों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या इन एजेंसियों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग तत्संबंधी राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ गत वर्ष के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी केन्द्रीय अनुदान सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा संबंधी कार्यों हेतु एफ०एम० रेडियो स्टेशन का उपयोग

3448. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को शिक्षण कार्यों हेतु एफ०एम० रेडियो स्टेशन चलाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ इग्नू को कितना धन आवंटित/प्रदान किया गया;

(ग) प्रत्येक माह में कितने घंटे का प्रसारण होने की संभावना है;

(घ) क्या इग्नू इसे छात्रों में लोकप्रिय बनाने हेतु स्टेशन को पर्याप्त-वस्तु उपलब्ध करा पाएगा; और

(ङ) ऐसे एफ०एम० रेडियो स्टेशन हेतु सामग्री तथा विषय-वस्तु विकसित करने में किसी बाह्य एजेंसी, यदि कोई है, की मदद लेने की संभावना है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय के तत्वावधान में एफ०एम० रेडियो केन्द्र शुरु किये हैं जो इस समय प्रति दिन 8 घंटे के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और इन शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अवधि यथा समय बढ़ाकर 24 घंटे करने की संभावना है। वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार ने इस उद्देश्य 15.10 करोड़ रुपए की राशि दी थी और चालू वित्त वर्ष के लिए 23.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह विश्वविद्यालय इन रेडियो केन्द्रों के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान कर सकेगा जिसमें इसकी सहायता विभिन्न मंत्रालय और विभाग, शैक्षिक संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन और सहभागी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शैक्षिक सम्प्रेषण संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इत्यादि कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एशियाई विकास बैंक का ऋण

3449. **श्री एम.के. सुब्बा :** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सहायता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार और राज्य-वार कितनी सहायता की मांग की गई है और प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) एशियन डेवलेपमेंट बैंक (ए डी बी) प्रोग्रामिंग मिशन, जिसने मई, 2002 में भारत का दौरा किया था, ने कैंडिडेट परियोजनाओं की सूची में असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना विकास हेतु निम्नलिखित संभावित ऋणों को शामिल किया है :-

(1) असम पावर सेक्टर विकास ऋण; और

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास।

ए.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन किए जाने, बातचीत करने, और ए.डी.बी. द्वारा ऋण स्वीकृत करने के बाद ही ब्यौरे ज्ञात होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग और आर्थिक-कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ए.डी.बी. के साथ इन तथा अन्य प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

महिला विश्वविद्यालय

3450. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विशेष रूप से महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने की एक वित्त एवं धनपोषण योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी महिला विश्वविद्यालय परिसरों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने हेतु राज्यों की सहायता करने के लिए आयोग के पास कोई स्कीम नहीं है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं और राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यह मुख्य तौर पर संबंधित सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं को पर्याप्त योजनागत एवं योजनेतर अनुदान प्रदान करे। तथापि, विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला विद्यार्थियों/शिक्षकों को शामिल करने/उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं के लिए अनेक स्कीमों को कार्यान्वित करता आ रहा है, यथा महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए विशेष स्कीम, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, डे केयर सेंटर आदि।

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियों के बीच का अंतर

3451. **श्री अम्बरीश :**
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और हासिल उपलब्धियों के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके राज्य वार और वर्ष-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या जमीनी वास्तविकता को समझे बिना निगरानी करने और दोषपूर्ण नियोजन के कारण ही खराब प्रदर्शन रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू और उनकी निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने (पूर्ववर्ती) सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, भूमि सुधार और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम जो पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए गए थे, के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

राज्यों के अंश के विलम्ब से रिलीज किए जाने और निधियों की रिलीज संबंधी संपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब और उपलब्ध निधियों के कम उपयोग के कारण कुछेक राज्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के चुनिंदा जिलों में विदेशी एजेंसियों द्वारा की जा रही निगरानी सहित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय शुरु किए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चार सूत्री कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है जिसमें योजनाओं के बारे में जागरुकता का सृजन, पारदर्शिता, जन भागीदारी और ग्राम सभाओं के जरिए जवाबदेही और सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता सुधार के साथ संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।

क्र. सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एम.		आई.ए.वाई.		एन.एफ.बी.एम.		एन.एम.बी.एम.		एन.ओ.ए.पी.एस.		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
		कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	301.60	175.63	88288.00	89823.00	29141.00	30418.00	305316	336296.00	466000.00	466000.00	3100.00	3100.00	137000.00	90121.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.47	26.25	5667.00	3210.00	220.00	35.00	3713	248.00	6102.00	2347.00	471.00	300.00	2400.00	163.00
3.	असम	135.37	148.52	121765.00	20412.00	6205.00	5036.00	56129	26298.00	88353.00	85052.00	4000.00	3460.00	63426.00	1813.00
4.	बिहार	645.23	384.62	308784.00	165892.00	16320.00	21538.00	158129	141387.00	734748.00	741195.00	1633.00	864.00	126870.00	12719.00
5.	गोवा	0.49	1.05	544.00	333.00	117.00	260.00	495	71.00	2985.00	2195.00	26.00	26.00	5000.00	8130.00
6.	गुजरात	59.97	48.49	25944.00	26351.00	1524.00	2540.00	19968	19538.00	60000.00	63862.00	1800.00	1656.00	20000.00	1652.00
7.	हरियाणा	32.84	22.65	9368.00	9843.00	520.00	461.00	12420	6491.00	57244.00	33201.00	710.00	683.00	14323.00	2780.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16.47	25.65	3870.00	3711.00	295.00	451.00	3669	3492.00	25272.00	15176.00	1550.00	1643.00	11290.00	15518.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.79	26.27	4644.00	5830.00	551.00	555.00	9460	5321.00	33895.00	31291.00	440.00	423.00	7029.00	0.00
10.	कर्नाटक	194.58	185.95	47184.00	39398.00	6233.00	4602.00	77311	40595.00	316200.00	228309.00	9000.00	5626.00	154500.00	127637.00
11.	केरल	67.35	42.94	28416.00	20716.00	3668.00	4701.00	26223	18344.00	149178.00	119507.00	850.00	392.00	23862.00	21701.00
12.	मध्य प्रदेश	418.69	288.90	73464.00	77886.00	37992.00	37766.00	173710	90600.00	489900.00	586400.00	15400.00	10579.00	70096.00	31452.00
13.	महाराष्ट्र	571.53	234.67	84680.00	70315.00	9857.00	16884.00	87070	89895.00	444285.00	330948.00	7000.00	4690.00	150000.00	341992.00
14.	मणिपुर	7.86	9.70	5208.00	199.00	275.00	103.00	7788	1241.0	11011.00	5836.00	350.00	175.00	4237.00	1011.00
15.	मेघालय	9.79	7.67	7944.00	356.00	329.00	202.00	7548	3164.00	11873.00	9102.00	550.00	390.00	2250.00	1376.00
16.	मिजोरम	1.73	4.95	1954.00	1795.00	110.00	73.00	3055	2388.00	4000.00	4094.00	335.00	210.00	1184.00	236.00

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	नागालैण्ड	9.21	22.92	4907.00	7706.00	165.00	70.00	332	2452.00	8623.00	5917.00	70.00	44.00	3187.00	0.00
18.	उड़ीसा	335.48	215.42	73232.00	53328.00	12928.00	16858.00	119854	132591.00	333400.00	330272.00	6638.00	4968.00	42238.00	12586.00
19.	पंजाब	14.49	16.81	5960.00	4154.00	1288.00	407.00	9020	3985.00	41324.00	32859.00	412.00	216.00	12410.00	0.00
20.	राजस्थान	177.51	91.89	25864.00	37440.00	4494.00	4747.00	62465	11336.00	157536.00	451325.00	6000.00	6158.00	38258.00	8075.00
21.	सिक्किम	2.15	1.69	917.00	752.00	55.00	0.00	1148	551.00	3184.00	2400.00	130.00	130.00	1176.00	1078.00
22.	तमिलनाडु	227.29	166.79	46768.00	54935.00	18286.00	18591.00	174021	35142.00	350000.00	398791.00	6300.00	6300.00	136444.00	124411.00
23.	त्रिपुरा	16.90	17.91	10769.00	11229.00	696.00	631.00	15575	9413.00	19037.00	15507.00	870.00	746.00	7434.00	3894.00
24.	उत्तर प्रदेश	593.38	485.73	187629.00	155248.00	29010.00	38768.00	329073	225509.00	882995.00	940539.00	15713.00	15572.00	103297.00	47651.00
25.	पश्चिम बंगाल	214.88	127.70	96127.00	72653.00	9367.00	9886.00	103905	92640.00	353900.00	350810.00	6600.00	6191.00	435000.00	231146.00
26.	अंड. व निकोबार	1.41	0.39	727.00	6.00	27.00	0.00	209	0.00	1857.00	0.00	15.00	15.00	400.00	54.00
27.	चंडीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	27.00	40.00	509	225.00	1459.00	1763.00	एन.ए.	एन.ए.	400.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	1.40	0.00	414.00	52.00	27.00	0.00	90	0.00	1260.00	252.00	65.00	70.00	400.00	4.00
29.	दमन व दीव	0.04	0.00	162.00	3.00	27.00	3.00	60	0.00	265.00	262.00	1.00	0.00	400.00	0.00
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	302.00	156.00	7098	0.00	26665.00	24156.00	0.55	0.00	400.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.09	0.87	17.00	34.00	27.00	2.00	31	0.00	199.00	0.00	10.00	3.00	142.00	142.00
32.	पांडिचेरी	1.00	0.29	402.00	426.00	27.00	27.00	1008	506.00	5240.00	1500.00	22.00	7.00	400.00	262.00

एन.ए. : अनुपलब्ध

इकाई

ई.ए.एस.—सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस), एन.एम.बी.एस.—सहायता प्राप्त परिवार (सं.), ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.—कवर की गई बसावटें (सं०) आई.ए.वाई.—अवासीय इकाइयां (सं.)

एन.ओ.ए.पी.एस.—सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं.), सी.आर.एस.पी.—निर्मित शौचालय (सं.), एन.एफ.बी.एस.—सहायता प्राप्त परिवार (सं.)।

2000-2001 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एस.		आई.ए.वाई.		एन.एफ.बी.एस.		एन.एम.बी.एस.*		एन.ओ.ए.पी.एस.		अन्नपूर्णा		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
		कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	152.47	111.32	88288.00	83912.00	29188.00	31477.00	305806	305021.00	466000.00	466001.00	84947.61	93200.00	5400.00	3000.00	65175.00	42840.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.44	20.10	4246.00	4515.00	556.00	85.00	5213	40.00	19365.00	1205.00	5427.58	0.00	700.00	126.00	3680.00	182.00
3.	असम	242.89	78.04	98856.00	65089.00	14931.00	7357.00	80660	27085.00	280379.00	262719.00	78581.86	0.00	4500.00	2826.00	97264.00	1345.00
4.	बिहार	252.40	211.65	238664.00	161199.00	11869.00	13725.00	118873	13085.00	549664.00	509938.00	151849.33	0.00	54.00	50.00	180992.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	66.62	83.32	16364.00	17777.00	15970.00	9283.00	58562	20928.00	157400.00	146519.00	29067.03	0.00	4003.00	7294.0	एन.ए.	एन.ए.
6.	गोवा	0.31	0.86	544.00	368.00	118.00	193.00	496	21.00	2985.00	2122.00	820.31	0.00	53.00	8.00	739.00	11866.00
7.	गुजरात	32.02	80.00	25944.00	28192.00	1527.00	2309.00	20000	14335.00	60000.00	68108.00	40395.69	0.00	1200.00	995.00	40573	35449.00
8.	हरियाणा	18.30	20.19	9368.00	13309.00	521.00	559.00	12440	6088.00	57244.00	27021.00	15731.71	0.00	288.00	570.00	20438.00	1340.00
9.	हिमाचल प्रदेश	9.15	11.51	3870.00	3716.00	295.00	307.00	3675	3434.00	25272.00	25250.00	6945.29	3426.00	2300.00	2448.00	8054.00	1334.00
10.	जम्मू व कश्मीर	16.50	25.75	4644.00	4082.00	552.00	389.00	9475	5403.00	33895.00	33620.00	9315.07	0.00	2000.00	0.00	10029.00	0.00
11.	झारखण्ड	160.52	100.31	70120.00	56233.00	4477.00	2664.00	39509	23152.00	185084.00	175437.00	50074.43	0.00	715.00	99.00	एन.ए.	एन.ए.
12.	कर्नाटक	113.34	103.56	47184.00	42675.00	6242.00	4542.00	77435	30035.00	316200.00	258402.00	62015.40	0.00	4550.00	5506.00	52643.00	94104.00
13.	केरल	41.88	30.49	28416.00	19092.00	3674.00	3389.00	26265	15144.00	149178.00	114698.00	40997.25	44980.00	1555.00	235.00	34051.00	34429.00
14.	मध्य प्रदेश	129.06	159.37	57100.00	61773.00	27924.00	31465.00	115423	93961.00	436600.00	429490.00	80125.29	0.00	6690.00	8246.00	100013.00	863.00
15.	महाराष्ट्र	324.88	216.82	84680.00	81111.00	9872.00	11073.00	87210	87225.00	444285.00	31944.00	122098.52	0.00	8500.00	5608.00	91875.00	1916.00
16.	मणिपुर	11.65	3.97	5062.00	552.00	497.00	307.00	7374	4571.00	34943.00	25972.00	9793.23	0.00	374.00	20.00	6499.00	339.00
17.	मेघालय	17.20	5.87	6726.00	4368.00	694.00	527.00	10156	4807.00	37678.00	18743.00	10560.17	0.00	580.00	340.00	7053.00	653.00

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18.	मिजोरम	3.10	5.97	1615.00	2290.00	208.00	194.00	2856	2905.00	10525.00	10523.00	2949.77	1000.00	569.00	202.00	1814.00	20.00
19.	नागालैण्ड	16.52	17.40	4342.00	4906.00	347.00	310.00	7390	4757.00	27364.00	18045.00	7669.40	2600.00	300.00	98.00	4886.00	0.00
20.	उड़ीसा	190.85	195.20	73232.00	139561.00	12949.00	16073.00	120046	113094.00	393399.00	384174.00	59060.29	51176.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
21.	पंजाब	9.28	15.72	5960.00	6606.00	1290.00	1451.00	9035	8197	41324.00	40283.00	11356.73	0.00	1800.00	258.00	17715.00	0.00
22.	राजस्थान	89.70	76.38	25864.00	41766.00	4502.00	2495.00	62565	13513.00	157536.00	148815.00	43294.12	53869.00	11000.00	10254.00	54595.00	27061.00
23.	सिक्किम	3.87	9.15	1164.00	1539.00	208.00	125.00	2721	2721.00	10104.00	10104.00	2831.78	2411.00	462.00	130.00	1805.00	856.00
24.	तमिलनाडु	138.32	110.38	46768.00	49914.00	18315.00	16876.00	174300	129272.00	350000.00	2767095.00	78439.82	0.00	6000.00	6617.00	64746.00	52629.00
25.	त्रिपुरा	30.31	19.53	9821.00	11640.00	1181.00	916.00	16232	10300.00	60412.00	57912.00	16931.68	11480.00	1054.00	995.00	11402.00	10067.00
26.	उत्तर प्रदेश	352.42	33.02	170781.00	159680.00	26687.00	25640.00	312945	267957.00	839931.00	841340.00	217233.83	206870.00	3631.00	3473.00	223981.00	33149.00
27.	उत्तरांचल	23.48	11.07	16848.0	13775.00	2370.00	6932.00	16655	10109.00	43063.00	50097.00	11577.85	12609.00	1800.00	350.00	एन.ए.	एन.ए.
28.	पश्चिम बंगाल	13256.00	116.27	96127.00	90783.00	9382.00	9756.00	104071	112107.00	353900.00	352016.00	87208.02	0.00	7256.00	6317.00	973180.002	72567.00
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	0.39	0.39	727.00	52.00	27.00	0.00	209	0.00	1857.00	14.00	510.41	0.00	50.00	20.00	1562.00	0.00
30.	चंडीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	27.00	29.00	509	0.00	1459.00	2532.00	401.04	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
31.	दा. व ना. हवेली	0.50	0.18	414.00	0.00	27.00	20.00	90	180.00	1260.00	895.00	346.35	0.00	106.00	57.00	1242.00	4.00
32.	दमन व दीव	0.02	0.00	162.00	1.00	27.00	7.00	60	0.00	265.00	229.00	72.92	0.00	1.00	0.00	246.00	0.00
33.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	303.00	40.00	7098	0.00	26665.00	0.00	7328.10	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.04	0.34	17.00	22.00	27.00	0.00	31	0.00	199.00	23.00	54.69	0.00	10.00	3.00	154.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.48	0.76	402.00	428.00	27.00	0.00	1008	438.00	5240.00	4179.00	1440.10	0.00	50.00	7.00	858.00	111.00

एन.ए. : अनुपलब्ध

इकाई

ई.ए.एस.—सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस), एन.एम.बी.एस.—सहायता प्राप्त परिवार (सं.), ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.—कवर की गई बसावटें (सं०), **आई.ए.वाई.—अवासीय इकाइयां** (सं.) **एन.ओ.ए.पी.एस.—सहायता प्राप्त व्यक्ति** (सं.), मी.आर.एस.पी.—निर्मित शौचालय (सं.), एन.एफ.बी.एस.—सहायता प्राप्त परिवार (सं.)।

*योजना 1.4.2001 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित कर दी गई।

2001-2002 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एस.		आई.ए.वाई.		एन.एफ.बी.एस.		एन.ओ.ए.पी.एस.		अन्नपूर्णा		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	
		कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	184.49	159.45	94356.00	82228.00	22994.00	25849.00	418550.00	466000.00	116892.00	93200.00	2560.00	2560.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.08	4.84	4440.00	2437.00	527.00	45.00	19365.00	1631.00	4760.75	4442.00	163.00	177.00
3.	असम	310.70	200.66	99913.00	46817.0	14165.00	7613.00	280378.00	280317.00	68927.00	26052.00	4123.00	2746.00
4.	बिहार	381.53	138.13	256310.32	167979.00	9350.38	4152.00	493696.00	445201.00	158849.00	166601.00	4.00	4.00
5.	छत्तीसगढ़	84.53	299.00	16135.12	22996.00	7979.17	8391.00	119298.00	140409.00	29067.00	29740.00	1219.00	3055.00
6.	गोवा	0.31	0.09	610.00	300.00	92.60	57.00	2682.00	3270.00	753.00	753.00	50.00	4.00
7.	गुजरात	40.33	30.42	27117.00	27497.00	1203.00	2007.00	53891.00	47110.00	40396.00	0.00	500.00	552.00
8.	हरियाणा	27.66	57.94	9169.00	9814.00	411.00	759.00	51415.00	50769.00	15732.00	0.00	193.00	592.00
9.	हिमाचल प्रदेश	13.83	11.91	4056.00	2102.00	233.00	546.00	22699.00	24490.00	6373.00	6373.00	1850.00	1925.00
10.	जम्मू व कश्मीर	24.95	11.34	4852.00	4135.00	435.00	207.00	30444.00	16413.00	8547.00	10220.00	1000.00	0.00
11.	झारखण्ड	242.62	121.37	75306.00	23452.00	3527.00	2190.00	166238.00	156112.00	50074.00	0.00	521.00	0.00
12.	कर्नाटक	170.00	88.04	48807.00	30874.00	4918.00	1449.00	284003.00	183265.00	62015.00	0.00	5000.00	1633.00
13.	केरल	45.36	33.11	30245.00	21372.00	2894.00	1391.00	133988.00	91790.00	37618.00	31859.00	330.00	247.00
14.	मध्य प्रदेश	164.18	225.82	56307.00	64962.00	21998.46	18590.00	320718.00	442537.00	0.00	119800.00	127.00	2365.00
15.	महाराष्ट्र	305.16	217.08	86598.31	88773.00	7778.00	2411.00	399046.00	388389.00	148531.00	229.00	3000.00	2811.00
16.	मणिपुर	14.89	0.00	5294.44	0.00	593.00	7662.00	34942.00	27354.00	8590.00	4831.00	392.00	20.00
17.	मेघालय	22.00	6.69	7034.00	1800.00	659.00	527.00	37678.00	30904.00	10560.00	0.00	440.00	110.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18. मिजोरम	2.55	5.77	1689.00	1275.00	198.00	170.00	10525.00	10523.00	2587.00	2587.00	206.00	206.00
19. नागालैण्ड	21.13	4.08	4541.00	4441.00	329.42	157.00	27364.00	8106.00	6727.14	6727.00	112.00	33.00
20. उड़ीसा	216.29	174.28	75960.00	101443.00	10201.15	9644.00	353342.00	492366.00	54194.00	64800.00	135.00	100.00
21. पंजाब	14.04	9.75	6074.00	5317.00	1016.00	254.00	37116.00	38618.00	11357.00	0.00	513.00	282.00
22. राजस्थान	98.57	82.56	25586.24	30471.00	3546.25	2408.00	141496.00	101460.00	105293.00	61402.00	11000.00	10903.00
23. सिक्किम	4.93	2.01	1217.39	1754.00	198.00	0.00	10104.00	10104.00	2832.00	2411.00	130.00	104.00
24. तमिलनाडु	209.01	132.51	47383.00	43540.00	14428.46	6570.00	314362.00	314362.00	71974.30	80000.00	4934.00	6865.00
25. त्रिपुरा	31.03	43.52	10271.00	10382.00	1120.00	1033.00	60413.00	60227.00	14851.00	11480.00	657.00	260.00
26. उत्तर प्रदेश	521.68	185.68	172761.00	95950.00	21024.00	13236.00	754406.00	892113.00	350001.00	344756.00	33.00	156.00
27. उत्तरांचल	34.84	12.38	17944.00	11245.00	1867.00	812.00	38678.00	45002.00	10624.00	10624.00	452.00	418.00
28. पश्चिम बंगाल	192.29	61.85	101835.00	49933.00	7391.00	4387.00	317864.32	331343.00	80019.77	40237.00	5750.00	6078.00
29. अ. व नि. द्वीपसमूह	0.59	0.13	861.00	858.00	22.00	0.00	1668.00	0.00	468.00	23.00	50.00	20.00
30. चण्डीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए	एन.ए.	22.00	32.00	1311.00	2714.00	487.86	0.00	39.00	13.00
31. दादरा व नगर हवेली	0.50	0.03	452.00	77.00	22.00	9.00	1132.00	0.00	318.00	380.00	39.00	13.00
32. दमन व दीव	0.02	0.00	187.00	0.00	22.00	1.00	238.00	241.00	66.91	252.00	1.00	0.00
33. दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए	एन.ए.	238.00	0.00	23950.00	0.00	8914.54	183.00	10.00	6.00
34. लक्षद्वीप	0.04	0.15	15.00	15.00	21.63	8.00	178.00	15.00	55.00	58.00	10.00	9.00
35. पांडिचेरी	0.73	0.06	427.35	159.00	22.00	44.00	4707.00	4180.00	1321.00	2300	33.00	5.00

*अनंतिम और अधूरा, क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च 2002, तक की संपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

एन.ए. : अनुपलब्ध

इकाई

ई.ए.एस.—सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस), एन.एम.बी.एस.—सहायता प्राप्त परिवार (सं.), ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.—कवर की गई बस्तावटें (सं०), आई.ए.वाई.—आवासीय इकाइयां (सं.) एन.ओ.ए.पी.एस.—सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं.), एन.एफ.बी.एस.—सहायता प्राप्त परिवार (सं.)।

प्रतिभा पलायन

3452. **श्री सुबोध मोहिते :**
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों और वैज्ञानिकों सहित प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षा अथवा अपने बेहतर भविष्य के लिए रोजगार की तलाश में विदेश जाने से पूर्व क्लीयरेंस/वीजा प्राप्त करना होता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय स्तर पर रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले शिक्षित भारतीयों के आंकड़े न रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष के सर्वेक्षण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना उच्च अध्ययन पूरा करने के पश्चात् भारत लौटने के इच्छुक लोगों की संख्या वर्ष 1985 में 50 प्रतिशत के स्तर से घट कर वर्ष 2000 में 20 प्रतिशत ही रह गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अमरीका में उनके उत्प्रवास के परिणामस्वरूप देश को प्रतिवर्ष दो बिलियन डॉलर की हानी हो रही है;

(च) देश से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या को कम करने और विदेशों में रह रहे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत वापस बुलाने, आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में किस सीमा तक सफलता हासिल की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) वैज्ञानिकों तथा छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को अध्ययन या रोजगार के लिए विदेश जाने के मामले में राजनीतिक या सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है। तथापि सभी भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के लिए उन देशों के दूतावासों से वीजा लेना होता है बशर्ते कि द्विपक्षीय करार के तहत इससे ढील न दी गई हो।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले शिक्षित भारतीयों का केंद्रीय स्तर पर कोई डाटाबेस तैयार करना संभव नहीं है।

(ग) सरकार को उल्लिखित सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) से (छ) उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले अनेक छात्र और वैज्ञानिक बेहतर ज्ञान के साथ लौटते हैं। नौकरी के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के वहां ठहरने की अवधि कुछ सप्ताह से लेकर कुछ वर्ष होती है। छात्रों एवं वैज्ञानिकों की उच्च गतिशीलता के कारण संयुक्त राज्य या किसी दूसरे देश में उत्प्रवास के परिणामस्वरूप देश को नुकसान का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों के व्यावसायिकों के विदेश गमन को कम करने तथा विदेश से उन्हें देश में वापस लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछेक नीचे दिए गए हैं :-

1. विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में उत्कृष्टता/उच्च अध्ययन के और अधिक केन्द्र खोलना।
2. विज्ञान के नये तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित व्यावसायिकों के कोर वर्ग का सृजन।
3. उद्यम विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
4. आगामी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु कुल परिव्यय में वृद्धि।
5. एसोशिएटशिप/अध्येतावृत्तियों/पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण/पुन: प्रशिक्षण कार्यक्रम।
6. वैज्ञानिक पूल योजना के तहत वैज्ञानिकों तथा टेक्नोक्रैटों के लिए अस्थायी नौकरी का प्रावधान।
7. अधिसंख्य पदों का सृजन।
8. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण एवं उभरते क्षेत्रों में सहयोग हेतु अल्पकालिक तकनीकी कार्यों के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं को निमंत्रण।
9. युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक योजना।

10. अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं का दौरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फैलोशिप के चुनिन्दा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों हेतु बेहतर अवसर।

11. विज्ञान के प्रतिभावान छात्रों के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना।

नष्ट हो रहे शिल्प के पुनरूद्धार में एनआईएसटीएडी (बांकुरा) की भागीदारी

3453. श्री बसुदेव आचार्य : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईएसटीएडी (बांकुरा, प. बंगाल) नष्ट हो रहे शिल्प का पुनरूद्धार करने में लगा हुआ था और इससे बांकुरा और आसपास के क्षेत्रों के कारीगरों को बहुत मदद मिल रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सीएसआईआर के अन्तर्गत बांकुरा केन्द्र की चल रही परियोजना को पूरा करने के लिए दो वर्ष का समय देने की सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सभी परियोजनाएं प्रायोजित हैं और बांकुरा में कार्य जारी रखने के लिए सीएसआईआर की कोई वित्तीय देयतायें नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए क्या कदम, यदि कोई हैं, उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। सीएसआईआर ने बीस वर्ष पहले 1982 में बांकुरा में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थानीय कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक फील्ड स्टेशन स्थापित किया था। इन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी योगदानों से परंपरागत डोकरा शिल्प का पुनरूद्धार करने तथा ग्रामीण शिल्पीय कौशलों/उत्पादक को बढ़ाने में स्थानीय कारीगरों को सहायता मिली है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संघ सरकार और सीएसआईआर द्वारा ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1996 में बांकुरा में ग्रामीण कारीगर और विज्ञान विषयक परियोजना पर एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया था। इस समिति की गत दो वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई।

(घ) जी, नहीं। इस फील्ड स्टेशन को चलाने के समग्र व्यय का एक बड़ा भाग सीएसआईआर द्वारा वहन किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षय-रोधी औषध युग्म हेतु विनियामक संहिता में संशोधन

3454. श्री नरेश पुगलिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिफैम्पिसिन आइसोनाइज्ड, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्युटोल की क्षय-रोधी युग्म (एफडीसी) की निर्धारित खुराक हेतु विनियामक संहिता में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषध विनिर्माता कंपनियों के लिए अपना वर्तमान स्टॉक समाप्त करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नई औषधि अथवा किसी नई एफडीसी के लिए राज्यों द्वारा लाइसेंस दिए जाने से पूर्व सेंट्रल ड्रग अथारिटी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है;

(च) यदि हां, तो क्या औषधि विनिर्माता कंपनियों द्वारा इस सिद्धांत के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उल्लंघनों के मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) चार क्षय रोधी औषधियों, यथा रिफेम्पिसिन + आइसोनियाजिड + पाइराजिनेमाइड + इथाम्बुटोल, की निर्धारित खुराक युग्म के मामले पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा और विचार-विमर्श हुआ था तथा औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार और आवश्यक औषधों की विश्व स्वास्थ्य संगठन आदर्श सूची में शामिल सूत्र के अनुसार चार क्षय रोधी औषधों के एफ डी सी को प्रारम्भ करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति हो गई थी।

(ग) और (घ) समय सीमा के मसले पर अधिसूचना के समय विचार किया जाएगा।

(ङ) जी, हां। औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम की धारा 122 ए से ई और उसके अंतर्गत नियमों के तहत किसी नए औषध या नए एफ डी सी के लिए राज्यों द्वारा लाइसेंस दिए जाने से पहले सेन्ट्रल ड्रग अथारिटी की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

(च) और (छ) औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत बनाए गए उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के कुछेक मामले जानकारी में आए थे और संबंधित राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों से अनुज्ञा वापस ले लेने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों को नए औषध हेतु अपने स्तर से लाइसेंस प्रदान करने से रोकने के लिए अधिसूचना सं० जी एस आर 311(ई) दिनांक 1 मई, 2002 के तहत नियम 69 को संशोधित किया है।

बाजुआ में आई.आई.टी. खोलना

3455. श्री के. येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि जब केंद्र सरकार नई आई.आई.टी खोलने का निर्णय लेगी तो आंध्र प्रदेश में बाजुआ में एक आई.आई.टी. खोले जाने के संबंध में उचित रूप से विचार किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो बाजुआ में एक आई.आई.टी. खोलने हेतु और क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने बसरा (न कि बाजुआ), जिला अदीलाबाद, आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने में व्यापक निवेश की आवश्यकता होती है, इस समय भारत सरकार देश में कोई नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने पर विचार नहीं कर रही है। अत: वर्तमान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला क्षमता में वृद्धि करना और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य प्रमुख संस्थाओं का स्तरोन्नयन जैसे लागत प्रभावी विकल्पों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव के संबंध में अपने विचारों से पहले ही अवगत करा दिया है।

वर्षा का पूर्वानुमान

3456. श्री वाई.वी. राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बहुत कम वर्षा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौसम विभाग इसका पहले से पूर्वानुमान लगाने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सही पूर्वानुमान के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) से (ग) इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने आने की सामान्य तिथि के 3 दिन बाद 29 मई को केरल पहुंचा। प्रायद्वीपीय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर यह ठीक समय पर बढ़ा। 27 जून तक मानसून झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों की ओर बढ़ा। 1 से 27 जून, 2002 की अवधि के लिए देश में कुल मिलाकर वर्षा सामान्य से 7% अधिक थी। तथापि इसके बाद, मानसून का परिसंचरण कमजोर पड़ गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की ओर इसका आगे विस्तार रुक गया। 17 जुलाई को देश में कुल मिलाकर वर्षा सामान्य से 25% कम थी और 14 मौसम विज्ञान उप-खण्डों में सामान्य थी तथा 22 में वर्षा कम/बहुत कम थी।

एक कमजोर बहाव के रूप में दक्षिण-पश्चिम मानसून 19 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों, दिल्ली सहित हरियाणा तथा पंजाब में और आगे बढ़ा। तत्पश्चात् इसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दी।

तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने के अतिरिक्त, जुलाई के तीसरे एवं चौथे हफ्ते के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में छिट-पुट वर्षा हुई। 31 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए कुल मिलाकर वर्षा सामान्य रही जिसमें 36 मौसम विज्ञान उप-खण्डों में से 10 अधिक से सामान्य की श्रेणी में तथा शेष 26 कम/बहुत कम श्रेणी में थे।

523 मौसम विज्ञान जिलों में से 32 में वर्षा अधिक थी, 99 में सामान्य तथा 382 में कम/बहुत कम थी।

2002 की दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋत वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का सरकारी पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

(i) 2002 में समग्र रूप से देश के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितम्बर) के लिए वर्षा सामान्य होने की संभावना है जिसके फलस्वरूप वर्ष 2002 लगातार 14वां सामान्य मानसून वाला वर्ष बन जाएगा। अपनी दीर्घावधि औसत के ± 10% वर्षा सामान्य कही जाती है।

(ii) मात्रात्मक तौर पर समग्र रूप से देश में 2002 दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितम्बर; के लिए वर्षा ± 4% की आकलित मॉडल त्रुटि के साथ अपनी दीर्घावधि औसत से 101% होने की संभावना है।

चूंकि दीर्घावधि पूर्वानुमान कुल मौसमी वर्षा के लिए होता है, इसके पूर्वानुमान की सटीकता का मूल्यांकन केवल मानसून ऋतु के बाद ही किया जा सकता है।

सामान्य मानसून वर्षा की व्याख्या, मानसून ऋतु में सूखे/गीले दौर तथा देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन से संबंधित लघु स्थानिक तथा सामयिक स्केलों पर नहीं की जा सकती। मानसून की शेष अवधि के दौरान मानसून परिसंचरण के भावी विकास पर नजर रखनी होती है तथा पूर्वानुमान केवल समय स्केल पर 2-4 दिन पहले ही किए जा सकते हैं।

31 जुलाई पूर्वोत्तर भारत बिहार तथा उड़ीसा को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून गतिविधि कमजोर पड़ गई।

(घ) विभिन्न संकल्पनाओं के प्रयोग द्वारा बड़ी संख्या में आनुभाविक एवं गतिमान मॉडलों का विकास किया जा रहा है और उनकी सटीकता के लिए उनका परीक्षण किया जा रहा है। प्रचालनात्मक दीर्घावधि पूर्वानुमान मॉडलों का सतत् मॉनीटरन एवं अद्यतनीकरण नियमित आधार पर किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारका में गृहकर की वसूली

3457. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका में मूलभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद द्वारका में फ्लैट आबंटित किए हैं और आबंटितियों से गृहकर का भुगतान करवा रही है;

(ख) यदि हां, तो मूलभूत नागरिक सुविधाओं के अभाव में गृहकर की राशि की वसूली करने के क्या कारण हैं;

(ग) कर की उगाही और इस मद में एकत्रित किए गए धन को वापस करने और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर ही इस कर को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि द्वारका में कुछ ऐसे फ्लैट आबंटित किए गए थे जिनमें आबंटन के समय बिजली और पानी मुहैया नहीं कराए जा सके। तथापि, ये सुविधाएं अब इन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संपत्ति कर लगाए जाना नागरिक सुविधाओं के मुहैया करने पर निर्भर नहीं करता। दिल्ली नगर निगम ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय भी यह मानता है कि संपत्ति कर नागरिक सुविधाओं पर निर्भर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत पनधारा उपयोजना

3458. श्री रघुनाथ झा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार आश्वासन योजना की पनधारा उपयोजना का समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) के साथ विलय कर दिया गया है;

(ख) क्या पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन में काफी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पनधारा विकास कार्यक्रम को पर्याप्त महत्व देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) विभिन्न योजनाओं की संरचना को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाई के एक भाग के रूप में सुनिश्चित रोजगार योजना (ई०ए०एस०) को मुख्यत: मजदूरी रोजगार योजना के रूप में रखा गया था और इस योजना के तहत नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देना 1.4.99 से बन्द कर दिया गया था। तथापि सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 1.4.99 से पूर्व आरंभ की गई वाटरशेड परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा निधियां उपलब्ध करायी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप विभाग के विभिन्न वाटरशेड कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के लिए परिव्यय जो वर्ष 1999-2000 में 262.00 करोड रुपये था वर्ष 2000-2001 में बढ़ाकर 805.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को वर्ष 2002-2003 में आगे और बढ़ाकर 885 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कार्यक्रमों की कवरेज में वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि की गयी है। जबकि वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक के चार वर्षों के दौरान तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 52.62 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, तथापि, वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के तीन वर्षों के दौरान 87.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

· कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं

3459. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खान श्रमिकों को आवास, जल और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या 1994 में कोयला खान श्रमिकों को जारी किए गए स्वास्थ्य कार्डों का नवीकरण नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन कार्डों का कब तक नवीकरण किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार, सी.आई.एल. ने कोयला श्रमिकों को 407389 मकान मुहैया कराए हैं और जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत 23.19 लाख जनसंख्या को कवर किया गया है। सी.आई.एल. श्रमिकों को मुहैया कराई गयी चिकित्सा सुविधाएं नीचे दिए अनुसार है :-

क्रम सं.	मद	संख्या
1.	अस्पतालों की संख्या	87
2.	बिस्तरों की संख्या	5979
3.	डिस्पेंसरियों की संख्या	436
4.	ऐम्बुलेन्सों की संख्या	661
5.	डाक्टरों की संख्या	1769

(ग) सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा मकान, जल आपूर्ति तथा चिकित्सा पर किया गया वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है:-

1999-2000	366.10 करोड रुपये
2000-2001	329.97 करोड़ रुपये
2001-2002 (अनन्तिम)	291.38 करोड़ रुपये

(घ) से (च) स्वास्थ्य कार्डों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। तथापि, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा जांच समय-समय पर की जा रही है। स्वास्थ्य कार्ड प्रणाली को 1993 में शुरू किया गया था लेकिन, वर्ष 1994 के पश्चात् इसे नीचे दिए गए कारणों से जारी नहीं रखा जा सका :-

1. उक्त प्रणाली आवधिक चिकित्सा जांचों के माध्यम से उपलब्ध लाभ/सूचना के अलावा अन्य कोई लाभ/सूचना मुहैया नहीं करा रही थी।

2. श्रमिक स्वास्थ्य की बार-बार जांच नहीं करवाना चाहते थे।

3. सी.आई.एल. के सभी कर्मचारियों की हर तिमाही में जांच करना क्रियात्मक रूप से सम्भव नहीं था।

केंद्रीय विद्यालयों में उर्दू

3460. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन विद्यालयों में पर्याप्त उर्दू अध्यापक उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं;

(छ) आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें उर्दू पढ़ाई जा रही है; और

(ज) सरकार द्वारा उन केंद्रीय विद्यालयों में, जहां बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को अखिल भारतीय आधार पर स्थानांतरणीय बना सकने को ध्यान में रखते हुए, सभी स्कूलों में तृतीय भाषा के शिक्षण के लिए एक समान पैटर्न रखा गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा को अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रावधान है बशर्ते कि उस स्कूल में उस भाषा का अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों की संख्या 20 या उससे अधिक हो।

झारखंड में हिंसा

3461. श्री राम मोहन गाइडे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषित नई अधिवास नीति के कारण झारखंड में हो रही लगातार हिंसा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा भारत की अखण्डता पर असर डालने वाली किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए झारखंड में हिंसा को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में झारखंड सरकार की कथित ''अधिवास नीति'' के पक्ष और विपक्ष में भड़की हिंसा को नोट किया है। बिहार सरकार के 3.3.1982 के परिपत्र, जिसमें ''स्थानीय निवासी'' उनको परिभाषित किया गया है जिनके अपने और उनके पूर्वजों के नाम अंतिम सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, ''रिकार्ड्स ऑफ राइट'' में दर्ज हैं तथा जिला स्तर पर रोजगार में ''स्थानीयों'' को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, को अंगीकार करने के कारण हुई गलतफहमी की वजह से हिंसा हुई। झारखंड सरकार द्वारा कोई नई अधिवास नीति तैयार नहीं की गई है। हिंसा रोक दी गई है तथा स्थिति पर निगाह रखी जा रही है।

(ग) केन्द्र सरकार राज्य सरकार से निरंतर संपर्क में है तथा स्थिति का प्रबोधन किया जा रहा है। राज्य सरकार को हर कीमत पर शांति और व्यवस्था कायम रखने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

यमुना नदी से जल की आपूर्ति

3462. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा यमुना नदी से जल आपूर्ति के लिए कितनी मांग की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राजधानी को यमुना नदी से पेयजल हेतु कितना जल उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या यह मांग के अनुरूप था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राजधानी में आबादी में भारी वृद्धि के कारण पेयजल की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो राजधानी को यमुना नदी से पेयजल के प्रयोजनार्थ मांग के अनुसार जल उपलब्ध कराने हेतु उठाये गए/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) नदी तटीय 5 राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 12-5-1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिल्ली का यमुना जल में 0.724 बिलियन क्यूसिक मीटर (बी सी एम) वार्षिक अंश है। यह व्यवस्था ऊपरी प्रभाव क्षेत्रों में बांधों/भण्डारणों के निर्माण होने तथा इस प्रकार के भण्डारणों के भर जाने के अध्यधीन होगी। अत: दिल्ली के लिए नदी पानी के मौसमी आबंटन की समझौता ज्ञापन में निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है :-

(1) 0.076 बिलियन क्यूसिक मीटर मार्च से जून

(2) 0.58 बिलियन क्यूसिक मीटर जुलाई से अक्तूबर

(3) 0.068 बिलियन क्यूसिक मीटर नवम्बर से फरवरी

(ग) और (घ) जी, नहीं। जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के कारण यह पर्याप्त नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि चूंकि पानी का विभाजन संबंधी आबंटन निर्धारित है, अत: मांग के अनुसार जल नहीं लिया जा सकता। तथापि, मुनाक से हैदरपुर तक 380 करोड़ रु० की लागत से एक समानान्तर लाइन चैनल का निर्माण किया जा रहा है जो मुनाक से हैदरपुर तक दिल्ली की विद्यमान ब्रांच के साथ-साथ चलेगा। इस कार्य के तीन वर्षों में पूरा होने की संभावना है तथा इससे प्रतिदिन 80 मिलियन गैलन कच्चे पानी की बचत होगी जिसका दिल्ली द्वारा बवाना, द्वारका और ओखला स्थित जल शोधन संयंत्रों को चलाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु प्रायोगिक परियोजना

3463. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से अशक्तों के कल्याण हेतु आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों राज्य परियोजना के कार्यान्वयन पर सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जहां तक शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, वर्तमान में ऐसी कोई प्रायोगिक परियोजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साहन या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगारों या अल्प रोजगार युक्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) घटक के तहत अशक्तों के लिए पहले से ही तीन प्रतिशत आरक्षण का विशेष प्रावधान है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम की धनराशि का दुरुपयोग

3464. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को जारी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने एनएसडीपी की धनराशि को अन्यत्र लगा दिया है/लगा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई आन्तरिक जांच प्रणाली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इसकी स्थिति क्या है; और

(छ) आज की तिथि के अनुसार एनएसडीपी धनराशि की राज्य में क्या स्थिति है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के अंतर्गत भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अब तक 205.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि में से महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन प्राधिकरणों को 176.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि शेष राशि शीघ्र ही जारी की जाएगी और दिसम्बर 2002 तक इसका उपयोग कर लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मार्च, 2002 तक कुल 205.50 करोड़ रुपये की जारी राशि में से 123.43 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2002-2003 में महाराष्ट्र सरकार के लिए राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के अंतर्गत योजना आयोग ने 55.00 करोड़ रुपये का नियतन किया है।

तकनीकी संस्थाओं का कार्यकरण

3465. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री अनन्त गुडे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषत: कर्नाटक और महाराष्ट्र में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले तकनीकी संस्थाओं के कार्यकरण की आलोचनात्मक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार क्या कमियां पाई गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने भूमण्डलीकरण को ध्यान में रखकर कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण/तकनीकी शिक्षा में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदण्ड तय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से नियमित रूप से सभी डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के कार्यकरण का अनुवीक्षण करती है। जहां तक डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का संबंध है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिपद ने उनके अनुवीक्षण के लिये संबंधित राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायित की है। सामान्यत: पाई गई कमियां अस्थायी स्थलों से संचालित संस्थानों के कार्यकरण, अपेक्षित अनुमोदन के बिना नाम/स्थान का परिवर्तन, संस्थान का एक न्यास से दूसरे न्यास में स्थानांतरण, संकाय की कमी, संकाय का निर्धारित योग्यता युक्त न होना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संस्तुत वेतनमानों को कार्यान्वित न करना, अपर्याप्त आधारभूत सुविधायें, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त न होना इत्यादि से संबंधित हैं।

(ग) और) (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में तकनीकी शिक्षा की आयोजना के लिए भावी योजना तैयार करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

अपशिष्ट निपटान प्रबंधन

3466. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य शहरों में अपशिष्ट निपटान प्रबंधन हेतु संबंधित राज्य सरकारों की बैठक बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) श्रीमती अलमित्रा एच पटेल द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) सं० 886/96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय ने लैंडफिल स्थलों एवं कूड़ा खाद (कम्पोस्टिंग) संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपयुक्त कचरा निपटान प्रबंधन के लिए किये जाने वाले उपायों के संबंध में लगातार कई बैठकें आयोजित की थी। राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिल्ली के ठोस कचरे के निपटान हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि की पहचान करने हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों के साथ भी इस मामले को उठाया था। तथापि, किसी राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु किसी प्रकार की भूमि उपलब्ध होने के बारे में संकेत नहीं दिया।

[अनुवाद]

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति

3467. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस नीति से महिलाओं को किस सीमा तक मदद मिलेगी;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त नीति को बनाए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय नीति को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने 20 मार्च, 2001 को राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति अनुमोदित कर दी है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

यह नीति व्यापक रूप से महिलाओं के सभी पहलुओं से संबंधित है तथा महिलाओं के सरोकारों व परिप्रेक्ष्यों को सभी वृहत् और लघु कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति की
कुछ प्रमुख विशेषताएं

भारत सरकार द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय नीति सभी स्तरों पर कार्रवाई का दिग्दर्शन करेगी और समस्त वृहत् और लघु कार्यक्रमों में महिला मुद्दों तथा परिप्रेक्ष्यों को शामिल करेगी। नीति अनेक मुद्दों को हल करेगी और इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

(1) भूमि, अन्य प्रकार की सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि सहित उत्पादक संसाधनों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों, पहुंच तथा नियंत्रण में सैद्धान्तिक और वास्तविक समानता;

(2) समस्त कानूनों, नीतियों, नियमों तथा विनियमों में महिलाओं के साथ भेदभाव वाले सभी उपबन्धों को हटाना;

(3) जहां आवश्यक हो, आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई करके विधायी, कार्यकारी और न्यायिक संस्थाओं सहित सभी प्रकार के निर्णय निर्माण में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी;

(4) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान की अभि-स्वीकृति और प्रचार;

(5) केन्द्र/राज्य सरकारों के सभी मन्त्रालयों/कार्यालयों द्वारा महिलाओं और पुरुषों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन;

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं अन्तर-राज्य प्रवासी महिलाओं आदि सहित विशेष रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की अनिवार्यता;

(7) महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण, भूमि आदि पर महिलाओं के नियन्त्रण और उनकी समान पहुंच के माध्यम से विकास के लिए महिलाओं से संबंधित स्कीमों, कार्यक्रमों, सेवाओं का समग्र संकेन्द्रण;

(8) प्रेरक, भागीदार और प्रापक के रूप में सभी विकास नीतियों और प्रक्रियाओं में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना;

(9) हिंसा के उन्मूलन के लिए उत्तरदायी तन्त्रों के कड़े प्रवर्तन और सुदृढ़ीकरण द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन;

(10) प्रचार माध्यमों में महिलाओं की सकारात्मक छवि;

(11) गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों की भागीदारी;

(12) बालिका के साथ भेदभाव और उसके अधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन;

(13) कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायी स्कन्धों सहित सरकार के सभी कर्मियों को महिला मुद्दों के बारे में सतत् और नियमित जानकारी देना;

(14) वृहत् आर्थिक नीतियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके उनके परिप्रेक्ष्यों को नीतियों में शामिल करना; और

(15) पर्यावरण संरक्षण और पारि-प्रणालियों के प्रबन्धन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी।

2. नीति में विभिन्न नीति-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण कार्रवाइयां भी शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं हेतु लम्बित आवेदन

3468. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष से अधिक समय से जैव प्रौद्योगिकी विभाग में कितने आवेदन स्वीकृत हेतु लम्बित हैं;

(ख) क्या इसके लिए कोई सुचारू प्रणाली तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित आवेदनों की जांच करने की प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चा") : (क) से (घ) रिकार्ड के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी विभाग में अनुसंधान के वित्तपोषण हेतु कोई आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से बिना कार्रवाई के लम्बित नहीं पड़ा है। तथापि, विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा किए जाने के बाद अन्तिम वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। विभाग में एक परियोजना पंजीकरण कक्ष है, जो प्राप्त आवेदनों के रिकार्ड का और उन पर लिए गए निर्णयों का रखरखाव करता है ताकि आगे कार्रवाई हो सके। अन्तिम निर्णय लेने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो वह आवेदनों के पर्याप्त संख्या के कारण नहीं, अपितु अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने, आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या कभी-कभी विशेषज्ञों से जवाब देरी से प्राप्त होने की वजह से हुआ है। विभिन्न प्रस्तावों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। स्वीकृत बायोटेक्नोलॉजी परियोजनाओं का एक डाटाबेस डी बी टी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। 16 विशेषज्ञ कार्यदल और एक जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रवर्धन समिति भी मौजूद है जो प्रस्तावों की अनुशंसा करने या उन्हें अस्वीकृत करने के लिए बैठकें करते हैं। परियोजनाओं को उनकी वैज्ञानिक योग्यता के आधार पर मूल्यांकित करने के लिए नियमित रूप से कार्य स्थलों का दौरा किया जाता है और कार्यदल के समक्ष विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। एक पारदर्शी एवं प्रभावाकारी तंत्र की स्थापना की गई है जिसमें समय-समय पर सुधार किया जाता है।

सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन

3469. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान 69 मामलों की तुलना में वर्ष 2000-01 में सुरक्षा बलों द्वारा किये गये मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की संख्या बढ़ कर 486 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बढोत्तरी के रूझान के कारणों को जानने के लिए कोई जांच की है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सुरक्षा बलों के खिलाफ कथित मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की संख्या 1998-1999 में 69 थी जबकि वर्ष 2000-2001 में ऐसी 486 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित सभी शिकायतों को जांच के दौरान सही नहीं पाया गया है।

(ग) जब कभी भी सुरक्षाबलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किए जाते हैं तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1999 की धारा 19 के तहत कार्य करता है और केन्द्र सरकार से कथित उल्लंघन की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दोषी अधिकारियों को दी जाने वाली सजा के बारे में यथोचित सिफारिशें करता है। सरकार अपनी ओर से भी उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों के प्रति सुग्राही बना रही है।

प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

3470. श्री बसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन को सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त उददेश्य हेतु आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के राज्य-वार नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) 6-14 आयु-वर्ग के स्कूल बाह्य तथा पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चों के लिए चलाए जाने वाले अनौपचारिक शिक्षा को तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार से गैर-सरकारी संगठनों को सीधे अनुदान जारी किए जाते थे। अनौपचारिक शिक्षा योजना 31.3.2001 को बंद कर दी गई है तथा इस समय सिर्फ उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिपूर्ति की जा रही है जिन्होंने 31.3.2001 तक कार्यक्रम कार्यान्वित किया था। अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत तथा नवाचारी/प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	726.48	641.45	328.78
असम	90.85	53.5	36.26
बिहार	207.29	409.23	171.29
गुजरात	65.57	85.42	20.33
जम्मू और कश्मीर	9.64	18.79	2.43
मध्य प्रदेश	249.57	211.86	135.22
मणिपुर	89.28	52.07	57.86
उड़ीसा	857.51	1186.47	565.44
राजस्थान	491.26	209.91	105.97
तमिलनाडु	190.69	258.29	308.33
त्रिपुरा	22.39	7.9	2.82
उत्तर प्रदेश	476.35	262.12	240.54
चंडीगढ़	0	2.91	0
दादरा और नगर हवेली	0	4.74	0
हरियाणा	67.78	40.72	41.00
हिमाचल प्रदेश	7.38	33.61	3.17
कर्नाटक	57.16	61.49	31.80
महाराष्ट्र	196.41	129.05	64.14
पश्चिम बंगाल	131.37	195.69	127.71
दिल्ली	57	77.74	36.09
पंजाब	5.31	0	.83
नागालैंड	10.37	1.38	1.37
कुल	3999.98	3944.34	2281.38

1.4.2001 से एक नई योजना शिक्षा गारंटी योजना तथा नवाचारी एवं वैकल्पिक शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान नामक योजना का अंग है, स्कूल रहित बस्तियों को शामिल करने तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने तथा स्कूल बाह्य बच्चों के मुद्दों को हल करने के लिए शुरू की गई है। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा गारंटी योजना केंद्र चलाने का कार्य शुरू किया है। 2001-2002 में महाराष्ट्र में शिक्षा गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद नामक राज्य सरकार की सोसायटी को कुल 110.18 लाख रु. की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार सिर्फ नवाचारी शिक्षा के क्षेत्र में लगे गैर-सरकारी संगठनों को ही सीधे निधियां जारी करती है। गत दो वर्षों के दौरान केंद्रीय अनुदान पाने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	गैर-सरकारी संगठन का नाम
आंध्र प्रदेश	भगवततुला चैरीटेबल ट्रस्ट, येलमचिलि
	जन शिक्षण संस्थान हैदराबाद
	एम.वी. फाऊंडेशन, सिकन्द्राबाद
	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति
	डक्कन डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद
बिहार	अंत्योदय लोक कार्यक्रम, पश्चिमी चंपारन
	समन्वय आश्रम, बोध गया
झारखंड	बदलाव फाऊंडेशन, जामातरा
दिल्ली	लेडी इर्विन कालेज, नई दिल्ली
	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली
	जन जागृति शिक्षा समिति, नई दिल्ली
	जन-उत्थान, दिल्ली,
	एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
महाराष्ट्र	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, पुणे
	फाऊंडेशन फॉर रिसर्च इन कम्यूनिटी हेल्थ, मुम्बई
	जे.पी. नायक सेन्टर, पुणे
	सोसायटी फॉर ह्युमन इन्वायरनमेंटल डेवलपमेंट मुम्बई
	सत्य सोधक महिला विकास मंडल, औरंगाबाद
मध्य प्रदेश	एकलव्य फाऊंडेशन, भोपाल
	रफी अहम्द किदवई एजुकेशन सोसायटी, भोपाल
	दीन दयाल शोध संस्थान, सतना
उड़ीसा	अग्रगामी, काशीपुर
	अग्रणी, सारत
	सोसायटी फॉर वेल्फेयर ऑफ वीकर सेक्शन, पारलेखीमुंडी
	गजपति समाज कल्याण समिति, पारलेखीमुंडी
	श्री रामकृष्ण आश्रम, रामपुर
	मानव कल्याण प्रतिष्ठान, संबलपुर, पारलेखीमुंडी
	लोकदुरस्ती, खरियार
	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एक्शन एण्ड रिसर्च एक्टिविटिज, बहरामपुर
कर्नाटक	राष्ट्रथाना परिषद, बंगलौर
राजस्थान	दिगांतर शिक्षा एवं खेल-कूद समिति, जयपुर
	बौद्ध शिक्षा समिति, जयपुर
तमिलनाडु	कृष्णमूर्ति फाऊंडेशन इंडिया, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	बेचटियन मिरर, नोएडा
	भूमिहीन सेवा समिति, इलाहाबाद
	एडसिल, नोएडा
पश्चिम बंगाल	इंस्टीट्यूट ऑफ साइकलोजिकल एण्ड एज्युकेशनल रिसर्च
	माझीहोरा नेशनल बेसिक एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट
	आर.के. मिशन लोक शिक्षा परिषद, नरेन्द्रपुर
	विक्रमशीला एज्युकेशनल रिसोर्स सोसायटी, कोलकाता
	फ्रेंड्स ऑफ ट्रैवल सोसायटी, कोलकाता

मुक्त विद्यालय समिति

3471. श्री के. येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 जिलों में आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय समिति के 2700 केन्द्रों को चलाये रखने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति ने दिनांक 1 जुलाई, 1997 को आयोजित अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसायटी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया था। समिति ने परियोजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई और इसे बंद कर देने तथा खर्च न गई शेष राशि वापस करने के लिए सोसायटी से आग्रह करने का निर्णय लिया। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2001-2002 तक आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसायटी द्वारा खर्च न की गई शेष राशि के उपयोग तथा अतिरिक्त धन संस्वीकृत करने का अनुरोध मानव संसाधन विकास मंत्रालय से किया है। सहायता अनुदान समिति द्वारा अभी मामले की समीक्षा की जानी है।

एम०सी०डी० के कार्यालयों पर सी०बी०आई० के छापे

3472. **श्री रामजी मांझी :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सी०बी०आई० ने हाल ही में एम०सी०डी० के कार्यालयों पर छापे मारे हैं और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या एम०सी०डी० ने इंजीनियरों, निरीक्षकों एवं अधिकारियों को आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन ब्यौरों की जांच की गई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या प्रत्येक व्यक्ति ने अभी तक ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि बिना किसी अपवाद के यथाशीघ्र आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत की जाएं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्र के रूप में आवास और निर्माण

3473. **श्री वाई०वी० राव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास और निर्माण उद्योग ने सरकार से आवास और निर्माण को महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। आवास तथा निर्माण को महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्र घोषित करने हेतु आवास और निर्माण उद्योग के विभिन्न निकायों के साथ-साथ कुछ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय को प्राप्त हुए थे। बजट प्रक्रिया के दौरान सुझावों पर उचित विचार-विमर्श किया गया तथा सरकार का उत्तर सभा के दोनों सदनों में पहले से प्रस्तुत वित्त विधेयक, 2002 में निहित हैं।

खनिज

3474. **श्री सुनील खां : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनिज-वार और स्थान-वार कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं; और

(ख) क्या देश के खनिज संसार में सर्वोत्तम और अधिक सस्ते हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) भारत, 4 ईंधन खनिजों, 10 धात्विक खनिजों और 50 अधात्विक खनिजों सहित, 64 प्रमुख खनिजों [खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ड़) के तहत् परिभाषित गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज] का उत्पादन करता है और ये खनिज भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। इन खनिज भण्डारों का ब्यौरा, खान विभाग

के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ''राष्ट्रीय खनिज मालसूची'' नामक अपने प्रकाशन में आवधिक रूप से दिया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारतीय मूल के लौह अयस्कों, बेराइट्स, ब्लॉक अभ्रक, टेल्क/स्टीटाइट/सोपस्टोन, ग्रेनाइट्स, मार्बल इत्यादि खानिजों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है जो गुणवत्ता में उनकी श्रेष्ठता का परिचायक है। वर्तमान में, भारत बाक्साइट, क्रोमाइट, कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूनापत्थर, ग्रेनाइट इत्यादि जैसे कई खनिजों का निर्यात करता है जो यह दर्शाता है कि अन्य देशों की कीमतों की तुलना में इनकी कीमतें प्रतियोगी हैं।

कुद्रेमुख, कर्नाटक में खनन की अनुमति देना

3475. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख में खनन की अनुमति देने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त सिफारिश मान ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित खनिजों के लिए खनन पट्टे प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव मूल रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाते हैं तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इनकी प्रोसेसिंग और निपटान किया जाता है। फिलहाल, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख में पांच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों का आबंटन

3476. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 30.6.2002 को तेलगू दैनिक 'एनाडु' में इंजीनियरिंग कालेज़ इन आंध्र प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रकाशित मामले के ब्यौरे और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अतिरिक्त सीटों के आबंटन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का रवैया पक्षपातपूर्ण है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अतिरिक्त सीटों के आबंटन में किन्ही मानदण्डों का पालन कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (छ) तेलगू दैनिक ''ऐनाडु'' में प्रकाशित समाचार आंध्र प्रदेश राज्य में इजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के संबंध में था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सूचित किया है कि अतिरिक्त सीटों के आबंटन में कोई पक्षपात नहीं हुआ है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् वर्तमान अनुमोदित संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करती है। विशेषज्ञ समितियों और क्षेत्रीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् उन पाठ्यक्रम को अनुमोदन तभी प्रदान करती है जब वे इसके निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों के अनुसार आधारभूत सुविधाओं को पूरा करते हों। इस प्रक्रिया का देशभर में समान रूप से पालन किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित औषधियों का विक्रय

3477. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी कंपनियां भारत में अभी भी ऐसी औषधियों का विक्रय कर रही हैं जो उनके अपने ही देश में प्रतिबंधित हैं और लोग जीवन रक्षक औषधि के नाम पर वे दवाएं खरीद रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए घातक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि अन्य देशों में प्रतिबंधित कुछेक औषधियां एवं दवाइयां अभी भी देश में प्रयुक्त की जा रही हैं। हानिकर/अयुक्तिक औषधियों को नष्ट करने के लिए देश में बेची गई औषधियों एवं दवाइयों की एक विशेषज्ञ समिति के जरिए निरंतर जांच की जाती है।

कुछ देशों में किसी समय हटा ली गई कुछेक औषधियों एवं सूत्रयोगों को अन्य देशों में बेचा जाना जारी रहता है क्योंकि ऐसा करने का निर्णय जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिस पर अनेक पहलुओं, जैसे कि देश में व्याधि पैटर्न, जनसंख्या में कुछेक मानवजातीय समूह की किसी औषधि के प्रति भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया, किसी विशिष्ट व्याधि के इलाज में निहित लागत तथा बदले में दूसरी सुरक्षित औषधियों की उपलब्धता, आदि का प्रभाव पड़ता है।

[अनुवाद]

'सी' जोन की जोनल विकास योजना

3478. **श्री सालखन मुर्मू :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की ओर से यथा प्राधिकृत, 'सी' जोन के संस्वीकृत जोनल विकास योजना के अन्तर्गत केवल 116 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित किया गया था जिनमें से केवल उन 10 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को ही गैर-प्रदूषण नियंत्रण में होने के कारण हटाया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र विकास योजना के अनुसार 116 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में से 78 इकाइयां समयपुर बादली विस्तीर्ण औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत थी और उनका निस्तारण औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ही किया जा सकता था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सी जोन की जोनल विकास योजना का खाका उसका विन्यास तैयार करके ही खींचा है;

(च) यदि हां, तो इस विन्यास और सी जोन की जोनल योजना के खाके के आपस में मेल न खाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का इस अस्पष्टता के कारण समस्याग्रस्त लिबासपुर स्थित इकाइयों का एम०पी०डी० 2001 के खंड 3(4) के तहत व्यवस्थापन करने की कोई योजना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा 1985 में किए त्वरित सर्वे के आधार पर यह सूचना दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के जोन ''सी'' की जोनल विकास योजना में शामिल किया गया था। इसमें से 28 नियोजित औद्योगिक स्कीमों में आते हैं और शेष 88 गैर-नियोजित स्कीमों/अलग में आते हैं।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जोनल विकास योजना की तैयारी के लिए भूमि उपयोग योजना और विन्यास की तैयारी साथ-साथ चलने वाली कार्रवाई है और विन्यास तथा नक्शें में कोई भिन्नता नहीं है।

(छ) से (झ) दिल्ली मास्टर प्लान के खण्ड 3(4) को इस प्रकार कहा गया है :-

> ''प्राधिकरण अथवा संबंधित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विधि के अनुसार पहले से अनुमोदित ले-आउट योजना को इस संहिता के अन्तर्गत अनुमोदित हुआ माना जाएगा।''

यह खण्ड अनुमोदित ले-आउट प्लान/स्कीमों वाले क्षेत्रों में लागू हैं और इसलिए प्रसंगाधीन क्षेत्र पर लागू नहीं होता।

के०लो०नि०वि० द्वारा सामग्री की विलंबित आपूर्ति

3479. **श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हाल के वर्ष में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को खाके, आकल्पन, सामग्री की आपूर्ति और

निर्णयों इत्यादि की सूचना विलम्ब से दिये जाने की वजह से न केवल अनुबंधों के कार्यपालन में देरी हुई, अपितु मुआवजे और क्षतिपूर्ति के भुगतान के बतौर 262.74 लाख रु० की राशि भी देनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि के०लो०नि०वि० अपने अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने में विफल रहा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) 262.74 लाख रु० की धनराशि 1975-76 से 1994-95 के बीच 19 वर्षों की अवधि के 402 विवाचन अधिनिर्णयों (अर्बिट्रेशन अवार्ड) के संबंध में है। इस धनराशि में विभिन्न पहलुओं यथा, लागत वृद्धि तथा ब्याज; बाजार दर में वृद्धि; निष्क्रिय श्रमिक, औजार तथा संयंत्र; गोदाम में सामग्री का नुकसान; गोदाम का किराया, देखरेख इत्यादि पर खर्च शामिल है। शामिल कुल संविदा मूल्य की तुलना में अधिनिर्णीत धनराशि बहुत ही मामूली है।

(ग) से (च) विलंब का कारण स्थल की स्थिति, ग्राहक की जरूरत में बदलाव इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों का होना है। चूंकि ये अधिकतर कारक के०लो०नि०वि० के किसी भी अधिकारी के नियंत्रण से परे हैं, इसलिए किसी अधिकारी विशेष पर इन मामलों की जिम्मेदारी डालना संभव नहीं है।

जोन 'सी' हेतु जोनल विकास योजना

3480. श्री अनादि साहू : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1998 में जोन 'सी' हेतु जोनल विकास योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो जोन 'सी' में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं और इस जोन में कितने प्रदूषणकारी उद्योग स्थित हैं;

(ग) ऐसे कितने प्रदूषणकारी उद्योग/इकाइयां हैं जिन्हें जोन 'सी' की जोनल विकास योजना के अन्तर्गत गैस प्रदूषण नियंत्रण जोन में होने के कारण वहां से हटाना था;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) कर स्क्रीनिंग/तकनीकी समिति ने जोन 'सी' की योजना विकास योजना के मूल पाठ और इससे खाका-मानचित्र को मंजूरी प्रदान की है और जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके मूल-पाठ मे जोन 'सी' की जोनल विकास योजना के खाका-मानचित्र में कुछ बदलाव आने के क्या कारण हैं; और

(च) इस खामी के लिए उनके मंत्रालय अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध और किये गए परिवर्तन में संशोधन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के जोन 'सी' की जोनल विकास योजना 24 सितम्बर, 1998 को अनुमोदित की गयी थी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुल 3888 हेक्टेयर क्षेत्र का यह जोन दक्षिण-पश्चिम में दिल्ली रेलवे लाईन, उत्तर में ग्रामीण क्षेत्र, पूर्व में यमुना नदी तथा दक्षिण में प्राचीरबद्ध (पुराना) शहर (वाल्ड सिटी) से घिरा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की एक सूची विवरण में दी गई है। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूची, जिसे जोन 'सी' की जोनल विकास योजना में शामिल किया गया था, के अनुसार ऐसी 116 औद्योगिक इकाइयां जोन-'सी' में अवस्थित हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वर्ष 1985 में दिल्ली प्रशासन द्वारा कराए गए एक त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार लगभग दस इकाइयां गैर-नियोजित क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं। जिन्हें मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित किया था और जिसे जोनल योजना 'सी' के पाठ शामिल किया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जोनल विकास प्लान 'सी' के स्केच मैप तथा इसके पाठ में कोई विचलन/परिवर्त्तन नहीं था।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जोन "सी" के लिए जोनल विकास योजना में महत्वपूर्ण क्षेत्र की सूची

1. कश्मीरी गेट (पार्ट)
2. कुदसिया गार्डन/आई.पी. कॉलेज

3. सिविल लाइंस

4. पुरानी मल्जी मंडी (उप जोन सी-4)

5. पुरानी मल्जी मंडी (उप जोन सी-5)

6. मलकागंज (पश्चिम)

7. पूर्वी मलकागंज

8. गोशनआरा गार्डन

9. शक्ति नगर

10. रूपनगर, कमला नगर, जवाहर नगर

11. उत्तरी रिज

12. पुराना सचिवालय

13. विश्वविद्यालय क्षेत्र

14. तिमारपुर

15. किंग्सवे कैंप

16. विजयनगर

17. राणा प्रताप नगर

18. त्रिपोली एरिया

19. मॉडल टाऊन

20. आदर्श नगर

21. समयपुर बादली

रूग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करना

3481. श्री दिलीप संघाणी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूग्ण उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाये गए और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में क्या उपलब्धि रही; और

(घ) सार्वजनिक और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में दसवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के उत्पादन का क्या पूर्वानुमान किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) रूग्ण उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में भारत सरकार की नीति कर्मचारियों के हितों की पूर्ण रक्षा करते हुए सरकारी क्षेत्र के सम्भावित व्यवहार्य उपक्रमों के पुनर्गठन एवं पुनरुद्धार करने तथा जिनका (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों) पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है उन्हें बन्द करने की है। वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए सामान्यत: किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना एवं उनका विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक ऐसी पुंजी व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

(ख) और (ग) वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन एवं नौवीं योजना अवधि के दौरान भारत में प्रारम्भ की गई प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, अवस्थिति, प्रारम्भण का माह/वर्ष इत्यादि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इनमें से नामरूप सरकारी क्षेत्र रूग्ण उपक्रम का एक संयंत्र है जिसका पुनरुद्धार किया जा रहा है।

दसवीं योजना के दौरान सरकारी/सहकारी क्षेत्र के अधीन नई इकाई के लिए किसी नये निवेश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निजी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है।

(घ) वर्तमान क्षमता के 100% उपयोग के आधार पर निजी एवं सरकारी क्षेत्र दोनों में दसवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरक उत्पादन के लिए किया गया पूर्वानुमान नीचे दिया गया है :-

(लाख मी० टन में)

वर्ष	'एन'	'पी'	योग
2002-2003	120.58	52.31	172.89
2003-2004	121.74	52.31	174.05
2004-2005	121.74	52.31	174.05
2005-2006	121.74	52.31	174.05
2006-2007	129.28	52.31	181.59

विवरण

नौवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं

क्र० सं०	नाम	अवस्थिति	उत्पाद	अतिरिक्त क्षमता (लाख टन प्रतिवर्ष में)	आरम्भण का माह/वर्ष
1	2	3	4	5	6
		पहले से आरम्भ की गई			
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लि० कलोल विस्तार परियोजना	कलोल, गुजरात	यूरिया	1.50	अगस्त 97
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लि० फूलपुर विस्तार परियोजना	फूलपुर, उ० प्र०	यूरिया	7.26	दिसंबर 97
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पुनरूद्धार परियोजना	चेन्नई, तमिलनाडु	यूरिया एनपीके	0.76 1.84	मार्च 98
4.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० काकीनाडा विस्तार परियोजना	काकीनाडा, आं०प्रा०	यूरिया	4.95	मार्च 98
5.	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि० डीएपी विस्तार परियोजना	गोआ	डीएपी एनपीके	1.80 1.50	जून 98 नवंबर 98
6.	इफको का कांडला विस्तार परियोजना	कांडला, गुजरात	डीएपी एनपीके	3.70 2.27	अगस्त 99
7.	हिन्द लीवर केमिकल्स लि०	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	डीएपी/ एनपीके	4.00	अप्रैल 99
8.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० (फेज-II) का विस्तार परियोजना	गडेपन, राजस्थान	यूरिया	7.75	अक्तूबर 99
9.	इंडो गल्फ कारपोरेशन लि० (नई परियोजना)	दाहेज, गुजरात	डीएपी	4.00	अक्तूबर 2000
10.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि० (एनपीके विस्तार परियोजना)	विजाग, आं० प्र०	एनपीके	1.25	जुलाई 2000
11.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एनएफएल) (यूरिया संयंत्र विस्तार परियोजना)	नांगल, पंजाब	यूरिया	1.48	फरवरी 2001

1	2	3	4	5	6
12.	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (नई)	पारादीप, उड़ीसा	डीएपी एनपीके एनपी	15.00 3.20 1.00	अप्रैल 2001
13.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० (जीएफसीएल)	काकीनाड़ा आं०प्र०	डीएपी	2.8	सितम्बर 2001
		कार्यान्वयनाधीन			
1.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० (डीएपी विस्तार परियोजना)	सिक्का, गुजरात	डीएपी	3.96	आरम्भण प्रगति पर है
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि० (एचएफसी) के नामरूप संयंत्रों का पुनरुद्धार	नामरूप, असम	यूरिया	3.80	अक्तूबर 2002

एल्यूमिनियम का निर्यात मूल्य

3482. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार एल्यूमिनियम उत्पादकों को पहले खनिज आधारित सामग्री अर्थात् एल्यूमिनियम को अंकित मूल्य पर घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है और तभी कहीं जाकर उनका निर्यात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल्यूमिनियम के संबंध में लिये गये निर्यात मूल्य 70.000 रुपए प्रति मी०टन० के आसपास था जबकि घरेलू बाजार में बिक्री 80.000 रुपए प्रति मी०ट० पर हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के अनुसार खनिज (बाक्साइट) की एल एम ई/अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित बहुत कम दर पर घरेलू उत्पादकों को आपूर्ति की जाती है जबकि अपने उत्पाद अर्थात् एल्यूमिनियम के बिक्री मूल्य के संबंध में एल एम ई के साथ कोई संबंध नहीं है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के एल एम ई मूल्यों की तर्ज पर उनके मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों की जांच करती है और उन्हें निर्देश देती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन करने वाले एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) को, विगत तीन वित्तीय वर्षों में, विदेशी तथा घरेलू बाजार में एल्यूमिनियम धातु की बिक्री से प्राप्त शुद्ध मूल्य निम्नानुसार है:-

(प्राप्त शुद्ध मूल्य रु० में/एम टी)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
निर्यात	80,054	84,856	72,991
घरेलू बिक्री	74,114	79,070	78,755

निर्यात बिक्री से प्राप्त राशि में शुल्क छूट पास बुक स्कीम के माध्यम से निर्यात लाभ तथा निर्यात से संबंधित लाभ पर आयकर की छूट शामिल हैं:

(ङ) खनिज रियायत नियमावली, 1960, खनिजों के विक्रय मूल्य के निर्धारण को कवर नहीं करती।

(च) और (छ) एल्यूमिनियम सेक्टर विनियंत्रित है और आयात एवं निर्यात के लिए इस धातु को खुले सामान्य लाइसेंस वर्ग के तहत् रखा गया है। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है। प्राथमिक उत्पादक लंदन धातु एक्सचेंज में धातु की कीमत, आयातित धातु की उतराई लागत और घरेलू बाजार में मांग आपूर्ति की स्थिति सहित अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम का मूल्य निर्धारित करते हैं।

बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय

3483. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सह-शिक्षा स्कूलों में बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाने थे;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने सह-शिक्षा स्कूलों में अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) अभी तक अलग-अलग शौचालय उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) 'शिक्षा' समवर्ती सूची में है और विद्यालय शिक्षा विशेष रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रशासित की जाती है। सह-शिक्षा विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्षों की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्वतंत्र गैर-सरकारी विद्यालयों को सम्बद्धन प्रदान करते समय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि सह-शिक्षा विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्षों की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (संदर्भित दिनांक 30.9.1993) के अनुसार कुल 822486 विद्यालयों में से 259264 विद्यालयों में मूत्रालयों और 167368 विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था थी। 160236 विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से मूत्रालय तथा 98756 विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था थी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा भेजे गए मामले

3484. श्री रामजीवन सिंह : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में प्रधान मंत्री कार्यालय ने अपने द्वारा भेजे गए उन मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अपनाये गये रुख को गम्भीरतापूर्वक लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा पुलिस प्राधिकारियों को भेजे गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली पुलिस को अग्रेषित याचिकाओं की स्थिति की हाल ही में पुनरीक्षा करते समय पुलिस आयुक्त, दिल्ली पर दिल्ली पुलिस में शिकायतें दूर करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

(ख) जनवरी से जून 2002 तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने 702 याचिकाएं दिल्ली पुलिस को भेजी हैं।

(ग) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने प्रधान मंत्री कार्यालय से भेजे गए मामलों की गहराई से प्रबोधन करने तथा उन्हें समय से निपटने के बारे में अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण नीति

3485. श्री राजैया मल्याला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं/प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति को सुचारू बनाने के लिए श्री के.एस. शर्मा की अध्यक्षता में किसी समिति का संगठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पदस्थापना और स्थानांतरण करते समय पति/पत्नी/मानवीय आधार पर महिला शिक्षिकाओं/प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, स्थानांतरण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और कर्मचारियों विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए स्थानांतरण दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने के संबंध में बोर्ड से सिफारिश करने के लिए 7 सितम्बर, 2001 को आयोजित शासी बोर्ड की 70वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार श्री के.एस. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया :-

(1) श्री के.एस. शर्मा	–	अध्यक्ष
(2) मेजर जनरल के.एन. भट्ट	–	सदस्य
(3) श्री एस.पी. गौड़	–	सदस्य
(4) श्री एस. गोपाल	–	सदस्य
(5) श्री एच.एम. केरे	–	सदस्य

(ग) और (घ) स्थानांतरण दिशानिर्देशों के खण्ड 10(2) में यह प्रावधान है कि महिला शिक्षकों को यथासंभव अपने पति के कार्यस्थल से निकटतम स्थानों पर तैनात किया जाए। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने महिला शिक्षकों के अनुरोधों तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू व कश्मीर/अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित महिला शिक्षकों को अन्य स्थानों पर समायोजित करके उनके स्थानांतरण आदेशों में संशोधन किया है। स्थानांतरण दिशानिर्देशों में ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत कर्मचारी विभिन्न आधारों पर स्थानांतरण लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनमें प्रार्थी की वरीयता निर्धारित करने में पति/पत्नी के साथ रहने और चिकित्सा आधार वाले कारणों को महत्व दिया जाता है, जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण हेतु अनुरोध के परिणाम निर्धारित करते हैं।

[हिन्दी]

बाहरी रिंग रोड का निर्माण

3486. योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के कुछ महानगरों में बाहरी रिंग रोडों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान दी गई वित्तीय सहायता सहित स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन शहरों में रिंग रोडों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नरेला में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स

3487. श्री पी.आर. किन्दिया : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 2002 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में, "नो टेकर्स फार डीडीए फ्लैट्स इन नरेला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दि०वि०प्रा० द्वारा फ्लैटों की ऊंची कीमत के कारण खरीदार इतनी दूर स्थित फ्लैटों को खरीदने से हिचक रहे हैं और विकास कार्य यथा उचित संपर्क सड़कें, शॉपिंग काम्पलेक्स, शैक्षणिक संस्थान, यातायात सुविधाएं इत्यादि अभी नरेला में उपलब्ध कराई जानी है; और

(घ) यदि हां, तो नरेला में बने सभी फ्लैटों को बेचने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार दिल्ली विकास प्राधिकरण की नरेला आवास योजना, 2002 के बारे में था जिसमें लोगों ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई और जिसमें 4000 फ्लैट आम जनता को वास्तविक मूल्य में 20% छूट देते हुए प्रस्तुत किए गए थे। इसका कारण यह बताया गया कि लोग इतनी दूर जाना नहीं चाहते क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन मूल्यों पर नरेला में फ्लैट प्रस्तावित किए गए उसी मूल्य पर द्वारका और यमुना पार क्षेत्र में समूह आवास समितियों में फ्लैट उपलब्ध हैं जहां अवस्थापना सुविधाएं तथा संपर्क सड़कें आदि बेहतर हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार नरेला का समग्र टाउनशिप के रूप में विकास किया है। नरेला आवास योजना, 2002 के अंतर्गत फ्लैट 20% की सब्सिडी देने के बाद उचित मूल्य पर प्रस्तावित किए गए थे। जहां तक विकास कार्य का संबंध है, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य संस्थानों का विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय भंडार और मदर डेयरी के बिक्री केन्द्र स्थापित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डीएसआईडीसी) के सहयोग से एक खेल परिसर बनाने की भी योजना बनाई जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाली पड़े फ्लैट

3488. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए उन फ्लैटों की स्थान-वार और श्रेणीवार संख्या कितनी है जो गत वर्ष से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली पड़े हैं;

(ख) ये फ्लैट किस तारीख से खाली पड़े हैं;

(ग) इन फ्लैटों के खाली पड़े रहने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है;

(घ) सरकार द्वारा इन फ्लैटों में कब तक मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) इन फ्लैटों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) डीडीए ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष निर्मित/पूर्ण किया गया कोई भी डीडीए फ्लैट बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण खाली नहीं पड़ा है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिग्री इंजीनियरी कालेज

3489. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किसी भाग में विद्युत यांत्रिकी और सिविल इंजीनियरी संकाय वाले डिग्री इंजीनियरी कालेज खोलने के क्या मापदण्ड हैं;

(ख) क्या मंत्रालय का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश के अविकसित क्षेत्रों में इंजीनियरी कालेजों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने और उनमें कोई पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करती है बशर्ते कि वे अपने अधिसूचित विनियमों अर्थात् आवेदक की वित्तीय स्थिति, तकनीकी जनशक्ति संबंधी मांग का मूल्यांकन, मानदंडों तथा स्तरों के अनुसार संकाय की भर्ती, अवसंरचनात्मक तथा संस्थागत सुविधाओं का सृजन आदि में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए राष्ट्र स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से देशभर में आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से ऐसे प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु सिफारिश करते समय संबंधित राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में तकनीकी शिक्षा की समुचित योजना तैयार करें।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

3490. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराए जाने का कोई नया प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) इस समय देश भर में समेकित बाल विकास सेवा योजना चल रही है। इस योजना के पैकेज में स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। 18 राज्यों के 273 जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र भी खोले गए हैं। नई शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान योजना, जो पूरे देश में लागू की जाएगी, में भी समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अनुरूप प्रारंभिक शिशु देखभाल केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है।

सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देना

3491. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आवंटियों द्वारा अधिकांश सरकारी क्वार्टरों को किराए पर दे दिया गया है किन्तु सम्पदा निदेशालय और सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु सरकारी सामान्य पूल के सभी क्वार्टरों का मौके पर निरीक्षण करने हेतु सीपीडब्ल्यूडी और सम्पदा निदेशालय को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) निदेशालय द्वारा संपदा निदेशालय के अधीन सरकारी सामान्य पूल क्वार्टरों की उप-किराएदारी का पता लगाने के लिए कार्रवाई सरकार के निदेशानुसार प्राप्त शिकायतों तथा अपनी ओर से भी, दोनों, आधार पर मौके पर निरीक्षण करके की गई है।

(ग) से (ङ) उप-किराएदारी के मामले में उपर्युक्तानुसार कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में सम्पदा निदेशालय ने तदनुसार जनवरी, 2001 से जून, 2002 तक 6,714 क्वार्टरों का निरीक्षण किया और प्रथम दृष्टया उप-किराएदारी के 2338 मामले दर्ज किए गए हैं। आबंटन नियमावली तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर 802 क्वार्टरों का आबंटन रद्द किया गया है और 576 क्वार्टर खाली कराए गए। इसके अलावा दोषी आबंटियों पर आगे आबंटन मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी दोषी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की सलाह भी दी गई है।

[हिन्दी]

हडको के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

3492. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना हडको के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष घटाकर 58 वर्ष करने की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत अन्य सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु कम कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया गया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) के निदेशक मंडल ने हडको कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर पुन: 58 वर्ष करने के लिए स्वीकृति दे दी है। इन आदेशों के कार्यान्वयन से दिनांक 30.6.2002 तक 15 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के नियंत्रणधीन अन्य दो उपक्रमों, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि० और एन.बी.सी.सी. में से हिन्दुस्तान प्रीफैब लि० में बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से निचले स्तर के कर्मचारियों और एन.बी.सी.सी. में बोर्ड से निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप एच.पी.एल. का कोई कर्मचारी 30.6.2002 तक सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। किन्तु, सेवानिवृत्ति आयु घटाने के परिणामस्वरूप 30.6.2002 तक एन.बी.सी.सी. के 53 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं।

[अनुवाद]

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच

3493. श्री ए. नरेन्द्र : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ग्राम सभा की भूमि को गैर-कानूनी ढंग से आवंटित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। यह आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा की कुछ भूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की स्थापित नीति का उल्लंघन करके दो प्राइवेट पार्टियों को लीज पर दी गई है।

(ग) इस मामले में आरोपी उन तीन अधिकारियों में से एक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जबकि शेष दो अधिकारियों के संबंध में मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनके संलिप्त होने के बारे में प्रथमदृष्ट्या कोई साक्ष्य नहीं है।

मुम्बई में नमक वाली भूमि का प्रयोग

3494. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण (एमएएचडीए) एवं महाराष्ट्र सरकार भवन निर्माताओं को नमक वाली भूमि के उपयोग की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से पृच्छा है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भवन निर्माता लाबी नमक वाली भूमि का लाभ हेतु दोहन करना चाहती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नमक वाली भूमि को भवन निर्माताओं को मूलत: किस प्रकार पट्टे पर दिया जाएगा/हस्तांतरित किया जाएगा; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) मंत्रालय को महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री और मैसर्स महेश गरोड़िया तथा अन्य मुम्बई से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने सॉल्ट पैन भूमि का उपयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री का प्रस्ताव है कि 2.5 एफ.एस.आई. भू-स्वामियों को दिया जा सकता है जिसमें से 0.5 एफ.एस.आई. का निर्माण करके उसे राज्य तथा केन्द्र सरकार प्राधिकरण को नि:शुल्क सौंप दिया जाएगा।

मैसर्स महेश गरोड़िया ने इस भूमि का बिल्ड, ओन तथा ट्रांसफर योजना के अंतर्गत निजी (प्राइवेट) सहभागिता द्वारा आवास परियोजना के निर्माण हेतु भूमि उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) को सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०)

3495. डा. बलिराम : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को न तो उनके जी०पी०एफ० की शेष राशि से संबंधित जानकारी मिलती है और न ही वे अपनी जी०पी०एफ० की जमाराशि को सरलतापूर्वक निकाल पाते हैं और उनके जी०पी०एफ० का केन्द्रीकरण न होने के कारण उनकी भर्ती के कई वर्षों बाद भी उनके पास जी०पी०एफ० खाते में धन जमा कराने की कोई सुविधाजनक व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जवानों के जी०पी०एफ० के केन्द्रीयकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जी०पी०एफ० को कब तक केन्द्रीयकृत बनाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान। सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के विकेन्द्रीयकरण के कारण कुछ मामलों में, धन निकलवाने में कठिनाई पेश आ रही है। तथापि, के.औ.सु. बल का वेतन एवं लेख विभाग सभी अंशदाताओं को अगस्त/सितम्बर माह में सा.भ.नि. विवरणी प्रदान करता है। सामान्यत: वेतन एवं लेखा द्वारा दो माह के भीतर प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सा.भ.नि. राशि के एक वेतन एवं लेखा कार्यालय से दूसरे वेतन एवं लेखा कार्यालय में अंतरण नहीं हो पाने के कारण राशि के संवितरण में कुछ विलम्ब हो जाता है।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान वेतन एवं लेखा कार्यालय के कार्य के केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पहले ही प्रारंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

यू०जी०सी० द्वारा अनुदानों का आवंटन

3496. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू.जी.सी. अनुदानों हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों, मानद विश्व-विद्यालयों, स्वायत्त कालेजों और अन्य कालेजों के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आवंटित, जारी की गई और उपयोग की राशि का राज्यवार और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अस्थाई स्वीकृति और मान्यता वाले संस्थान को यू.जी.सी. अनुदान प्रदान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान किस वर्ष आवंटित किए गए और ऐसे संस्थानों के राज्य-वार एवं स्थान-वार नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित करना

3497. श्री जय प्रकाश : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने वर्ष 2001-2002 और चालू वर्ष के दौरान कुठ राज्यों में विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इ०एस०आई० द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में इन्सिनरेटर्स का निर्माण करने हेतु प्राइवेट कम्पनियों को ठेके देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कम्पनियों की निविदाएं स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को निविदाएं स्वीकृत करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा पक्षपात करने और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(छ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केवल राजस्थान के कोटा, पाली और भीलवाड़ा शहरों में ईएसआई द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में तेल प्रज्जवल भस्मको (इन्सिनरेटर्स) की व्यवस्था-स्थापना करने, परीक्षण करने और बनाकर चालू करने के लिए वर्त्तमान वित्त वर्ष में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, इस कार्य दायरे में कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार भस्मक प्रणाली के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमोदन लेना भी शामिल है।

(ग) निविदाओं की जांच की जा रही है और अभी तक कार्य सौंपे जाने का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ओर केवल एक फर्म की वित्तीय बोली खोलने के लिये चुनी गई है, ताकि अन्य प्रस्तावों को बिना उचित कारण के अस्वीकार करते हुए उस फर्म विशेष का अनुचित पक्ष लिया जा सके।

(च) से (ज) शिकायत की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत औषधि इकाइयां

3498. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीयकृत और शुरू की गई इकाइयों की दशा सुधारने हेतु राज्य सरकारों द्वारा खरीद का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें राष्ट्रीयकृत औषधी इकाइयों के शेयरों की खरीद हेतु उपाय शुरू कर सकती है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कालेज द्वारा भंडार मदों की खरीद

3499. श्री रामजी मांझी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के प्राचार्य ने एक लाख रुपए के प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार के विरुद्ध 58.34 लाख रुपए के भंडार मदों की खरीद को स्वीकृति दी, जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 4 के पृष्ठ 13 पर टिप्पणी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कालेज ने अवमृदा की खोज के लिए उच्च शक्ति वाली ड्रिलिंग मशीनों की खरीद की लेकिन इसकी खरीद के साढ़े तीन वर्षों के बाद भी मशीन का परीक्षण नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की और उस पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) जी, हां। मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर (अब एम एन आई टी, जयपुर) ने स्टोर परचेज कमेटी की सिफारिशों पर वर्ष 1996-2001 की अवधि के दौरान स्टोर के लिए 58.34 लाख रु० के उपस्कर खरीदे जिनमें प्रत्येक उपस्कर की कीमत एक लाख रु० से अधिक थी। इस कमेटी में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में थे।

मार्च, 1998 में सबसॅयल एक्सप्लोरेशन ट्राली मांऊटिड ड्रिलिंग मशीन की खरीद से पहले संबंधित विभाग के दो संकाय सदस्यों ने निर्माताओं के कार्यस्थल पर इसी प्रकार की मशीन की वास्तविक कार्यप्रणाली का प्रदर्शन देखा था। जो मशीन कालेज को भेजी गई उसकी, प्रेषण से पूर्व तथा कालेज में प्राप्ति के पश्चात् फिर से जांच की गई। 'उत्कृष्टता केन्द्र की योजना के तहत खरीदी गई मशीन का उपयोग छात्रों के समक्ष उसकी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये किया जा रहा है।

कालेज के दौरे करके नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पूरे ब्यौरे की जांच करने के लिए इस विभाग से दो वरिष्ठ अधिकारी भेजे हैं।

सरकारी भवनों में लिफ्ट

3500. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 2002 को दि टाइम्स ऑफ इंडिया में "आफीशीयल, चेक्स कैन नॉट इन्श्यूर सेफ लिफ्ट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है कि लिफ्ट यात्रियों के जीवन को खतरे में डाले बिना समुचित ढंग से कार्य कर सकें?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। यह समाचार उन लिफ्टों में घटी दुर्घटनाओं से संबंधित है जिन्हें उपयुक्त प्रमाणित किया गया था। लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार ने बताया है कि तीस हजारी की लिफ्ट दुर्घटना लिफ्ट के लिफ्ट मशीन रूम से "ब्रेक कॉयल" की चोरी के कारण घटी जिसके कारण लिफ्ट का ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर पाया और एक महिला को चोटें पहुंची। चोरी का मामला पहले ही पुलिस प्राधिकारियों को बता दिया गया है। तथापि, भीकाजी कामा प्लेस में किसी लिफ्ट की खराबी की कोई विशेष घटना दिल्ली सरकार के

श्रम विभाग की जानकारी में नहीं है जो बम्बई लिफ्ट अधिनियम, 1939 (दिल्ली में भी इसे विस्तार किया गया) के प्रावधानों को लागू करता है।

(ग) दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग तथा श्रम विभाग ने बताया है कि निरीक्षण स्टाफ द्वारा आवधिक जांच की जाती है। लिफ्ट में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट निर्माताओं के द्वारा आवश्यक सर्विसिग तथा रखरखाव किया जाता है।

कृषि भूमि पर फार्म हाउस

3501. **श्री अरुण कुमार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा दिल्ली में विशेषकर मंडोली गांव में कई करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से कृषि भूमि पर फार्म हाउसों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच करने और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि पर फार्म हाउसों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कृषि भूमि को लेकर इसे ग्राम सभा को देने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार मंडोली गांव में ऐसा कोई फार्म हाउस नहीं है जो किसी सरकारी अधिकारी ने बनाया हो।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

जाली नोट रैकेट में बैंक अधिकारियों का लिप्त पाया जाना

3502. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बैंकों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारी पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में अतिवादी और आतंकवादी संगठनों को भारतीय जाली नोटों को अन्य देशों की मुद्रा में परिवर्तित करने के अतिरिक्त धन के लेन-देन के लिए बैंकिग चैनल उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे चैनलों के माध्यम से अब तक कितने जाली नोटों को अन्य देश की मुद्रा से बदला गया और अनुमानत: कितनी धनराशि का लेनदेन हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे रैकटों में लिप्त पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में कुछेक मामले ध्यान में आए हैं जिनमें आतंकवादी संगठनों ने आतंकवादी गतिविधियों में सहायता करने हेतु लेन-देन और जाली भारतीय मुद्रा नोटों को बदलने के लिए बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल किया है। तथापि, वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन

3503. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया की कोई योजना विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालय और महाविद्यालय विशिष्ट पुस्तकों आदि के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट से संपर्क बनाए रखते हैं; और

(घ) यदि हां, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इस मामले में विद्यालयों और महाविद्यालयों को किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पास राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तहत राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र में नामांकित 'स्कूलों के लिए

पाठक क्लब कार्यक्रम' के तहत स्कूलों को पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम है। ऐसे क्लबों की स्थापना करने में कोई खर्च नहीं होता। स्कूलों को कहा जाता है कि वे फार्म भरकर राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र को भेज दें। स्कूलों को पुस्तकें डाक द्वारा नि:शुल्क भेजी जाती हैं। एक वर्ष तक पाठक क्लब चलाने वाले और अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट भेजने वाले संगठन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों पर 50 प्रतिशत छूट पाने के हकदार होते हैं।

(ग) और (घ) स्कूल और कालेज अपने पसन्द की पुस्तकें मंगाने के लिए और कभी-कभी विशेष अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से सम्पर्क करते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सूचना सामग्री जैसे रीडर्स क्लब बुलेटिन और स्कूली छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बाल पुस्तकों से संबंधित विशेष पोस्टर भेजता है। कुछ स्कूलों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तकों से संबंधित कार्यकलाप भी आयोजित करता है और सृजनात्मक लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों को शामिल करता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों को निर्देश

3504. श्री सुकदेव पासवान : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.10.2001 के अपने आदेश में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को दिलिप कुमार बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य के मामले में दिए गए 11 निर्देशों की निगरानी करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने समितियों का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) सं. 539/86 दिलीप के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल एवं अन्य में आपराधिक विविध याचिका सं. 12704/2001 में पास किए गए अपने दिनांक 19.10.2001 के आदेश के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों से डी.के. बासु के मामले में दिनांक 18.12.1996 के अपने आदेश में न्यायालय द्वारा निर्धारित 11 ''अपेक्षाओं'' का अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मानवाधिकार आयोग में एक उप-समिति गठित करने का आग्रह किया है। न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जहां मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया गया है, में ऐसी समिति, जो इस प्रयोजनार्थ उचित समझी जाए, गठित करने का अनुरोध किया है तथा कहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोगों के संबंध में दिए गए निर्देश उक्त समितियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि उप-समितियां अपनी रिपोर्ट सीधे ही उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेंगी जोकि इनका सीधे ही प्रबोधन करेगा।

(ग) से (ङ) चूकि उच्चतम न्यायालय इस मामले का प्रबोधन कर रहा है, अत: राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपनी अनुपालन रिपोर्ट सीधे ही न्यायालय को प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों की स्थिति

3505. श्री राजो सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के घाटे में चल रहे उपक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार ने उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इन उपक्रमों की उत्पादन स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों (पीएसयू) की स्थिति और उनकी स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा किये गए उपाय नीचे दिए गए हैं :-

उर्वरक क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमि० (एचएफसी), फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एफसीआई), प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पीडीआईएल) और पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० (पीपीसीएल) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनगर्ठन बोर्ड

(बीआईएफआर) द्वारा रुग्ण घोषित किया जा चुका है। फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लि० (फैक्ट) और मद्रास फर्टिलाइजर लि० (एमएफएल) विगत कुछ वर्षों से घाटे में चल रहे हैं। फैक्ट तथा एमएफएल को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इन कम्पनियों को इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता करने हेतु ये प्रस्ताव कार्यान्वित किये गये हैं। सरकार ने एचएफसी की हल्दिया उर्वरक परियोजना, उर्वरक उन्नयन व कृषि अनुसंधान प्रभाग/तथा विपणन/क्रय/सम्पर्क प्रभागों आदि जैसे अन्य सहायक स्थापनाओं को बन्द/अलग करने; एफसीआई के रामागुण्डम, तालचर, गोरखपुर इकाइयों, कोरबा प्रभाग को बन्द करने/अलग करने, एफसीआई के जोधपुर खनन संगठन को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में अलग करने, पीपीसीएल की सलादीपुरा आइरन पाइराइट्स खानों को बन्द करने सहित देहरादून और सलादीपुरा इकाइयों को बन्द/अलग करने का निर्णय लिया है। एचएफसी की दुर्गापुर और बरौनी इकाइयों, एफसीआई की सिन्दरी इकाई, पीपीसीएल की अमझौर इकाई तथा पीडीआईएल के पुन:स्थापन प्रस्ताव मंत्रीदल के विचाराधीन हैं।

रसायन क्षेत्र

रसायन क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में से हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) और हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइट्स लिमिटेड (एचआईएल) गत कुछ वर्षों से घाटे में चल रहे हैं। सरकार द्वारा एचओसीएल को स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना (वीआरएस) को कार्यान्वित करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए सरकार की गारन्टी तथा अनुदान के रूप में सहायता दी गई है। सरकार द्वारा, वीआरएस का कार्यान्वयन करने के लिए एचआईएल को भी सहायता अनुदान दिया गया है।

भेषज क्षेत्र

भेषक क्षेत्र के सभी सरकारी उपक्रमों को बीआईएफआर द्वारा रुग्ण घोषित कर दिया गया है। इन कम्पनियों का भविष्य तथा इनके पुनरुद्धार के प्रस्ताव का निर्धारण बीआईएफआर की कार्यवाही और अन्तिम निर्णय द्वारा किया जायेगा।

(ख) हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उपर्युक्त उपक्रमों द्वारा किये गए उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

उर्वरक क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	1999-2000 में उर्वरक पोषकों का उत्पादन			2000-2001 में उर्वरक पोषकों का उत्पादन			2001-2002 में उर्वरक पोषकों का उत्पादन		
	एन	पी	योग	एन	पी	योग	एन	पी	योग
एचएफसी	56.3	—	56.3	76.9	—	76.9	29.6	—	29.6
एफसीआई	140.7	—	140.7	109.2	—	109.2	35.1	—	35.1
पीपीसीएल	—	2.2	2.2	-	0.2	0.2	—	—	—
फैक्ट	327.5	156.9	484.4	344.2	167.6	511.8	221.9	165.2	387.1

रसायन क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	जनवरी से मार्च 2001 के दौरान उत्पादन मी० टन में	जनवरी से मार्च 2002 के दौरान उत्पादन मी० टन में
एचओसीएल	43098	27825
एचआईएल	4227	4382

भेषक क्षेत्र

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	2001-02 में उत्पादन रु० (लाख) में
1	2	3
1.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०	687.34
2.	हिन्दुस्तान एन्टिबॉयोटिक्स लि०	8564.31

1	2	3
3.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०	4803.85
4.	बंगाल इम्युनिटी लि०	58.23
5.	स्मिथ स्टेनिस्ट्री फार्मास्युटिकल लि०	319.00

[अनुवाद]

विज्ञान की शिक्षा

3506. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में विशेषकर उच्चतम माध्यमिक स्तर और ऑनर्स स्तर के डिग्री पाठ्यक्रमों में विज्ञान की शिक्षा अभी भी काफी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों का कुल प्रतिशत कितना है जहां विज्ञान विषयों में कम से कम भौतिकी रसायन विज्ञान, भूगोल और जीव विज्ञान में ऑनर्स पाठ्यक्रम है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि देश में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रदान की जा रही विज्ञान की शिक्षा पर्याप्त नहीं है। ऑनर्स स्तर पर डिग्री पाठ्यक्रम के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है. और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न भोजन योजना

3507. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 (सिविल) की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 3 के पृष्ठ 98 के अनुसार सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 31.07 करोड़ रुपये का जो खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किया जाना था उसका अन्यत्र उपयोग किया गया और उसका दुरुपयोग किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी है;

(ग) क्या प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का उचित प्रकार से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार चार राज्यों अर्थात् केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में कक्षा-1 से 5 से भिन्न कक्षाओं के छात्रों को 31.07 करोड़ रु. मूल्य का खाद्यान्न बांटा गया।

मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया। केरल सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के तहत उपलब्ध खाद्यान्नों की कक्षा 6-7 के छात्रों के लिए उपयोग नहीं किया है।

गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु की सरकारों ने सूचित किया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक पूर्व/उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए अनाज के उपयोग के कुछ उदाहरण हैं जिसे अब रोक दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने सभी स्तरों पर कार्यक्रम की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण में सुधार, ग्राम शिक्षा समितियों की भागीदारी से कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जागरुकता पैदा करना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि अनाज की नियमित आपूर्ति तथा परिवहन प्रभार की समय पर प्रतिपूर्ति और भारतीय खाद्य निगम को भुगतान हो सके तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी की और कठोर भूमिका का सुनिश्चिय हो सके।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सतत आकलन के प्रयोजनार्थ राज्यों के सचिवों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों से प्राथमिक स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी यह कहा गया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दौरा करते समय औचक निरीक्षण करें।

[हिन्दी]

भारतीय उर्वरक निगम लि० की इकाइयों का पुनरुद्धार

3508. योगी आदित्यनाथ :
श्री वाई.नी. महाजन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय उर्वरक निगम लि० की राज्य-वार कितनी इकाइयां हैं;

(ख) क्या कुछ इकाइयां बंद पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) बन्द उर्वरक इकाइयों को कब तक प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई) की इकाइयां सिन्दरी (झारखण्ड), रामागुंडम (आंध्र प्रदेश), तालचर (उड़ीसा), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), जोधपुर खनन संगठन (राजस्थान) और कोरबा प्रभाग (मध्य प्रदेश) में स्थित हैं। अब यह निर्णय लिया गया कि इनमें से रामागुंडम, तालचर और गोरखपुर इकाइयों और कोरबा प्रभाग जिनके प्रचालन आस्थगित हैं, को बन्द कर दिया जाए। सिन्दरी इकाई का पुनरुद्धार मंत्रीदल के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

3509. श्री राजैया मल्याला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के हैदराबाद क्षेत्र के उप निदेशक के नियंत्रणाधीन राज्य-वार और संघराज्य क्षेत्र-वार कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) क्या नवोदय विद्यालय समिति का विचार इन विद्यालयों के सुचारू कार्यकरण हेतु एक दूसरा क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) उप-निदेशक, हैदराबाद क्षेत्र के अन्तर्गत 91 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। इस संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) नवोदय विद्यालय संगठन ने सूचित किया कि बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है लेकिन इसे वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। तथापि, विद्यालयों के सुचारू कार्य संचालन के लिए हैदराबाद के उप-निदेशक की सहायता के उद्देश्य से भुवनेश्वर तथा मंगलौर दोनों में एक-एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

विवरण

हैदराबाद क्षेत्र के नियंत्रणाधीन जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	जिला	कुल संस्वीकृत नवोदय विद्यालय
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	पांडिचेरी	04
4.	कर्नाटक	27
5.	लक्षद्वीप	01
6.	केरल	13
7.	उड़ीसा	22
	कुल	91

सरकारी क्वाटरों को किराए पर लगाना

3510. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23.11.1995 को शिवसागर तिवारी बनाम केन्द्र सरकार के मामले की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार किराए पर दिये गये सरकारी क्वाटरों के मामले की जांच हेतु सम्पदा निदेशालय द्वारा सामान्य पूल के सभी क्वाटरों का घर-घर जाकर निरीक्षण किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थान-वार और वर्ष-वार कोई छापे मारे गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सम्पदा निदेशालय और सी०पी०डब्ल्यू०डी० ने आवंटियों को नोटिस जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) सरकार द्वारा इन सरकारी कालोनियों में चल रही अनैतिक गतिविधियों को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मकानों की स्वत: तभी प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी अचानक जांच की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान उप-किराएदारी के बारे में पता लगाने के लिए अब तक निरीक्षित मकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सम्पदा निदेशालय द्वारा जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2001 तक 2693 मकानों में उप-किराएदारी का पता लगा। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वैयक्तिक सुनवाई के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करके मकानों के आबंटियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। आबंटन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, 685 मकानों का आबंटन रद्द कर दिया गया है और 450 मकान खाली करवा लिए गए हैं। अपनी सेवा की शेष अवधि के लिए आगे आबंटन प्राप्त करने से आबंटियों को विवर्जित करने के अलावा, प्रशासनिक, मंत्रालय/विभाग को भी आचार संहिता नियमावली में निर्दिष्ट संगत प्रावधानों के अंतर्गत दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का परामर्श दिया गया है।

(च) संपदा निदेशालय ने सरकारी कालोनियों में नियमित निरीक्षण करने हेतु समर्पित दलों का गठन किया है तथा मामलों के तेजी से निपटान पर विशेष जोर दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2001 के दौरान संपदा निदेशालय द्वारा निरीक्षित किये गये मकानों की संख्या

स्थान	वर्ष		
	1999	2000	2001
1	2	3	4
अल्बर्ट स्क्वेयर	—	1	23
अलीगंज	—	—	109
पण्डुजगंज	49	73	196
आरामबाग	67	224	184
एशियाड—ग्राम	—	01	—
बापा नगर	—	—	01
बी.के.एस. मार्ग	05	01	37
चाणक्य पुरी	—	01	—
चित्रगुप्त रोड	09	41	11
देवनगर	09	02	12
डी आई जेड एरिया	66	109	240
हनुमान रोड	06	68	17
जाम नगर हाउस	—	02	01
कालीबाड़ी मार्ग	11	02	19
किदवई नगर	35	55	414
लान्सर रोड	06	—	130
लक्ष्मीबाई नगर	02	09	62
लोदी कालोनी	14	15	30
लोदी रोड कॉम्प्लेक्स	22	74	127
मंदिर मार्ग	10	24	27
एम.बी. रोड	109	132	886
मिन्टो रोड	35	01	118
मुहम्मद पुर	15	20	60
मोती बाग	45	39	109
नानकपुरा	50	30	112
नौरोजी नगर	32	18	54
नेहरू नगर	—	—	12
नेताजी नगर	31	46	421
पी.के. रोड	06	—	23
पंडारा रोड	—	—	02

1	2	3	4
प्रेम नगर	06	30	29
प्रोबिन रोड़	—	—	06
आर.के. पुरम	176	114	1038
राउज एवेन्यू	—	—	60
सरोजिनी नगर	72	65	649
सादिक नगर	42	23	134
सेवा नगर	53	46	95
श्रीनिवास पुरी	32	26	116
तिमार पुर	20	114	250
टोडरमल स्क्वेयर	01	01	—
बंसत बिहार	19	24	38
कुल	1055	1431	5852

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
मार्गनिदेशों का उल्लंघन

3511. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 2002 के (राष्ट्रीय सहारा) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने ही मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश स्थित 'श्री सत्य साईं इन्स्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग' संस्थान को कतिपय आवश्यक प्रावधानों से छूट देने के क्या कारण हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने ही मार्गनिदेशों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित खबर मंत्रालय की जानकारी में लाई गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग, प्रशान्तिनिलयम, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश (जो सम-विश्वविद्यालय है) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि (1) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा इस संस्था पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संस्था नियंत्रक और महालेखा परीक्षा अनुदान प्रावधानों के खण्ड 3 के अंतर्गत नहीं आती है (2) यह आवश्यक नहीं है कि कुलपति वेतनभोगी ही हो; और (3) संयुक्त प्रवेश परीक्षा श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग पर लागू की जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 मार्च, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किये :-

(1) कि श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग (सम विश्वविद्यालय) को अपने लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा से छूट दी जाए;

(2) कि उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट से की जाएगी और यह तब तक लागू रहेगा जब तक इसे सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता;

(3) कि यह संस्था अपने लेखाओं का ब्यौरा रखेगी और उन्हें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा;

(4) कि कुलपति एक वेतनभोगी व्यक्ति होगा जो टोकन वेतन के रूप में कम से कम 1 रु० प्राप्त करेगी;

(5) कि आयोग ने इस संस्थान को प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा से छूट देने पर सिद्धान्त रूप में सहमति व्यक्त की थी। संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा से छूट दिए जाने का अनुरोध यद्यपि तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण है और छूट दिए जाने के योग्य है, लेकिन इस संस्था के किसी विषय विशेष के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिए जाने के प्रस्ताव के समय कोई औपचारिक निर्णय लिया जाएगा; और

(6) कि वर्तमान संगम ज्ञापन/नियमों को कुल मिलाकर ठीक माना जाए।

(ग) और (घ) सम विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के कतिपय प्रावधानों से छूट हेतु अनुरोध

श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग, आंध्र प्रदेश के कुलपति ने किया था। गुणावगुणों और इस संस्थान की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आयोग की बैठक में विचार किया गया था और कुछ शर्तों पर प्रावधानों से छूट देने का निर्णय लिया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसके दिशानिर्देशों का सामान्यतया पालन किया जाता है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें आयोग गुणावगुणों के आधार पर छूट देता है।

हिरन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

3512. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के सिहोरा नगर निगम के लिए हिरन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पेयजल योजना को स्वीकृति देने का है; और

(घ) इस योजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है और इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए क्या समय-सीमा तय किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नये तकनीकी संस्थानों का खोला जाना

3513. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नये तकनीकी संस्थानों को खोलने और विभिन्न संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु अंतिम प्राधिकारी संस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए०आई०सी०टी०ई० का प्रत्येक राज्य में स्थानीय कार्यालय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन क्षेत्रीय कार्यालयों की मुख्य भूमिका क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत परिषद को प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार किसी नए तकनीकी संस्थान की स्थापना करने तथा उसमें दाखिला क्षमता का निर्धारण सहित किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन आवश्यक है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो चेन्नई, मुम्बई, कोजकाता, कानपुर, बंगलौर, भोपाल तथा चंडीगढ़ में स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित क्षेत्र में स्थित राज्यों की जरूरतों को पूरा करता है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य कार्यों में शामिल हैं नए तकनीकी संस्थाओं/नए पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना; परिषद् की सिफारिशों/निर्णयों का कार्यान्वयन, राज्य सरकारों, राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय, व्यावसायिक निकायों, औद्योगिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना, तकनीकी संस्थाओं का सर्वेक्षण, तकनीकी जनशक्ति का आकलन, निर्धारित मानदण्डों का संवर्धन तथा कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन, आदि।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 अगस्त, 2002/ 16 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।